दिनांक 10 मार्च, 2023 को ग्रीष्मकाल में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल–विद्युत एवं स्वास्थ्य आदि आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग/टौंस वन प्रभाग। (वी0सी0 के माध्यम से)
3. उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार, पुरोला। (वी0सी0 के माध्यम से)
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
6. उपजिलाधिकारी, बड़कोट/पुरोला। (वी0सी0 के माध्यम से)
8. उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
10 अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, पुरोला (वी0सी0 के माध्यम से)
11. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
12. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट। (वी0सी0 के माध्यम से)
13. अधिशासी अभियंता, पेयजल निगम, उत्तरकाशी।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।
15. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
16. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
17. निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

आगामी ग्रीष्मकाल में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल–विद्युत आपूर्ति एवं ग्रीष्मकाल में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये–

1. **वनाग्नि नियंत्रण**– ग्रीष्मकाल में वनाग्नि नियंत्रण हेतु समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को निर्देश दिये गये पर्यावरण एवं जंगलों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा समस्त विभागीय कर्मियों एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम की जाय। साथ ही विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वन पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित कर वनाग्नि सुरक्षा समितियों को सक्रिय करने के निर्देश दिये गये। अतिसंवेदनशील वन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए साप्ताहिक रोक्टरवार तैयारी की जाय, जिसकी सूचना समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी व एस0डी0आर0एफ0 को उपलब्ध करायी जाय, जिससे उक्त विभागों के क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जायेगा।

संवेदनशील क्षेत्रों में पिरूल घास को साफ कर फायर लाईन बनायी जाय। फायर सीजन में पर्याप्त संख्या में फायर वाचर एवं ग्राम प्रहरियों की तैनाती सुनिश्चित की जाय। आग लगाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही अमल में लायी जाय। समस्त सड़क सम्बन्धी विभाग, वन विभाग से समन्वय कर सड़कों के किनारे पीरूल को हटाने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। विगत माह आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में स्वयंसेवकों को आपदा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया है। आपदा प्रबन्धन अधिकारी उक्त स्वंयसेवकों की सूची समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रभागीय वनाधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में वनाग्नि की घटना घटित होने पर उक्त स्वंयसेवकों का यथा आवश्यक सहयोग ले सकेंगे।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/उप निदेशक, उत्तरकाशी/जिला पंचायतराज अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0/कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, तेखला, भटवाड़ी/अधि0अभि0, पी0एम0जी0एस0वाई/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0।

क्रमश................................2

Scanned with OKEN Scanner

2. **स्वास्थ्य**– ग्रीष्मकाल में होने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग ग्राम स्तर पर आम जनमानस को जागरूक करते हुये आवश्यक दवाओं का उचित मात्रा में भण्डारण विभिन्न चिकित्सालायों में रखना सुनिश्चित करेंगे। जल संस्थान व पेयजल निगम पानी की टंकियों की सफाई करते हुये क्लोरिनेशन करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत नालियों में गंदे स्थानों में ब्लिचिंग पाउडर का छिड़काऊ करते हुये साफ–सफाई बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी / समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उत्तरकाशी।

3. **पेयजल**– ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या के मध्येनजर पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों / ग्रामों को चिन्हित कर उक्त क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु योजना तैयार कर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। पेयजल आपूर्ति हेतु सरकारी / निजी टैंकरों की सूची आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियंता, जल संस्थान / जल निगम, उत्तरकाशी।

4. **विद्युत**– क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों की आवश्यक मरम्मत करवाना सुनिश्चित की जाय। विद्युत आपूर्ति सुचारू रखे जाने हेतु सहायक समाग्री यथा–विद्युत पोल, तार, कनडक्टर, इन्शूलेटर, ट्रांसफार्मर आदि का विभिन्न केन्द्रों पर भण्डारण किया जान सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिन विद्युत पोलों / वायर में पेड़ या पेड़ की टहानियों से अवरोध हो रहा हो तो इस सम्बन्ध में वन विभाग से समन्वय कर अवरोध को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा ऑधी–तूफान से विद्युत लाईन में पेड़ / टहनियां गिर जाने से उन्हें विद्युत सुचारू किये जाने हेतु तत्काल हटाये जाने हेतु वुड कटर की मांग की गयी। इस सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी एवं विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट को एक–एक वुड कटर क्रय कर उपलब्ध कराया जाय, जिसका रख–रखाव सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।
कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी / प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।

सम्बन्धित अधिकारी, उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्या–899 / 13–आ0प्र0 / 2023 दिनांक–14 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः 1 समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को ससमय अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः 2 सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः 3 आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः 3 जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
14/3/23

Scanned with OKEN Scanner

चारधाम यात्रा–2023 के सफल संचालन हेतु दिनांक 22.02.2023 को उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम तक आवश्यक व्यवस्थायें के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण में दिये गये निर्देशों एवं गंगोत्री धाम में सम्बन्धित विभाग के साथ आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
3. प्रतिनिधि, कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, भटवाड़ी (प्रतिनिधि)
4. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
5 पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
7. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8 अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. सहायक अभियंता, लघु सिचांई, उत्तरकाशी।
11. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तरकाशी।
13. वनक्षेत्राधिकारी, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी।
14. अधिशासी अधिकारी, जिलापंचायत उत्तरकाशी।
15 सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
16. सहायक अभियन्ता, ब्रिटकुल

विधानसभा गंगोत्री के मा0 विधायक एंव श्री पांच मंदिर समिति के समस्त सदस्यों की उपस्थिति में बैठक में उपस्थित अधिकारियों को आगामी चारधाम यात्रा 2023 के सफल संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये यात्रा तैयारियों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत, दूरसंचार, पर्यटन, परिवहन, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। उक्त के क्रम में सम्बन्धित विभागों को निम्न प्रकार आदेश निर्गत किये जाते है।

1–यात्रा मार्गो की मरम्मत व रख–रखाव :– चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्ग धरासू–उत्तरकाशी–गंगोत्री का रख–रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण के दौरान कामन अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, भटवाड़ी को यात्रा मार्ग में यात्रियों की सुविधा हेतु पर्याप्त मात्रा में साईन बोर्ड लगाये जाने, मार्गो के किनारे केस बेरियर लगाये जाने एवं रात्री में चलने वाले यात्री वाहनों की सुविधा हेतु पयार्प्त मात्रा में डेलिनेटर लगाये जाने हेतु निर्देश दिये गये साथ ही कमान अधिकारी, भटवाड़ी को स्थान गंगोरी, लोहारी नाग एवं हर्षिल गदेरे पर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनावश्यक रूप से पडे हुये पत्थरों को हटाने, गड्डे भरने एवं मार्ग की ड्रेसिंग करने एवं स्थान भटवाडी के पास मार्ग के डामरीकरण करने के निर्देश दिये गये। भटवाड़ी तहसील के समीप वाहनों के जाम लगने की स्थिति के दृष्टिगत सुरक्षित रेंप बनाते हुये एक वैकल्पिक मार्ग बनाये जाने, हेल्गु गाड के समीप भूस्खलन क्षेत्र में पहाडी के ऊपर रूके हुये मलवे को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षित करते हुये मैनुअल लैबर लगाकर साफ करने के निर्देश भी कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, भटवाड़ी को दिये गये। इसके अतिरिक्त समस्त गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनावश्यक रूप से रखे मलवे एवं निर्माण सम्बन्धी सामग्री को हटाने एवं सोनगाढ के पास मार्ग को लगभग 2 मीटर अतिरिक्त चौडा किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन निम्न स्थानों हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे

(i) **तेखला से हिना–**इस भाग में रिसरफेसिंग की आवश्यकता है, जिसे यात्रा पूर्व करवाया जाना है। गंगोरी पुल से उत्तरकाशी की तरफ नदी की साइड में पुस्ता लगाया जाना है।

(ii) **झाला से सुक्की प्रथम मोड़ तक–** इस भाग में रिसरफेसिंग की आवश्यकता है, जिसे यात्रा पूर्व करवाया जाना है।

(iii)**नेताला–** नेताला मार्केट एरिया में 500 मीटर पक्की 01 मीटर गहरी नाली का बनना अतिआवश्यक है, इसे यात्रा पूर्व बनवाया जाय।

(iv)**हिना–**हिना के पास उत्तरकाशी की तरफ मोड़ पर दो पेड़ है, जिससे दुर्घटना होने का खतरा है। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही– कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, भटवाडी

क्रमशः.............................2

Scanned with OKEN Scanner

8–स्वास्थ्य व्यवस्था :–यात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षण व सुविधाओं के दृष्टिगत गंगोत्री धाम यात्रा मार्ग पर प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र/शिविरों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती मय जीवन रक्षक दवाईयों एवं उपकरणों की उपलब्धत सहित गंगोत्री धाम में कम से कम एक विशेज्ञय चिकित्सक की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त गंगोत्री धाम व यात्रा पड़ावों पर एम्बुलेंस की तैनाती भी करना सुनिश्चित करेंगे। गंगनानी में यात्राकाल के दौरान चिकित्सालय में स्वास्थ्य टीम के साथ एक चिकित्सक की तैनाती सुनिश्चित कर ली जाय।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी

9– मुखवा–जांगला पैदल मार्ग :–गंगेत्री मन्दिर समिति द्वारा अवगत कर या गया है कि मुखवा–जांगला पर स्थित गुमसुम नाले पर स्थित पैदल पुलिया जीर्ण–शीर्ण स्थित में है। मार्ग पर माँ गंगा की पैदल डोली मुखवा से गंगोत्री प्रस्थान करती है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि यात्रा पूर्व मुखवा–जांगला पर स्थित गुमसुम नाले पर स्थित जीर्ण–शीर्ण पैदल पुलिया की आवश्यक मरम्मत कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत।

10– पूर्ति विभाग:–जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये कि गंगोत्री धाम में स्थित लो0नि0वि0 के गेस्ट हाऊस 50 सिलेण्डरों का स्टॉक नियमानुसार रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त यात्रा में पड़ने वाले समस्त सस्ते गल्ले की दुकान पर पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध करा दिया जाय।

कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी।

11– पेयजल:– गंगोत्री यात्रा मार्ग स्थित पड़ावों पर स्थित शौचालयों, पेयजल की टंकियों एवं वाटर ए0टी0एम0 की पानी की लाईनों का मरम्मत कार्य यात्रा पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही गंगोत्री धाम स्थित समस्त पाईन लाईनों का मरम्मत कार्य 15 मार्च तक समाप्त कर पानी सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।
हर्षिल स्थित छाछरा–हर्षिल पेयजल योजना को बी0डी0एम में रखना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान।

12– नगर पंचायत गंगोत्री–: मंदिर परिसर के बहार स्थित अवैध निर्माण कार्य हटान सुनिश्चित करेंगे तथा यात्रा पूर्व नगर पंचायत गंगीत्र अन्तर्गत मार्गो, लाईटों, शौचालयों आदि का मरम्मत करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं व्हील चियर रजिस्ट्रेशन, लेबर रजिस्ट्रेशन एवं रेट लिस्ट जारी करेंगे।

कार्यवाही– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पंचायत, गांगोत्री।

13– गंगोत्री धाम सुरक्षा व्यवस्था–: यात्रा काल में गंगोत्री धाम में चोरी की बढ़ती घटनाओं के सम्बन्ध में मन्दिर समिति के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस उपधीक्षक, उत्तरकाशी को प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– पुलिस उपाधीक्षक।

सम्बन्धित अधिकारी उक्त निर्देशों का ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।

(तीर्थपाल सिंह)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 843 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/2023 दिनांक–24 फरवरी, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
24/2/23

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04.01.2023 को वनों की आग से रोकथाम हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में आहूत जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–संलग्न है।

जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का शुभारम्भ जिलाधिकारी महोदय, उत्तरकाशी की उपस्थिति में करते हुए सर्वप्रथम श्री पुनीत तोमर, संयोजक जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति, उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा जनपद की वन अग्नि सुरक्षा वर्ष 2022 हेतु बनायी गई रणनीति/योजना की विस्तृत जानकारी बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को दी गई।

उत्तरकाशी जनपद अन्तर्गत 07 वन प्रभागों का कुल क्षेत्रफल 6,95,642.83 है0 है, जिसमें से 76000. 00 है0 चीड वृक्षों से आच्छादित है। जनपद में फायर सीजन 15 फरवरी से 15 जून के मध्य होता है। उत्तरकाशी जनपद के वनों में आग मुख्यतः चीड़/कोनीफेरस वनों में लगती है, जो माह अप्रैल से जून के बीच अपनी चरम सीमा पर होती है। वनों में आग स्वयं न लगाकर अधिकांश असामाजिक तत्वों तथा स्थानीय लोगों द्वारा नई घास उगाने की धारणा से भी लगाई जाती है। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी (संयोजक) द्वारा अवगत कराया गया कि गत कुछ वर्षो में जनपद में अन्तरविभागीय समन्वय स्थापित कर वनाग्नि नियन्त्रण प्रभावी बनाया गया है, पूरे राज्य में जनपद उत्तरकाशी मिसाल रहा है। इस संबंध में गत वर्ष भी वन विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबन्धन, एस0डी0आर0एफ0, अग्निशमन, आई0टी0बी0पी0 द्वारा एकजुट होकर सूचना का प्रभावी आदान–प्रदान करते हुये वनाग्नि नियंत्रण में प्रतिकिया समय को काफी कम किया गया, जिससे गत वर्ष में वनाग्नि प्रभावित क्षेत्र को काफी कम किया गया है।

वर्तमान में ग्राम स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन समितियों का गठन किया जा रहा है, जो कि वन पंचायत सुरक्षा समितियों से भिन्न है। वर्तमान में ऐसे क्षेत्र जिनमें वनाग्नि की घटनाये नही होगी उनसे लगे हुये गांव में कैम्पा योजना के अन्तर्गत पुरस्कार धनराशि का प्राविधान भी किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाग्नि नियंत्रण नीति को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु फायर सीजन से पूर्व अग्नि निवारक कार्यो जैसे–फायर लाईन की सफाई, नियंत्रित दाहन/फुकान एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु रणनीति बनायी जानी आवश्यक है, जिस संबंध में गत दस वर्षो के वनाग्नि इतिहास का आई0टी0सैल0 देहरादून द्वारा चिन्हित कर मानचित्र तैयार किया गया है, जिसे केन्द्र में रखकर वनाग्नि सुरक्षा योजना तैयार की जाती है।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्देशित किया गया कि वनाग्नि को एक आपदा की श्रेणी में रखते हुये समस्त विभागों को एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक होगा।

<u>बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों द्वारा वनाग्नि काल में प्रभावी नियन्त्रण हेतु निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी ।</u>

- जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा दिशा–निर्देश दिया गया कि आरक्षित वनों में निरीक्षण बटिया, सडकों के किनारे, वृक्षारोपण के चारों तरफ, लीसा कूपों के चारों तरफ एवं अश्वमार्गो में कार्ययोजना अनुसार कन्ट्रौल वर्निग प्रारम्भ कर दी जाय।
- जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा निर्देश दिया गया कि अग्नि प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर कडी निगरानी रखी जाय यदि कोई भी व्यक्ति वनों में आग लगाते हुये पाया जाता है तो अपराध में लिप्त होने पर विधिक कार्यवाही की जाय।
- सिविल वनों तथा पंचायती वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो, पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी प्रहरी को आपस में समन्वय स्थापित कर आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग तथा घटना की विधिवत सूचना वन विभाग को उपलब्ध करायें।
  <u>(कार्यवाही– डी0पी0आर0ओ0)</u>

Scanned with OKEN Scanner

- फायर सर्विसेस द्वारा संवेदनशील वन क्षेत्रों के आस–पास आबादी वाले क्षेत्रों पर विषेष निगरानी रखी जाय ताकि आग अनियन्त्रित होकर वन क्षेत्रों में न पहुच सके।
(कार्यवाही अग्नि शमन विभाग)
- मोटर रोड़ से संबधित समस्त एजेन्सी पी0डब्लू0डी0, बी0आर0ओ0 आदि सडको को साफ रखेगे, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न घटे, अपने लेवर को आवश्यक निर्देश दे कि वनाग्नि की घटना होने पर स्वंय बुझाये तथा वन विभाग को भी सहयोग प्रदान करें।
(कार्यवाही नोडल पी0डब्लयू0डी0 / बी0आर0ओ0 / ए0डी0बी0)
- सड़क निर्माण के दौरान पेंटिग / डामरिकरण के समय कार्मिकों द्वारा ज्वलनषील सामग्री यदा कदा फेंक देने के फलस्वरूप भी आग लगने की घटनायें होती रहती है। इस सम्बन्ध में मार्ग तथा उसके आस–पास 20 मीटर के क्षेत्र में अग्नि नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्माण विभाग की होगी।
(कार्यवाही–नोडल अधिकारी सड़क निर्माण / बी0आर0ओ0)
- पूर्व की भांति संचार व्यवस्था को सुदृढ किया जाए वन विभाग के साथ पुलिस विभाग, फायर सर्विस तथा आपदा कन्ट्रोल एवं 108 सेवा का आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाय, ताकि किसी भी वनाग्नि घटना पर तुरन्त कार्यवाही की जा सके।
(कार्यवाही–वन विभाग, आपदा, पुलिस, फायर सेवा)
- ग्राम प्रधान, वन पंचायत सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रहरी के दूरभाष नम्बर प्राप्त कर मास्टर कन्ट्रोल तथा क्रूस्टेशन पर रखे जाए।
(कार्यवाही–वन विभाग)
- नियन्त्रित दाहन की सूचना आपदा नियन्त्रण कक्ष में समयान्र्तत उपलब्ध करायी जाये।
(कार्यवाही–वन विभाग)
- ग्राम स्तर पर वनाग्नि सुरक्षा गोष्टि के आयोजन करने के एक सप्ताह पूर्व ही ग्राम प्रधानों व वन सरपंचों को सूचित किया जाय व उनकी अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय। प्रभागीय स्तर पर सभी वन सरपंचों की वनाग्नि सुरक्षा बैठक कि जाय व बैठक के दौरान लोगो से वनाग्नि रोकथाम के सुझाव व वनाग्नि के कारणों को भी नोट किया जाय व वनाग्नि की घटना में दोषि पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्व शक्त कार्यावाही की जाने की सूचना भी दी जाय।
(कार्यवाही–वन विभाग)
- विगत एक दो वर्षो में खरीदे गये वनाग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित सामान की सूची बनाकर उसी के अनुरूप आवश्यकता अनुसार सामान / उपकरण खरीदने की प्रकिया की जाय।
(कार्यवाही–वन विभाग)
- वनाग्नि घटना के दुष्टिगत वन क्षेत्रों एवं सिविल भूमि में गतिमान लौटो की साफ सफाई एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुये समायान्तर्गत लौटो का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक)
- श्री नागेन्द्र थपलियाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेमी (जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य) द्वारा सुझाव दिया गया कि व्यापक स्तर पर जन संवाद कर स्थानीय जनता की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों तथा वन पंचायत सरपंचो की भागीदारी जबावदेही सहित सुनिश्चित की जाए।
- विधालयी पाठ्यकम में वनाग्नि सुरक्षा को भी सम्मिलित किया जाय।

अन्त में प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी द्वारा सभी सुझावों पर कार्यवाही का आश्वासन देते हुये तथा सभी विभागों द्वारा वन अग्नि नियंत्रण हेतु आवश्यक सहयोग व भागेदारी की अपेक्षा की गई। आगामी अग्निकाल में जिले की वनाग्नि से सुरक्षा की कामना करते हुये सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग / संयोजक,
जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति,
उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

e:\general\fire 2023\fire kryavrit 2023.doc

Scanned with OKEN Scanner

R.N 3950
9/2/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक–1971/27–1 , कोटबंगला, दिनांक 04 / 02 / 2023

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी। (सदस्य)
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाषी (सदस्य)
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
6. उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार, पुरोला, उत्तरकाशी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तरकाशी।
10. उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।
11. उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, डुण्डा, बड़कोट एवं पुरोला (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी। (सदस्य)
13. कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, तेखला, उत्तरकाशी।
14. सेनानी आई0टी0बी0पी0, मातली, उत्तरकाशी।
15. जिला शिक्षाधिकारी, उत्तरकाशी।
16. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
17. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बाड़ाहाट एवं चिन्यालीसौड।
18. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
19. वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा, उत्तरकाशी।
20. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
21. श्री प्रताप पोखरियाल, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तरकाशी।
22. श्री नागेन्द्र थपलियाल, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तरकाशी।

02/DDMO

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
08/2/23

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग/संयोजक,
जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति,
उत्तरकाशी।

neral fire 2023\fire kryavrit 2023.doc

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 को सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में शीत लहरी के सम्बन्ध में वीडियोकॉन्फ्रेसिंग में दिये गये निर्देशों के अनुसार विभागीय अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी। (नोडल)
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. अधिशासी अभियंता प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी। (नोडल)
6. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।(नोडल)
7. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
8. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

शीत ऋतु के दृष्टिगत तद्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें यथा शीतलहरी में बर्फवारी से बचाव सम्बन्धित सावधानियों, अलाव की व्यवस्था एवं मोटर/पैदल मार्गो सहित विद्युत, पेयजल, संचार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रखे जाने एवं खाद्यन्न/ईधन आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु बैठक में निम्न प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते है–

1. अलाव एवं रैन बसेरा की व्यवस्था–

आम जनमानस को शीत लहर एवं बर्फबारी से बचाव हेतु समस्त उप जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा राजस्व कर्मियों के माध्यम से अलाव जलाये जाने हेतु सार्वजनिक स्थलों का चिन्हित कर उक्त स्थानों पर आवश्यक एवं नियमित रूप से अलाव जलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के माध्यम से यथाआवश्यक अलाव जलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालका/नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब/निसहाय लोगों हेतु रैन बसेरे की व्यवस्था करते हुये रैन बसेरों में गर्म पानी/बिस्तर/शौचालय/साफ–सफाई/बिजल–पानी तथा ठंड से बचाव हेतु आवश्यक व्यवस्थायें की जानी सुनिश्चित की जाय।

शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार राजस्व क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा नगर क्षेत्र हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उक्त हेतु नोडल अधिकारी होंगे। यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि अल्पसाधन एवं अन्य स्थानों से आये मजदूरों एवं भीखरी/असहाय लोग खुले स्थानों पर रात्रि विश्राम न करें तथा ठंड के कारण किसी भी प्रकार की जन हानि न हो। उक्त हेतु यथाआवश्यक अतिरिक्त धनराशि की मांग इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बड़ाहाट/चिन्यालीसौड/बडकोट/नगर पंचायत, नौगाव/पुरोला/नगर पंचायत, गंगोत्री।

2. सड़क मार्ग–

सड़क सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये कि अपने नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य मार्गो एवं अन्य ग्रामीण यातायात मार्गों के बर्फवारी/पाला पड़ने वाले स्थानों यथा रॉडी टॉप, चौरंगी, स्यानाचट्टी–जानकीचट्टी, गंगनानी–हर्षिल, जरमोलाधार आदि क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में चूना आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी सक्षम अधिकारी एवं आवश्यक मशीनरी (जेसीबी/पोकलैण्ड/डोजर आदि) तथा मजदूरों की तैनाती करते हुये उक्त स्थान पर सम्भावित दुर्घटना के दृष्टिगत यथाआवश्यक क्रेश बैरियर लगवाना सुनिश्चित किया जाय।

सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/जे0सी0बी0, आपरेटर आदि के दूरभाष नम्बर की अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग अधिक समय तक अवरूद्व नहीं रहे। इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो।

क्रमश:.........................2

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप–

क्र. सं.	बर्फबारी एवं पाले हेतु संवदेनशील मार्ग का नाम	मार्ग की प्रभावित लम्बाई	तैनात संसाधन	सम्बन्धित अधिकारी का नाम/पदनाम	सम्बन्धित अधिकारी का मो0 नं0	मशीन चालक का नाम	शीन चालक का मो0नं0
1	2	3	4	5	6	7	8

कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन उत्तरकाशी/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/भटवाड़ी/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट/तथा पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी/पुरोला।

3. **विद्युत व्यवस्था–**

बर्फबारी के कारण विद्युत व्यवस्था बाधित होने की स्थिति में विद्युत व्यवस्था तत्काल सुचारू किये जाने हेतु प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर उक्त क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री/उपकरण पूर्व में ही पर्याप्त मात्रा में भण्डारित करना सुनिश्चित किया जाय तथा ऐसी स्थिति हेतु कार्ययोजना तैयार कर आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बडकोट।

4. **पेयजल व्यवस्था –**

पेयजल विभाग को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी व पाला पड़ने से प्रभावित होने वाली पेयजल लाईनों की तत्काल मरम्मत करने हेतु प्रर्याप्त संशाधन भण्डांर रखते हुये सुचारू करवाना सुनिश्चित करवायेंगे। *कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी/पुरोला।*

5. **खाद्यान्न–**

जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्फवारी से प्रभावित होने क्षेत्रों के कुल 08 गोदामों के 88 सस्ता गल्ला दुकान चिन्हित है। जिला पूर्ति अधिकारी को जनपद के बर्फवारी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मार्च, 2022 तक का खाद्यान्न आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा उक्त की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही दूरस्थ/बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों यथा हर्षिल, गंगोत्री, जानकीचट्टी तथा मोरी के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त रसोई गैस/पेट्रोल–डीजल की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

6. **चिकित्सा सुविधा–**

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि बर्फवारी वाले स्थानों में गर्भवती महिलाओं सूची तैयार करते हुये उनकी नियमित जानकारी उपलब्ध रखेंगे। सम्बन्धित आशा/आंगनबाडी/परिजनों आदि के अद्यतन दूरभाष नम्बर उपलब्ध रखेंगे। इसके अतिरिक्त बर्फवारी से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम गठित करना सुनिश्चित करते हुये संवेदनशील एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से आवश्यक औषधियों एवं चिकित्साकों की तैनाती सहित आवश्यक व्यवस्थायें करना सुनिश्चित कर उक्त हेतु कार्ययोजना तथा भण्डारित औषधियों के सम्बन्ध में सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

इसी प्रकार पशु चिकित्साधिकारी को भी पशुओं हेतु आवश्यक दवा एवं पशु चारा भण्डारित करते हुये सचल चिकित्सा दलों की तैनाती कर सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास।

7. **उच्च हिमालीय क्षेत्रों में आवाजाही**

जनपद के वन क्षेत्रान्तर्गत व अन्य ट्रैक मार्गों पर बर्फवारी की सम्भावना के दृष्टिगत कठिन व अत्यधिक ऊचॉई वाले मार्गों पर किसी भी ट्रैकर्स को न जाने दिया जाय। इसके अतिरिक्त सरल व कम ऊचॉई वाले ट्रैक मार्गों पर ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त सावधानियॉ/सुविधायें एवं एतिहात वरते जायें।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट/टोंस वन प्रभाग/उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार पुरोला/ गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क/पर्यटन विकास अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी।

क्रमशः.........................3

Scanned with OKEN Scanner

8. *संचार व्यवस्था–*

बी0एस0एन0एन0 तथा जनपद में अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेन्सियों को जनपद के वर्फवारी वाले समस्त क्षेत्रों में निर्वाध संचार व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में जनरेटर हेतु ईंधन तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करेंगे।
उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, बड़कोट/उत्तरकाशी।/प्रबन्धक, एयरटेल/जियो/आईडिया/वोडाफोन।

9. वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण–

जनपद में विभिन्न विकासखण्डों में दिनांक 26.12.2022 से न्याय पंचायतवार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धित सी0आर0सी0 केन्द्रों में आयोजित जाने प्रस्तावित हैं। तथा इसके साथ ही तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शीतकाल में घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोकथाम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाने हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त क्षेत्रीय विभागीय कर्मचारियों यथा–आंगनबाड़ी/आशा कार्यकत्री, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, पशुपालन, राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी सहित स्थानीय स्तर पर कार्यरत पी0आर0डी0 स्वयंसेवक, ग्राम प्रहरी, युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्य, वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित भूतपूर्व सैनिक एवं स्वंयसेवी सस्थाओं के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।

उक्त प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खण्ड विकास विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, वन क्षेत्राधिकारी एंव बी0ओ0, पी0आर0डी0 द्वारा आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ–साथ सम्बन्धित से समन्वय कर सूचना प्रसारित करते हुये प्रशिक्षण में उपस्थिति भी सुनिश्चित की जायेगी। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों एवं उपजिाधिकारी द्वारा समय–समय पर उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की मॉनीटिरिंग की जायेगी।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकरी/उप निदेक/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/जिला युवा कल्याण अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/ निरीक्षक,एस0डी0आर0एफ0 /आपदा प्रबन्धन अधिकारी एवं अन्य समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 720 /तेरह–आ0प्र0 (2022) दिनांक– 22 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपिः

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून कीसेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी के अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 31 नवम्बर, 2022 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बी0एस0एन0एल0 द्वारा ग्रामीण इलाकों में 4-G कनेक्टिविटी टॉवर लगाये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी (नोडल)
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना प्रभाग, बड़कोट।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
4. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5. उपजिलाधिकारी, डुण्डा।
6. उपजिलाधिकारी, बड़कोट।
8. उपजिलाधिकारी, पुरोला।
9. सहायक महाप्रबन्धक, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।
10 आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तारकाशी।
12. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट।
13. उप मण्डलीय अभिंयता, बी0एस0एन0एल0 उत्तरकाशी।
14. उप मण्डलीय अभिंयता, बी0एस0एन0एल0 बड़कोट।

बी0एस0एन0एल0 द्वारा उपलब्ध कराये गये ग्रामीण इलाकों में 04 जी कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से अतिशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त है, जिसके तहत बी0एस0एन0एल0 द्वारा 04 जी कनेक्टिविटी हेतु भूमि का चयन कर प्रस्तावा उपलब्ध कराये जाने तथा चयनित स्थान पर विद्युत/सड़क मार्ग के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराया जाना है। उपरोक्त के मध्येनजर बैठक में निम्न प्रकार दिशा निर्देश दिये गये–

1. टॉवर लगाये जाने हेतु उपजिलाधिकारियों द्वारा चिन्हित की गयी भूमि में विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी तथा टॉवर हेतु चिहिन्त भूमि की सड़क से दूरी के सम्बन्ध में कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि टॉवर हेतु चिहिन्त भूमि में विद्युत आपूर्ति तथा सड़क से दूरी के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण 03 दिन अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।)

2. वर्तमान समय तक विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के एक स्थान (उडरी) तथा विकासखण्ड नौगांव के एक स्थान (ब्याली) को छोड़कर विकासखण्ड भटवाड़ी, डुण्डा, चिन्यालीसौड़ व नौगांव के चिन्हित सभी स्थानों के प्रस्तावों की प्रति बी0एस0एन0एल0 को उपलब्ध करा दी गयी है। टॉवर लगाये जाने हेतु चिहिन्त भूमि के सम्बन्ध में बी0एस0एन0एल0 को निर्देश दिये जाते हैं कि चिहिन्त भूमि का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में अपनी सुस्पष्ठ आख्या 03 दिन अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपद में बी0टी0एस0 टॉवर लगाये जाने हेतु चिहिन्त स्थानों की अन्तिम सूची तत्काल उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही– उप मण्डलीय अभियंता, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट)

3. उपजिलाधिकारी, डुण्डा व बड़कोट द्वारा अवगत कराया गया है कि विकासखण्ड चिन्यालीसौड अन्तर्गत ग्राम उडरी व विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत ग्राम ब्याली में टॉवर हेतु कोई भी सरकारी भूमि उपयुक्त नहीं पायी गयी है। निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त स्थानों में उपयुक्त सरकारी भूमि न होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुये उपयुक्त निजी भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।

क्रमश.........................2

Scanned with OKEN Scanner

4. बैठक में संज्ञान में आया है कि गंगोत्री में भैरवघाटी क्षेत्र में किसी भी दूरसंचार कम्पनी के नेटवर्क कार्य नहीं करते हैं। उक्त क्षेत्र में यात्रा एवं आपदा के दृष्टिगत सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु भैरवघाटी में बी0टी0एस0 टावर हेतु स्थान चिहिन्त कर आख्या प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क स्थान चिन्हित कर आख्या उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बी0एस0एन0एल0 चिहिन्त स्थान का परीक्षण करेंगे।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पाक/बड़कोट/एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी)

सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का ससमय पालन करना सुनिश्चित करें।

05/XI/22

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 581 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/संचार/2022 दिनांक– 05 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

शीत ऋतु के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने एंव

विधान सभा–2022 चुनाव हेतु कम्यूनिकेशन प्लान बनाये जाने सम्बन्धी आवश्यक बैठक ।

स्थान–एन0आई0सी0 बैठक कक्ष

दिनांक 29.11.2022

क0सं0	अधिकारी का नाम / पद नाम	मो0 संख्या	हस्ताक्षर
1			
2			
3	Minakshi Patwal	9411104077	[signature] 29/11
4	C.S. chauhan	8006509340	[signature]
5	Sachin Kumar INSPECTOR (P/I)	8950035920	[signature]
6	Pratap Singh Chauhan	9410312009	[signature]
7	S.K. Kuril	9720928764	[signature]
8	Deepak Kumar	9412990174	[signature]
9	Ravindra Purohit Ranger	9456300841	[signature]
10	Praveen Singh / E.E. PWD	9997163215	[signature]
11	D.S. Hyanki	9412306667	[signature]
12	Manoj Gusain EE UPCL	9412077671	[signature]
13	H.S. Rautela	EO NPP Chinyalisaur	[signature]
14	Maj Bonu V S	DC 9823255207	[signature]
15	Dr B.K Biswas	7248336889	[signature]
16	R K Yadav ARTO Purola	8859543003	[signature]
17	Amit Chauhan ARTO	9410721444	[signature]
18	Purola (?)		
19	Ramendra Kushwaha	9410549727	[signature]
20	RAJAT RAWTHAN	9411112862	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत विभिन्न पुलों/बी0एस0एन0एल0 द्वारा 4G टावर लगवाये जाने के सम्बन्ध में भूमि के चयन की कार्य प्रगति तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण मद अन्तर्गत शासन को प्रेषित प्रस्तावों के सम्बन्ध में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:-

1.	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2.	श्री डी0एस0, अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि, उत्तरकाशी।
3.	समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी। (ऑनलाईन माध्यम से)
4.	अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड बड़कोट/पुरोला (ऑनलाईन माध्यम से)
5.	श्री मनोज दास, अधिशासी अभियंता, निमार्ण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़।
6.	श्री राजेश कुमार, अधिशासी अभियंता, प्र0ख0, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़।
7.	श्री सी0पी0 भट्ट, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
8.	श्री देवेन्द्र पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
9	श्री किशोर, जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, बड़कोट।
10.	श्री अनिल कुमार, एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी
11.	श्री भूपेश, सहायक अभियंता, प्र0ख0, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
12.	श्री अभिषेक, सहायक अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
13.	श्री त्रिभुवन रावत, सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
14.	श्री योगेश डोभाल, कनिष्ठ अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत विभिन्न पुलों हेतु प्रास्तावों की प्राथमिकता, बी0एस0एन0एल0 द्वारा 4G टावर लगवाये जाने के सम्बन्ध में भूमि के चयन की कार्य प्रगति तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण अन्तर्गत शासन को प्रेषण हेतु प्रस्तावों के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निम्न प्रकार निर्देश दिये गये-

1. शासन द्वारा विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत चिन्हित 26 पुलों के प्रास्तावों की सूची प्राथमिकतावार तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 को निर्देशित किया गया कि समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0 से आख्या प्राप्त कर सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से उक्त समस्त से मनतव्य प्राप्त कर सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक खण्ड, उपजिलाधिकारी के संयुक्त आख्या अपने स्तर से प्रमाणित कर एक सप्ताह अन्तर्गत जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक पुलों के सम्बन्ध में पृथक से सूची उपरोक्तनुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे शासन को ससमय प्रस्ताव उपलब्ध कराया जा सके।
(कार्यवाही- अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0/समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/अधि0अभि0, विश्व बैंक खण्ड/समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।)

2. बी0एस0एन0एल0 द्वारा 4G टॉवर स्थापित किये जाने हेतु चिहिन्त स्थानों अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित ग्रामों अन्तर्गत तहसील चिन्यालीसौड के ग्राम उलण एवं तहसील बड़कोट अन्तर्गत ग्राम ब्याली हेतु भूमि चिहिन्त का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश दिये गये हैं कि जिन ग्रामों में उपयुक्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हैं। उक्त ग्रामों के सम्बन्ध में सरकारी भूमि उपलब्ध न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुये निजी भूमि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय। उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है। अतः उक्त ग्रामों

Scanned with OKEN Scanner

में भूमि चयन कर बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों के साथ सर्वे कर प्रस्ताव एक सप्ताह अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार तहसील मोरी अन्तर्गत बामसू, पावतल्ला, भितरी में भी भूमि चयन/प्रस्ताव अप्राप्त है। अतः इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी आख्या/प्रस्ताव 05 दिन अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पूर्व बैठक में बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपद में बी0टी0एस0 टॉवर लगाये जाने हेतु चिहिन्त स्थानों की अन्तिम सूची तत्काल उपलब्ध करायें। बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों द्वारा आतिथि तक अद्ययतन सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उप मण्डलीय अभिंयता उत्तरकाशी द्वारा चिहिन्त स्थान ग्राम अगोड़ा की तकनीकी आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा उप मण्डलीय अभिंयता बड़कोट द्वारा द्वारा चिहिन्त किसी भी भूमि की तकनीकी आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी, जिससे शासन को अभी तक प्रस्ताव प्रेषित नहीं किये जा सके। निर्देश दिये जाते हैं कि चिहिन्त भूमि की तकनीकी आख्या शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकें।

पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये हैं कि गंगोत्री में भैरवघाटी क्षेत्र में किसी भी दूरसंचार कम्पनी के नेटवर्क कार्य नहीं करते हैं। उक्त क्षेत्र में यात्रा एवं आपदा के दृष्टिगत सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु भैरवघाटी में बी0टी0एस0 टावर हेतु स्थान चिहिन्त कर आख्या प्रस्तुत की जाय। इस सम्बन्ध में उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क स्थान चिन्हित कर आख्या उपजिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बी0एस0एन0एल0 चिहिन्त स्थान का परीक्षण करेंगे।
(कार्यवाही– उप मण्डलीय अभियंता, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट/उपजिलाधिकारी भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला)

3. राज्य आपदा न्यूनीकरण मद अन्तर्गत शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0 एवं ग्रामीण निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। अतः सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों से कार्यो के औचित्य सम्बन्धी संयुक्त आख्या संलग्न करते हुये आंगणन एक सप्ताह अन्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/अधि0अभि0, पी0एम0जी0एस0वाई0/अधि0अभि0, ग्रामीण निर्माण विभाग अधि0अभि0, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी, पुरोला/समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी।)

सम्बन्धित अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का ससमय पालन करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 617 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/संचार/2022 दिनांक– 17 नवम्बर, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. अपर सचिव, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28 जून. 2022 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मानसून तैयारी के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों/निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में समीक्षा सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी,
4. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
5. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
9. सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट।
10 वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
11. ए0आर0ओ0, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. सहायक अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
13. मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
14. सहायक परामर्शदाता, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तरकाशी।
15. जी0आई0एस0 विशेषज्ञ, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तरकाशी।
16. निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
17 सहायक अभियंता, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
18. सहायक सूचना अधिकारी उत्तरकाशी।

मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों व पूर्व बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में किये गये कार्यो की समीक्षा के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत मानसून पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. **मोटर मार्ग/पुल/ट्रॉली तथा मशीनों व राहत–बचाव उपकरण सम्बन्धी वाहनों में जी0पी0एस0 स्थापित करने/नालियों/कलवर्ट की साफ–सफाइ के सम्बन्ध में–** सीमा सड़क संगठन व अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त मार्गो के संवेदनशील स्थानों आवश्यक मशीनरी व कर्मियों की तैनाती कर ली गयी है तथा अधिकारियों तथा ऑपरेटरों के दूरभाष नम्बर साझा किये गये हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित विभाग अपने अधीनस्थ समस्त कर्मियों/ऑपरेटरों के वैकल्पिक दूरभाष नम्बर भी तत्काल साझा करें। इसके साथ ही मार्गो व पुलों का विवरण मानचित्र में अंकित करते हुये कार्ययोजना में समाहित कर पुनः आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। दैनिक रूप से मार्गो के सुचारू/अवरूद्व होने सम्बन्धी सूचना गूगल सीट पर अपडेट किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा तैनात मशीनों हेतु पर्याप्त ईंधन मशीन के साथ उपलब्ध रखना सुनिश्चित किया जाय।

सवंदेनशील स्थानों पर तैनात मशीनों के ऑपरेटरों की 24 घण्टे शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जाय। सभी सम्बन्धित विभाग विभाग जे0सी0बी0 ऑपरेटर की बैठक सम्पन्न करते हुये उन्हें आवश्यक निर्देश दें। इसके अतिरिक्त सभी जे0सी0बी आदि मशीनों का 10 मिनट का वीडियो बनाकर वट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध करायेंगे। वीडियो में जे0सी0बी0/मशीन का पंजीकरण संख्या, जी0पी0एस0 व लोकेशन प्रर्दशित होनी अनिवार्य है। जिन मशीनो में अभी तक जी0पी0एस0 नहीं लगाया गया है उन मशीनों में एक सप्ताह के अन्दर जी0पी0एस0 लगवाया जाय। साथ ही रिस्पोन्स टाईम की स्थित हेतु जे0सी0बी0 मशीनों की मॉक ड्रिल भी कर ली जाय।

विगत वर्षो में अतिवृष्टि के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं, जिसके कारण उक्त क्षेत्र में क्षेत्रवासियों का आवागमन लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित ट्रॉलियों से हो रहा है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये गये हैं कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापित सभी ट्रॉलियों की सुरक्षित आवामगन हेतु आवश्यक मरम्मत करते हुये संचालित समस्त ट्रॉलियों की सूची उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ जनपद में स्थापित समस्त वैलीब्रिज की सूची भी विवरण सहित उपलब्ध करायेंगे।

अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0 जनपद स्तर पर आपदा की स्थिति में जे0सी0बी0/पोकलेण्ड व आवश्यक मशीनरी के किराया निर्धारत करते हुये किराया दर सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमश.........................2

Scanned with OKEN Scanner

पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश के क्रम में मानसून में आवादी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति से निपटने हेतु सड़क सम्बन्धी विभाग, सिंचाई विभाग व समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही की जाय तथा कार्ययोजना बनाते हुये कार्ययोजना/प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय। परन्तु इस सम्बन्ध में अनुपालन आख्या प्राप्त न होने पर सम्बन्धित विभागों को एक सप्ताह के अन्तर्गत समस्त मार्गों के नालियों/कवलर्ट की सफाई तथा जल भराव वाले क्षेत्र/पुल के ऊपर जमा पानी की निकासी के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुये आख्या शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

उक्त कार्यो के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर पुनः अनुपालन आख्या के साथ सड़क सम्बन्धी विभागों, नगर पालिका/नगर पंचायत, पुलिस तथा एस0डी0आर0एफ0 के अधिकारियों के साथ पुनः बैठक किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त कमान अधिकारी सीमा सड़क संगठन/ समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0/अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/ समस्त अधि0अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)

2. **जनपद में उपलब्ध सेटेलाईट फोन की कार्यशीलता के सम्बन्ध में–** आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जनपद में उपलब्ध कराये गये समस्त सेटेलाईट फोन की वैधता व कार्यशीलता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा जिन कर्मियों को सेटेलाईट फोन उपलब्ध कराये गये उन कर्मियों को सेटेलाईट फोन ऑपरेट करने का प्रशिक्षण भी दिया जाय। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट कर लिया जाय कि पूर्व जिन अधिकारियों/कर्मियों को सेटेलाईट फोन आबंटित किये गये हैं, उनको सेटेलाईट फोन की आवश्यकता है कि नहीं यदि आवश्यकता नहीं है तो फोन किसी अन्य अधिकारी को आबंटित किया जाय। सेटेलाईट फोनों को ससमय रिचार्ज किये जाने हेतु शासन व जनपद स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को पत्रालेख कर आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रालेख किया जाय। *(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी)*

3. **राजस्व विभाग/एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 द्वारा संवेदनशील स्थानों का चिन्हॉकन–** विगत वर्षो जनपद में कई क्षेत्रों में अतिवृष्टि से बादल फटने/भूस्खलन से आपदा आयी है। उपरोक्त के दृष्टिगत एन0डी0आर0एफ0 को निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर पूर्व में आपदा से क्षति हुयी है कि निरीक्षण करेंगे तथा इस सम्बन्ध में संवेदनशील स्थानों का चिन्हॉकन करेंगे। इस सम्बन्ध में निरीक्षक एन0डी0आर0एफ0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संवेदनशील स्थान का चिन्हॉकन कर लिया गया है। एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 को इस सम्बन्ध में जन–सामान्य तथा सम्बन्धित विभागों/स्कूलों में व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– समस्त तहसीलदार/निरीक्षक, एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी)

4. **बल्क एस0एम0एस0–** मानसूनकाल में नदियों का जल स्तर बढ़ने/जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त पानी छोड़ने के कारण नदी किनारे बसी आबादी क्षेत्र को खतरा उत्पन्न होता है तथा यू0जे0वि0एन0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण डैम से पानी का डिस्चार्ज किया जाता है। जिससे पूर्व इसकी सूचना आम जनमानस को सायरन के माध्यम से दी जाती है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि यू0जे0वि0एन0एल0 इस सम्बन्ध में नदी किनारे की आबादी वाले क्षेत्रों/सम्बन्धित अधिकारियों को बल्क एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी सूचना/आवश्यक जानकारी हेतु बल्क एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचना प्रचारित/प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे। *(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी डैम/जोशियाड़ा डैम/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)*

5. **थाना/तहसीलों में उपकरणों की मांग के सम्बन्ध में–** आपदा की स्थिति में प्रर्युक्त होने वाले राहत–बचाव/प्रकाश उपकरणों का सत्यापन किये जाने के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त थानों/तहसीलों में एस0डी0आर0एफ0/एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से उपकरणों का सत्यापन/कार्यशीलता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की जा चुकी है। इसके साथ ही तहसीलों/थानों/अग्निशमन से प्राप्त उपकरणों की मांग प्राप्त की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि उक्त उपकरणों को अतिशीघ्र क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय तथा खराब पड़े उपकरणों को जनपद मुख्यालय स्तर पर एकत्रित कर उनके मरम्मत सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

6. **ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों का चिन्हॉकन/राहत शिविरों का चिन्हॉकन–** किसी भी सम्भावित आपदा/यात्रा मार्ग अवरूद्ध होने एवं दुर्घटना के समय राहत शिविरों के हेतु ब्लॉक तथा ग्राम स्तर पर सरकारी/विद्यालय भवनों का चिन्हींकरण करते करते हुये शिविरों में आवश्यक व्यवस्था हेतु कार्ययोजना बनायी जाय तथा किसी भी घटना के उपरान्त उक्त चिन्हित शिविरों में आवश्यक प्रबन्धन के लिए ससमय व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तर पर आपदा की स्थिति में कार्य हेतु स्वयंसेवकों/भूतपूर्वक सैनिकों तथा अन्य इच्छुक ग्रामवासियों का डाटाबेस तैयार कर आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय, ताकि उक्त लोगों का समय–समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।)

क्रमश.........................3

Scanned with OKEN Scanner

7. **खाद्यन्न/राहत समाग्री/भोजन आदि हेतु सूची व दरों का विवरण**– जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया गया है कि मानसून अवधि के दृष्टिगत संवेदनशील 08 खाद्यन्न गोदामों में माह अगस्त तक का राशन सम्बन्धित डीलरों को उपलब्ध करा दिया गया है। सम्भावित आपदा/यात्रा मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में भोजन आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में आपूर्तिकर्ताओं से दर सूची प्राप्त कर ली गयी है। निरीक्षक एस0डी0आर0एफ0 द्वारा अवगत कराया किया गया हे पूर्व में किसी भी सम्भावित आपदा के समय वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 के पास खाद्य पैकेट जिसमें ग्लकोज, चॉकलेट, पानी, बिस्किट, गुड़–चना आदि होता है। परन्तु वर्तमान में इस हेतु बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये गये हैं उक्त खाद्य पैकेट के 100–100 पैकेट प्रत्येक तहसील हेतु तैयार कर सम्बन्धित तहसीलदारों को को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त विभाग के पास उपलब्ध खाद्यन्न के पैकेट बनाकर आपदा की स्थिति हेतु गोदाम में रखे जायें। *(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)*

8. **दूरसंचार**– बी0एस0एन0एल0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने सभी टावरों में कार्यरत कर्मियों की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त टावरों हेतु ईधन प्लान/क्यू0आर0टी0 टीम की सूची भी उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त आपसी समन्वय हेतु सभी टेलीकॉम कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहुत करने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही– एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

9. **रेखीय विभागों के अधिकारियों की ट्रेनिंग**– आपदा/दुर्घटना/मार्ग अवरूद्व होने के समय त्वरित कार्यवाही हेतु जनपद में सभी रेखीय विभाग के अधिकारियों को एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से शीघ्र प्रशिक्षण तथा आई0आर0एस0 के नामित अधिकारियों को अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। *(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन अधिकारी)*

10. **आपदा न्यूनीकरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में**– आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत ऐसे प्रस्ताव जो एस0डी0आर0एफ0 मानकों से आच्छादित नहीं हैं तथा व्यापक जनहानि के न्यूनीकरण के दृष्टिगत उक्त कार्यो का किया जाना अतिआवश्यक है तथा उक्त हेतु विभाग के पास किसी भी प्रकार की धनराशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त कार्य का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति सम्बन्धी आख्या के साथ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त कार्यदायी संस्था/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

सम्बन्धित अधिकारी उक्त निर्देशों का ससमय पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी लापरवाही की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(अभिषेक रूहेला)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 201 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2022 दिनांक– 30 जून, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

7. **खाद्यन्न/राहत समाग्री/भोजन आदि हेतु सूची व दरों का विवरण–** जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया गया है कि मानसून अवधि के दृष्टिगत संवेदनशील 08 खाद्यन्न गोदामों में माह अगस्त तक का राशन सम्बन्धित डीलरों को उपलब्ध करा दिया गया है। सम्भावित आपदा/यात्रा मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में भोजन आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में आपूर्तिकर्ताओं से दर सूची प्राप्त कर ली गयी है। निरीक्षक एस0डी0आर0एफ0 द्वारा अवगत कराया किया गया हे पूर्व में किसी भी सम्भावित आपदा के समय वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 के पास खाद्य पैकेट जिसमें ग्लकोज, चॉकलेट, पानी, विस्किट, गुड़–चना आदि होता है। परन्तु वर्तमान में इस हेतु बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये गये हैं उक्त खाद्य पैकेट के 100–100 पैकेट प्रत्येक तहसील हेतु तैयार कर सम्बन्धित तहसीलदारों को को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त विभाग के पास उपलब्ध खाद्यन्न के पैकेट वनाकर आपदा की स्थिति हेतु गोदाम में रखे जायें। *(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)*

8. **दूरसंचार–** बी0एस0एन0एल0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने सभी टावरों में कार्यरत कर्मियों की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त टावरों हेतु ईधन प्लान/क्यू0आर0टी0 टीम की सूची भी उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त आपसी समन्वय हेतु सभी टेलीकॉम कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहुत करने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही– एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

9. **रेखीय विभागों के अधिकारियों की ट्रेनिंग–** आपदा/दुर्घटना/मार्ग अवरूद्व होने के समय त्वरित कार्यवाही हेतु जनपद में सभी रेखीय विभाग के अधिकारियों को एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से शीघ्र प्रशिक्षण तथा आई0आर0एस0 के नामित अधिकारियों को अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। *(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन अधिकारी)*

10. **आपदा न्यूनीकरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में–** आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत ऐसे प्रस्ताव जो एस0डी0आर0एफ0 मानको से आच्छादित नहीं हैं तथा व्यापक जनहानि के न्यूनीकरण के दृष्टिगत उक्त कार्यो का किया जाना अतिआवश्यक है तथा उक्त हेतु विभाग के पास किसी भी प्रकार की धनराशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त कार्य का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति सम्बन्धी आख्या के साथ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त कार्यदायी संस्था/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

सम्बन्धित अधिकारी उक्त निर्देशों का ससमय पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी लापरवाही की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(अभिषेक रूहेला)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 201 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2022 दिनांक– 30 जून, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

7. **खाद्यन्न/राहत समाग्री/भोजन आदि हेतु सूची व दरों का विवरण**– जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया गया है कि मानसून अवधि के दृष्टिगत संवेदनशील 08 खाद्यन्न गोदामों में माह अगस्त तक का राशन सम्बन्धित डीलरों को उपलब्ध करा दिया गया है। सम्भावित आपदा/यात्रा मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में भोजन आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में पूर्व में आपूर्तिकर्ताओं से दर सूची प्राप्त कर ली गयी है। निरीक्षक एस0डी0आर0एफ0 द्वारा अवगत कराया किया गया है पूर्व में किसी भी सम्भावित आपदा के समय वितरण हेतु एस0डी0आर0एफ0 के पास खाद्य पैकेट जिसमें ग्लकोज, चॉकलेट, पानी, बिस्किट, गुड़–चना आदि होता है। परन्तु वर्तमान में इस हेतु बजट प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये गये हैं उक्त खाद्य पैकेट के 100–100 पैकेट प्रत्येक तहसील हेतु तैयार कर सम्बन्धित तहसीलदारों को को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त विभाग के पास उपलब्ध खाद्यन्न के पैकेट बनाकर आपदा की स्थिति हेतु गोदाम में रखे जायें। *(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी)*

8. **दूरसंचार**– बी0एस0एन0एल0 को निर्देशित किया जाता है कि अपने सभी टावरों में कार्यरत कर्मियों की सूची मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त टावरों हेतु ईधन प्लान/क्यू0आर0टी0 टीम की सूची भी उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त आपसी समन्वय हेतु सभी टेलीकॉम कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आहुत करने के निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही– एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

9. **रेखीय विभागों के अधिकारियों की ट्रेनिंग**– आपदा/दुर्घटना/मार्ग अवरूद्व होने के समय त्वरित कार्यवाही हेतु जनपद में सभी रेखीय विभाग के अधिकारियों को एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से शीघ्र प्रशिक्षण तथा आई0आर0एस0 के नामित अधिकारियों को अपने कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। *(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन अधिकारी)*

10. **आपदा न्यूनीकरण प्रस्तावों के सम्बन्ध में**– आपदा न्यूनीकरण के दृष्टिगत ऐसे प्रस्ताव जो एस0डी0आर0एफ0 मानको से आच्छादित नहीं हैं तथा व्यापक जनहानि के न्यूनीकरण के दृष्टिगत उक्त कार्यो का किया जाना अतिआवश्यक है तथा उक्त हेतु विभाग के पास किसी भी प्रकार की धनराशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त कार्य का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित उपजिलाधिकारी की संस्तुति सम्बन्धी आख्या के साथ इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त कार्यदायी संस्था/आपदा प्रबन्धन अधिकारी) ।

सम्बन्धित अधिकारी उक्त निर्देशों का ससमय पालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी लापरवाही की दशा में सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(अभिषेक रूहेला)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 201 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2022 दिनांक– 30 जून, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28 जून, 2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आगामी वर्षाकाल के दौरान सम्मावित आपदा से निपटने से सम्बन्धित पूर्व तैयारी की स्थिति की समीक्षा वीडियों कान्फ्रेसिंग बैठक एवं उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मानूसन तैयारियों सम्बन्धी समीक्षा बैठक उपस्थिति।

स्थान– जिला कार्यालय के एन0आई0सी0 कक्ष, उत्तरकाशी। दिनांक 28.06.2022 समय– प्रातः 10:30 बजे

क्र.सं.	अधिकारी / कार्मिक का नाम	नाम / पदनाम	मोबाईल	अन्य वैकल्पिक नम्बर	हस्ताक्षर
1					
2					
3	Tirth Pal Singh	ADM			[signature]
4	Dr. K.S. Chauhan	CMO	9412324440		[signature]
5	D.S. Hyanki	SE PWD	8192963500	9412306667	[signature]
6	Rajesh Kumar Pant	EE NH	9759001154		[signature]
7	Jugal Kishor	SDO Uttarakashi Forest Division	9720888 009		[signature]
8	Rajesh Chandra Jaguri	A.R.O. DSO office	9411519319		[signature]
9	Kapil Rawat	AE PMGSY UKI	7618562492		[signature]
10	Harichand	C.R.A	8979456384		[signature]
11	Ganesh Mani Badoni	ACRO	7579129285		[signature]
12	Jay Pritam Singh	Distt Consultant DDMA	9415632664		[signature]
13	Sachin Pandey	GIS Analyst (DDMA)	7060173696		[signature]
15	Suresh Kumar	ADIO	8449505031		[signature]
16	Jagadamba Prasad Bijalwan	Inspector, SDRF	7983047848	9457637332	[signature]
17	Manoj Gusain	E.E. UPCL	9412077071	6399698301	[signature]
18	B. S. Dogra	EE UJS	9411103541	–	[signature]
19	Gaurav Kumar	CDO	8710525028		[signature]
20	B.K. DEWARI	AE (Civ) 36 TF	7065669938	9412084574	[signature]
21	R. K Ray	AE (Civ) 72RCC GREF	8509702401		[signature]
22					
23			[signature]		
24			[signature] DM 28/6/22		

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 29 जून, 2022 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग तथा मानसून की तैयारी समीक्षा वीडियो कन्फ्रेसिंग बैठक उपस्थिति।

स्थान– जिला कार्यालय के एन0आई0सी0 कक्ष, उत्तरकाशी। दिनांक 29.06.2022 समय– प्रातः 11:00 बजे

.सं.	अधिकारी / कार्मिक का नाम	नाम / पदनाम	मोबाईल	अन्य वैकल्पिक नम्बर	हस्ताक्षर
1	अभिषेक रुहेला	DM			
2	अर्पण यदुवंशी	SP			
3	Tirth Pal Singh	ADM			
4	Dr K.S. Chauhan	CMO	9412324440		
5	D.S. Hyanki	SE PWD	8192963500	9412306667	
6	J.S. Rawat	E.E. I.D. Uttarkashi	9412363621	8393870095	
7	S.K. Bhatt	DSO, UKCF	9449030522		
3	Jugal Chauhan	SDO Uttarkashi Forest Division	9720888009		
9	Sanjay Kumar	INSP	7001379463	–	
0	Virender Dutt Dobhal	Cashier BSNL	9410976697	7668478822	
1	Naresh Sharma	DEO (m) Edn	7217574493	7088446926	
2	Roop Singh T	THR-CB	9412952973		
3	Hari Chand	C.R.A.	8979456384	—	
5	Ganeshmani Badoni	DCRA	7579119255	–	
6	Shardul Gusain	S.C. DDMA	9927107192?	—	
7	Sachin Pandey	GIS Analyst, DDMA	7060173696		
8	Suresh Kumar	ADIO	8449505031	–	
9	Raton Kumar Ray	AE (Civ). 72 RCC BRO	8509702401		
0	B.K. DEWARI	AE(C) 1642 RCC/36TF	9412085574 7065669938		
1	B.S Bisht	EO NPP Bhatwari	9412407363		
2	Manoj Gusain	EE UPCL	9412077671	6399698301	
3	B.S. Dogra	EE UJS	9411103541	7895738874	
4	C.S. Chauhan	SDM - Bhatwari	8006509340		
5					
6					
7					
3					
9					
)					
1					

Scanned with OKEN Scanner

शासन के निर्देशानुसार दिनांक 13 मई, 2022 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:-

1.	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2.	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3.	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी (नोडल)
4.	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5.	प्रबन्धक, एन0एच0आई0डी0सी0एल0
6.	मेजर, सेना, हर्षिल, उत्तरकाशी।
8.	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी,
9.	उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
10	उपजिलाधिकारी, डुण्डा।
11	उप जिलाधिकारी, बडकोट/पुरोला (आनलाईन माध्यम से)
11.	अधीक्षण अभियंता, छटवॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
12.	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
13.	जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
14.	असिस्टेंट कमाण्डेंड, आई.टी0बी0पी0
15.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
16.	मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
17	वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेड़ा।
18.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
19.	अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
20.	अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
21.	अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
22.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
23.	प्रतिनिधि, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
24.	सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
25.	सहायक अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
26.	सहायक अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
27.	सहायक अभियंता, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
28.	सहायक अभियंता, मनेरी डैम, मनेरी, उत्तरकाशी।
29.	कनिष्ठ अभियंता, मनेरी डैम, मनेरी, उत्तरकाशी।
30.	अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
31.	निरीक्षक, एन0डी0आर0एफ0 हाल-उत्तरकाशी।
32.	निरीक्षक, एन0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
33.	प्रतिनिधि-पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
34.	प्रशिक्षक, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी।
35.	सहायक सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
36.	प्रतिनिधि, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, उत्तरकाशी।
37.	प्रतिनिधि, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी।
38.	प्रतिनिधि, होमगार्ड, उत्तरकाशी।
39.	प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग
40.	जी0आई0एस0 स्पेशलिस्ट, डी0डी0एम0ए0।

शासन के पत्र संख्या-406/XVIII-B-1/2022.15(33)/2015 दिनांक 11.05.2022 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशानुसार आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत मानसून पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों, रेखीय विभागों/सेना/एन0डी0आर0एफ0/अन्य पैरा मिलेट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

क्रमशः................2

Scanned with OKEN Scanner

1. समस्त विभाग आगामी मानसूनकाल के दृष्टिगत अपनी विभागीय कार्ययोजना तैयार कर अद्यतन करते हुये अपने सभी विभागीय संसाधनों यथा–मशीनों, खोज–बचाव उपकरण, वाहन व सम्बन्धित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी तथा विभागीय समन्वय हेतु कार्मिक का नाम/पदनाम एवं दूरभाष नम्बर का विवरण कार्ययोजना में समाहित कर दिनांक 25.05.2022 तक निश्चत रूप से आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

इसके अतिरिक्त समस्त सड़क सम्बन्धित विभाग अपनी कार्य योजना में अपने नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों पर स्थित पुलों का विवरण मनचित्र में अंकित करते हुये कार्ययोजना में समाहित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/समस्त विभागीय नोडल अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/ कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।)

2. जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं एस0डी0आर0एफ0 द्वारा जनपद के थानों/तहसीलों/प्रभागीय वनाधिकारियों/विघुत विभाग के अधिकारियों एवं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराये गये सेटेलाईट फोन का आवश्यक रख–रखाव करते हुये कार्यशील रखे जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि विभाग के सभी कार्मिकों का उक्त फोन के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाय। महीने के प्रत्येक 15 तारीख को अनिवार्यतः जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दूरभाष नम्बर–7500337269, 01374222126 पर फोन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त खण्ड विकास विकास अधिकारी मोरी/पुरोला को निर्देश दिये गये है कि एस0डी0आर0एफ0 द्वारा संचार विहीन क्षेत्रों के ग्रामीणों को उपलब्ध कराये गये 19 सेटेलाईट फोन के कार्यशीलता के सम्बन्ध में ग्रामीणों से समन्वय कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिचित करेंगे।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/ बडकोट/पुरोला/ प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/बडकोट/पुरोला एवं उप निदेशक, गंगोत्री पार्क एवं उप गोविन्द पशु विहार पुरोला/अधिशासी अभियन्ता, विघुत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बडकोट/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी)

3. विगत वर्षो में जनपद के विभिनन क्षेत्रों में अतिवृष्टि से बादल फटने/भूस्खलन आदि कारणों से प्राकृतिक आपदा की घटना घटित हुयी है तथा भविष्य हेतु प्राकृतिक आपदाओं हेतु संवेदनशील है उक्त क्षेत्रों का चिन्हित कर विशेष आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना तैयार किया जाय। एन0डी0आर0एफ0 उक्त क्षेत्रों का भ्रमण कर समस्त सम्बन्धितों यथा पुलिस, एस0डी0आर0एफ0 एवं राजस्व व अन्य विभगों से आवश्यक समन्वय करते हुये विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी/निरीक्षक, एन0डी0आर0एफ0/ एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी)

4. मानसून अवधि में अतिवृष्टि से शहरी क्षेत्रों में जल भराव के कारण नागरिकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग, समस्त रोड सम्बन्धित विभाग तथा समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित नालियों/कलवर्ट की मानसून से पूर्व अभियान संचालित कर सफाई करवाते हुये नालियों एवं कलवर्ट को अवरोध मुक्त करना सुनिश्चित किया जाया। कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाडी, उत्तरकाशी, चिनयालीसौड, बडकोट, पुरोला, पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड/पुरोला अधिशासी अभिंयता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/पुरोला समस्त अधि0अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद उत्तरकाशी)

5. मशीनरी की आवश्यक मरम्मत/भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों का चयन एवं मशीनरी/मजदूरों आदि की तैनाती–

(i) समस्त निर्माण/कार्यदायी विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि एक सप्ताह अन्दर मशीनरी जेसीबी/डोजर आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये कार्यशील करेंगे तथा मशनों में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाते हुये सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को आवश्यक रूप उपलब्ध करायेंगे।

(ii) समस्त निर्माण विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य ग्रामीण मोटर मार्गों के भूस्खलन आदि से संवेदनशील क्षेत्र/स्थान में चेवावनी बोर्ड भी लगाये जायें।

(iii) समस्त सड़क विभाग अपने नियंत्रणाधीन मोटर मार्गों पर स्थित पुलों का विवरण मनचित्र में अंकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...............3

Scanned with OKEN Scanner

(iv) मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गों के चिन्हत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों यथा अधिकारियों/कर्मचारियों तथा मशीनरी/ऑपरेटरों की तैनाती करते हुये आपरेटरों के दूरभाष नम्बर एवं मशीनों की तैनाती सम्बन्धी योजना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराये। सीमा सड़क संगठन/लो०नि०वि० /राष्ट्रीय राजामर्ग खण्ड अपने अधीनस्थ मार्गो जो भूस्खलन सम्भावित/दुर्घटना सम्भावित स्थानों का चिन्हींकरण कर स्थानों की सूची उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्र में पूर्व में जल भराव से प्रभावित स्थानों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन०एच०,बडकोट, लो०नि० वि० खण्ड,उत्तरकाशी/ पी०एम०जी०एस०वाई/ समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी/ अधि०अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत)

(v) जनपद के के विभिन्न राष्ट्रीय राजामार्ग/अन्य मार्गों में जहॉ सड़क चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है/दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र/भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र अथवा ऊपर से पत्थर गिरने वाले सम्भावित स्थानों पर सम्वन्धित कार्यदायी विभाग/संस्था पर्याप्त संख्या में चेतावनी साईन बोर्ड, आवश्यक दूरभाष नम्बर से सम्वन्धित सूचना बोर्ड लगाना व आवश्यक उपचारात्मक/सुरक्षात्मक कार्य एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मानूसन अवधि में संवेदनशील स्थानों पर दोनों ओर वाचर्स तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सड़क चौड़ीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यदायी संस्था चिन्हित डम्पिंग जोन में मानकों के अनुरूप मलवा निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत अपने क्षेत्र में उक्त की निगरानी करते हुये दिनांक 31.05.2022 तक अनिवार्य रूप आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. मानसूनकाल में नदियों का जल स्तर की निरन्तर निगरानी के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में सहायक अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण डैम से पानी का डिस्चार्ज किया जाता है, जिससे पूर्व इसकी सूचना आम जनमानस को सायरन के माध्यम से दी जाती है। इस सम्वन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि डैम से पानी डिस्चार्ज से पूर्व खतरे का सायरन बजाते हुये बल्क एस0एम0एस0 तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से आम जनमानस को अलर्ट किया जाय। जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा भी स्थानीय कार्मिकों/लोगों को एस0एम0एस0 से मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदान किये हेतु वल्क एस0एम0एस0 सिस्टम एक्टिव किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

7. मानसून अवधि में अतिवृष्टि/भूस्खलन से विभागीय परिसम्पत्तियों का क्षति होती है। सभी कार्यदायी विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की सूचना सर्वप्रथम तहसील को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्ययोजना के पुर्ननिर्माण/मरम्मत हेतु उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव/आंगणन उपलब्ध कराये जायें। इसके अतिरिक्त अतिमहत्वपूर्ण कार्ययोजना जिससे कि कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हों के पुर्ननिर्माण/मरम्मत हेतु राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्रस्ताव/आंगणन प्रथामिकता के आधार पर शीघ्र उपलब्ध कराये जायें।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/कार्यदायी विभाग उत्तरकाशी।)

8. तहसीलों/थानों आदि विभागों के पास उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों की शीघ्र आवश्यक मरम्मत कर सुचारू किये जाने के निर्देश दिये गये तथा सूची आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाय। इसके साथ ही उपलब्ध कराये गये उपकरण मुख्य रूप से वुड कटर, कंक्रीट कटर, आस्का लाईट, पैलिकन लाईट एवं सेटेलाईट फोन आदि उपकरणों की सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाय। उपकरण के संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है एवं कार्यशीलता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी सम्भावित आपदा/दुर्घटना के समय त्वरित कार्यवाही हेतु राहत–बचाव कार्य हेतु आवश्यक उपयोग में लाये जाने वाले खोज–बचाव उपकरण/सामग्री यथा–कटर, लाईट, रोप, स्ट्रेचर आदि की आवश्यकता की मांग शीघ्र आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त समस्त नोडल अधिकारी, उत्तरकाशी।)

9. आपदा की स्थिति हेतु विभिन्न विद्यालय भवन/सामुदायिक भवनों/राजकीय भवनों को राहत शिविरों के रूप में चिन्हित किया जाय। उक्त चिन्हित राहत शिविरों में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रभावित को भोजन/आदि व्यवस्था, नजदीकी दुकानों एवं अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मो को चिन्हित करने एवं दरों का निर्धारण/उपलब्धता आदि सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार कर आपदा प्रबन्धन को उपलब्ध कराते हुये घटित आपदा की स्थिति में त्वरित कार्यवाही से कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।)

10. जनपद में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना के समय प्रशासन/खोज–बचाव टीमों/गैर सरकारी संगठन द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जिला सूचना अधिकारी द्वारा वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी की जाय तथा आख्या आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी/अध्यक्ष, आपदा प्रबन्धन जनमंच, उत्तरकाशी)

क्रमशः...............4

Scanned with OKEN Scanner

1. मानूसन अवधि से पूर्व जनपद के समस्त प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पर्याप्त औषधियों एवं क्लारोनी आदि का भण्डार भी रखे जाने के निर्देश दिये गये है तथा मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपात स्थिति में उक्त हेतु कार्ययोजना व माह सितम्बर तक सम्भावित प्रसव होने वाली महिला एवं सम्बन्धित आशा के मोबाईल नम्बर की सूची उपलब्ध कराये जायें । उक्त के अतिरिक्त मानसून में जलवायु परिवर्तन/दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण आदि ससमय पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/जिला आयुर्वेदिक चिकित्सायल/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

मानसून में मार्ग अवरूद्ध होने की सम्भावना के दृष्टिगत दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामों (Remote Areas) में 03 माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिनांक 15.06.2022 से पूर्व उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति मांग के अनुसार सुचारू सुनिश्चित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन वितरित होने वाली खाद्यान्न/रसोई गैस का विवरण अधोहस्ताक्षरी को दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाय। समस्त उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटिरिंग करेंगे। मानसून में अतिवृष्टि से जगह–जगह पर मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध होने के कारण लोगों को भोजन आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद्य सामग्री की दरों के निर्धारण हेतु विज्ञप्ति/निविदा आमंत्रित कर खाद्य सामग्री की दरों को प्राप्त कर लिया जाय। सभी दुकानदार/होटल मालिकों को कड़े निर्देश दिये जायें कि खाने–पीने की सभी वस्तुओं की रेट लिस्ट दुकान/होटल में चस्पा कर लिया जाय।

(कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

विगत वर्षो में अतिवृष्टि के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों हेतु लो0नि0वि0 द्वारा ट्रॉलियों का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापित सभी ट्रॉलियों की सुरक्षित आवामगन हेतु मरम्मत कार्य किये जायें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता अपने नियंत्रणाधीन ट्रॉलियों का सुरक्षित होने का प्रमाण–पत्र दिनांक 25.05.2022 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।)

पुश चारा/दवाओं की उपलब्ध के सम्बन्ध में पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को मानूसन काल में होने वाली बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां/वैक्सीन तथा चारे आदि की उपब्धता रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं। (कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

मानसूनकाल में अतिवृष्टि/भूस्खलन से विद्युत पोल/ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते हैं कि मानसून पूर्व विद्युत संयोजन/मरम्मत सम्बन्धी उपयोगी सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भण्डार करना सुनिश्चित करें तथा क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों का शीघ्र मरम्मत कार्य किया जाय। इसके साथ ही समस्त विद्युत लाईनों का व्यापक सर्वे कर संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये लाईनों में पड़ने वाले पोलों की संख्या लाईन की लम्बाई, अन्य संसाधन, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम व उसके पास उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण विद्युत लाईनों/स्टेशन आदि का मैप तैयार कर कार्ययोजना में संलग्न करते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट।)

मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्रियों/स्थानीय लोगों हेतु Transshipment करने हेतु गाडियों की व्यवस्था– अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर Transshipment करने हेतु गाडियों की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

बी0एस0एन0एल0 की सेवा बाधित होने के दृष्टिगत_उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपने क्षेत्र अन्तर्गत सेवा बाधित होने की आवश्यक रूप से जांच करते हुये नेटवर्क को सुचारू किये जाने के कार्य, उपलब्ध संसाधन एवं सुचारू करने में लगाया गया समय (Response time) की मॉनिटिरिंग कर सेवा को तत्काल सुचारू करवाना सुनिश्चित करें। समस्त सड़क सम्बन्धित निर्माण विभागों को निर्देश दिये गये कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि बी0एस0एन0एल की ओ0एफ0सी0 केबल न कटे। साथ ही निर्देश दिये गये कि मानसून काल में विद्युत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवरों के संचालन हेतु विद्युत बैकअप की व्यवस्था हेतु डीजल आदि का भण्डारण भी रखा जाय।

कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।/ समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0उत्तरकाशी/सीमा सड़क संगठन।

क्रमशः................5

Scanned with OKEN Scanner

11. मानूसन अवधि से पूर्व जनपद के समस्त प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/आयुवेर्दिक चिकित्सालय में पर्याप्त औषधियों एवं क्लारोनी आदि का भण्डार भी रखे जाने के निर्देश दिये गये है तथा मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपात स्थिति में उक्त हेतु कार्ययोजना व माह सितम्बर तक सम्भावित प्रसव होने वाली महिला एवं सम्बन्धित आशा के मोबाईल नम्बर की सूची उपलब्ध कराये जायें । उक्त के अतिरिक्त मानसून में जलवायु परिवर्तन/दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण आदि ससमय पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/जिला आयुर्वेदिक चिकित्सायल/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

12. मानसून में मार्ग अवरूद्ध होने की सम्भावना के दृष्टिगत दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामों (Remote Areas) में 03 माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिनांक 15.06.2022 से पूर्व उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति मांग के अनुसार सुचारू सुनिश्चित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन वितरित होने वाली खाद्यान्न/रसोई गैस का विवरण अधोहस्ताक्षरी को दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाय। समस्त उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटिरिंग करेंगे। मानसून में अतिवृष्टि से जगह–जगह पर मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध होने के कारण लोगों को भोजन आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खाद्य सामग्री की दरों के निर्धारण हेतु विज्ञप्ति/निविदा आमंत्रित कर खाद्य सामग्री की दरों को प्राप्त कर लिया जाय। सभी दुकानदार/होटल मालिकों को कड़े निर्देश दिये जायें कि खाने–पीने की सभी वस्तुओं की रेट लिस्ट दुकान/होटल में चस्पा कर लिया जाय।

(कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

13. विगत वर्षो में अतिवृष्टि के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों हेतु लो0नि0वि0 द्वारा ट्रॉलियों का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापित सभी ट्रॉलियों की सुरक्षित आवामगन हेतु मरम्मत कार्य किये जायें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता अपने नियंत्रणाधीन ट्रॉलियों का सुरक्षित होने का प्रमाण–पत्र दिनांक 25.05.2022 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।)

14. पुश चारा/दवाओं की उपलब्ध के सम्बन्ध में पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को मानूसन काल में होने वाली बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां/वैक्सीन तथा चारे आदि की उपब्धता रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं। (कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

15. मानसूनकाल में अतिवृष्टि/भूस्खलन से विद्युत पोल/ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते हैं कि मानसून पूर्व विद्युत संयोजन/मरम्मत सम्बन्धी उपयोगी सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भण्डार करना सुनिश्चित करें तथा क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों का शीघ्र मरम्मत कार्य किया जाय। इसके साथ ही समस्त विद्युत लाईनों का व्यापक सर्वे कर संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये लाईनों में पड़ने वाले पोलों की संख्या लाईन की लम्बाई, अन्य संसाधन, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम व उसके पास उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण विघुत लाईनों/स्टेशन आदि का मैप तैयार कर कार्ययोजना में संलग्न करते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट।)

16. मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्रियों/स्थानीय लोगों हेतु Transshipment करने हेतु गाडियों की व्यवस्था– अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर Transshipment करने हेतु गाडियों की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

17. बी0एस0एन0एल0 की सेवा बाधित होने के दृष्टिगत उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपने क्षेत्र अन्तर्गत सेवा बाधित होने की आवश्यक रूप से जांच करते हुये नेटवर्क को सुचारू किये जाने के कार्य, उपलब्ध संसाधन एवं सुचारू करने में लगाया गया समय (Response time) की मॉनिटिरिंग कर सेवा को तत्काल सुचारू करवाना सुनिश्चित करें। समस्त सड़क सम्बन्धित निर्माण विभागों को निर्देश दिये गये कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि बी0एस0एन0एल की ओ0एफ0सी0 केबल न कटे। साथ ही निर्देश दिये गये कि मानसून काल में विघुत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवरों के संचालन हेतु विघुत बैकअप की व्यवस्था हेतु डीजल आदि का भण्डारण भी रखा जाय।

कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।/
समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0उत्तरकाशी/सीमा सड़क संगठन।

क्रमशः...............5

Scanned with OKEN Scanner

18. तहसील कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा उक्त में आवश्यक व्यवस्था किया जाना। तहसील कन्ट्रोल रूम को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाय तथा कन्ट्रोल रूम में ग्राम प्रधानों तथा आवश्यक मशीनरी के चालकों आदि के दूरभाष के नम्बरों की सूची रखी जाय। इसके अतिरिक्त तहसील कन्ट्रोल के रख–रखाव, निर्माण आदि हेतु धनराशि की आवश्यकता होने पर नियमानुसार धनराशि की मांग प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

19. सेना के उपस्थित अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके पास रिकवरी वैन उपलब्ध है तथा एन0एच0आई0डी0सी0एल0 के अधिकारी द्वारा भी अवगत कराया गया है कि उनके पास भारी मशीनरी उपलब्ध है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि सेना/आई0टी0बी0पी0/एन0आई0एम0/एन0एच0आई0डी0सी0एल0 सहित अन्य संस्थानों के पास उपलब्ध संसाधनों की सूची जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगे, ताकि सम्भावित आपदा/सड़क दुर्घटना में उक्त उपकरणों का उपयोग सम्भव होने पाये।

कार्यवाही– सेनानी, सेना हर्षिल, एन0एच0डी0सी0एल0/12/35 वीं वाहिनी आई0टी0बी0पी0/एन0आई0एम0, जनपद उत्तरकाशी।

20. विभिन्न क्षेत्रान्तर्गत जीर्ण–शीर्ध भवनों/विद्यालयों जिनके मानसून अवधि में क्षतिग्रस्त होने से जन–धन की हानि होने की सम्भावना के दृष्टिगत जीर्ण–शीर्ण गिरासू भवनों को चिन्हित करते हुये भवनों ध्वस्तीकरण सम्बन्धी तकनीकी आख्या लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर तत्काल जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/ जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/माध्यमिक, जनपद उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद उत्तरकाशी।

21. जनपद अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी खोज–बचाव प्रशिक्षित प्राप्त युवक मंग दल, महिला मंगल एवं अन्य स्वयंसेवकों की सूची अद्यवधिक कर कन्ट्रोल रूम में रखे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– युवा कल्याण अधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

22. मानसून अवधि में आपदा प्रबन्धन आई0आर0एस0 प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी सतर्क रहते हुए हाई अलर्ट पर रहेंगे तथा जनपद अन्तर्गत समस्त क्षेत्रीय कार्मिका यथा राजस्व उप निरीक्षक,राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी आदि अपने कार्यक्षेत्र में ही प्रवास करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त आई0आर0एस0 सम्बन्धित दायित्वों के प्रशिक्षण/मॉक अभ्यास किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त नामित आई0आर0एस0/नोडल अधिकारीगण/उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

23. असामान्य मौसम, भारी वर्षा चेतवानी के दौरान जनपद में आये तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रूकने हेतु सूचित करते हुए उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकरों/पर्यटकों को आवागमन की स्वीकृति नहीं दी जाय। जिला सूचना अधिकारी उक्त मौसम पूर्वानुमान की सूचना को आम जनमानस तथा दृश्य एवं प्रिन्ट मीडिया से प्रसारित करना सुनिश्चित करें। जनपद में मुख्य मोटर मार्गो पर स्थित पुलिस बैरियर से रात्रि में नियमानुसार एम्बुलेंस, बीमारी, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों के आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों का परिवहन/आवागमन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाय।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक,समस्त उप जिलाधिकारी,/जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

अतः सम्बन्धित अधिकारी उक्त निर्देशों का ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(अभिषेक रूहेला)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 125 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2022 दिनांक–23 मई, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 13.05.2022 को आगामी मानसून काल के दृष्टिगत आवश्यक तैयारियों के सम्बन्ध में आहूत बैठक उपस्थिति–

स्थान– जिला कार्यालय सभागार कक्ष, उत्तरकाशी। दिनांक 13.05.2022 समय– दोपहरः 12:00 बजे

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम	नाम/पदनाम	मोबाईल	अन्य वैकल्पिक नम्बर	हस्ताक्षर
1	Abhishek Ruhela	DM	9412077500		
2					
3	Puneet Tomar	DFO Uttarkashi	8909461539		[signature]
4	D.S. Hyanki	SE PWD Uki	9412306667	8192963500	[signature]
5	Dr K.S. Chauhan	CMO	9412324440		[signature]
6	S P Tiwari	CAO	9454768810		[signature]
7	Manoj Gusai	E.E. UPCL	9412077671	6399698309	[signature]
8	Dr. Rajnish Singh	C.H.O.	9897228565	9456313914	[signature]
9	L.S. Kumain	A.E	9412923123	9634730870	[signature]
10	M.S. Rangarh	Acountant (उरेडा)	9410178035	UREDA	[signature]
11	Shushpal Singh Negi	FSO	9557132045		[signature]
12	Sanjay Kumar	INSP/UD	7001379463	—	[signature]
13	Gajraj Singh	SI/GD	8279771582		[signature]
15	MS Rawat	[illegible]	9411786890	—	[signature]
16	[illegible]	प्र० स्वा० उ० [illegible]	7895669641	—	[signature]
17	Dr. D. S. Math	vetering officer	9837371737	—	[signature]
18	Sachin Pandey	GIS Analyst, DDMA	7060173696		[signature]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
20	Himanshu Nautiyal	AE PD PWD Uki	9411141866	—	[signature]
21	M.S. Nath EE(Civil)	Maneri Bhali Maneri	8958406520	—	[signature]
22	VIPIN THAPLIYAL	Assistant Engineer	7055109007	—	[signature]
23	Pankaj Rawat	Engineer, NHIDCL	8445724424		[signature]
24	Anant B. Gairola	AE, Maneridam	8909808040		[signature]
25	Pankaj kr. Chanchal	AE, Tiloth	9456595341		[signature]
26	Gurmail Singh	JE, Tiloth	7900666007	—	[signature]
27	Jagdamba Prasad	Inspector SDRF Uk police	7983047848	—	[signature]
28	ANUJ KUMAR	Dy. S.P. UTTARKASHI	9760436992	9411112779	[signature]
29	Nitin Pandey	EERWD UKI	9412085917	7830779746	[signature]
30	Mukesh Saini	ARTO UKI	7248726848		[signature]
31	Neeru Madan	DPO UKI	8859511853	—	[signature]
32	Dwarika Semwal	DADDI, UAPDM	9411148872		[signature]
33	Minakshi Patwal	SDM Dunda	9411104077		[signature]
34	C.S. Chauhan	SDM Bhatwari	8006509340		[signature]
35	Girish Ranakoti	Senior Instructor NIM	9557794444		[signature]
36	Sunil Mahar	AAE CD UKI Peyjal Nigam	8755317619		[signature]

Scanned with OKEN Scanner

सं.	अधिकारी / कार्मिक का नाम	नाम / पदनाम	मोबाईल	अन्य वैकल्पिक नम्बर	हस्ताक्षर
37	Ratan Kumar Roy	AE(Civ), BRO	8509702401		[signature]
38	Raghuraj Singh	AE(Civ), BRO	8755690732		[signature]
39	Kusum Rana	(S.I) N.P.P. Barahat	9760218436		[signature]
40	[illegible]	[illegible]	9411734728		[signature]
41	[illegible]	ICPS	8979539422		[signature]
42	Vijay Kathait	District Youth officer NYK	8057931399		[signature]
43	S.P. Suyal	D.P.R.D. Uki	8979362325		[signature]
44	C.N. Kala	C.E.O	9412029599		[signature]
45	Sumer Singh Rawat	Riceptionist (GMVN)	9557957411		[signature]
46	[illegible]	Asst. Mgr.	9568006693		[signature]
47	Kalyan Singh	Welfare Organiser	9997485320		[signature]
48	Jitendra Verma	Youth Welfare	8126902808		[signature]
49	Sunil Panwar	Tourism Department 7895284507			[signature]
50	Asst Comdt Arjun Lal	Asst Comdt 35 ITBP	8219389244		[signature]
51	Manoj P.C.	Dy. Comdt. 12 Bn	8072400720		[signature]
52	Km Janki Devi	ADIO Information	7060151003		[signature]
53	Deepak Raturi	PC Homeguards	7895241260		[signature]
54	Ramesh Kharola	DSO office	9720337905		[signature]
55	Sanjeev Kumar	A.E. Irrigation Division	9897768644		[signature]
56	Pradesh Painuly	Youth Welfare	9410186771		[signature]
57	D.S. Pathwal	DDMO UKI	9410350338		[signature]
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
85					
83					
84					

Scanned with OKEN Scanner

वनाग्नि के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक

स्थानः– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

दिनांकः– 01.05.2022

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	DM Sir.			
2	C.S. Chauhan SDM(BN)	Rev.	8006508340	[signature]
3	Minakshi Patwal	SDM Dunda	9411104077	[signature] 01/5/22
4	Het Ram	D.L.M. Uttarkashi	9568003220	[signature]
5	Shishupal Singh Negi	FSO	9557132095	[signature]
6	Himanshu Nautiyal	AE PD PWD UKi	9411141866	[signature]
7	Santosh Kumar Bhatt	DSO	8449030521	[signature]
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Scanned with OKEN Scanner

वनाग्नि के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक।

:: उपस्थिति ::

स्थान– जिला कार्यालय सभागार

दिनांक– 25.04.2022।

क्र. सं.	नाम/पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
	Abhishek Rohila	DM		
	Tirth Pal	ADM		
	Puneet Tomar	Uttarkashi FD	8909461539	[signature]
	C.S.Chauhan	SDM-Bhatwari	8006509340	[signature]
	S. K. Kala	DFO Tons Bhatt	9412441114	[signature]
	रंग नाथ पाण्डेय	उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	8126194093	[signature]
	Jagadamba Prasad	SDRF UK police	7983047848	[signature]
	Harsh Mani Bhatt	FIRE STN	7457044130	[signature]
	Gajendra Bahuguna	SHO Barkot	94112865	[signature]
	ANUJ KUMAR	CO Uttarkashi	9760436992	[signature]
	Shalini Negi	S.D.M. Barkot	7906575356	[signature]
	Minakshi Patwal	SDM Dunda	9411104077	[signature]
	Sohan Singh Saini	SDM (P)	9719773528	[signature]
	D.S. Patwal	DDMO	9456147974	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 20.04.2022 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाग्नि रोकथाम के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी। (नोडल)
2	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
3	प्रभागीय वनाधिकारी, टोंस वन प्रभाग, पुरोला।
4	उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
5	उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
6	उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
7	उप जिलाधिकारी, बडकोट
8	उप जिलाधिकारी, पुरोला।
9	पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
10	वनक्षेत्राधिकारी, गोविन्द पशु विहार, पुरोला।
11	प्रतिनिधि, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
12	अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
13	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
14	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15	निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–696/27/देहरादून दिनांक 18.04.2022 के क्रम में वर्तमान समय में तापमान के बढ़ने एवं अधिक dry spell के कारण जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनायें घटित होने से जन जीवन/पर्यावरण प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की बैठक आहूत कर विचार–विमर्श करते हुये निम्न प्रकार निर्देश दिये गये–

1. अगामी दिनों में तापमान में बढ़ने के कारण वनाग्नि की घटना के दृष्टिगत समस्त वन प्रभाग अपने क्षेत्रान्तर्गत फायर लाईन बनाते हुये मानवीय बस्तियों के आस–पास घास/पीरूल आदि की सफाई करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त आम जनमान को वनाग्नि रोकथाम हेतु जागरूक किया जाय तथा वनाग्नि के नियंत्रण में समस्त विभागों एवं स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाय। वन विभाग के नेतृत्व में वनाग्नि की रोकथाम करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षकों, महिला मंगल दल/युवक मंगल दल/ग्राम प्रधान/ग्राम प्रहरी/वन पंचायत समिति/प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, एस0डी0आर0एफ0 तथा अग्निशमन विभाग एवं जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के त्वरित कार्यवाही दल आदि का सहयोग लिया जाय। इसके अतिरिक्त जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा वनाग्नि की घटना घटित होने पर वनाग्नि के नियंत्रण हेतु सम्बन्धितों से समन्वय कर निरन्तर निगरानी की जायेगी।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/ जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण अधिकारी/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/ अग्निशमन अधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण।

क्रमशः......2

DEOC UKI k2-17

Scanned with OKEN Scanner

2. सीमा सड़क संगठन/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/समस्त लो0नि0वि0 खण्ड जनपद उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वह अपने नियंत्रणाधीन मार्गों की वनाग्नि की सम्भावना के दृष्टिगत सड़क के किनारों में पड़े आग की सम्भावना वाले सामग्री/घास/पत्तियों को मार्ग से हटाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मजदूरों आदि को वनाग्नि रोकथाम एवं अपने कैम्प के आस–पास खुले में आग न जलाने तथा आग फैलने से रोकने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर वनाग्नि की घटना घटित होने पर तत्काल वनाग्नि को नियंत्रित करने हेतु वन विभाग के निर्देशन में आवश्यक सहयोग दिये जाने हेतु निर्देशित करें।

कार्यवाही– कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन/अधि0अभि0, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/पी0एम0जी0एस0वाई0/ समस्त लो0नि0वि0 खण्ड जनपद उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी समस्त/उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/ समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/

3. जनपद अन्तर्गत ग्रामीणों/कृषकों द्वारा कृषि आडा आदि जलाने के कारण आग सिविल/पंचायत वन क्षेत्रों से अनियंत्रित होने के कारण वनों में फैलने की सम्भावना रहती है। उक्त के दृष्टिगत समस्त राजस्व उप निरीक्षकों/उप जिलाधिकारियों एवं ग्राम प्रधान को निर्देश दिये जाते है कि कृषकों को आडा आदि न जलाये जाने हेतु सूचित करते हुये वनाग्नि की रोकथाम हेतु जागरूक करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त वर्तमान में वनाग्नि की घटनाओं के रोकथाम के दृष्टिगत निर्देश दिये जाते है कि वनाग्नि काल तक जनपद के किसी भी वन प्रभाग के वाहनों का अन्य कार्यों हेतु अधिगृहण नहीं किया जायेगा।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी/ समस्त तहसीलदार जनपद उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।

4. आगामी यात्रा के दृष्टिगत तैनात समस्त नोडल/सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत वनाग्नि की घटना होने पर तत्काल कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुये तत्काल स्थानीय व्यवसायियों, स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त कर वन विभाग को वनाग्नि नियंत्रण के लिये आवश्यक योगदान देना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्गों पर अवस्थित अधिष्ठानों के संचालकों को आस–पास कूडे में आग न लगाने तथा आग लगने वाली सामग्री को साफ करने के सम्बन्ध में जागरूक करेंगे।

कार्यवाही–समस्त यात्रा नोडल अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/ समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/ समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार जनपद उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।

5. प्रभागीय वनाधिकारियों/अग्निशमन अधिकारी द्वारा वनाग्नि के नियंत्रण हेतु वाहनों तथा कार्मिकों की अग्नि से सुरक्षा हेतु उपकरण/सामग्री की आवशकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में सभी प्रभागीय वनाधिकारियों/अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि तत्काल उक्त के सम्बन्ध में यथोचित धनराशि की मांग प्रस्तुत करते हुये आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ यह भी निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित वनाधिकारियों व वनाग्नि नियंत्रण हेतु सम्बन्धित अन्य कार्मिकों के दूरभाष नम्बर साझा किये जाये जिससे यथा आवश्यक समन्वय किया जा सके।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी संयुक्त रूप से वनाग्नि के नियंत्रण हेतु सहयोग/समन्वय के सम्बन्ध में प्रधान संगठनों/वन पंचायत संगठनों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर वनाग्नि की नियंत्रण की कार्यवाही करेंगे।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/अपर जिलाधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी/ अग्निशमन अधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

क्रमशः......3

Scanned with OKEN Scanner

6. वनाग्नि हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी करते हुये वनाग्नि की घटनाओं में संलिप्त शरारती लोगों/तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धराओं के तहत प्राथमिक सूचना (FIR) दर्ज करते हुये दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जानी सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/अपर जिलाधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी।

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

संख्या–42/13–आ0प्र0/वनाग्नि/2021–22 दिनांक–20 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपिः– निम्नंकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2 सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
6. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
7 उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणों, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार अनुपानार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आगामी मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत आपदाओं की रोकथाम एवं बचाव हेतु जनपद स्तर पर की जाने वाली तैयारी से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत वीडियों कान्फ्रेसिंग बैठक उपस्थिति–

दिनांक 19.04.2022 समय– 11:30 बजे

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम	नाम/पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	Rajesh Rai	Cdr 36BRTF, BRO	9797211198	[signature]
2	Puneet Tomar	DFO Uttarkashi	8909461539	[signature]
3	[signature]	CDO	9983581625	
4	Tirth Pal Singh	ADM	9412990299	[signature]
5	[illegible] रघुराज सिंह	सहायक अभियन्ता, BRO	8755690732	[signature]
6	सन्तोष कुमार भट्ट	जिला पूर्ति अधिकारी	8449030522	[signature]
7	हरि चन्द	C.R.A.	8979456384	[signature]
8	जगदीश मणी बड़ोनी	BEAD	7579119255	[signature]
9	Manoj Gusai	E.E UPCL	9412077671	[signature]
10	Dr. B.S. Rawat	Helth	9412394912	[signature]
11	ANUJ KUMAR.	Dy.S.P. (CO Uttarkashi)	9760436992	[signature]
12	D. S. Hyanki	AE PWD Uki	9412306667	[signature]
13	Praveen kush	E.E PD PWD Uk.	9997163215	[signature]
15	B. S. Dogra	EE Jal Sansthan	9411103541	[signature]
16	Km. Janki Devi	ADIO Information	7060151003	[signature]
17	Jagadamba prasad Bijalwan	Inspector SDRF UK police	7983047848	[signature]
18	Minakshi Patwal	SDM Dunda	9411104077	[signature]
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Scanned with OKEN Scanner

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ग्रीष्मकाल में वनाग्नि नियंत्रण, पेयजल–विघुत एवं स्वास्थ्य आदि आवश्यक सेवाओं के सुचारू संचालन के सम्बन्ध में आहूत बैठक

उपस्थिति

दिनांक– 10.03.2022 दोपहर– 1:00 बजे

स्थाना– NIC वीडियों कन्फ्रेसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम/विभाग	मो0न0	हस्ताक्षर
1.	DM Sir.	DM Sir.	–	–
2	Dr RCS Panwar	CMO	9412972203	RCP
3.	B. S. Dogra	EE Jal Sansthan	9411103541	
4.	Manoj Gusai	EE UPCL	9412077671	
5.	Shiv Kumar Singh	EO N.P.P. Uttarkashi	9760316350	
6.	Puneet Tomar	DFO Uttarkashi forest Div.	8909461539	
7.	D. S. Patwal	DDMO	9456147974	
8	C. P. SUYAL	DPRO	8979362325	
9	सुरेश कुमार	जिला सूचना अधिकारी	8449505031	
10.	Mastan Bhandari	Master trainer, DDMA	7534802714	
11.	RangNath Pandey	Dy Director Gangotri National Park	8126194091	
12.	SDM Sir	Bhatwari	–	–
13	Mohd. Mi[illegible]	EE PGY-Jal Nigam UKI	9411535831	
14	Jagadamba prasad	Inspector SDRF Ujeli UKI	7983047848	

शीत ऋतु के दृष्टिगत तद्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें यथा शीतलहरी में बर्फवारी से बचाव सम्बन्धित सावधानियों, अलाव की व्यवस्था एवं मोटर/पैदल मार्गों को सुचारू रखे जाने आदि कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2021 (सोमवार) को सांय 3:00 बजे जिला कार्यालय के एन0आई0सी0 वीडियों कन्फेसिंग कक्ष में बैठक कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

क्र.सं.	पद नाम
1.	उप जिलाधिकारी, डुण्ड़ा।
2.	उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
3.	उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4.	अधीक्षण अभियन्ता, छटवॉ वृत्त लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
5.	अधि0अभि0, विद्युत वितरण, उत्तरकाशी।
6.	कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, उत्तरकाशी।
7.	अधि0अभि0, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8.	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, उत्तरकाशी।
9.	अधि0अभि0, नगरपालिका, चिन्यालीसौड।
10.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11.	वन क्षेत्राधिकारी, बाडाहाट, उत्तरकाशी।
12.	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड़।
13	सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, उत्तरकाशी।
14.	थानाध्यक्ष, कोतवाली, उत्तरकाशी।
15.	तहसीलदार, डुण्डा, चिन्यालीसौड।
16	पुलिस रेडियों संचार अधिकारी, उत्तरकाशी।
17	तहसीदार, भटवाडी।
18	तहसीदार, डुण्डा/चिन्यालीसौड।

इसके अतिरिक्त यमुनावैली तहसील बडकोट/पुरोला के उप जिलाधिकारी/तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों द्वारा वीडियों कन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।

शीत ऋतु के दृष्टिगत तद्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थायें यथा शीतलहरी में वर्फवारी से बचाव सम्बन्धित सावधानियों, अलाव की व्यवस्था एवं मोटर/पैदल मार्गो को सुचारू रखे जाने आदि कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आहूत बैठक में निम्नप्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते है–

1. सड़क मार्ग–

अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्फवारी के दृष्टिगत ऊँचाई वाले मार्गो पर आवश्यक मशीन तैनात की गयी है। वर्तमान समय में विभाग के द्वारा 10 जेसीबी, 01 डोजर, 03 रोबर्ट व 02 व्हील लोडर तैनात है, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट द्वारा अवगत कराया गया हैं कि राड़ी टॉप पर 10 किमी0 के दायरे में मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमा सड़क संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि बर्फवारी से संवेदनशील स्थलों पर मशीन एवं चूना आदि तैयार रखा गया है।

सड़क सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये है कि अपने नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य ग्रामीण यातायात मार्गो के बर्फवारी/पाला पड़ने वाले स्थानों यथा रॉडीटॉप, चौरंगी, स्यानाचट्टी–जानकीचट्टी, गंगनानी–हर्षिल आदि क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में चूना आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भूस्खलन से संवेदनशील स्थानों पर सक्षम अधिकारी एवं आवश्यक मशीनरी (जेसीबी/पोकलैण्ड/डोजर आदि) तथा मजदूरों की तैनाती करते हुये उक्त स्थान पेर यथाआवश्यक क्रेश बैरियर लगवाना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/जेसीबी0, आपरेटर आदि के दूरभाष नम्बर की अद्यतन सूची निर्धारित प्रारूप पर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध नहीं रहे। इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो।

कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/भटवाडी/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट तथा पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी/पुरोला।

2. **विद्युत व्यवस्था–**

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में गंगा वैली में 40 Transformer, 360 Pole, 95 KM Conductor एवं यमुना वैली घाटी में 39 Transformer, 96 Pole, एवं 07 KM Conductor का भण्डारण किया गया हैं। इसके अतिरिक्त निर्देश दिये गये है, विद्युत व्यवस्था वाधित होने पर तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बडकोट।

3. **पेयजल व्यवस्था –**

पेयजल विभाग को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से प्रभावित होने वाली पेयजल लाईनों की तत्काल मरम्मत करने हेतु प्रर्याप्त संशाधन भण्डार रखते हुये सुचारू करवायेंगे।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी/पुरोला।

4. **खाद्यान्न–**

जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि बर्फवारी से प्रभावित होने क्षेत्रों के कुल 85 सस्ता गल्ला दुकान चिन्हित है। जिला पूर्ति अधिकारी को जनपद के बर्फवारी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मार्च, 2021 तक का खाद्यान्न आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा उक्त की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही दूरस्थ/बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों यथा हर्षिल, गंगोत्री, जानकीचट्टी तथा मोरी के दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त रसोई गैस की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये। उक्त की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

5. **चिकित्सा सुविधा–**

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि बर्फवारी वाले स्थानों में गर्भवती महिलाओं सूची एवं गर्भवती महिला के उपचार सम्बन्धित जानकारी सहित तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आशा/आंगनबाडी/परिजनों आदि के अद्यतन दूरभाष नम्बर उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त बर्फवारी से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम गठित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तरकाशी।

6. **उच्च हिमालीय क्षेत्रों में आवाजाही**

जनपद के वन क्षेत्रान्तर्गत व अन्य ट्रैक मार्गों पर बर्फवारी की सम्भावना के दृष्टिगत कठिन व अत्यधिक ऊचॉई वाले मार्गो पर किसी भी ट्रैकर्स को न जाने दिया जाय। इसके अतिरिक्त सरल व कम ऊचॉई वाले ट्रैक मार्गों पर ट्रैकिंग के दौरान पर्याप्त सावधानियॉ/सुविधा एवं एतिहात वरते जाने के निर्देश के साथ भेजा जाय।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट/टोंस वन प्रभाग/उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार पुरोला/ गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क/पर्यटन विकास अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी ।

क्रमशः...............2

kd deoc

Scanned with OKEN Scanner

7. **अलाव एवं रैन बसेरा की व्यवस्था–**

आम जनमानस को शीतलहरी एवं बर्फबारी से बचाव हेतु समस्त उप जिलाधिकारी अलाव जलाये जाने हेतु सार्वजनिक स्थलों का चिन्हित कर उक्त स्थानों पर आवश्यक रूप से अलाव जलाये जाने की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों हेतु सूची तैयार कर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत के माध्यम से उक्त स्थानों पर यथाआवश्यक अलाव जलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक नगर पालका/नगर पंचायत क्षेत्र में गरीब/निराश्रय लोगों हेतु रेनबसेरा की व्यवस्था करते हुये कम्बल आदि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते है।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा बडकोट/पुरोला/ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बड़ाहाट/चिन्यालीसौड़/बडकोट/नगर पंचायत, नौगाव/पुरोला/नगर पंचायत, गंगोत्री।

8. **संचार व्यवस्था–**

बी0एस0एन0एल0 तथा जनपद में अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेन्सियों को जनपद के बर्फबारी वाले समस्त क्षेत्रों में निर्बाध संचार व्यवस्था रखना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में जनरेटर हेतु ईंधन तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करेंगे।

उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, बडकोट/उत्तरकाशी।/प्रबन्धक, एयरटेल/जियो/आईडिया/वोडाफोन।

9. **तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामों में अग्निशमन उपाय–**

तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शीतकाल में घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोकथाम हेतु अग्निशमन विभाग/एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन विभाग, वन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व राजस्व विभाग के सहयोग से ग्रामों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट/तहसीलदार मोरी/पुरोला/बडकोट/ अग्निशमन अधिकारी, बडकोट/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ उत्तरकाशी

संख्या-2794/13–आ0प्र0 (2019–20) दिनांक-06 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपिः

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून कीसेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी के अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

kd deoc

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यात्रा के दृष्टिगत कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में स्वयंसेवी/सामुदायिक व नागरिक संगठनों के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति निम्नवत है–

1. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री।
8. सचिव, रेडक्रॉस सोसाईटी, शाखा उत्तरकाशी।
9. अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी।
10. प्रतिनिधि, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी।
12. समन्वयक, एन0एस0एस0, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी।
13. अध्यक्ष, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच/हिमालया पर्यावरण जड़ी–बूटी एग्रो संस्थान, उत्तरकाशी। (जनपद स्तर पर स्वंयसेवी सस्थाओं के नोडल)
14. जिला सचिव, स्काउट, उत्तरकाशी।
15. समन्वयक, एन0सी0सी0, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी।
16. समन्वयक,एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स–रेंजर्स, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
17. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिक परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।
18. सचिव, रेणुका समिति, मातली।
19. सुनैना भट्ट, प्लान इण्डिया, उत्तरकाशी। (जनपद स्तर पर स्वंयसेवी संस्थाओं के नोडल)
20. सहायक जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
21. अध्यक्ष, ट्रक एसोशिएसन, उत्तरकाशी।
22. मास्टर ट्रेनर, डी0डी0एम0ए0, उत्तरकाशी।

कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत जन–जागरूकता तथा राज्य आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार चारधाम यात्रा के तहत समस्त नागरिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग लिये जाने के के निर्देश प्राप्त हैं।

इस सम्बन्ध में समस्त नागरिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा जन–जागरूकता, टीकाकरण आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धितों से आवश्यक सहयोग लिये जाने के हेतु समन्वय बैठक कर आवश्यक सुझाव प्राप्त करते हुये विचार–विमर्श कर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये एवं दिशा–निर्देश निर्गत किये गये–

1. कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी, भटवाडी/बडकोट को निर्देश दिये गये कि श्री यमुनोत्री व श्री गंगोत्री धाम में मन्दिर परिसर में नगर पंचायत एवं जिला पंचायत के माध्यम से नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाय। स्थानीय व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों के माध्यम से क्षेत्र में सभी होटल/ढाबे स्वामियों को भी अपने प्रतिष्ठनों को नियमित रूप से सेनेटाइज हेतु निर्देशित करेंगे। इसके अतिरिक्त जन–जागरूकता के दृष्टिगत सभी होटल/ढाबा मलिकों को निर्देश दिये जायें कि अपना तथा उनके साथ कार्य कर रहे अन्य सहकर्मियों के कोविड–19 के दोनों वैक्सीन लगे होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना प्रतिष्ठान के बाहर चस्पा करें।

(कार्यवाही–उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/बड़कोट/अध्यक्ष, होटल ऐसोसेशियन)

क्रमशः..............................2

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयंसेवी संस्थाओं का जनमंच जनपद में 175 ग्रामों में सक्रिय रूप से कार्यशील है। इस सम्बन्ध में उक्त जनमंच के स्वयसेवी संगठनो से कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत यात्रा मार्ग/पड़ावों एवं मन्दिर क्षेत्र के निकट सभी ग्रामों में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से जन–जागरूकता अभियान चलाया जाय तथा मास्क वितरण आदि कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गयी। उक्त हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी तथा रेडक्रास सोसाइटी सम्बन्धितों को निःशुल्क मास्क उपलब्ध करायेंगे। जनमंच के माध्यम से उक्त क्षेत्र में आने वाले ऐसे लोग जिनके द्वारा कोविड का दूसरा टीकाकरण नहीं किया गया गया, उन्हें टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाय तथा उक्त क्षेत्र में आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्यगत समस्या, कोविड–19 सम्बन्धी लक्षण परिलक्षित होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र व नियंत्रण कक्ष को अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/ अध्यक्ष, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच /सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, उत्तरकाशी)

उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच एवं नेहरू युवा केन्द्र द्वारा कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत आने वाले यात्रियों एवं उक्त यात्रियों के माध्यम से जन–जागरूकता के दृष्टिगत मन्दिर परिसर/विभिन्न यात्रा पडावों में यात्रियों को कोविड–19 की रोकथाम एवं गाइडलाईन का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी शपथ दिलायी जाय। यात्रा धामों एवं प्रमुख पडावों में आवश्यक सफाई अभियान चलाते हुये जैविक/अजैविक कूड़े को पृथक–पृथक कर नगर पंचायत/जिला पंचायत को उपलब्ध करायेंगे। चिकित्सीय कूड़े को पृथक कर नियमानुसार बैग में रखा जायेगा। उक्त हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित संस्थाओं को बैग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–/मुख्य चिकित्साधिकारी/ अध्यक्ष, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच /सचिव, यमुनोत्री/गंगोत्री समिति/नेहरू युवा केन्द्र)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सभी टैक्सी यूनियन, बस यूनियन ट्रक यूनियन से गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी परिवहन गाईडलाईन व कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये वाहनों में यात्रा करते समय समस्त यात्रियों व चालक द्वारा मास्क पहनना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक वाहन में कोविड अनुरूप व्यवहार करने सम्बन्धी स्टीकर चस्पा करने, वाहन में अतिरिक्त मास्क व हैण्ड सैनेटाइजर रखने सम्बन्धी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि सभी वाहनों चालकों को निर्देशित किया जाय कि कोविड की दोनों वैक्सीन लगे होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना वाहन पर चस्पा करें, जिससे जन–जागरूकता के साथ वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों का मनोबल बढ़ सके। (कार्यवाही–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी)

मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि सभी निजी/सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाय कि विद्यायल के गेट/दरवाजों के हैंडिल, नल के टैब आदि बार–बार छूने वाले स्थानों को प्रत्येक दिन नियमित रूपर से सेनेटाइज किया जाय। इसके अतिरिक्त एन0सी0सी0 व ए0एस0एस0 के प्रभारी जन–जागरूकता के तहत विद्यार्थियों को कोविड–19 की रोकथाम के सम्बन्ध में जागरूक करेंगे। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियो को यह भी अगवत कराया जाय कि कोविड–19 सम्बन्धी जानकारी अपने घरों तथा पास–पड़ोस के दस परिवारों को भी टीकाकरण सहित कोविड अनुकूल व्यवहार के सम्बन्ध में जागरूक करेंगे।

(कार्यवाही–मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी, एन0सी0सी0/एन0एस0एस0)

भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी के उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु स्थानीय स्तर पर नागरिकों तथा विभिन्न यात्रा पड़ावों पर यात्रियों को जागरूक किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सभी ग्रामों में मौजूद भूतवूर्व सैनिकों को ग्राम स्तरीय निगरानी समिति में सम्मिलित करते हुये उनके माध्यम से ऐसे नागरिक जिनकों कोविड–19 का दूसरा टीकाकरण अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें जागरूक करते हुये इस सम्बन्ध में सूचना नजदीकी चिकित्साधिकारी को उपलब्ध करायी जाय, जिससे सभी नागरिको का टीकाकरण ससमय पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/भूतपूर्व सैनिक संगठन)

क्रमशः..............................3

Scanned with OKEN Scanner

7. जिला रेडक्रास सोसाइटी विभिन्न यात्रा पड़ावों, बस–टैक्सी स्टैण्ड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक रूप निःशुल्क मास्क वितरण कार्यक्रम संचालित करेंगे। (कार्यवाही– सचिव, रेडक्रास सोसाइटी)

8. अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी को अवगत कराया गया कि समस्त व्यापारियों द्वारा अपने–अपने प्रतिष्ठानो को नियमित रूप से समय–समय पर सेनेटाइजेशन किया जाय। इसके अतिरिक्त समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायतो को निर्देश दिये जाते हैं कि नगर क्षेत्रान्तर्गत बाजारो एवं सभी सार्वजनिक स्थानों मे नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करवाते हुये बाजार के सप्ताह बन्दी के दिन सम्पूर्ण बाजार क्षेत्र मे सेनेटाइजेशन करना सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष, व्यापार मण्डल को यह निर्देश दिये गये कि सभी दुकानों पर दुकानदार एवं ग्राहक द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार अन्तर्गत मास्क/सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियमो का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। इसके अतिरिक्त अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में अपना तथा अपने साथ कार्य करने वाले सहकर्मियो के कोविड–19 के दोनों वैक्सीन लगे होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सम्बन्धी सूचना दुकान के बाहर चस्पाकरें। (कार्यवाही–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तरकाशी/समस्तउपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, व्यापार मण्डल)

9. जनपद अन्तर्गत समस्त बैकिंग प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी व मास्क का सही ढंग से प्रयोग तथा सेनेटाइजर की उपलब्धता रखते हुये कोविड–19 के रोकथाम अनुरूप व्यवहार सम्बन्धी सभी नियमों का अनुपालन बैकिंग प्रतिष्ठान द्वार सुनिश्चित करवाया जाये। (कार्यवाही– अग्रणी बैंक प्रबन्धक)

10. मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि विभिन्न सामाजिक/नगारिक संगठनो द्वारा किये जाने वाले जन–जागरूकता कार्यक्रमों हेतु आवश्यतानुसार जन–जागरूकता सामग्री यथा–पम्पलेट, मास्क आदि उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धितों को निर्देशित करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी)

11. उपजिलाधिकारी, बड़कोट को निर्देश दिये गय कि तहसील बड़कोट अन्तर्गत कार्यरत सभी स्वयंसेवी/सामुदायिक/नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बैठक का का कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। प्रमुख यात्रा पड़ावों सहित सार्वजनिक स्थानों पर कोविड–19संक्रमण की रोकथाम व टीकाकरण व कोविड अनुरूप व्यवहार के सम्बन्ध मे आवश्यक जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करेंगे। (कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, बड़कोट)

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 2615/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/यात्रा/कोविड/2021 दिनांक– 23 सितम्बर, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों/सम्बन्धित संगठनों के पदाधिकारी/प्रतिनिधियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

चारधाम यात्रा/कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत एस0ओ0पी0/गाईडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक उपस्थिति–

स्थान– एन0आई0सी0 वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 23.09.2021 समय प्रातः 11:00

क्र.सं.	अधिकारी/कार्मिक का नाम	नाम/पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	Mayur Dixit	DM	94120[illegible]	[illegible]
2				
3	Tirth Pal Singh	ADM	9412[illegible]	[illegible]
4	विनोद प्रसाद सिमल्टी	C.E.O. Edu.	9411158565	[illegible]
5	शैलेन्द्र कुमार नौटियाल	सचिव, बाल [illegible] समिति	941294728[illegible]	[illegible]
6	विजय सिंह कोठ	जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र	8057431349	Kath.
7	डॉ० वीर सावरकर[illegible]	NSS. Govt PG College, Uttarkashi	9456769208	[illegible]
8	डॉ० ओमकार चन्द्र मिश्र	Associate NCC Officer, GPGC., Uttarkashi	9452130949	[illegible]
9	Dr. T.R. Prajapati	Scout/Guide Uttarkashi	827312[illegible]	[illegible]
10	Balbeer Singh	LDC, Z.S.K. Uttarkashi	9690755641	[illegible]
11	Geet Singh	S/ICO 3 Bn UK NCC	9639227369	[illegible]
12	Chandrapal	3Bn UK NCO	7930804[illegible]	[illegible]
13	Ram Chandra Uniyal	Shree Kashi Vishwa Nath Trek ACRO	9756171723	[illegible]
14	Birender Negi	President Purv Sainik Sangathan	9410116229	[illegible]
15	Suresh Kumar	Information officer	8449505031	[illegible]
16	Kusum Rana	S.I. (N.P.P Barahat)	9760213436	[illegible]
17	S.K. Purohit	E.O. N.P.P. Barahath Uki	9720928764	[illegible]
18	Jitendra Chand	ARTO (E)	9520379234	[illegible]
19	Sunaina Bhatt	Plan India	9927879480	[illegible]
20	Dwarika Semwal	JADDI SANSTHAN	94111983 72	Semwal
21	Dr. K.S. Chauhan	UAPJM, CMO	9412324490	[illegible]
22	Minakshi Patwal	SDM Dunda	9411104077	[illegible]
23	ANIL BISHT	PGC, CMO office	9897253474	[illegible]
24	रमेश चौहान	अध्यक्ष व्यापार मण्डल	7500467364	Ram
25	P.S. Rana	ई.ओ. जोशियाड़ा	9410597658	[illegible]
26	Sandeep Uniyal	Renuka Samiti	9410532030	[illegible]
27	Muskan Bhandari	DPMA	753490774[illegible]	[illegible]
28	D.S. Patwal	DHO	945[illegible]4297[illegible]	[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12 जुलाई, 2021 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन/कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में स्वयंसेवी/सामुदायिक व नागरिक संगठनों के साथ आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

ठक में उपस्थित अधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों की उपस्थिति नेम्नवत है-

1.	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2.	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
3.	उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
4.	उप जिलाधिकारी, बड़कोट (वीडियोकॉन्फ्रेस के माध्यम से)
5.	उप जिलाधिकारी, पुरोला (वीडियोकॉन्फ्रेस के माध्यम से)
6.	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
7.	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
8.	सहायक, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
9.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
11.	अग्रणी बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी।
12.	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
13.	चेयरमैन, रेडक्रॉस सोसाईटी, शाखा उत्तरकाशी।
14.	अध्यक्ष, जिला व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी।
15.	अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी।
16.	प्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी।
17.	सचिव, टैक्सी यूनियन, उत्तरकाशी।
18.	अध्यक्ष, बस यूनियन, उत्तरकाशी।
19.	श्री द्वारिका सेमवाल अध्यक्ष, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच/हिमालया पर्यावरण जड़ी-बूटी एग्रो संस्थान, उत्तरकाशी। (जनपद स्तर पर स्वंयसेवी संस्थाओं के नोडल)
20.	समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी।
21.	समन्वयक, एन0एस0एस0, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी।
22.	जिला सचिव, स्काउट, उत्तरकाशी।
23.	समन्वयक, एन0सी0सी0, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरकाशी।
24.	समन्वयक,एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/रोवर्स-रेंजर्स, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
25.	श्री कमलेश गुरूरानी, परियोजना निदेशक, रिलायंस फाउन्डेशन, उत्तरकाशी।
26.	सुनैना भट्ट, प्लान इण्डिया, उत्तरकाशी। (जनपद स्तर पर स्वंयसेवी संस्थाओं के नोडल)
27.	श्री मनोज जगूड़ी, माउन्टेन सोल फाउन्डेशन, उत्तरकाशी।
28.	श्री जीत बहादूर, अध्यक्ष, बुरॉस प्रोजेक्ट, पुरोला।
29.	सहायक जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

कोविड-19 संक्रमण की सम्भावित तीसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में तैयारी, जन-जागरूकता, टीकाकरण तथा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत समस्त नागरिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग लिये जाने के सम्बन्ध में बैठक कर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये-

1. नोडल, उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच/शासन द्वारा जनपद हेतु नामित नोडल द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्वंयसेवी सस्थाओं के संगठन "उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच" द्वारा वर्ष 2010 से आपदाओं में लगातार कार्य कर रहा है। वर्तमान में उक्त स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु जनमानस में जनजागरूकता कार्यक्रम/मास्क, सेनेटाइजर वितरण/जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण आदि कार्य में सहयोग किया जा रहा है।

क्रमशः......................2

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम स्तर पर गठित निगरानी समिति में भी सहभागिता की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित किसानों की फसलों का बाजारीकरण व स्थानीय स्तर पर ग्रामवासियों को यथोचित सहयोग भी किया गया है। कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत संगठन द्वारा निम्न प्रकार सुझाव दिये गयें।

सभी स्वयंसेवी संगठनों के साथ जिलाधिकारी महोदय की वर्चुवल के माध्यम से बैठक की जानी उचित होगी। जिससे प्रशासन व संगठनों के मध्य आपसी तालमेल बेहतर बना रहे।

) उत्तरकाशी आपदा प्रबन्धन जनमंच से जुड़ें सभी संगठनों की जनपद में 175 ग्राम सभाओं में कार्यरत स्वयंसेवकों/प्रतिनिधियों द्वारा कोविड टीकाकरण/जनजागरूकता कार्यक्रम/आवश्यक सामग्री का वितरण तथा कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है, जिस हेतु उक्त स्वयंसेवकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाना उचित होगा, जिससे उनका मनोबल बना रहेगा।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य/सहायेग प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों को चिन्हित कर उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने तथा प्रतिनिधियों हेतु वर्चुवल मिटिंग के सम्वन्ध में नामित नोडल अपर जिलाधिकारी एवं आपदा प्रवन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/नोडल–स्वंयसेवी संगठन उत्तरकाशी)

भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति, उत्तरकाशी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत विकासखण्ड भटवाड़ी एवं चिन्यालीसौड में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या बहुत है। उनके द्वारा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत क्षति के आंकलन एवं फस्ट रिस्पोन्डर के रूप में बेहतर कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही उनका सहायोग कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ओर बेहतर ढंग से लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सभी ग्रामों में मौजूद भूतवूर्व सैनिकों को ग्राम स्तरीय निगरानी समिति में सम्मिलित किया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि विकासखण्ड वार भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके विकासखण्डवार प्रतिनिधियों की सूची व दूरभाष नम्बर आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराये जायें, जिससे समय–समय पर उक्त प्रशिक्षित मानव संसाधनों का ससमय सहयोग लिया जा सके।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/भूतपूर्व सैनिक संगठन)

चेयरमैन, रेडक्रास सोसाईटी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में रेडक्रास सोसाईटी द्वारा 115 स्वैच्छिक रक्तदाताओं का पंजीकरण किया गया है, जिनका सहयोग किसी भी आपदा व आवश्यकतानुसार लिया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया की सोसाईटी द्वारा कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु जनमानस में जनजागरूकता/मास्क, सेनेटाइजर वितरण/जरूरतमदों को खाद्यान्न सहित आदि आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। संगठन के पास आपदा की स्थिति में प्रभावितों हेतु तात्कालिक रूप से उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री का भण्डारित भी किया गया है। इस सम्बन्ध में रेडक्रास सोसाईटी से अपेक्षा की गयी की उनके पास उपलब्ध सामग्री की सूची आपदा प्रबन्धन कार्यालय से उपलब्ध करते हुये संगठन के द्वारा निःसहाय/गरीब लोगों की तात्कालिक मदद हेतु विभिन्न माध्यमों एवं रोटरी क्लब से समन्वय कर कोष तैयार करते हुये पर्याप्त मात्रा में धनराशि की उपलब्धता बनाये रखें। समस्त संगठनों व अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गयी कि धनराशि के अनुदान हेतु रेडक्रास सोसाइटी को प्राथमिकता प्रदान की जाय।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, उत्तरकाशी)

समन्वयक, एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड, विद्यालयी शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मौजूद 75 इण्टरमीडिएट कॉलेजों में एन0एस0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट गाईड के स्वयंसेवक उपलब्ध है। जिनके द्वारा स्थानीय स्तर पर कोविड–19 संक्रमण के रोकथाम हेतु जनजागरूकता सम्बन्धी कार्य किये जा रहे हैं।

क्रमशः.................3

Scanned with OKEN Scanner

इस सम्बन्ध मे मुख्या शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया कि विद्यालयी शिक्षा अन्तर्गत एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउट के स्वयंमसेवकों को उनके आवास क्षेत्रान्तर्गत वार्ड, नगर मोहल्ले आदि में कोविड संक्रमण के रोकथाम आदि हेतु प्रोत्साहित करते हुये स्थानीय आशा/आंगनबाडी कार्यकत्री के सहयोग से अपने पास–पड़ोस अन्तर्गत नजदीकी 5 से 10 परिवारों मे कोविड अनुकूल व्यवहार/टीकाकरण सम्बन्धी जनजागरूकता हेतु जिम्मेदारी दी जाय। जिससे छात्रों के अध्ययन पर भी प्रभाव न पड़े। मुख्य शिक्षाधिकारी उक्त सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर कार्ययोजना तैयार करते हुये आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। इसी प्रकार एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/रोवर्स–रेंजर्स, उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रभारियों द्वारा भी उपरोक्तानुसार छात्र स्वंयसेवकों के आस–पड़ोस में उक्तानुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी एस0ओ0पी0 तैयार कर आपदा प्रबन्धन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। इसके अतिरिक्त समन्वयक, नेहरू युवा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से दूरस्थ विकासखण्ड, मोरी में कोविड टीकाकरण सम्बन्धी जागरूगकता अभियान हेतु स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

(कार्यवाही–मुख्य शिक्षा अधिकारी/प्रभारी, एन0एस0एस0/एन0सी0सी0/स्काउट/रोवर्स–रेंजर्स, विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा/समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र)

5. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सभी टैक्सी यूनियन, बस यूनियन ट्रक यूनियन से गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी परिवहन गाईडलाईन व कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। वाहनों में यात्रा करते समय मास्क पहनना सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक वाहन में कोविड अनुरूप व्यवहार करने सम्बन्धी स्टीकर चस्पा करने, वाहन में अतिरिक्त मास्क व हैण्ड सैनेटाइजर रखने सम्बन्धी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। इस सम्बन्ध में मास्क की उपलब्धता हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी तथा उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/विभिन्न परिवहन सम्बन्धी संगठन)

6. अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका द्वारा समय–समय पर सेनेटाइजेशन किया जाय। इस सम्बन्ध में समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्देश दिये जाते हैं कि नगर क्षेत्रान्तर्गत बाजारों एवं सभी सार्वजनिक स्थानों में नियमित रूप से सेनेटाइजेशन करवाते हुये बाजार के सप्ताह बन्दी के दिन सम्पूर्ण बाजार क्षेत्र मे सेनेटाइजेशन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रायः यह देखने में आया है कि दुकानदारों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार के दृष्टिगत मास्क का सही ढंग से उपयोग करने व सामाजिक दूरी सम्बन्धित नियमों का अनुपालन नही किया जा रहा है। जो कि खेदजनक है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, व्यापार मण्डल को यह निर्देश दिये गये कि सभी दुकानों पर दुकानदार एवं ग्राहक द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन कराया जाय। समस्त नगरपालिका/नगरपंचायतों द्वारा नियमित रूप से सम्पूर्ण बाजार क्षेत्रों में निरीक्षण कर मास्क/सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियमों का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाय। किसी दुकानदार द्वारा उक्तानुसार कोविड–19 के रोकथाम सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी/व्यापार मण्डल)

7. प्रतिनिधि, बुरांस प्रोजेक्ट द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्था द्वारा जनपद के नौगांव एवं पुरोला क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है। उनकी संस्था के पास उक्त कार्य हेतु 36 प्रशिक्षित लोग उपलब्ध है, जिनके द्वारा कोविड नियंत्रण के रोकथाम हेतु जनजागरूकता सम्बन्धी कार्य भी किये जा रहे हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि मानसिक रोगियों हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला में मनोचिकित्सक तैनात है, किन्तु मानसिक रोगियों हेतु आवश्यक दवाओं की उपलब्धता नहीं होने के कारण मानसिक रोगियों के उपचार में कठिनाई हो रही है।

क्रमशः....................4

Scanned with OKEN Scanner

इस सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला चिकित्सालय की टीम संस्था से समन्वय कर प्रत्येक माह में एक बार क्षेत्र का भ्रमण करते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला में सम्बन्धित दवाओं की उपलब्धता शीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही— मुख्य चिकित्साधिकारी /कार्यक्रम समन्वयक, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम)

8. जनपद अन्तर्गत समस्त बैकिंग प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी सम्बन्धित गोले बनाकर, मास्क का सही ढंग से प्रयोग तथा सेनेटाइजर की उपलब्धता रखते हुये कोविड–19 के रोकथाम अनुरूप व्यवहार सम्बन्धी सभी नियमों का अनुपालन बैकिंग प्रतिष्ठान द्वार सुनिश्चित करवाया जाये। प्रत्येक बैंकिंग प्रतिष्ठान में नियमित रूप से 15 दिनों के अन्तराल में सभी कर्मियों का कोविड परीक्षण करवाया जाय तथा ए0टी0एम0 पर भी कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही— अग्रणी बैंक प्रबन्धक / मुख्य चिकित्साधिकारी / उप जिलाधिकारी / चिकित्साधिकारी)

9. उपजिलाधिकारी, बड़कोट / पुरोला को निर्देश दिये जाते है कि तहसील बड़कोट व पुरोला में कार्यरत सभी स्वयंसेवी / सामुदायिक / नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बैठक का का कार्यवृत्त अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम व टीकाकरण व कोविड अनुरूप व्यवहार के सम्बन्ध में आवश्यक जागरूकता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही— उपजिलाधिकारी, बड़कोट / पुरोला)

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय— जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–2401 / तेरह–आ0प्र0प्राधि0 / मानसून / कोविड / 2021 दिनांक– 15 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों / सम्बन्धित संगठनों के पदाधिकारी / प्रतिनिधियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत SOPs/Guidelines का अनुपाल सुनिश्चित करवाये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक उपस्थिति–

स्थान– एन0आई0सी0 वीडियों कन्फ्रेसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 12.07.2021 समय प्रातः 11:00 बजे

अधिकारी / कार्मिक का नाम	नाम / पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
Mayur Dixit	DM.	9410722500	[signature]
M.K. Mishra.	S.P.	9411112733	[signature]
Devendra Negi	SDM (B)	9410191049	[signature]
Akash Joshi	SDM (Dunda)	7579073428	[signature]
दीनानाथ नौटियाल	सचिव रेडक्रॉस समिति	9412140679	दीनानाथ
द्वारिका प्रसाद सेमवाल	नौडल, जाड़ी संस्थान	9411148872	Semwal
Praveen Kumar	R.I(Tech)/ARTO	9897624953	[signature]
K.K. Bijlwan	T.T.O U	9411381871	[signature]
Vijay Singh	DYO, NYK Uttarkashi	8057431395	Vath
Kusum Rana	(S.I.) N.P.P. Barahat	9760218436	[signature]
Prof. T. P. Prajapati, Rover	Govt P.G. Coll. Uki & R. Range	8273121147	[signature]
Dr. S.S Mehra	Distt. Secretary Scout	7500811699	[signature]
Ajay Bisht	Assistant Lead Bank	9760955267	[signature]
Balbeer Singh	HC Z.S.K. Uttarkashi	9690755841	[signature]
Suresh Kumar	ADIO	8449505031	[signature]
Dr. V.R. Khandori	NSS PG College Uttarkashi	9456769202	[signature]
Dr. Akash Chandra Mishra	ANO, NCC, P.G. College UKI	9452130949	[signature]
D.S. Patwal	DMO	9456147974	[signature]
Shardul Gusain.	DDMA	9997871727	[signature]
Kamlesh Goswami	Reliance Foundation	8126568947	Kamlesh
Ajay Puri	RedCross	9412077718	[signature]
Maj R S Jamwal	ESM Uttarkashi	9412077508	Jamwal
Subhash Badoni	Zila Adhyaksh Vyapar Mandal	94123[illegible]	[signature]
Ramesh Chauhan	Nagar Adhiyksh	7500467366	[signature]
Dr B K Biswas	ACMO	7248336889	[signature]
Ramendra Kuchhaliya	DEO(M)	9410549727	[signature]

Kuldeep Rawat अध्यक्ष T G M O U/Kashi 7830336342 [signature]

[illegible] 9356[illegible]77

:: आदेश ::

शासन के पत्र संख्या–667 /XVIII–B–1/21–13(05) 2007, दिनांक 01 जून, 2021 द्वारा व दिनांक 22 मई, 2021 को मानूसन के दृष्टिगत को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा आयोजित वीडियोकॉन्फ्रेसिंग में आगामी मानसून अवधि में अतिवृष्टि, बाढ़, त्वरित बाढ़, भूस्खलन एवं नदियों का जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप विशेष सतर्कता बरतने एवं पूर्व तैयारी रखे जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किये गये है।

उरोक्त सम्बन्ध में निर्देश हैं कि मानसून अवधि में आपदा के बेहतर प्रबन्धन एवं न्यूनीकरण के उपायों हेतु उल्लिखित पत्रों के माध्यम से दिये गये निर्देशों के साथ–साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी प्राथमिकता के आधार पर तैयारी एवं तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. जनपदों में प्राथमिकता के अनुसार भूस्खलन, बाढ़ आदि से सम्बन्धित संवदेनशील स्थलों को चिन्हीकरण कर उक्त स्थानों के निकटतंम आपदा राहत संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऐसे स्थानों से नियमित सूचनायें प्राप्त करने की व्यवस्था करते हुये प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर जन–जागरूकता व खोज एवं बचाव से सम्बन्धित जानकारी दे दी जाए।
(कार्यवाही–समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/जिला पूर्ति अधिकारी)

2. बाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत शिविरों, चिकित्सा सुविधाओं एवं खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्थाओं के दृष्टिगत राहत शिविरों का चिन्हॉकन तथा उक्त शिविरों प्रभावितों के रूकने सहित भोजन आदि की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता फर्मो का चिन्हॉकन तथा दरों का निर्धारण पूर्व तैयारी के अन्तर्गत सुनिश्चित कर ली जाए। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी)**

3. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदियों के जल प्रवाह/जलस्तर एवं दैनिक वर्षा से संबन्धित सूचनाएँ आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को दैनिक/नियमित रूप से उपलब्ध करवायी जाए। **(कार्यवाही–केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, सिचांई–नोडल/उपमप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0एल0)**

4. खोज एवं बचाव कार्यों में प्रशिक्षित पुलिस कार्मिकों को आवश्यक उपकरणों सहित आपदा सम्भावित क्षेत्रों के समीप स्थित थानों/चौकियों में तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 से भी निरन्तर समन्वय स्थापित करते हुए उनका सहयोग राहत एवं बचाव कार्यों में प्राप्त किया जाय। **(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक/समस्त उपजिलाधिकारी)**

5. जनपद स्तर पर आपदा की स्थिति में सूचनाओं के त्वरित आदान–प्रदान एवं विभागीय समन्वय हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र 24 X 7 की तर्ज पर कार्यशील है। इसी तर्ज पर तहसील स्तर पर भी आपदा कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुये कन्ट्रोल रूम में अधिकारियों/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती की जाय। किसी भी आपदा की घटना/मार्ग अवरूद्व होने सहित अन्य प्रकार की सूचना शीघ्र जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करतो हुये स्थानीय स्तर पर अन्य विभागों से समन्वय कर राहत कार्य प्रारम्भ किये जायें। इसके अतिरिक्त तहसील स्तर पर उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों तथा सेटेलाईट फोन को कार्यशील स्थिति में रखा जाय।
(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी)

6. मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गों के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में संसाधनों यथा अधिकारियो/कर्मचारियों तथा मशीनरी/ऑपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते है।

समस्त सड़क सम्बन्धी विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि एक सप्ताह अन्दर मशीनरी जेसीबी/डोजर आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये उन्हें मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर तैनात करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0, बडकोट, लो0नि0 वि0 खण्ड,उत्तरकाशी /पी0एम0जी0एस0वाई/समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

क्रमश.....................2

Scanned with OKEN Scanner

7. समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेंसी को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने समस्त संचार टॉवर/फाइबर लाईन आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये नियमित रूप से संचार सुविधा उपलब्ध करायेंगे। मानसून अवधि में विद्युत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवर के संचालन हेतु विद्युत बैकअप की व्यवस्था हेतु ईंधन का भण्डारण एवं अन्य उपकरणों आदि की प्रर्याप्त उपलब्धता व रख-रखाव करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अपने समस्त संचार टॉवर के अनुसार तैनात कार्मिकों के दूरभाष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।
(कार्यवाही-समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त संचार प्रदाता ऐजेन्सी/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।)

8. मानसूनकाल में नगर क्षेत्रान्तर्गत बरसाती नाले बन्द होने के कारण जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत जल संस्थान के सहयोग से मानसूकाल से पूर्व बरसाती नालों की सफाई करवाते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विभिन्न मोटर मार्गों के कलवटों व नालियों की सफाई व जल भराव के दृष्टिगत नालियों की सफाई- समस्त लो0नि0वि0 खण्डों/सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिये गये कि अपने तत्काल क्षेत्रान्तर्गत कलवटों/नालियों की सफाई करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही-अधिशासी अभियंता, जल संस्थान/.समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/समस्त सड़क सम्बन्धी विभाग)

उक्त आदेशों का कड़ाई पूर्वक तथा ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या-2279/तेरह-आ0प्र0प्राधि0/मानूसन/2021 दिनांक-10 जून, 2021

प्रतिलिपिः- निम्नांकित के अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।
7. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या–2324 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–रा0मा0अ0आ0 /2021 दिनांक–22 जून, 2021

सेवा में,

1. अधीक्षण अभियंता/समस्त अधिशासी अभियंता,
   लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
2. अधीक्षण अभियंता,
   सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
3. जिला पूर्ति अधिकारी,
   उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियंता,
   जल संस्थान/जल निगम
5. अधिशासी अभियंता,
   विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
6. एस0डी0ओ0
   बी0एस0एन0एल0, बड़कोट/उत्तरकाशी।

अवगत कराना है कि दिनांक 22.05.2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आगामी मानसून के दौरान आपदा से बचाव एवं राहत कार्यो के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों व मानसून हेतु पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 671/XVIII-B-1/2021–13/(05)/2007 दिनांक 02 जून, 2021 के द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सुझाव आवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं।

उरोक्त सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयारी एवं तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के सुगम आवागमन हेतु पैदल सम्पर्क मार्ग/पुलों का उचित रख–रखाव अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे पैदल पुलों जो कि मानसून के दौरान प्रायः क्षतिग्रसत होते ही है, को चिन्हित करते हुये उनके निकटवर्ती सुरक्षित स्थपन पर लकड़ी के लठ्ठे (Logs) अभी से रखना आवश्यक है ताकि पुलों को क्षति पहुंचने की दशा में पैदल यातायात सुविधा की पुनर्स्थापना शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

(कार्यवाही–अधीक्षण अभियंता/समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0)

2. भूस्खलन अथवा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गो/परिसम्पत्तियों की सुरक्षा/पुर्नस्थपना के कार्यो में वायर क्रेट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। लोक निर्माण/सिंचाई विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में दूरस्थ क्षेत्रों तक वायर पहुंचाना आवश्यक है। साथ ही स्थानीय स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा स्वयं सहायता समूह/बेरोजगार लोगों को वायर बुनने/जाल बनाने की कला "स्किल डवलपमेन्ट" के अन्तर्गत सिखाया जाना आवश्यक है ताकि मानसून के दौरान स्थानीय स्तर पर ही वायर क्रेट बुनवाये/तैयार कराये जा सके और स्थानीय बेरोजगारों/समूहों को न्यूनाधिक आय भी अर्जित हो सके।

(अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभिंयता, सिंचाई खण्ड)

3. सम्भावित आपदा के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में एसडीपीई पाईप (रबर पाईप) अग्रिम रूप से भण्डारित किया जाय, ताकि पेयजल लाईनों के क्षतिग्रस्त होने पर न्यूनतम समय में पेयजल आपूर्ति पुनर्स्थापित की जा सके।

(अधि0अभि0, उत्तराखण्ड जल संस्थान/जल निगम)

क्रमश..................2

Scanned with OKEN Scanner

4. सम्भावित आपदा के दृष्टिगत के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खण्ड/सब स्टेशन में पर्याप्त मात्रा में बिजली के तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर अग्रिम रूप से रखे जाये। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहने का प्रमुख कारण लाईनमैन की कमी होना भी है। अतः दूरस्थ क्षेत्रों में लाईनमैन की संख्या बढ़ाये जाने हेतु विभागीय स्तर से आवश्यक कार्यवाही की जाय।
(अधि०अभि०, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट)

5. दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी सूचना संकलन तथा आवश्यकतानुसार समय से राहत एवं बाचव कार्य करने में कठिनाई होती है। विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में मोबाईल टावर चालू रखने हेतु जनरेटर की व्यवस्था पूर्व से रहती तो है किन्तु प्रायः डीजल न होने अथाव डीजल होने के बावजूद जनरेटर न चलाये जाने की स्थिति बनी रहती है। अतः सम्बन्धित सेवा प्रदाता के द्वारा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की दशा में जनरेटर के माध्यम से मोबाईल टावर का संचालन सुचारू रखा जाय। (कार्यवाही–एस०डी०ओ०, बी०एस०एन०एल०, उत्तरकाशी/बड़कोट)

6. जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामों में नियमित रूप से खाद्यान्न, डीजल, पेट्रोल अथवा घरेलू गैस की आपूर्ति/रिजर्व स्टाक सुनिश्चित करने के साथ–साथ सम्भावित आपदा चिन्हित क्षेत्रों में 03 माह का अग्रिम राशन मानसून पूर्व पहुंचाने हेतु तत्काल एक सप्ताह अन्तर्गत राशन का उठान किया जाना अनिवार्य है क्योंकि कई क्षेत्रों में पैदल मार्गो के द्वारा खच्चरों के माध्यम से भी राशन पहुंचाना पड़ता है जिसमें कई दिन भी लग जाते हैं। (कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी)

अतः उक्त निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः समस्त उजिलाधिकारी, उत्तरकाशी को आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
22/6/21

Scanned with OKEN Scanner

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में मानूसन पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में आहूत वीडियों कन्फेसिंग बैठक उपस्थिति–

स्थान– एन0आई0सी0 वीडियों कन्फेसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 22.05.2021

समय सांय 03:00 बजे

क्र.सं.	अधिकारी / कार्मिक का नाम	नाम / पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1				
2				
3	Tirath Pal Singh	ADM	[illegible]	[signature]
4	Akash Joshi	SDM(D/C)	7579023428	[signature]
5				
6	Chakrapani Misra	ARTO	9068001213	[signature]
7	B S Dogra	EE Jal Sansthan	9411103541	[signature]
8	Manoj Rawat	DSO	9045486632	[signature]
9	Dr. Pralayankar Nath	C.V.O.	8937001274	[signature]
10	G. M. Badoni	AERA	7579949355	[signature]
11	Manoj Gusain	EE UPCL	9412077631	[signature]
12	Rajesh Pant	EE PWD	9759001154	[signature]
13	Er. Anirudh Singh Bhandari	S.E. PWD UKD	9412052988	[signature]
14	Sharad Srivastava	SE Nijali	8006284[illegible]	[signature]
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 21 मई, 2021 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में आगामी मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा (बड़कोट/पुरोला वी0सी0 के माध्यम से)
6. कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
7. पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
8. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी
12. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी
13. प्रभागीय वनाधिकारी, पुरोला (वी0सी0 के माध्यम से)
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट
15. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।
16. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
17. सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत करते हुये अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन द्वारा अवगत कराया गया है कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निजी ठेकेदार पोकलैण्ड मशीन सड़क मार्ग पर चलाकर ले जाते हैं, जिससे कि मार्ग जगह–जगह क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके साथ ही गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान स्वारीगाड तथा गंगोरी में वैलीब्रिज पर भार वहन क्षमता से अधिक भारी मशीनरी का विभाग को पूर्व सूचना के ही आवागमन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे ठेकेदारों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभागीय ठेकेदार पोकलैण्ड आदि भारी मशीनें जिनसे की राष्ट्रीय राजमार्ग/वैलीब्रिज के क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो, के सीमा सड़क संगठन को अवगत कराते हुये कार्यवाही करेंगे। सम्बन्धित विभाग/ठेकेदार को सीमा सड़क संगठन द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
   (कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन/समस्त कार्यदायी संस्थायें)

2. मानसून में मार्ग अवरूद्व होने की सम्भावना के दृष्टिगत दूरस्थ क्षेत्रों/ग्रामों (Remote Areas) में 03 माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिनांक 15.06.2020 से पूर्व उपलब्ध कराया जाय। उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की आपूर्ति मांग के अनुसार सुचारू सुनिश्चित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन वितरित होने वाली रसोई गैस का विवरण अधोहस्ताक्षरी को दैनिक रूप से उपलब्ध कराया जाय। समस्त उपजिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त कार्यों की नियमित रूप से मॉनीटिरिंग करेंगे।
   (कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

3. समस्त उपजिलाधिकारी को निर्देश दिये गये है अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित अस्थायी हैलीपैडों का तत्काल लोक निर्माण विभाग/राजस्व विभाग/पुलिस अथवा एस0डी0आरफ0 की टीम से संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन करवाते हुये हैलीपैड के वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। जिससे आपदा के समय त्वरित रूप से सुरक्षित राहत–बचाव कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।
   (कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0/समस्त थानाध्यक्ष/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ, उत्तरकाशी।)

क्रमशः...........2

Scanned with OKEN Scanner

4. वर्ष 2020–21 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को दी गयी राहत सहायता एवं विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण/मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि एवं आपदा न्यूनीकरण निधि से तहसीलों/कार्यदायी विभागों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/समस्त सम्बन्धित कार्यदायी विभाग, जनपद उत्तरकाशी)

5. मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत वीडियों कॉनफ्रेंस में दिये गये निर्देशानुसार मानूसन अविध में जनपद में सम्भावित आपदाओं की पूर्व तैयारी के दृष्टिगत पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में भागीरथी नदी के प्रवाह एवं मानूसन अवधि में नदी के बहाव से प्रभावित होने वाले आबादी क्षेत्रों की निगरानी हेतु जनपद के धराली में खीरगाड, गंगोत्री में भैरवझांप नाला सहित गंगोत्री में गतिमान बाढ़ सुरक्षा कार्यों की व्यापक निगरानी के दृष्टिगत सिंचाई विभाग के क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता मानूसन अवधि (15 जून से) में उक्त क्षेत्र में प्रवास कर नियंत्रण कक्ष बनाकर तैनात रहते हुये भागीरथी नदी एवं आस–पास अन्य सहायक नदियों के जल स्तर/प्रवाह/मौसम सम्बन्धी अन्य जानकारी एवं गंगोत्री धाम में किये जा रहे बाढ़ सुरक्षा कार्य के प्रगति के सम्बन्ध में दैनिक सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

जनपद अन्तर्गत संचालित/निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0/एस0जे0वी0एन0एल0 द्वारा तत्काल मानक परिचलन विधि तैयार कर उक्तानुसार आपदा की स्थिति हेतु मॉक अभ्यास आयोजित करते हुये आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के साथ आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियंता/सहायह अभियंता, सिचांई, उत्तरकाशी/ उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी/ उप महा प्रबन्धक, यू0जे0वी0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/चिन्यालीसौ/एस0जे0वी0एन0एल0 मोरी)

6. जनपद के के विभिन्न राष्ट्रीय राजामार्ग/अन्य मार्गो में जहॉ सड़क चौड़ीकरण का कार्य गतिमान है/दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र/भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र अथवा ऊपर से पत्थर गिरने वाले सम्भावित स्थानों पर सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/संस्था पर्याप्त संख्या में चेतावनी साईन बोर्ड, आवश्यक दूरभाष नम्बर से सम्बन्धित सूचना बोर्ड लगाना व आवश्यक उपचारात्मक/सुरक्षात्मक कार्य एक सप्ताह अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मानूसन अवधि में संवेदनशील स्थानों पर दोनों ओर वाचर्स तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सड़क चौड़ीकरण से सम्बन्धित समस्त कार्यदायी संस्था चिन्हित डम्पिंग जोन में मानको के अनुरूप मलवा निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत अपने क्षेत्र में उक्त की निगरानी करते हुये दिनांक 31.05.2021 तक अनिवार्य रूप आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत रोगियों को उपचार हेतु चिकित्सालय में में पहुंचाये जाने के दृष्टिगत जनपद के मुख्य मार्गो के साथ अन्य आन्तिरिक/ग्रामीण मार्गो को सुचारू रखते हुये मार्ग बन्द होने की स्थिति में तत्काल मार्ग को सुचारू करने हेतु योजना तैयार कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0/राष्ट्रीय राजमार्ग/ कमाण्डर सीमा सड़क संगठन/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी)

7. मानसूनकाल में नगर क्षेत्रान्तर्गत बरसाती नाले बन्द होने के कारण जगह–जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उक्त के दृष्टिगत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत जल संस्थान के सहयोग से मानसूकाल से पूर्व बरसाती नालों की सफाई करवाते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विभिन्न मोटर मार्गों के कलवटों व नालियों की सफाई व जल भराव के दृष्टिगत नालियों की सफाई– समस्त लो0नि0वि0 खण्डों/सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिये गये कि अपने तत्काल क्षेत्रान्तर्गत कलवटों/नालियों की सफाई करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियंता, जल संस्थान/ समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/समस्त सड़क सम्बन्धी विभाग)

क्रमशः.............3

Scanned with OKEN Scanner

मशीनरी की आवश्यक मरम्मत/भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों पर मशीनरी/मजदूरों आदि की तैनाती– मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गों के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में संसाधनों यथा अधिकारियो/कर्मचारियों तथा मशीनरी/ऑपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाते है। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते है।

समस्त सड़क सम्बन्धी विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि एक सप्ताह अन्दर मशीनरी जेसीबी/डोजर आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये कार्यशील उन्हें मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर तैनात करते हुये उक्त की सूचना जनपद आपदा प्रबन्धन कार्यालय को विभागीय कार्ययोजना के साथ आवश्यक रूप उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0, बडकोट, लो0नि0 वि0 खण्ड,उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/ समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

संचार सुविधा– समस्त दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेंसी को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने समस्त संचार टॉवर/फाइवर लाईन आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये नियमित रूप से संचार सुविधा उपलब्ध करायेंगे। मानसून अवधि में विघुत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवर के संचालन हेतु विघुत बैकअप की व्यवस्था हेतु ईंधन का भण्डारण एवं अन्य उपकरणों आदि की प्रायाप्त उपलब्धता व रख–रखाव करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त अपने समस्त संचार टॉवर के अनुसार तैनात कार्मिकों के दूरभाष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त संचार प्रदाता ऐजेन्सी/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।)

जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र की तर्ज पर तहसील स्तर पर भी तहसील कन्ट्रोल रूम को 24x7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/तसहीलदार, जनपद उत्तरकाशी)

आपदा की स्थिति हेतु विभिन्न विद्यालय भवन/सामुदायिक भवनों को राहत शिविरों के रूप में चिन्हित किया गया है। उक्त चिन्हित राहत शिविरों में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रभावित को भोजन/आदि व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त हेतु नजदीकी दुकानों एवं अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों को चिन्हित करते हुये अग्रिम रूप से विभिन्न सामग्री/भोजन आदि की व्यवस्था हेतु दरों का निर्धारण/उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत आपदा की स्थिति में राहत शिविरों में कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु अनुकूल व्यवहार हेतु कार्यवाही की योजना तैयार कर ली जाय।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी)

जनपद में दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं को सुदृढ किये जाने के दृष्टिगत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/एस0डी0आर0एफ0 द्वारा उपलब्ध कराये गये सैटेलाईट फोन के सम्बन्ध में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी आवश्यकता के अनुरूप उक्त फोन के वार्षिक रिर्चाज के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त अन्य रेखीय विभागों को सैटेलाईट फोन की आवश्यकता के क्रम में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को मांग प्रस्तुत करें। सम्बन्धित विभागों को मांग के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त फोन के रख–रखाव एवं वार्षिक रिचार्ज पर व्यय होने वाली धनराशि सम्बन्धित विभाग द्वारा स्वयं वहन किया जायेंगा।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त रेखीय विभाग, जनपद उत्तरकाशी)

यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त पुल एवं मार्ग का निर्माण कार्य गतिमान है। उक्त के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य का स्वयं स्थलीय निरीक्षण/निगरानी कर यात्रा के दृष्टिगत शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधीक्षण अभियन्ता, छटवॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/अधि0अभि0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट)

विभागीय प्रबन्धन कार्ययोजनाः–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–2005 के प्राविधानों के अनुसार जनपद के समस्त विभाग दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित सूचनायें अपनी विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में समाहित करते हुये 30.05.2021 तक अनिवार्य रूप से जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को को साफ्ट एवं हार्ड कापी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय नोडल अधिकारी, आपदा प्रबन्धन, जनपद उत्तरकाशी)

क्रमशः..........4

Scanned with OKEN Scanner

13. जनपद में गठित INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) अन्तर्गत नामित अधिकारियों को अपडेट किये जाने एवं उक्तानुसार मानसून तैयारी के दृष्टिगत मॉक अभ्यास किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

सभी सम्बन्धित विभाग उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या–2215 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2020 दिनांक–24 मई, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत तैयारी सम्बन्धी समीक्षा बैठक।

:: उपस्थिति ::

दिनांक– 21.05.2021

स्थान– वीडियाकॉन्फ्रसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

क्र.सं.	अधिकारी नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Mayur Dixit	Revenue	9412072500	[signature]
2	M.K. Mishra, S.P.	Police	9411112733	[signature]
3				
4	डी० डी० ए० ओ० गोरांग	स्वास्थ्य विभाग	9412078777	[signature]
5	G.S. Bhandari CAO	Agriculture	9412922856	[signature]
6	B.S. Dogra (E.Exn	Jal Sansthan	9411103541	[signature]
7	मेजर अवनीश शर्मा	OC, 72 RCC (BRO)	9082489623	[signature]
8	Pramod Nautiyal	Zonal Mngr Fast Flow Cmo chi	9456334329	[signature]
9	ANIRUDH BHANDARI	S.E. (PWD)	9412052988	[signature]
10	Shashi Prakash Jaiswal	A.E (Irrigation)	7503445202	[signature]
11	Col. Deepak Patil	NHIDCL	9910992419	[signature]
12	Ajay Kumar	NHIDCL	7078231196	[signature]
13	Dhirendra Singh	NHIDCL	9997799508	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

	अधिकारी नाम/पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
14	Chakrapani Misra	Transport Dept (ARTO)	9068001213	
15	Manoj Rawat	Supply Dept (DSO)	9045486632	
16	Manoj Gusain	EE UPCL	9412077671	
17	Dr. Avinash Katariya	V.O AHD-UKi	8958998089	
18	A.S. Ng	SDM (B)	9410191049	
19	S.K. Kurip	N.P.P. Barahat, UKi	9720928764	
20	Kusum Rana	S.I. (N.P.P. Barahat)	9760218456	
21	Suresh Kumar	ADIO	8449805031	
21	Anand Joshi	SDM (D/C)	7579073428	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Scanned with OKEN Scanner

कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय बैठक।

:: उपस्थिति ::

दिनांक- 14.05.2021

स्थान- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, कार्यालय, उत्तरकाशी।

क्र.सं.	अधिकारी / प्रतिनिधि नाम / पदनाम	विभाग / संस्था का नाम	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Mayur Dixit	DM	[illegible]	[signature]
2	Tirath Pal Singh	ADM		[signature]
3	डा० डी० पी० जोशी	C.M.O		[signature]
4	D.S. Patwal	DMO	9456147979	[signature]
5	द्वारिका प्रसाद सेमवाल	जाड़ी संस्थान उत्तरकाशी [illegible]	9411748872	[signature]
6	सुनयना भट्ट	प्लान इंडिया जोशियाड़ा उत्तरकाशी	9927879480	[signature]
7	KAPIL UPADHYAY	DPM ILSP	9410072099	[signature]
8	MANGAL SINGH PANWAR	भारत स्काउट/गाइड जिला संस्था उत्तरकाशी [illegible]	9411146693	[signature]
9	शैलेन्द्र कुमार नौटियाल	सचिव भा० रेडक्रास समिति उत्तरकाशी	9412947284	[signature]
10	अजय पुरी	चेयरमैन अं. रै. सि., उत्तरकाशी	9412077718	[signature]
11	Deshraj Shah	Helpage India LT	7310997748	[signature]
12				
13				

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

डोर टु डोर सर्वे हेतु ब्रिफिंग में उपस्थिति

उपस्थिति विवरण–

दिनांक – 26.04.2021

स्थान – जिला सभागार

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	दूरभाष न0	हस्ताक्षर
1	पी. सी. डंडरियाल	सी डी ओ ग्राम्य विकास	8218924757	[signature]
2	Tiran [illegible]			[signature]
3	D.S. Patwal	DMO	9456147974	[signature]
4	श्रीमती - वन्दना नौटियाल	बाल विकास विभाग	7818007216	[signature]
5	सीमा बिष्ट [illegible]	बाल विकास A [illegible]	945634[illegible]	[signature]
6-	सुषमा राणा	आ0 का0 बाल विकास विभाग	9520224021	Susma
7	सुशीला रावत	बाल विकास परियोजना	9634940521	S Rawat
8-	विजयलक्ष्मी चौहान	बाल विकास विभाग परियोजना	7906386594	Vchauhan
9	पिंगला कोटियाल	बाल विकास	9557188225	Pingla
10	[illegible] सिंह	पुलिस विभाग	9411723039	[signature]
11-	श्याम लाल	पुलिस विभाग	9536514524	[signature]
12	जसवन्त सिंह	"	9411353983	[signature]
13	सीमा अग्रवाल	स्वास्थ्य विभाग DARL Cr	9997043680	[signature]
14	यशोदा बिष्ट	बा0 वि0 परि0 अधिकारी	9627594371	[signature]
15	दीपा रावत	आ0 बालवि0 विभाग	9410944495	[signature]
16	अनीता चौहान	बा0 वि0 आंगनबाड़ी	9410966801	Anita
17	रेखा	A.W.W बा0 विकास [illegible]	8979963691	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

डोर टु डोर सर्वे हेतु ब्रिफिंग में उपस्थिति

उपस्थिति विवरण–

दिनांक – 26.04.2021

स्थान – जिला सभागार

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	विभाग का नाम	दूरभाष न0	हस्ताक्षर
18	Dr B K Biswas	ACMO	7248336889	[signature]
19	Dr DP Joshi	CMO		[signature]
20				
21				
22				
23				
24				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19 अप्रैल, 2021 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड़–19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति–

1.	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2.	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3.	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4.	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5.	वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6.	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7.	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकशी।
8.	प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
9.	पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
10.	जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
11.	जिला होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
12.	अपर जिला चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
13.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
14.	जिला क्षयरोग अधिकारी, उत्तरकाशी।
15.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
16.	खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी।
17.	खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा।
18.	लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी।
19.	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
20.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
21.	अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
22.	जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, उत्तरकाशी।
23.	थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली, उत्तरकाशी।
24.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी ।
25.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़ ।
26.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना, उत्तरकाशी।
27.	जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
28.	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
29.	सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
30.	मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
31.	प्रतिनिधि, कमाण्डेण्ट होमगार्ड, उत्तरकाशी।
32.	श्री दीपक कठैत, जी0आई0एस0 टैक्नीशियन, उत्तरकाशी।
33.	प्रतिनिधि, जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
34	प्रभारी एन0एस0एस0, उत्तरकाशी।
35	प्रतिनिधि मुख्य पुश चिकित्साधिकारी, कार्यालय, उत्तरकाशी।

इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय से बाहर के अधिकारियों यथा उप जिलधिकारी, बडकोट/पुरोला, पुलिस क्षेत्राधिकरी, बडकोट, चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र/समु0स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा वर्चुअल माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया।

क्रमशः.............2

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान समय में कोरोना वायरस के संक्रमण का पुनः प्रसार होने के कारण दिनांक ..04.2021 को कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक आहूत की गयी। बैठक में टेस्टिंग/वाहन व्यवस्था/डी0सी0सी0सी0/कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग/वाररूम/होम क्वारंटीन/पोर्टल अपडेशन/सर्विलांस/टीकाकरण एवं आवश्यक आपूर्ति से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिये नोडल अधिकारियों की तैनाती कर सम्बन्धित अधिकारियों को जन–सुरक्षा के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करते हुये बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये।

1. कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, इन्सिडेण्ट कमाण्डर रहेंगे एवं कन्टेनमेंट जोन बनाये जाने एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 अधिनियम के प्राविधानों एवं कोविड़ नियंत्रण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार/उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला स्तर द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही–समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।)

2. अवगत कराया गया है कि जनपद में वर्तमान समय में 100 ट्रू–नॉट टेस्टिंग किये जाने की क्षमता है, जिसका पूर्ण रूप उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि ट्रू–नॉट टेस्टिंग की 100 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया जाय। इसके अतिरिक्त जनपद के बॉडर एरिया पर कोरोना टेस्टिंग किये जाने हेतु ट्रूनॉट मशीन की व्यवस्था की जाय। लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ने के दृष्टिगत जनपद में 500 होम असाईलेशन किट तैयार कर आपातकालीन स्थित हेतु उपयोग के लिए रखे जाय एवं कोरोना लक्षण से सम्भावित व्यक्ति को होम आइसोलेशन किट (ऑक्सीमीटर को छोड़कर) तत्काल उपलब्ध करायी जाय एवं उक्त व्यक्तियों का कोरोना जॉच भी सुनिश्चित की जाय।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी)

3. कोविड संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य समबन्धी निगरानी हेतु सभी कोविड़ केयर सेन्टर (DCCC) में सी0सी0टी0वी0 कैमरे कार्यशील होने एवं उनके रिकॉडिंग का बैकअप स्टोर का सत्यापन कर लिया जाय। प्रत्येक कोविड केयर सेन्टर में चैक लिस्ट के अनुसार पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेण्डर, पी0पी0ई0 किट, एम्बुलेंस, व अन्य कोविड से सम्बन्धित जीवन रक्षक दवाईयॉ उपलब्ध हो एवं कोविड केयर सेन्टर में डॉक्टर की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जाय। साथ ही सभी कोविड केयर सेन्टरके कमरों में कन्ट्रोल रूम, वाररूम, सम्बन्धित डॉक्टरों के मोबाईल एवं लैण्डलाईन नम्बर चस्पा किया जाय। जिससे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में DCCC में रह रहे कोविड संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सके।

इसके अतिरिक्त सभी DCCC में तत्काल अग्निशन यंत्रो का फायर सेफ्टी ऑडिक कराते हुये इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराया जाय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड केयर सेन्टर के सम्बन्ध में निर्धारित सभी गाईडलाईन एवं एस0ओ0पी0 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी/सम्बन्धित अग्निशमन अधिकारी/ नोडल अधिकारी वाररूम/नोडल अधिकारी कोविड केयर सेन्टर)

क्रमशः..............3

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रत्येक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आये 30 लोगों का कान्टेक्ट ट्रेस कर उनकी कोरोना जांच/सैम्पलिंग करवाना सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त हरिद्वार कुंभ ड्यूटी से जनपद में लौटने वाले समस्त अधिकारी/कर्मचारी जनपद आगमन पर तत्काल कोविड–19 टेस्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन/आईसोलेशन में ही रहेंगे। जनपद में कोरोना पॉजिटिव आये व्यक्तियों के सम्पर्क में आये लोगों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर सूचीबद्ध संदिग्ध लोगों के सैम्पलिंग किये जाने हेतु एक दिन पूर्व ही दल का गठन व प्लान तैयार कर लिया जाय।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वाररूम प्रभारी /नोडल अधिकारी सैम्पलिंग/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/जिला कमाण्डेट होमगार्ड/युवा कल्याण एवं प्रान्तीर रक्षक दल अधिकारी।)

5. जिला चिकित्सालय में बनाये गये वाररूम में प्रत्येक दशा में 24x7 की तर्ज पर कम से कम 01 डॉक्टर की तैनाती की जानी सुनिश्चित की जाय एवं वाररूम में स्थापित सभी दूरभाष नम्बर का व्यापक स्तर प्रचार किया जाय। दैनिक अख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ वाररूम प्रभारी)

6. जनपद में स्थिति सभी सरकारी बैक/अर्द्धसरकारी बैक/निजी बैक/सोसाईटी में शासन द्वारा जारी कोविड गाईडलाईन व एस0ओ0पी0 का शतप्रतिशत अनुपालन किये जाने के निर्देश निर्गत हैं। उक्त सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये है किसी बैंक द्वारा कोविड–19 रोकथाम सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं महामारी एक्ट की धाराओं में आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाये। इसके अतिरिक्त बैंक में कोरोना पॉजिटिव कर्मी पाये जाने पर कोविड नियंत्रण मानक परिचालन विधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

जनपद अन्तर्गत संचालित विद्यालय में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो विद्यालय को अगले दो दिनों के लिए बंद कर सेनेटाईज कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/लीड बैंक प्रबन्धक/मुख्य शिक्षा अधिकारी/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत)

7. सभी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिये गये है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत बाजारों में स्थित दुकानो/प्रतिष्ठानों में बिना मास्क के कार्य कर रहे दुकानदारों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं महामारी एक्ट की धाराओं में आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित दुकान को अगले दो दिन तक बंद कर करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/सम्बन्धित थानाध्यक्ष)

8. कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित गाईडलाईन व एस0ओ0पी0 के प्राविधानों के अनुसार शव के दाह संस्कार की कार्यवाही सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, एस0डी0आर0एफ0/पुलिस द्वारा वन निगम से लकड़ी हेतु समन्वय कर सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी/सम्बन्धित निरीक्षक एस0डी0आर0एफ0/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकशी/लैगिंग प्रबन्धक, उत्तरकाशी/बडकोट)

9. किसी विभाग/कार्यालय को कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु धनराशि की मांग हेतु प्रस्ताव तैयार कर उप जिलाधिकारी के माध्यम अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को प्रस्तुत करेंगे। अपर जिलाधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण कर मानको के अनुरूप नियमानुसार धनराशि आवंटन हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त कार्यालयध्यक्ष)

क्रमशः.............4

Scanned with OKEN Scanner

10. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत बनाये गये कन्टेनमेंट जोन व सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सेनेटाईज की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके अतिरिक्त नगर पालिका व नगर पंचायत द्वारा संचालित कूड़ा एकत्रित करने वाले वाहनों साथ ही पुलिस के वाहनों में कोविड–19 बचाव एवं टीकाकरण सम्बन्धी जानकारी का प्रचार–प्रसार किया जाय।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत /समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत)

11. वर्तमान में कोरोना वायरस के पुनः प्रचार होने के कारण कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में संचालित/प्रस्तावित सभी विभागीय ट्रेनिंग/कार्याशाला अग्रिम आदेशों तक अग्रसारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक/समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त कार्यालयध्यक्ष, उत्तरकाशी)

12. जनपद में बाहर से आने वाले आई0टी0बी0पी0 के जवानों के आईसोलेशन हेतु डुण्डा बौन इंजीनियरिंग कालेज के भवन को अधीग्रहण कर आई0टी0बी0पी0 को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त केन्द्र में अन्य आवश्यक व्यवस्थायें आई0टी0बी0पी0 द्वारा स्वयं की जायेगी।

(कार्यवाही–कमाण्डे, आई0टी0बी0पी0/मातली/महिडण्डा, मुख्य विकास अधिकारी/ आपदा प्रबन्धन अधिकारी/उपजिलाधिकारी, डुण्डा)

13. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जनपद में 45 वर्ष से अधिक आयु वाले एवं पूर्व सैनिकों का डाटा एकत्रित कर वाररूम को उपलब्ध कराते हुये उनका कोविड टीकाकरण करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एवं एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के प्रभारी कोविड–19 के नियंत्रण के सम्बन्धी प्रचार तथा टीकारण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी/ समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एवं एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के प्रभारी)

14. कोविड–19 के दृष्टिगत जिला आयुर्वेदिक एवं युनानी कार्यालय, उत्तरकाशी में तैनात कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार तैनाती जिला होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी के माध्यम से की जायेगी।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला होम्योपैथिक अधिकारी/जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, उत्तरकाशी)

15. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी की मांग के अनुसार ऑक्सीजन सिलेण्डरों की निरन्तर आपूर्ति बनाये रखने एवं कोविड–19 सम्बन्धित आवश्यक उपकरण/दवाईयों एवं अन्य कोविड–19 सम्बन्धी कार्यों हेतु आवश्यक्तानुसार वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी)

16. कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु कन्टेनमेंट जोन/सम्बन्धी प्रथम सम्पर्क व्यक्तियें की जी0आई0एस0 सेल द्वारा मैपिंग किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त के सम्बन्ध में जी0आई0एस0 सेल वॉररूम/कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम के समन्वय करते हुये जी0एस0आई0 मैपिंग की जायेगी।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।)

17. कोविड कार्यों हेतु अधिकारी/कार्मिकों एवं सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती हेतु मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इस सम्बन्धि में सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को कार्मिकों की मांग प्रस्तुत की जायेगी।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।)

क्रमशः.............5

Scanned with OKEN Scanner

8. जिला पूर्ति अधिकारी सभी राशन डीलरों से समन्वय कर राशन लेने वाले सभी व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुये उनमें यदि कोविड–19 के लक्षण दिखते हैं तो इसकी सूचना पूर्ति अधिकारी के माध्यम से वाररूम को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(कार्यवाही–जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/नोडल अधिकारी वाररूम)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 2083 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक–Covid/2021 दिनांक–21 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, की बैठक।

स्थान– जिला सभागार

दिनांक–19.04.2020

सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	Mayur Dixit	DM.	
2.	P.C. Dandriyal	CDO	8218924757
3.	Hiralal Bijalwan	DYSP UKI	9411112779
4.	Dr. B.S. Rawat	W.R.P.L.	9412394912
5	Sarvesh mani Mishra	ADIO NIC	9873976231
6	Denesh Chand Ranjan	BDO Bhatwari	9897247878
7.	Dr. Pameeta Uniyal	DHMO	9412914081
	Dr. R.S. Baluni	S. M.O CAMP	9456856646
	Dr. Sujata Singh	D.T.O.	9411723371
10	Dr BK BISWAS	ACMO	7248336889
11	Abhineet Tiwari	District Epidemiologist	9758136902
12	Kuldeep Singh Bisht	M & E officer	8864817465
13.	G.M. Badani	AERA - Collectorate	7579179255
14.	Dr. S.D. Sakalani	PS	7830700501
15	Dr. D.P. Joshi	C.M.O	9837020873
16	Devendra Negi	SDM	9410191049
17.	Dr. Avinash Katariya.	V.O - AHD Uki	8958998089
18	B.S. Tomar	L.D.M.	9456594907
19	Arti Bhatt.	DSO	7455894022
20	Sanjay Kumar.	AMA Zila Panchayat	9639934216
21	Yashoda Bisht	C.D.P.O	9627594371
22	Jagveer Singh Negi	PRI DPRO	7579058047

क्र०सं०	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
23	Pooja Nautiyal	Lipik H.G. Depart	(signature) 992728805
24	Manoj singh Negi	Fire service	(signature)
25	Mahabir singh Rana	Asst offr - zila sainik kalyan	(signature)
26.	Praveen Kumar	R.I.TECH / ART. O UKI	(signature) 9897624553
27	Kailash Chand Ramola	A.B.D.O Dunda	(signature)
28	Vijay Singh.	District Youth officer Nehru Yuva Kendra	(signature)
29	Vinod Thapliyal	SHO Kotwali UKI	(signature)
30	Dr. Bijendra Singh Azad	Education / Lecturer NSS P.C	(signature)
31.	S. K. Kuril	E.O. N.P.P. Barahat Uki	(signature)
32	Deepak Kathait	G.I.S Technician Uttarkashi	(signature)
33-	Sanjay Singh	PD DRDA Uttarkashi	(signature)
34	H.S. Rautela	E.O NPP. Chinyalisaur	(signature)
35	Prabhakar Semwal	ANO NCC G.I.C. GUIC Uttarkashi	(signature)
36	Magneshwar Nautiyal.	NSS Parbhari GIC UKI	(signature)
37.	DRISHTI ANAND	BDO, Chinyali	(signature)
38	Praveen kush	E.E PD PWD Uki	(signature)
39.	Master Bhandari	Master trainer (Search & Rescue) DDMA. Uki (7534802714)	(signature)
40	Jitendra Saxena	DEO (Basic)	(signature)
42	Vipul Kalal Bhandari	D.D.P. (I)	(signature)
43	Hemlata G. Uniyal	BEO Bhatwari	(signature) 19/04/2021
44	Kusum Rana	(S.I.) N.P.P. Barahat	(signature)
	Seema Agrawal	CM DAPC UKi	(signature)

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 के दृष्टिगत 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के टीकाकरण के सम्बन्ध में बैठक।

:: उपस्थिति ::

दिनांक– 17.04.2021

स्थान– एन0आई0सी0 सभागार, उत्तरकाशी।

क्र.सं.	अधिकारी / पदाधिकारी का नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Mayur Dixit	DM.	9412097500	[signature]
2	D. S. Patwal	DMO.	9456147974	[signature]
3	डा० [illegible] जोशी	Health Deptt	9837020375	[signature]
4	Devendra Singh Negi	SDM (B)	9410191049	[signature]
5	अजय पुरी, चेयरमैन	भा० रेडक्रास समिति उत्तरकाशी	9412077718	[signature]
6	शैलेन्द्र कुमार नौटियाल, सचिव	,,	9412947284	[signature]
7	A B K Biswas.	ACMO	9412117285	[signature]
8	M S Rana	Asst officer SK	8476890687	[signature]
9	हीरालाल बिजल्वाण	Dy. SP.	9411112779	[signature]
10	Praveen Kumar	R.I (Tech) / ARTO	9897624953	[signature]
11	Ajay Singh insp	insp POO SPUKI	8755111302	[signature]
12	Vijay Singh. District Youth officer	Nehru Yuva Kendra	8057431399	[signature]
13	[illegible]	G.M.V.N.	9568006693.	[signature]
14-	[illegible]	[illegible] 812915	8476030593	[signature]

SHAILENDRA MATURA
President Hotel Asso.
9557420698

रमेश चौहान अध्यक्ष व्यापार मण्डल
उत्तरकाशी
7500467364

सुरेश कुमार अपर जिला सूचना अधिकारी
8449505031

Manoj Rawat Safety + Tracking 9897100781

एस०के० आर्य DPRO 7895064183

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 15 मार्च, 2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 की तैयारियों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश :-

आज दिनांक 15 मार्च, 2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 की तैयारियों की समीक्षा की गई है।

(01) **चारधाम यात्रा मार्ग :-** चारधाम यात्रा मार्गो के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व चारधाम यात्रा मार्ग का चौडीकरण, डामरीकरण, सुधारीकरण, क्रेश बैरियर, साइनेज, सड़क पर पड़े मलवा हटाने सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता से दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त बी0आर0ओ0, लो0नि0वि0, एन0एच0 एवं एन0एच0आई0डी0 सी0एल0 को निर्देशित किया जाता है कि चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रा मार्ग पर यथा सम्भव ब्लैक टॉप पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा की स्थिति में ऐसे स्थानों पर नियमित छिड़काव, ट्रैफिक मार्शल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही ऑलवेदर रोड की कटिंग से भूस्खलन वाले स्थानो एवं अन्य संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए ऐसे स्थानों पर आवश्यकतानुसार 24X7 की तर्ज पर जे0सी0बी0 एवं अन्य उपकरण तैनात कर सूचना यथाशीध्र आपदा प्रबन्धन केन्द्र को उपलव्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाडी से हेलगू गाड एवं हर्षिल से लंका के मध्य यात्रा मार्ग की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है। इस सम्बन्ध में बी0आर0ओ0 को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मार्ग को यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- बी.आर.ओ./एन.एच./लो.नि.वि./एन0एच0आई0डी0सी0एल0/आपदा प्रबन्धन।

(02) **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :-** गत तीन वर्षो में यात्राकाल के दौरान श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम में हृदय घात सम्बन्धी 50 आकस्मिक मृत्यु हुई है। उक्त के दृष्टिगत मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु प्रभावी कार्य योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे।

साथ ही सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बड़कोट एवं हर्षिल में आई0सी0यू0 कक्ष को सक्रिय तथा उक्त केन्द्रों में आवश्यक मानव संसाधनों की तैनाती की जाय। जानकीचट्टी व गंगोत्री में कार्डियैक एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, आवश्यक उपकरण, वाहन चालक, तकनिशियन, फार्मसिस्ट की तैनाती करते हुए यमुनोत्री धाम व पैदल मार्ग में भी उपरोक्तानुसार आपातकालीन केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।

(03) **सफाई एवं स्वच्छता/शौचालय, बायोमैट्रिक पंजीकरण :-**

(क) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री को निर्देश दिये जाते है कि श्री यमुनोत्री धाम एवं श्री गंगोत्री धाम में साफ-सफाई

.....2

Scanned with OKEN Scanner

की उचित व्यवस्था हेतु सफाई कार्मिकों की तैनाती करते हुए सफाई व्यवस्था करना करें। उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये ज यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की लीद, नदी नालों से साड़ी, को की साफ-सफाई हेतु वृहद सफाई अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे।

(ख) समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित कि है कि शहर में निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अपने-अपने निकाय अन्तर्गत यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पार्किंग की समुचित व्यवस्था क

(ग) जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा मार्गों पर अवस्थित शौचालयों, का सर्वे कर उक्त शौचालयों को सुचारू सुनिश्चित करेंगे। साथ ही हीना एवं दोबाटा स्थित बायोमैट्रिक पंजीकरण केन्द्रों ए कार्यालय स्थित एकल खिड़की को सुचारू करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चि

कार्यवाही-जिला पंचायत/समस्त नगर पालिका/नगर पंयायत/पर्यटन विभाग

(05) घोड़े-खच्चरों, डण्डी-कण्डी एवं यमुनोत्री हैलीपैड व्यवस्था :- अपर जि उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी बडकोट, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी एवं अ अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते है कि यमुनोत्री धाम के पर घोड़े-खच्चरों एवं डण्डी कण्डियों की स्थलीय आवश्यकतानुसार अधिक्तम संख्या कर उनकी दरें निर्धारित करना, यात्रा मार्ग पर घोड़े-खच्चरों की आवाजाही पर निगरानी चौकियां को स्थापित करना, घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण, मार्गों में रू रूकने हेतु घोड़ा-खच्चर पड़ाव की व्यवस्था, पशुओं हेतु गर्म पानी, चरियों की व्यव चिकित्सको की तैनाती, मार्गों में घोड़े-खच्चरों के मलमूत्र/लीद एवं अन्य अनुप्रयोगी निस्तारण की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित एक्शन प्लान यथाशीघ्र तैयार क अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त उप जिलाधिकारी बड़कोट को निर्देशित किया जाता यमुनोत्री धाम में हैलीकॉप्टर सेवाओं का विस्तार किये जाने हेतु यमुनोत्री में उपयुक्त का तत्काल निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अधोहस्ता अवगत करायेंगे।

कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जि

(06) पेयजल व्यवस्था :- मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार यात्रा प्रारम्भ होने अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी एवं पुरोला दिनांक 01 अप्रैल, 2021 पानी के टंकियों/टैकों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करेंगे। साथ ही खराब को तत्काल ठीक करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही :- अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्त

Scanned with OKEN Scanner

(07) चारधाम यात्रा मार्गो पर अवस्थित भोजनालय/ढ़ाबों के सम्बन्ध में :- जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी एवं क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि जनपद अन्तर्गत यात्रा मार्गो के विभिन्न पड़ावों पर स्थित भोजनालय/ढ़ाबों में भोजन एवं अन्य खाद्यान सामग्री से सम्बन्धित रेट लिस्ट चस्पा करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा काल के दौरान श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री धाम में एक-एक खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/पर्यटन अधिकारी/जिला पूर्तिअधिकारी उ0का0।

(08) आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि चारधाम यात्रा/मानसून काल में आपदा के दृष्टिगत एन0डी0आर0एफ0 एवं आई0टी0बी0पी0 के दलो की विशेष रूप से यमुना वैली में तैनाती करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त ओजरी डाबरकोट भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र एवं भण्डेली गाड भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का राजस्व, पुलिस, आपदा प्रबन्धन एवं एस0डी0आर0एफ0 की संयुक्त टीम द्वारा ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण करवाते हुए सर्वे रिपोर्ट यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी बडकोट/आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी।

(09) गत वर्षो में चारधाम यात्रा के दौरान धौन्तरी-लम्बगांव मोटर मार्ग एवं स्यांसू पुल-चिन्यालीसौड़ मोटर मार्ग से अत्याधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों का आवागमन हुआ है। उक्त के दृष्टिगत व्यापक जनहित में यात्राकाल के दौरान स्थान नगुण बैरियर, धौन्तरी एवं स्यांसू पुल में एक-एक अस्थाई पुलिस चौकी स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त चौकियों में जवानों की तैनाती के साथ-साथ आवश्यक उपकरण यथा वायरलेस सेट, दूर संचार आदि व्यवस्थायें स्थापित की जायेगी।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी।

अतः सम्बन्धित अधिकारीगण उपरोक्त दिये गये निर्देशों का प्राथमिकता से अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3866 /34-03(2020-21) दिनांक 16 मार्च, 2021

प्रतिलिपि :- सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी
उत्तरकाशी

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 10 मार्च, 2021 को जिला कार्यालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 की तैयारियों के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :- संलग्न।

:: कार्यवृत्त ::

चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 के सफल संचालन हेतु विचार विमर्श कर जिला स्तरीय अधिकारियों को निम्न प्रकार निर्देश निर्गत किये गये:-

(01) यात्रा कन्ट्रोल रूम :- चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 के सफल संचालन हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र उत्तरकाशी एवं जानकीचट्टी स्थित पुलिस चौकी में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुए यात्रा कन्ट्रोल रूम में एक-एक शिकायत पंजिका बनाई जाय, जिसमें यात्रा सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से करना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही कन्ट्रोल रूम में यात्रियों हेतु टोल-फ्री नम्बर भी स्थापित करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- आपदा प्रबन्धन अधिकारी/उप जिलाधिकारी बड़कोट।

(02) यात्रियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण :- जिला पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी एवं उप जिलाधिकारी भटवाड़ी/बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि यात्रियों के शतप्रतिशत बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाये जाने हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन करते हुये यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी भटवाड़ी/बड़कोट।

(03) यात्रा मार्गो का सर्वे :- चारधाम यात्रा मार्गो के संवेदनशील स्थानो व सुविधाओं के संबंध में प्रत्येक 02-02 किलोमीटर का संयुक्त सर्वे करने हेतु उप जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। जिसमें सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी, पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी/बड़कोट, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, भटवाड़ी/उत्तरकाशी/चिन्यालीसौड़/बड़कोट तथा अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट को सदस्य नामित किया गया है। उक्त समिति द्वारा आतिथि तक सर्वे रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत नही की गई है। इस सम्बन्ध में उक्त गठित समिति को निर्देश दिये जाते है कि उक्त सर्वे रिपोर्ट तत्काल सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभाग को उपलब्ध करवाते हुये एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभाग यथा-बी.आर.ओ., एन.एच., लो.नि.वि. को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा कार्य जैसे-क्रैश बैरियर, मलवा डालना, ड्रम लगाना, पैराफिटस, प्रोटेक्शन साईनेज आदि कार्य प्राथमिकता से दिनांक 01 अप्रैल, 2021 तक पूर्ण करवाते हुए अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/पुलिस/परिवहन/बी.आर.ओ./एन.एच./लो.नि.वि./एन0एच0आई0डी0सी0एल0।

.....2

Scanned with OKEN Scanner

(04) यात्रा मार्गो का डामरीकरण :- समस्त निर्माण इकाई/कार्यदायी संस्था को जाते है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जहां-जहां चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका मार्ग पर यथाशीघ्र डामरीकरण का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। समस्त उप जि अपने-अपने सब-डिविजन अन्तर्गत उक्त कार्य का स्वयं अनुश्रवण करना सुनिश्चित क

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/बी.आर.ओ./एन.एच./लो.नि.वि./एन0एच0आ

(05) यमुनोत्री पैदल मार्ग :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 ब निर्देशित किया जाता है कि यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग का मरम्मत कार्य प्राथ दिनांक 01 अप्रैल, 2021 तक पूर्ण करवाते हुये उक्त मार्ग को आवागमन के लि करना सुनिश्चित करेंगे। उप जिलाधिकारी बडकोट उक्त पैदल मार्ग का स्वयं अनुश्र हुए प्राथमिकता से उक्त कार्य को पूर्ण करवाकर अनुपालन आख्या से अधोहस्त अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट/वन प्रभाग बड़कोट/लो0नि0वि0 बड़कोट/

(06) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :- श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम में सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी क किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में यथाशीघ्र प्लान तैयार कर आवश्यक तैया हुये अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी/आपदा प्रबन्ध

(07) सफाई एवं स्वच्छता/शौचालय :-

(01) अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक पैदल मार्ग की प्रथम चरण में दिनांक 15 अप्रै तक साफ-सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सफाई व्यवस्था हेतु कार्मिकों क करते हुए पैदल मार्ग, घोड़े-खच्चरों की लीद, नदी नालों से साड़ी, कपड़े, साफ़-सफाई हेतु वृहद सफाई अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे।

(02) परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण अधिकारी उत्तरकाशी, जिला पंच अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी को निर्देश दिये जा चारधाम यात्रा मार्गो पर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु यथाश तैयार कर साफ-सफाई हेतु वृहद सफाई अभियान चलाते हुये कृत कार्यवाही से अ को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(03) समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को निर्देशित कि है कि शहर में निरन्तर साफ-सफाई की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अपने-अपने निकाय अन्तर्गत यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पार्किंग की समुचित व्यवस्था

(04) जिला पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा मार्गो पर अवस्थित शौचालयों का सर्वे कर उक्त शौचालयों को सुचारू वांछित सूची यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

(05) समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त कार्यो का स्वयं समय-समय पर अनुश्रवण करते हुए गंदगी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड एवं आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही-समस्त उप जिलाधिकारी/परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण अधिकारी उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

(08) **घोड़े-खच्चरों एवं डण्डी-कण्डी व्यवस्था :-** यमुनोत्री धाम में घोड़े-खच्चर एवं डण्डी-कण्डी की व्यवस्था हेतु पूर्व बैठक में उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी, अधिशासी अभियन्ता नि0ख0लो0नि0वि0 बडकोट व पुलिस क्षेत्राधिकारी, बडकोट सदस्य है।

उक्त समिति को पुनः निर्देश दिये जाते है कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा- घोड़े खच्चरों एवं डण्डी-कण्डी की दरें, यात्रा मार्ग पर पशुरोध नियंत्रण, निगरानी चौकियां को स्थापित करना, घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, मार्गो में खच्चरों के रूकने हेतु घोड़ा-खच्चर पडाव की व्यवस्था, गर्म पानी, चरियों की व्यवस्था, पशु चिकित्सको की तैनाती, मार्गो में घोड़े-खच्चरों के मलमूत्र/लीद एवं अन्य अनुप्रयोगी सामग्री के निस्तारण की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित एक्शन प्लान यथाशीघ्र तैयार करते हुए उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी/लो0नि0वि0, बड़कोट/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला पंचायत।

(09) **ईधन, कुकिंग गैस, मिटटी का तेल, खाद्यान्न भण्डारण :-** जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 के सफल संचालन हेतु ईधन, कुकिंग गैस, मिटटी का तेल, खाद्यान्न भण्डारण आदि की समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

(10) **विद्युत आपूर्ति :-** अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी एवं परियोजना अधिकारी उरेडा, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित समस्त कार्य पूर्ण करते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- विद्युत विभाग/उरेडा विभाग।

(11) **पेयजल व्यवस्था :-** अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी एवं पुरोला द्वारा बावजूद निर्देशों के चारधाम यात्रा व्यवस्था-2021 से सम्बन्धित कार्ययोजना/प्रस्ताव एवं अब तक किये गये कार्यो की प्रगति आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत नही की गई है। अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान पुरोला बैठक में उपस्थित नही हुए है। उक्त के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान पुरोला के माह मार्च, 2021 का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी एवं पुरोला को निर्देश दिये जाते है कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पानी के टंकियों/टैकों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करते हुये आवश्यकतानुसार दवाईयों का प्रयोग करेंगे। साथ ही खराब हैण्ड

.....4

Scanned with OKEN Scanner

आपदा (5)

पम्पों को तत्काल ठीक करवाते हुए अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही :- कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/पुरोला, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी

(12) चारधाम यात्रा मार्गो पर अवस्थित भोजनालय/ढ़ाबों के सम्बन्ध में :- जिला अधिकारी उत्तरकाशी एवं क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया है कि जनपद अन्तर्गत यात्रा मार्गो के विभिन्न पड़ावों पर स्थित भोजनालय/ढ़ाबों में एवं अन्य खाद्यान सामग्री से सम्बन्धित रेट लिस्ट चस्पा करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा काल के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/पर्यटन अधिकारी/जिला पूर्तिअधिकारी

आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि च यात्रा/मानसून काल में आपदा के दृष्टिगत एन0डी0आर0एफ0 एवं आई0टी0बी0पी0 के दलों विशेष रूप से यमुना वैली में तैनाती करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी

अतः सम्बन्धित अधिकारीगण उपरोक्त दिये गये निर्देशों का प्राथमिकता से अनु करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनि करेंगे।

(हस्ताक्षर)
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3736/34-03(2020-21) दिनांक 10 मार्च, 20

प्रतिलिपि :- सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त महोदय, गढवाल मण्डल पौड़ी की सेवामें सूचनार्थ सम्प्रेषित

आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी

(हस्ताक्षर)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

:: निरीक्षण आंख्या ::

दिनांक 10.02.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद के मोरी तहसील अर्न्तगत मोरी–नैटवाड निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी, मास्टर ट्रेनर खोज एवं बचाव, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी सहित परियोजना प्रबन्धक एवं उप प्रबन्धक सतुलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

उक्त निर्माणाधीन 60 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का कार्य सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा हैं। दिनांक 10.02.2021 को उक्त परियोजना में हो रहे कार्य के दौरान निर्माणदायी ऐजेन्सी के अर्न्तगत कार्यरत मजदूरों व कर्मियों की सुरक्षा के साथ–साथ भविष्य हेतु आपदा की स्थिति में सुरक्षात्मक उपायों एवं आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के बारे में समीक्षा की गयी एवं उपरोक्त निर्माणाधीन परियोजना के बारे में जानकारी भी प्राप्त की गयी।

उपरोक्त निर्माणाधीन परियोजना की समीक्षा के उपरांन्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा सतलुज विद्युत परियोजना के अधिकारियों को सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत निम्न दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे है–

1– उक्त क्षेत्र के स्थानीय नागरिकों द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य के दौरान मलवे का सही ढंग से निस्तारण नही किया जा रहा है, तथा निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना क्षेत्र में निर्मित सड़क के आस–पास मलवा जमा किया गया हैं, जिसका उचित ढंग से निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये जाते है।

2– मानसून अवधि में टोंस नदी के प्रवाह से परियोजना एवं कार्य कर रहे कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिगत नदी के डाईवर्जन वाले स्थान पर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते है।

3– परियोजना में कार्य कर रहे मजदूरों व अन्य कर्मियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपाय सुनिश्चित किये जाये,साथ ही परियोजना क्षेत्र में विभिन्न स्थानों व निचले क्षेत्रों यथा–मोरी, त्यूनी आदि क्षेत्रों में भी सायरन आदि स्थापित किये जाये, जिससे किसी भी आपदा एवं बाढ की स्थिति में जन–धन की क्षति होने से रोका जा सके।

4– सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र में आपदा की स्थिति हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित कर उसकी एक प्रति जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाये तथा उक्त कार्ययोजना के अनुसार कार्य कर रहे समस्त कर्मियों का समय–समय पर मॉक अभ्यास भी कराया जाये।

5– परियोजना के सम्पूर्ण सम्भरण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रेन गेज स्थापित कर, रीयल टाईम डाटा संकलित कर आपातकालीन/बाढ़ की स्थिति में सायरन व अन्य माध्यमों से उसका निचले क्षेत्रों में प्रसार किया जाने की योजना पर कार्यवाही की जाये।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्याः–75/एसपीए /2021 दिनांक 15 फरवरी, 2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2– प्रबन्धक, मोरी–नैटवाड जल विद्युत परियोजना।
3– उप जिलाधिकारी, पुरोला उत्तरकाशी।
4– आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकारी की अध्यक्षता में आहूत वनाग्नि सुरक्षा एवं तद्सम्बन्धित अन्य सुरक्षा बिन्दुओं के सम्बन्ध में आहूत वीडियों कन्फेंसिंग

उपस्थिति

स्थान– एन0आई0सी0 वीडियों कन्फ्रेसिंग कक्ष, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 12.02.2021 समय प्रातः 11:00 बजे

क्र.सं.	नाम	अधिकारी का नाम/पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	M.K. MISHRA.	SP UTTARKASHI	9411112733	[illegible]
2	दीपचन्द आर्य	प्रभागीय वनाधिकारी	9411113414	[illegible]
3	कोमलसिंह	उपनिदेशक [illegible]	7830650418	[illegible]
4	[illegible] श्रीवास्तव	उपनिदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क	7351701967	[illegible]
5	आर० बी० सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण उत्तरकाशी	9458931685	[illegible]
6	BABULAL	D.F.O. Dam-II Ukashi	9837401401	[illegible]
7	Praveen Kush	E.E P.D PWD Uttarkashi	9997163215	[illegible]
8	S. K. Kala	D.F.O. Tons Div	9412441114	[illegible]
9	K. P. Verma	D.F.O. Barkot	9412003218	[illegible]
10	[illegible]	[illegible] अधिकारी	09458317923	[illegible]
11	[illegible] कुमार	SI SDRF	9411384311	[illegible]
12	Tirth Pal Singh	ADM. UKI		[illegible]
13	D.S. Patwal	DMO UKI	9456147974	[illegible]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Scanned with OKEN Scanner

"जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में दिनांक 11.01.2021 को आहुत जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का कार्यवृत्त"

उपस्थिति :- संलग्न है।

उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 के शासनदेश स0-454/1(2)व0ग्रस0वि0/2004-9(22)/2001 दिनांक 27.03.2004 के क्रम में गठित जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक का शुम्भारम्भ जिलाधिकारी, महोदय उत्तरकाशी की अध्यक्षता मे करते हुए सर्वप्रथम प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/संयोजक, जिला स्तरीय वनाग्नि समिति द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं(जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य) का स्वागत किया गया तथा वनों की अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्ध में समिति के दायित्वों के बारे में अवगत कराया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष अच्छी वर्षा होने व कोविड-19 के दृष्टिगत हुए लॉकडाउन से वनों में मानवीय हस्तक्षेप न होने के कारण वनाग्निकाल में वनाग्नि की घटनायें घटित नहीं हुई। प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जनपद में वन विभाग के इतर अन्य विभागो का विगत वर्षों में वनाग्नि में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किये जाने हेतु धन्यवाद दिया गया व वर्तमान वनाग्निकाल में भी सभी से पूर्व की भांति यही अपेक्षा की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा पॉवर पावन्इट प्रजन्टेंशन के माध्यम से उपस्थित सभी सदस्यों को उत्तरकाशी जनपद में वन विभाग की स्थिति, क्षेत्रफल, उपलब्ध उपकरणों की उपलब्धता, कर्मियों की उपलब्धता व आगामी वनाग्निकाल हेतु विभाग की रणनीति व योजना की विस्तृत प्रदान की गयी, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

उत्तरकाशी जनपद अन्तर्गत 07 वन प्रभाग विद्यमान हैं, जिसमें 02 राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव विहार हैं। जनपद में समस्त भू-भाग का कुल वन क्षेत्रफल 6,95,642.83 है0 है, जिसमें में से 76000.00 है0 चीड वृक्षों से आच्छादित है। समान्यतः वनाग्निकाल 15 फरवरी से 15 जून के मध्य होता है। वातावरण में नमी की कमी, अपर्याप्त वर्षा के कारण वनाग्नि की दुर्घटनायें उक्त अवधि के पूर्व एवं पश्चात भी होती है। उत्तरकाशी जनपद के वनों में आग मुख्यतः चीड़ वनों में लगती है, जो माह अप्रैल से जून के बीच अपनी चरम सीमा पर होती है। वनों में आग स्वयं न लगाकर अधिकांश असामाजिक तत्वों तथा स्थानीय लोगों द्वारा नई घास उगाने की धारणा से भी लगाई जाती है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाग्नि नियंत्रण नीति को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु वनाग्निकाल 2021 से पूर्व अग्नि निवारक कार्यों जैसे फायर लाईन की सफाई, नियंत्रित दहान/फुकान एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु रणनीति बनायी गयी है, जिस सम्बन्ध में गत 10 वर्षों के वनाग्नि इतिहास का आई0टी0 सेल, देहरादून द्वारा चिह्नित कर मानचित्र तैयार किया गया है, जिसे केन्द्र में रखकर वनाग्नि सुरक्षा योजना तैयार की गयी है।

जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा निर्देशित किया गया कि वनाग्नि के नियन्त्रण हेतु समस्त विभागों को एकजुट होकर वन विभाग का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वनाग्नि के प्रभावी नियंत्रण हेतु समय-समय पर ग्राम स्तर के समस्त विभागों एवं कर्मचारियों, ग्राम प्रहरियों, प्रधानों एवं वन पंचायत सरपंचों के साथ गोष्ठियां की जानी आवश्यक होगी। वनाग्नि सुरक्षा हेतु सामग्री क्रय किये जाने जैसे संचार उपकरणों की मांग, धुएं से बचाव हेतु मास्क आदि की धनराशि को आपदा मद या अन्य किसी मद में क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के सभी मास्टर कन्ट्रौल रूम को एक मुख्य कन्ट्रौल रूम से जोड़ा जाएगा, जिससे और अधिक बेहतर प्रबन्धन स्थापित किया जा सकेगा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा आगामी वनाग्निकाल में प्रभावी नियन्त्रण हेतु विस्तृत चर्चा की गयी व निम्नानुसार अपने विचार/सुझाव रखे गए :-

1. पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2021 में कुम्भ मेले, यात्राकाल व कोविड-19 के दृष्टिगत वनाग्नि सुरक्षा हेतु पुलिस बल का सहयोग मिलने में कठिनाईयां आ सकती हैं, जिसे पी.आर.डी. के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इस हेतु पी.आर.डी. जवानों को प्रशिक्षण दिया जाना उचित होगा।

Scanned with OKEN Scanner

उपनिदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला द्वारा अवगत कराया गया कि उनके नियंत्रणाधीन कई क्षेत्र अतिदुर्गम क्षेत्र में विद्यमान हैं जहां संचार सुविधाओं की स्थिति अच्छी नही है। संचार सुविधाओ के बेहतर प्रबन्धन हेतु उनके द्वारा वायरलैस सेट स्थापित किये जाने हेतु धनराशि की मांग की गई। उनके द्वारा वनाग्नि नियंत्रण हेतु फायर उपकरण ब्लोवर को प्रभावी बताते हुए जनपद में उसके खरीदने व जो ग्राम वनाग्नि सुरक्षा प्रबन्धन में बेहतर साबित होते हैं उन्हें जनपद स्तर पर प्रशास्ति/पुरूस्कृत प्रदान कर ग्रामवासियों का वनाग्नि सुरक्षा हेतु मनोबल बढ़ाये जाने का सुझाव दिया गया।

3. सामाजिक कार्यकर्ता श्री नागेन्द्र थपलियाल जी द्वारा वनाग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में फायर लाइनों के निर्माण व वनों में तालाबों के निर्माण पर जोर दिया, जो कि वनाग्नि सुरक्षा के साथ–साथ वन्यजीवों हेतु पीने के पानी हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। उनके द्वारा स्कूली पाठ्य पुस्तकों में भी वनाग्नि सुरक्षा हेतु लेख शामिल किये जाने के विचार रखे गये, जिससे बचपन से बच्चों में इस प्रकार की भावना का विकास किया जा सकता है।

4. पर्यावरण प्रेमी श्री प्रताप पोखरियाल जी द्वारा वनाग्नि सुरक्षा हेतु प्रत्येक गांवों में महिला–पुरूषों के समूहों का निर्माण कर उन्हें वनाग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किये जाने व गांवों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि का पांच प्रतिशत इन समूहों को दिये जाने का सुझाव दिया गया जिससे समूहों को प्रोत्साहित किया जा सके व वनाग्नि सुरक्षा ज्यादा प्रभावी की जा सके। उनके द्वारा वनाग्नि को त्वरित नियंत्रण किये जाने हेतु वन विभाग को अधिक वाहन प्रदान किये जाने का सुझाव भी दिया गया जिससे त्वरित गति से वनाग्नि नियंत्रण की कार्यवाही की जा सके।

उपरोक्त चर्चा के क्रम में निम्नानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किए गए :–

- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी महोदय को उपनिदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला द्वारा अवगत कराया गया कि उनके दुर्गम क्षेत्र जहां संचार की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल वायरलेस के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है इन क्षेत्रों में वायरलैस स्थापना हेतु लगभग पन्द्रह लाख रुपये धनराशि की आवश्यकता है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही :– उपनिदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार, पुरोला)**
- विकास खण्ड स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक तत्काल करायी जाए। **(कार्यवाही :– वन विभाग)**
- प्रत्येक माह समस्त ग्राम प्रधानों/ सरपंचों तथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी एवं वन विभाग के कर्मचारियों को ग्रामिणों के साथ बैठकर जन–जागरूकता अभियान चालाया जाए तथा प्रत्येक गॉव में तैनात ग्राम प्रहरी, वन पंचायत सदस्य, राजस्व प्रतिनिधि/पटवारी, प्रधान व अन्य इच्छुक प्रतिनिधि आदि को वॉटसअप ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जाए, जिसमें वनाग्नि सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र कार्यवाही की जा सके। **(कार्यवाही :– वन विभाग एवं राजस्व विभाग)**
- वनाग्नि सुरक्षा हेतु सामग्री क्रय किये जाने जैसे संचार उपकरणों की मांग, धुएं से बचाव हेतु मास्क आदि की धनराशि को आपदा मद या अन्य किसी मद में क्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाय। **(कार्यवाही :– वन विभाग)**
- विगत वर्षों की घटनाओं पर आधारित आई0टी0 सेल से प्राप्त **Fire Senstive Map, Fire Index** को मास्टर कन्ट्रौल रूम एवं आपदा कन्ट्रौल रूम में चस्पा किया जाए, जिससे क्षेत्र विशेष पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। **(कार्यवाही :– वन विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग)**
- वनाग्नि घटना की सूचना प्राप्त होते ही सभी को सूचित करते हुए घटना स्थल पर शीघ्र व त्वरित गति से पहुंचा जाए, जिससे स्रोत पर ही आग को काबू किया जा सके व वनाग्नि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रफल को न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। **(कार्यवाही :– वन विभाग व राजस्व विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग)**
- वर्तमान में कोविड–19 के दृष्टिगत विद्यालयों के बन्द होने के कारण शिक्षकों द्वारा वनाग्नि नियंत्रण हेतु जागरूकता अभियान चलाया जाए। **(कार्यवाही :– मुख्य शिक्षाधिकारी)**
- उत्तरकाशी जनपद अन्तर्गत विभिन्न वन प्रभागों में स्थित संवेदनशील क्षेत्रों तथा फायर लाइन का नियन्त्रित दाहन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। वनाग्नि काल प्रारम्भ होने से पूर्व अग्नि निवारक कार्य जैसे फायर लाइनो की सफाई, नियत्रित दाहन, मॉक ड्रील आदि प्रत्येक वन प्रभाग

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को जोडते हुये कार्यवाही जाए। मॉक ड्रील में सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम प्रहरी एवं राजस्व उपनिरीक्षकों को भी सम्मिलित किया जाए। **(कार्यवाही :– वन विभाग)**

- उत्तरकाशी जनपद का अधिकतम क्षेत्र चीड वनों के अन्तर्गत विद्यमान है। जहाँ अग्नि काल में भूमि में अत्यधिक नमी के अतिरिक्त आग बुझाने हेतु पानी की भारी कमी रहती है। इस सम्बन्ध में आरक्षित / सिविल वन / वन पंचायतों में टैंक / चाल–खाल आदि का निर्माण किया जाय, ताकि अग्नि काल के दौरान अग्निशमन हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके तथा भूमि में भी नमी बने रहे। **(कार्यवाही :– वन विभाग)**
- विगत वर्ष की भांति वनाग्नि काल में जनपद की सभी वन पंचायतों को वनाग्नि नियन्त्रण हेतु सम्मिलित किया जायेगा व वन पंचायतों के माध्यम से फायर वाचरों को रखा जाए। इस हेतु वनाग्नि काल के दौरान वन पंचायतों को इस हेतु अपेक्षित उपकरण आदि उपलब्ध कराया जायेगा। **(कार्यवाही :– वन विभाग)**
- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत विभिन्न वन प्रभागों में अग्नि सुरक्षा हेतु कुल 142 क्रू–स्टेशन बनाये गये हैं जिसमें लगभग–10–15 कर्मचारियों की टीम प्रति क्रू–स्टेशन पर उपलब्ध रहेगी। अग्नि दुघर्टना की सूचना मिलने पर क्रू–स्टाफ तत्काल अग्नि नियंत्रण हेतु रवाना होगें व सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम प्रहरी व राजस्व उपनिरीक्षक को भी सूचना प्रदान करेंगे।, इसके अतिरिक्त मास्टर कन्ट्रोल रूम अग्नि दुघर्टना की सूचनायें विभिन्न स्रोतो जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया(FSI), व्हटसएप ग्रुप, स्टाफ, स्थानीय लोग आदि से प्राप्त कर तुरन्त आपदा प्रबन्धन विभाग व सम्बन्धित स्टाफ को अवगत कराना सुनिश्चित करें।**(कार्यवाही :– वन विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग)**
- मास्टर कन्ट्रौल रूम में आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा एक Quick Response Team को वनाग्नि की सुरक्षा हेतु रखा जाएगा। वनाग्निकाल में वनाग्नि के त्वरित निस्तारण हेतु वाहनों की उपलब्धता हेतु जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से अतिरिक्त वाहन हेतु मांग की जाए।**(कार्यवाही :– वन विभाग, आपदा प्रबन्धन विभाग)**
- गत वर्षो में प्रायः देखने में आया है कि सड़क निर्माण के दौरान पेंटिग / डामरिकरण के समय कार्मिकों द्वारा ज्वलनशील सामग्री यदा कदा फेंक देने के फलस्वरूप भी आग लगने की घटनायें होती रहती है। इस सम्बन्ध में मार्ग तथा उसके आस–पास 2 कि0मी0 के क्षेत्र में अग्नि नियंत्रण की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण विभाग की होगी। **(कार्यवाही :– नोडल अधिकारी सड़क निर्माण/ बी0आर0ओ0)।**
- पूर्व की भांति संचार व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु वन विभाग, पुलिस, आपदा प्रबन्धन, फायर सर्विस, एस0डी0आर0एफ0, आई0टी0बी0पी0 को आपस में जोड़ा जायेगा ताकि कही से भी वनाग्नि की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना विभाग को मिल सके। संचार व्यवथा सुदृढ करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा मॉक ड्रील के माध्यम से कार्यक्षमता सुनिश्चित कर ली जाय। **(कार्यवाही :– वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आपदा प्रबन्धन, अग्निशमन विभाग, आई0टी0बी0पी0)**
- आई0टी0सेल से प्राप्त संवदेनशील क्षेत्रों तथा उसके नजदीकी ग्रामों के मानचित्र तैयार कर इन क्षेत्रों में अतिरिक्त फायर वाचर रखें जाएंगे **(कार्यवाही :– वन विभाग)**
- विभिन्न प्रभागों में स्थापित कन्ट्रौल रूम तथा क्रूस्टेशन में वनाग्निकाल से पूर्व सभी उपकरणों को जांचा जाए व किसी भी उपकरण व सामग्री की मांग शीघ्र प्रेषित की जाए।**(कार्यवाही :– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / उपनिदेशक, राजस्व विभाग)**
- सिविल वनों तथा पंचायती वनों में अग्नि सुरक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कानूनगो, पटवारी तथा ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रहरी को आपस में समन्वय स्थापित कर आग बुझाने में वन विभाग का सहयोग तथा घटना की विधिवत सूचना वन विभाग को उपलब्ध करायें। (कार्यवाही :– उप जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी)
- नगर पालिका द्वारा कूडा निस्तारण स्थल पर विशेष निगरानी रखी जाय, ताकि कूडा जलने के दौरान आग अनियन्त्रित होकर वन क्षेत्रों में न पहुच सके। **(कार्यवाही :– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका)**

Scanned with OKEN Scanner

- फायर सर्विसेस राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अतिसंवेदनशील वन क्षेत्रों के आस–पास आबादी वाले क्षेत्रों पर पर वनाग्नि घटनाओं के सम्बन्ध में विशेष निगरानी रख अलर्ट मोड में रहेंगे।
(कार्यवाही :– अग्नि शमन विभाग)

समिति द्वारा जनपद की वर्ष 2021 की वनाग्नि प्रबन्धन योजना को अनुमोदित किया गया।

अन्त में प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला द्वारा सभी सुझावों / विचारों व जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए सभी विभागों द्वारा पूर्व वर्षों की भांति वन अग्नि नियंत्रण हेतु आवश्यक सहयोग व भागेदारी की अपेक्षा की गई तथा अन्त में सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया।

अनुमोदित

मयूर दीक्षित,
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

(दीपचन्द्र आर्य),
प्रभागीय वनाधिकारी / संयोजक,
जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति,
उत्तरकाशी वन प्रभाग।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

पत्रांक–2607 / 27-1 ,कोटबंगला, दिनांक 22/01 /2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी (सदस्य)
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी (सदस्य)
4. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, उत्तरकाशी।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।
6. उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार, पुरोला, उत्तरकाशी।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
8. प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी डैम द्वितीय वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. प्रभागीय वन विकास प्रवन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, उत्तरकाशी।
10. उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क उत्तरकाशी।
11. उप जिलाधिकारी भटवाड़ी, डुण्डा, बड़कोट एवं पुरोला (सदस्य)
12. अधिशासी अभियन्ता / नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी (सदस्य)
13. कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, तेखला, उत्तरकाशी।
14. सेनानी आई0टी0बी0पी0, मातली, उत्तरकाशी।
15. जिलाशिक्षाधिकारी, उत्तरकाशी।
16. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
17. मुख्य अग्निसमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
18. श्री प्रताप पोखरियाल, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तरकाशी।
19. श्री नागेन्द्र थपलियाल सामाजिक कार्यकर्ता उत्तरकाशी।

(दीपचन्द्र आर्य),
प्रभागीय वनाधिकारी / संयोजक,
जिला स्तरीय वनाग्नि सुरक्षा समिति,
उत्तरकाशी वन प्रभाग।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 1624 / कोविड–19 / 2020–21 दिनांक 19 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

1. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, उत्तरकाशी।
5. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, नौगांव / पुरोला / गंगोत्री
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़ाहाट / चिन्यालीसौड / बडकोट।
14. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

विषयः– **जनपद में कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण सम्बन्धी जागरूकता अभियान की प्रगति के सम्बन्ध में बैठक विषयक।**

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना शासन के निर्देशानुसार कोविड–19 आई0ई0सी0 रणनीति (कोविड वॉरियर से कोविड विनर) के सम्बन्ध में जनपद अन्तर्गत कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु सघन प्रचार–प्रसार अभियान के द्वारा लोगों में व्यवहारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना और नकारात्मक मनोदशा से बाहर आने का लक्ष्य निर्धारित हेतु कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त के प्रगति के सम्बन्ध में **दिनांक 20.10.2020 को दोपहर 1:30 बजे जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी है। अतएव उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में सम्पन्न बैठक दिनांक 12.10.2020 में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या / रिपोर्ट के साथ नियत तिथि / समय पर प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। संलग्न पूर्व बैंठक**

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को बैठक में प्रतिभाग किये जाने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक में अपने सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी इस आशय से प्रेषित कि उक्त बैठक में अपने सम्बन्धित प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला होम्योपैथिक अधिकारी, उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
19/10/2020

"दो गज दूरी .... मास्क है जरूरी"

Scanned with OKEN Scanner

जनपद में कोविड–19 संक्रमण के नियंत्रण सम्बन्धी जागरूकता अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में बैठक

:: उपस्थिति ::

दिनांक-- 20.10.2020

स्थान-- जिला सभागार, उत्तरकाशी।

क्र.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
	डॉ० प्रमीला उनियाल	होम्योपैथिक विभाग	9412914081	[signature]
	डॉ० कुसुम लता उनियाल	जिला आयु०/यू० अधिकारी उत्तरकाशी	9412912310	[signature]
	गोपाल सिंह मटूड़ा, DSO	खाद्य नागरिक आपूर्ति	9410180103	[signature]
	H.S. Rautela E.O	NPP Chinyalisaur/ Uttarkashi	9411553521	[signature]
	शिव कुमार त्रिवेदी चौहान अधि. अधिकारी	नगर पंचायत, पुरोला	9760316350	[signature]
	भूपेन्द्र सिंह P.E.O न०पं० नौगांव	न०पं० नौगांव	9358932082	[signature]
	ममलेश रावत (लिपिक) नगर पालिका बड़कोट	नगर पालिका बड़कोट	9557845730	[signature]
	Jitendra Sapeng	School Education	9410313699	[signature]
	वीमा अवस्थी एम.पी. डबराल	आबकारी विभाग ADIO	8979287451	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

		श्री रघुवीर सिंह कोली	अवर अभियन्ता	सहायक नोडल अधिकारी	9034853535
14	वैकल्पिक ऊर्जा	श्री नवीन सिंह रागड	कनि0 सहा0	कार्यालय सहायक	9410178035
15	सीमा सड़क संगठन उत्तरकाशी				
	भारतीय तिब्बत सीमा ...	... कुमार	सहायक अभियन्ता	सहायक नोडल अधिकारी	9675726092

4	शशि बिष्ट	DPO उत्तरकाशी	9760949688	[signature]
5	Jitendra Chand	Transport Officer	9520378834	[signature]
6	Prayank Khatri	TOURISM, UKI	8954615410	[signature]
7				
8				
9				
0				
21				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सघन प्रचार–प्रसार अभियान द्वारा लोगों में व्यवहारात्मक परिर्वतन के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति –

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. जिला पंचायतीराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकशी
9 जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. जिला शिक्षाधिकारी, बेसिक उत्तरकाशी।
12. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
14. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पुरोला।
15. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बाडाहाट, उत्तरकाशी।
16. आबकारी सहायक, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
17. आई0ई0सी0 कोंडिनेटर, मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी।
18. प्रतिनिधि जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तरकाशी।
19. प्रतिनिधि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत नौगांव, उत्तरकाशी।
20. प्रतिनिधि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बडकोट, उत्तरकाशी।

दिनांक 05 अक्टूबर 2020 को उत्तराखण्ड सचिवालय में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कोविड–19 आई0ई0सी0 रणनीति के सम्बन्ध में आहुत बैठक के कार्यवृत्त में जारी दिशा निर्देशों के क्रम में दिनांक 12.10.2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आगामी 02 माह में जनपद में कोविड–19 से बचाव एवं जागरूकता सम्बन्धी सघन प्रचार–प्रसार अभियान हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं पर विचार विर्मश किया गया। शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कोविड–19 से बचाव हेतु जन जागरूकता में प्रत्येक विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है। इस सम्बन्ध में सघन प्रचार–प्रसार अभियान द्वारा लोगों में व्यवहारात्मक परिर्वतन को बढ़ावा देना और नकारात्मक मनोदशा से बाहर आने का लक्ष्य रखा गया है, तथा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं भविष्य हेतु आई0ई0सी0 रणनीति तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये–

1– पूर्ति विभाग द्वारा आई0ई0सी0 रणनीति के तहत जनपद में वितरित होने वाले सभी गैस सिलेन्डरों पर सूक्ष्म एवं विषयगत जनजागरूकता संदेश का स्टीकर चश्पा किया जाये तथा जनपद में अवस्थित सभी पैट्रोल पम्प/गैस एजेन्सी में होर्डिग व स्टेन्डी लगाने के निर्देश दिये गये, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी पैट्रोल पंप/गैस एजेन्सी में हेन्डवास/हेन्ड सेनेटाइजर की सुविधा हो तथा "मास्क नही तो, पेट्रोल नहीं" का पालन करवाया जाये। पूर्ति विभाग द्वारा सरकारी राशन की दुकानों पर जागरूकता सम्बन्धी बैनर लगाने तथा राशन लेने वाले लोगों को जिनके पास मास्क न हो, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार द्वारा निःशुल्क मास्क दिये जाये व सामाजिक दूरी हेतु सर्कल बनाये जाये। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा इस हेतु धनराशि की मांग पर उनके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना व यथोचित धनराशि की मांग प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। *(कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी अधिशासी अधिकारी समस्त नगर पालिका उत्तरकाशी)*

क्रमश............02

Scanned with OKEN Scanner

2– आबकारी विभाग द्वारा जनपद की अवस्थित समस्त शराब की दुकानों के बाहर कोरोना संक्रमण से बचाव सम्बन्धी बैनर लगाये जाये व "दो गज की दूरी–व मास्क है जरूरी" सम्बन्धी सामाजिक दूरी का भी पालन किया जाने हेतु दुकान के बाहर सर्कल भी बनाये जाये व "मास्क नही तो, मदिरा नही" का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है।

(कार्यवाही– जिला आबकारी अधिकारी, अधिशासरी अधिकारी समस्त नगर पालिका /पंचायत उत्तरकाशी)

3– शिक्षा विभाग जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत आम जनमानस में जन जागरूकता की भावना को बढावा देने के लिए जनपद में सभी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को घर बैठे– ऑन लाइन स्लोगन, कविता, पेन्टिंग, निबन्ध प्रतियोगिता (हिन्दी/अंग्रेजी/स्थानीय भाषा में) करवाकर विकासखण्डवार सर्वश्रेष्ठ तीन प्रतिभागियों/विद्यालयों को चुन कर उनको उचित पुरूस्कार दिया जाये व चिन्हित पेन्टिंग को सम्पूर्ण जिले में वाल पेन्टिंग के रूप में चुना जाने का निर्देश दिये गये है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी जन जागरूकता कार्यक्रम किये जाये। इसके साथ ही शिक्षकों सहित छात्र–छात्राओं के माध्यम से मास्क पहनने को लेकर सेल्फी आदि विधियों से सोशल मीडिया केम्पेन के माध्यम से बढ़ चढ़कर भाग लिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। जिला शिक्षाधिकारी द्वारा उक्त कार्यक्रमों हेतु धनराशि की मांग पर उनके द्वारा उक्त के सम्बन्ध में विस्तृत कार्ययोजना व यथोचित धनराशि की मांग प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य शिक्षाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी)

4– आम जन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जन जागरूकता हेतु सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फैसबुक, ट्वीट्र पर पेज बनाकर सेल्फी प्रतियोगिता की जाये जिस फोटो में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहने हो को पेज पर अपलोड कर एक दूसरे को टेग किया जाये साथ ही जनपद की एन0आई0सी0 वेबसाईट को खोलने पर सर्व प्रथम कोरोना से सम्बन्धित जन जागरूकता के संदेश प्रदर्शित करने एवं समस्त राजकीय वेबसाइटों पर कोविड़–19 सम्बन्धी सहायता से अधिकृत लिंक उपलब्ध किये जाने के निर्देश दिये गये। जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत नुक्कड़ नाटक, कोविड़–19 से उत्पन्न नकारात्मकता को दूर करने व इससे बचाव के लिए जागरूकता हेतु कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों का एक वाकाथन योजनाबद्ध रूप से चलाये जाने एवं लघु फिल्म आदि तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के द्वारा जारी निर्देशानुसार कोविड़–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु सघन प्रचार–प्रसार अभियान द्वारा लोगों में व्यवहारात्मक परिर्वतन के सम्बन्ध में जन जागरण अभियान चलाये जाने हेतु सूचना विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है। उक्त हेतु कार्ययोजना के सम्बन्ध में समस्त विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा प्रत्येक शनिवार को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जानी है। इस क्रम में शासन द्वारा उक्त अभियान के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर तैयार कर अनिवार्य रूप से प्रत्येक गुरूवार को साय: 03:00 बजे तक महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध करायी जानी है। इस सम्बन्ध में जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित विभागों से सूचना संकलित कर ससमय महानिदेशक, सूचना को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– जिला सूचना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी)

5– जनपद में बढ रही पर्यटन की गतिविधियों के दृष्टिगत सभी रेस्टोरेन्ट, टैक्सी ड्राइवर, शौ रूम, पी0डब्लू0डी0 गैस्ट हाउस, फॉरेस्ट गैस्ट हाऊस आदि में कार्य कर रहे लोगों की नियमित रूप से कोविड़ सम्बन्धी जांच की जाये तथा जनपद में आने वाले पर्यटकों की कोरोना वायरस से सम्बन्धित लक्षण पाये जाने पर आई0सी0एम0आर0 की गाइडलाइन के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाये। जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये की जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, पर्यटक सूचना केन्द्रों व ट्रैकिंग एजेन्सियों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पोस्टर,

क्रमश............03

Scanned with OKEN Scanner

बैनर, स्टीकर एवं ऑडियो–वीडियों मैसेज के माध्यम से कोरोना वायरस सक्रमण की रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। उच्च हिमालय क्षेत्र में ट्रैकिंग पर जाने वाले पर्यटकों हेतु आई0सी0एम0आर0 व पर्यटन विभाग की गाईडलाइन के अनुसार विशेष सूचना ब्रोशर उन्हे उपलब्ध कराते हुये उनके मेडिकल जांच के समय कोरोना संम्बन्धी लक्षणों की जांच के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायें।

(कार्यवाही– , मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।)

6– जिला पंचायतराज विभाग द्वारा जनपद में सभी ग्रामों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाये जाने हेतु सभी ग्राम प्रधानों को प्रोत्साहित किये जाने व विकासखण्डवार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, आई0सी0एम0आर0 तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने व वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ ग्राम को चुन कर सम्मानित भी किया जाये। साथ ही सभी ग्राम प्रधानों का व्हट्सएप ग्रुप बनाकर सूचनाओं का आदान–प्रदान कर प्रत्येक गांव में वाल पेन्टिंग तथा ग्राम पंचायतों/बी0डी0सी0 की बैठको में भी वृहत रूप से प्रचार–प्रसार हेतु ब्रोशर उपलब्ध कराये जाये। सभी ग्रामों में होने वाली गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यकलापों को संकलित कर एक्शन टेकन रिर्पोट तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– जिला पंचायती राज अधिकारी, उत्तरकाशी।)

7– जनपद की समस्त नगर पालिका परिषद/पंचायतों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में जन जागरूकता के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये, भीड़ भाड़ वाले दुकानों, बैक, गैस एजेन्सी, दवा की दुकानों आदि स्थानों पर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करते हुये सामाजिक दूरी का अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत प्रतिष्ठान के बाहर सर्कल भी बनाये जाये। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से स्वंय सेवी संस्थाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये कपड़े से बने मास्क वितरित किये जाये। नगर पालिका/नगरपंचायतवार कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, आई0सी0एम0आर0 तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने व वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ वार्ड को चुन कर वार्ड सदस्य को सम्मानित भी किया जाये। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारियों द्वारा उक्त हेतु धनराशि की मांग पर उन्हे निर्देश दिये गये कि प्रचार–प्रसार में होने वाले व्यय का भुगतान नगर पालिका/नगर पंचायतों को पूर्व में एस0डी0आर0एफ0 मद से अवमुक्त धनराशि से किया जायेगा।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तरकाशी।)

8– विकास विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि समस्त जिलास्तरीय/विकासखण्डस्तरीय एवं ग्रामस्तरीय कार्यालयों/विभागीय योजनाओं एवं मनरेगा कार्यो हेतु तैयार बोर्ड पर कोरोना वायरस रोकथाम सम्बन्धी संदेश तथा प्रत्येक पंचायत स्तर पर वॉल पेन्टिग की जानी सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।)

9– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के तहत समस्त चिन्हित लाभार्थीयों को टेक होम राशन के पैकेट पर कोरोना वायरस के सक्रमण के रोकथाम से सम्बन्धी मैसेज के साथ सम्बन्धित को उपलब्ध कराया जाये। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा ग्राम स्तर पर सर्वे के दौरान सभी लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किये जाने सम्बन्ध में जागरूकता प्रसारित की जाये, यथा आवश्यक मास्क की जरूरत होने पर सम्बन्धितों को खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से स्वंय सेवी संस्थाओं के द्वारा स्थानीय स्तर पर तैयार किये गये कपड़े से

क्रमश............04

Scanned with OKEN Scanner

...ने मास्क वितरित किये जाये। उक्त कार्यो हेतु विभाग के उपलब्ध आइ0ई0सी0 मद में प्राप्त ...नराशि का उपयोग किया जा सकेगा।

(कार्यवाही– जिला कार्यक्रम अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।)

10– जनपदान्तर्गत सभी विभागों द्वारा विभागीय कार्यो हेतु होने वाली निविदा विज्ञापन या अन्य कोई सूचना जो अखबार के माध्यम से प्रकाशित हो उक्त सूचना में एक संदेश/पंचलाइन कोराना वायरस के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध भी होना आवश्यक होगा। साथ ही सभी बैठकों में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु शपथ (संलग्न) ली जानी भी अनिवार्य रूप से किया जाये व सभी विभागों की कार्यालयी पत्रों के हेडर या फुटर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी संदेश प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये।

समस्त उप जिलाधिकारियों/थानाध्यक्षों आदि सक्षम अधिकारियों के स्तर से विवाह व अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक समारोहों की अनुमति प्रदान किये जाने की स्थिति में उक्त कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर/डी0जे0 के माध्यम से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम सम्बन्धी संदेश का प्रसारण भी करना सुनिश्चित करते हुये जनपद में स्थित समस्त प्रमुख मंदिरों आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा सामाजिक दूरी का अनुपालन किये जाने व मास्क का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त थानाध्यक्ष उत्तरकाशी।)

11– परिवहन विभाग द्वारा बस अड्डे पर होर्डिंग तैयार कर लगायी जाने तथा सार्वजनिक परिवहन वाहनों एवं टैक्सी वाहनों में अनिवार्य रूप जागरूकता संदेश सम्बन्धी स्टीकर लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा यात्री वाहनों को नियममित रूप से सेनेटाइज किये जाने के साथ ही वाहनों में सेनेटाइजर व मास्क उपलब्ध रखने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

12– स्वास्थ्य विभाग समस्त विभागों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम सम्बन्धी दिशा निर्देशों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने, सभी दवा के दुकानों, प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों सहित जिला चिकित्सालय में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने एवं आशा व ए0एन0एम0 के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शत–प्रतिशत डोर–टू–डोर जागरूकता सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ मुख्य चिकित्साधिकारी प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जिलाधिकारी महोदय को प्रेस ब्रीफ किये जाने सम्बन्धी समस्त सूचनाओं एवं अन्य समस्त व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।)

13– जनपद स्तर पर विभिन्न प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग, वॉल पेन्टिंग तथा विभिन्न माध्यमों से पम्पलेट, पोस्टर आदि के द्वारा जन जागरूकता किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों द्वारा धनराशि की मांग प्राप्त होने व जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले जन जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रमों के देयकों का भुगतान नियमानुसार एस0डी0आर0एफ0 मद अर्न्तगत प्राप्त क्षमता विकास हेतु उपलब्ध धनराशि से किये जाने का निर्णय लिया गया।

14– शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने वाले पोस्टर, बैनर, पम्पलेट इत्यादि के लिए यथासम्भव पॉलीथीन/प्लास्टिक का उपयोग हतोत्साहित किया जाये।

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या– 1592 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक/कोविड–19/2020 दिनांक– 14 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. सचिव (प्रभारी) आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. उपरोक्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सचिव, स्वास्थ्य की उपस्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु किये गये कार्यो की विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
7. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5. प्रभारी, वाररूम जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
6. डॉ सुजाता, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
7. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता एवं सचिव स्वास्थ्य, सचिव आयुष, सचिव पर्यटन, महानिदेशक सूचना, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य की उपस्थित में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं भविष्य हेतु रणनीति तैयार किये जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये गये–

1– गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तराखण्ड शासन के द्वारा अनलॉक v में निर्गत निर्देशों के तहत जनपद में यमुनोत्री, गंगोत्री सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों में पर्यटकों का आगमन हो रहा है। जिसके दृष्टिगत सचिव, स्वास्थ्य द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद में आने वाले संदिग्ध पर्यटकों का कोरोना वायरस सम्बन्धी सैम्पलिंग की जाने साथ ही आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत यथा आवश्यक होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 के जवानों की तैनाती किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, समस्त उप जिलाधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी)

2.1– गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाइन के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव सम्बन्धी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्तियों/पर्यटकों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही सचिव, स्वास्थ्य महोदय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव सम्बन्धित सावधानियों का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार किये जाने सम्बन्धित होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुये इस सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये, जिससे लोगों में संक्रमण से व्याप्त अनावश्यक भय को जागरूकता से कम किया जा सके। साथ ही इस सम्बन्ध में फरवरी, 2020 से सितम्बर, 2020 तक कोविड–19 को रोकने के लिए किये गये प्रचार–प्रसार का विवरण व आम जन में कोरोना के प्रति जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु आगामी 02 माह हेतु सघन प्रचार–प्रसार अभियान की कार्ययोजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिये गये। सचिव, आपदा प्रबन्धन द्वारा निर्देश दिये गये कि कोविड–19 सम्बन्धी प्रचार–प्रसार हेतु एस0डी0आर0एफ0 मद अर्न्तगत क्षमता विकास व मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग भी किया जा सकता है।

2.2– महानिदेशक, सूचना द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जनपद में व्यापक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु सूचना विभाग के माध्यम से भी कार्यवाही की जा रही है। जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु किये जा रहे प्रचार–प्रसार अभियान हेतु सूचना विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

2.3– आम जन में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव सम्बन्धी जन जागरूकता हेतु जल संस्थान, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा दिये जाने वाले बिलों पर इस सम्बन्ध में संदेश दिये जाये। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद के सभी थाना/चौकियों के माध्यम से भी व्यापक रूप से कोविड़ सम्बन्धी बचाव का प्रचार–प्रसार किया जाये, तथा सम्बन्धित नगर पालिकाओं के सहयोग से पुलिस विभाग यह सर्वे भी करें कि क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग किया जा रहा है।

2.4– सचिव, स्वास्थ्य द्वारा सैम्पलिंग कम किये जाने तथा ट्रूनॉट सैम्पलिंग जनपद को उपलब्ध ट्रूनॉट मशीनों के सापेक्ष नही होने पर रोष व्यक्त करते हुये तत्काल कोरोना वायरस की टैस्टिंग बढायी जाने तथा ट्रूनॉट टैस्टिंग हेतु उपलब्ध मशीनों का समुचित प्रयोग किया जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत जिला चिकित्सालय सहित बडकोट में 24 घण्टे सैम्पलिंग सम्बन्धी सुविधायें विकसित की जाये एवं समस्त टैस्टिंग केन्द्रों सहित कन्ट्रोल रूम व वाररूम के नम्बरों का व्यापक रूप से प्रचार–प्रसार भी किया जाये।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत)

3– सचिव, आयुष द्वारा निर्देश दिये गये कि आयुष विभाग जनपद स्तर पर लोगों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक जन जागरूकता कार्यकम चलाते हुये लोगों में रोग प्रतिरोधकता बढाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारियों का प्रचार–प्रसार करें। इसके साथ ही आर्युवैदिक, होम्योपैथिक व एलोपैथिक विभाग सयुक्त रूप से कोविड–19 के नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला आर्यूवैदिक अधिकारी, जिला होम्योपैथिक अधिकारी)

4.1– कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु भविष्य के लिए कार्ययोजना तैयार करने के दृष्टिगत सचिव, स्वास्थ्य द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 05 गुनी होने की स्थिति हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली जाये तथा उक्तानुसार आवश्यक मानव संसाधन, ऐम्बुलेंन्स व अन्य ढॉचागत सुविधाओं को बढाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही की जाये। आवश्यक मानव संसाधनों के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार मानव संसाधनों को एन0एच0एम0, उपनल एवं अन्य आउटर्सोस ऐजेन्सियों हेतु निर्धारित दरों पर अतिशीघ्र हायर कर लिया जायें। इस हेतु धनराशि उपलब्ध न होने पर धनराशि के मांग किये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये है।

4.2– सचिव, महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि किसी भी संक्रमति व्यक्ति को लेने हेतु तत्काल ऐम्बुलेंन्स भेजी जाये जिससे व्यक्ति को अनावश्यक इन्तजार न करना पड़े अगर इस सम्बन्ध में कोई विलम्ब हुआ हो तो इसके कारणों की जॉच कर ली जाये जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों को दूर किया जा सके। इसी प्रकार विभिन्न डी0सी0सी0सी0 में रखे गये संक्रमति लोगों को उपचार के उपरान्त घर छोड़ने के दौरान भी उन्हें यथा आवश्यक वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। कन्ट्रोल रूम को किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु प्राप्त होने वाली कॉल का प्रतिउत्तर तत्काल करते हुये कॉलर की समस्या का निस्तारण करना कन्ट्रोल रूम प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। तथा कन्ट्रोल रूम में सभी प्रकार की जानकारियों व सूचनाओं को संकलित कर रखा जाये, जिसकी जानकारी समस्त सम्बन्धितों को होना आवश्यक है। होम आईसोलेशन, आईसोलेशन वार्ड, डी0सी0सी0सी0, क्वारंटीन केन्द्रों, सैम्पलिंग व कन्टेंनमेन्ट क्षेत्र का डाटा प्रत्येक दिन नियमित रूप से ससमय पोंटल पर अपडेट करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3– विभिन्न टैस्टिंग लेब में अपेक्षित जॉचों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लैब के प्रतिनिधि से लगातार समन्वय स्थापित कर रिर्पोट ससमय प्राप्त कर ली जाये। हाई रिस्क कॉन्टेक्ट का शत–प्रतिशत

क्रमश.............3

Scanned with OKEN Scanner

सैम्पलिंग के निर्देश भी दिये गये। सचिव, स्वास्थ्य द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी सिम्टोमैटिक मरीज की कोविड़ सम्बन्धित सैम्पलिंग होने पर बिना जांच रिर्पोट के प्रतीक्षा किये उक्त संदिग्ध व्यक्ति का कोविड सम्बन्धित उपचार प्रारम्भ कर लिया जाये।

4.4– सचिव, महोदय द्वारा कोविड़–19 के नियत्रंण हेतु भविष्य 15 दिनों की कार्ययोजना साप्ताहिक रूप से निश्चित तौर पर तैयार कर महानिदेशक स्वास्थ्य को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। सचिव, महोदय द्वारा बैठक के अन्त में प्रत्येक जनपद उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन की अपेक्षा की गयी तथा किसी भी लापरवाही/शिथिलता की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाने के निर्देश भी दिये गये।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।)

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

<u>कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।</u>

संख्या– 1572 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक/कोविड–19/2020 दिनांक– 09 अक्टूबर, 2020

<u>प्रतिलिपिः–</u> निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सचिव (प्रभारी) आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. उपरोक्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत आम जनमानस को जगरूक किये जाने हेतु जनजागरूकता अभियान संचालित किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक उपस्थिति–

दिनांक 03.10.2020 समय– सांय 4:00 बजे

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1				
2	श्री पी० सी० डोडरियाल	मुख्य विकास अधिकारी		
3	संजय कुमार सिंह	परियोजना निदेशक	8191830001	[signature]
4	विनायक श्रीवास्तव	जिला सेवायोजन अधि०	9411197519	[signature]
5	हरीश आर्या	जिला पंचायत राज अधि०	9412097300	[signature]
6	दीवान सिंह मेहता	पुलिस उपाधीक्षक	9410173509	[signature]
7	रेवती देवी	प्रधान सहायक	9761698742	[signature]
8	एस० के० मिश्रा	उप उद्यान अधिकारी (उद्यान विभाग)	9412230[illegible]	[signature]
9	बृजराज सिंह	A.V.D.O. (उद्यान)	9410392104	[signature]
10	सुनील तिवारी	APM-ILSP	9977703068	[signature]
11	डॉ अविनाश कथारिया	पशु चि०अ० AHD-UKi	8958998089	[signature]
12	Vimal Kumar	DDO/APD	8979633489	[signature]
13	Brijendra. Lal. Shah	Addl. Treasury officer	8755798688	[signature]
14	एम० पी० शुक्ला	ADIO	8979287451	[signature]
15	[illegible]	[illegible]	991[illegible]	[signature]
16	[illegible]	In D-PO	9620530883	[signature]
17	Yashpal Singh Rana	AAO - Agriculture	9837801124	[signature]
18	Rajbeer Singh	AAE Agriculture Uki	9412149963	[signature]
19	Rajeev Sharma	Adesto	9837127765	[signature]
20	ANIL BISHT	IEC facilitator	9897253474	[signature]
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 वायरस के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत तैनात नोडल अधिकारियों की बैठक

उपस्थिति–

दिनांक 29.09.2020 | समय– सांय 12:00 बजे

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	Mayur Dixit	DM. Sir.		
2	Pankaj Bhatt	SP.		
3	P.C. Dandriyal	CDO UKI	8218924757	
4	TrithPal	ADM.		
5	Sanjay Kr. Singh	PD DRDA	819183000[illegible]	
6	Vimal Kumar	DDO	8979633489	
7	Dr. Pralayankar Nath	CVO	8937001274	
8	Devendra Singh Negi	SDM(B)	9410191049	
9	Harish Arya	DPRO	9412977300	
10	Gopal Singh Matura	D.S.O.	9410180103	
11	Kusum Rana	S.I. (N.P.P. Barahat)	9760218436	
12	H. S. Rautela	E.O. (N.P.P. Barahat)	9411553521	
13	Jitendra Sapra	DEO(Basic)	9410913699	
14	Rajendra Singh	Pharmacist	8126825016	
15	P.S. Matura	E.S. Singal Celli	9917308884	
16	Dr. S D Sakleani	PS Clean Surgn	783070050[illegible]	
17	Dr. D.P. Joshi	C.M.O. U	9412078733	
18	Dr. B.S. Rawat	War Room Ele	9412394912	
19	Dr BK BISWAS	ACMO UKI	7248336889	
20	Dr. Sujata Singh	DTO. Uki	941172337	
21	Sarvesh Mani Mishra	DIO NIC	9873976231	
22	Jitendra Chand	Transport officer.	9761882936	
23	D.S. Patwal	DMO	9456147974	
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19 सितम्बर, 2020 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कीं आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
9. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
10. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
11. अधिशासी अभियंता, नि0ख0, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़।
12. अधिशासी अभियंता, अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी।
13. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
14. सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, बड़कोट।
15. सहायक अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में पूर्व निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओ पर निम्न प्रकार विचार विमर्श कर निर्णय लिये गये–

1. पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के पत्र संख्या–भ–36/3/2015 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के क्रम में थाना मोरी हेतु स्थाई भवन, रिर्पोटिंग पुलिस चौकी, आराकोट, थाना मोरी क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित फायर स्टेशन के निर्माण एवं एस0डी0आर0एफ0 यूनिट हेतु भवन निर्माण के सम्बन्ध में वन विभाग/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को पुलिस विभाग के नाम निःशुल्क हस्तान्तरण किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार विर्मश कर निर्णय लिया गया कि उक्त कार्यो हेतु चयनित भूमि के सम्बन्ध में याची विभाग द्वारा वन भूमि हस्तांतरण सम्बन्धित प्रस्ताव अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाये। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सभी ईकाईयो की स्थापना हेतु लगभग 0.60 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी, पुरोला)

2. यमुनोत्री पैदल मार्ग के भण्डेली गाड में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत/पुनर्निर्माण/सुरक्षा के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिग्रस्त मार्ग को सुचारू किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है। कार्य की तात्कालिकता तथा मार्ग को अतिशीघ्र सुचारू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये उक्त स्थान पर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में आंगणन तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये इसके साथ ही उक्त तात्कालिक कार्य को आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत आपदा न्यूनीकरण निधि के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, अधि0अभि0, नि0ख0, लो0नि0वि00, बडकोट, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

3. आपदा प्रबन्धन हेतु ड्रोन कैमरा एवं तहसीलों की मांग के अनुसार आपदा प्रभावितों हेतु टेंट/तिरपाल आदि के क्रय के सम्बन्ध मे विचार विर्मश कर निर्णय लिया गया कि जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक विस्तार के दृष्टिगत अन्य जनपदों से ड्रोन कैमरे की स्वीकृत द्वारा प्राप्त कर उक्त दर पर अथवा जैम पोर्टल से 02 ड्रोन कैमरे एस0डी0आर0एफ0 मद से क्रय किये जाये इसके साथ ही विभिन्न तहसीलो की मॉग के अनुरूप आपदा प्रभावित परिवारों की तत्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत एस0डी0आर0एफ0 मद से टेंट/तिरपाल क्रय किये जाने हेतु स्थानीय बाजार से कोटेशन आमंत्रित कर क्रय किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी, मुख्य राजस्व लेखाकार।)

4. प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु एस0डी0आर0एफ0 मद अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप प्रस्ताव सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ इस कार्यालय के आदेश संख्या– 1354/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2020–21 दिनांक 11 अगस्त, 2020 के क्रम में गठित स्क्रनिंग समिति को प्रस्तुत कर समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अर्न्तगत परीक्षण कर प्रस्ताव संस्तुति सहित अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी, अपर जिलांधिकारी, उत्तरकाशी, मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय)

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

5. शासन द्वारा वितीय वर्ष 2020–21 में प्राकृतिक आपदाओं सम्भावित क्षति को न्यून किये जाने के लिए राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद एवं प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियां जो राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों के अर्न्तगत आछादित नही है, के पुर्ननिर्माण/मरम्मत किये जाने हेतु आवंटित धनराशि के अर्न्तगत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों, सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता व तात्कालिकता आदि की जॉच/परीक्षण कर सुस्पष्ट आंख्या/प्रस्ताव संस्तुति सहित अतिशीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1354/तेरह–आ0प्र0प्रा0/2020–21 दिनांक 11 अगस्त, 2020 के क्रम में गठित स्क्रनिंग समिति के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में उपरोक्त मदों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो को शीघ्र पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत कार्यदायी सस्था को स्वीकृत धनराशि की 50 प्रतिशत राशि पूर्व में ही उपलब्ध जाने तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि, कार्य पूर्ण होने पर उप जिलाधिकारी की सस्तुति आख्या/शासन के निर्देशानुसार कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं होने के उपरान्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी)

6. तहसील भटवाडी अर्न्तगत ग्राम भटवाडी के विस्थापन के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्राप्त स्वीकृति के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप विस्थापन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर शासन से इस सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्राप्त किये जायें। इसके साथ ही तहसील डुण्डा अर्न्तगत ग्राम अस्तल के विस्थापन के सम्बन्ध में निर्धारित बिन्दुओ पर आंख्या अतिशीघ्र शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। तहसील चिन्यालीसौड अर्न्तगत ग्राम कान्सी के विस्थापन के सम्बन्ध में शासन द्वारा इच्छित बिन्दुओं पर आंख्या तत्काल उपलब्ध कराते हुये शासन को उपलब्ध काराये जाने के भी निर्देश दिये गये। इसके साथ ही जनपद में चिन्हित अन्य अत्यधिक संवेदनशील ग्रामों का अतिशीघ्र भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराते हुये उचित स्थान चिन्हित कर विस्थापन की दशा में शासन द्वारा निर्धारित नीति के तहत पुनर्वास प्रस्ताव तैयार किया जाय। *(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ उप जिलाधिकारी, भटवाडी/उप जिलाधिकारी डुण्डा/मुख्य राजस्व लेखाकार,जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।)*

7. कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत सतलुज जल विद्युत परियोजना, मोरी नैटवाड़ के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हेतु ट्रूनॉट/ट्रू–प्रेप मशीन उपलब्ध कराये जाने हेतु कुलरू0 17.92 लाख की धनराशि जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण को उपलब्ध करायी गयी है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को मशीन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में आदेश भी निर्गत किये गये है। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त हेतु व्यय सम्बन्धी विवरण तथा धनराशि की मांग प्रस्तुत करें ताकि उक्त हेतु धनराशि स्वास्थ्य विभाग को अवमुक्त की जा सके।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

8. कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत जनपद स्तर पर विभिन्न धर्मशालाओं/होटलों को उनसे प्राप्त सहमति के क्रम में निःशुल्क क्वारंटीन केन्द्रों के रूप में आवासीय व्यवस्था हेतु प्रयोग में लिया गया तथा उक्त केन्द्रों में अन्य आवश्यक व्यवस्थायें प्रशासन के द्वारा किये जाने के आधार पर धर्मशालाओं/होटलों को अधिगृहित किया गया। उक्त धर्मशालाओं/होटल के प्रबन्धकों द्वारा क्वारंटीन केन्द्रों के रूप में प्रयोग किये जाने के दौरान आवश्यक व्यवस्थाऐं यथा विद्युत/पेयजल/सफाई/धुलवाई एवं अन्य रखरखाव व्यय के रूप में देयतायें प्रस्तुत करते हुये धनराशि भुगतान की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–**888/18–B-I/2020-12** (04)/ 2013 TC-1 दिनांक 09.09.2020 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या–8409/तेरह–05(2019–20) दिनांक 15 सितम्बर 2020 के क्रम में गठित समिति को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त देयताओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित धर्मशालाओं/होटल के प्रबन्धकों से बैठक कर उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धितों को किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में सयुक्त आंख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। *(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।)*

9. पूर्व में पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस विभाग हेतु 20 स्लाइडिंग बैरियर उपलब्ध कराये जाने के मॉग के क्रम में इस कार्यालय द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अर्न्तगत स्थानीय बाजार का सर्वे कर दर निर्धारित करते हुये उक्तानुसार 17 स्लाइडिंग बैरियर बनाये जाने/क्रय हेतु रू0 96,900.00 की धनराशि कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु विभिन्न संस्थाओं/नागरिकों द्वारा सहयोग राशि के रूप में प्राप्त धनराशि मध्ये किया गया। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार स्लाइडिंग बैरियर उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 1.00 लाख की धनराशि की मांग की गयी है। उक्त सन्दर्भ में निर्णय लिया गया कि पूर्व में निर्धारित दरों के अनुसार पुनः 17 नग बैरियर रंगाई, लिखाई सहित पुलिस विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल धनराशि रू0 96,900.00 (छीयानब्बे हजार नौ सो रूपये) विभिन्न संस्थाओं/नागरिकों द्वारा सहयोग राशि के रूप में प्राप्त धनराशि अर्न्तगत दिये जाने का निर्णय लिया गया। *(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी,उत्तरकाशी।)*

क्रमशः.................3

Scanned with OKEN Scanner

10. कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत अधिग्रहण होटल/भोजन आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–888/18–B-1/2020-12 (04)/ 2013 TC-1 दिनांक 09.09.2020 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या–8409/तेरह–05(2019–20) दिनांक 15 सितम्बर 2020 के क्रम में गठित समिति को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त देयतोओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित होटल के प्रबन्धको एवं भोजन आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक कर उक्त के सम्बन्ध में मानकानुसार भुगतान किये जाने हेतु संयुक्त आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।)

11. कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी एवं राजकीय इण्टर कॉलेज उत्तरकाशी मे स्थापित क्वारंटीन केन्द्रों में क्वारंटीन किये गये प्रवासियों/नागरिकों की आवासीय व्यवस्था हेतु तद्‌समय तात्कालिकता के आधार पर स्थानीय बाजार से बिस्तर आदि किराये पर लिया गया। इसी प्रकार अन्य क्वारंटीन केन्द्रों यथा राजकीय पॉलीटेकनिक उत्तरकाशी एवं बौन इंन्जनियरिंग कॉलेज में क्रय किये गये सामग्री यथा चादर, तकिया कवर, तौलिये आदि की धुलवाई स्थानीय बाजार में उपलब्ध धोबी से की गयी उक्त के देयताओं के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–888/18–B-1/2020-12 (04)/ 2013 TC-1 दिनांक 09.09.2020 के क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या–8409/तेरह–05(2019–20) दिनांक 15 सितम्बर 2020 के क्रम में गठित समिति को निर्देश दिये गये कि स्थानीय बाजार में उक्त सम्बन्धी दरों का सत्यापन कर भुगतान के सम्बन्ध में सयुक्त आख्या सस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड–19 के दृष्टिगत कोविड संक्रमण की रोकथाम तथा संक्रमित व्यक्तियों के उपचारार्थ हेतु प्रशासन द्वारा विभिन्न होटलों का अधिग्रहण कर कोविड केयर सेन्टर/क्वांरटीन केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राजय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 225/USDMA/792(2020) दिनांक 19.09.2020 के द्वारा तालाबन्दी (लॉकडाउन) की क्रमवार समाप्ति (Unlock-4) के क्रम में जारी दिशा–निर्देशों के द्वारा अन्य राज्यों/जनपदों से आने वाले कोरोना सम्भावित व्यक्तियों को सीधे होम क्वांरटीन किया जाना है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत पूर्व में अधिग्रहित किये गये होटलों को अधिग्रहण से अवमुक्त किया जाना उचित होगा। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय में मात्र 02 अथवा 03 होटल डी0सी0सी0सी0 अथवा हाई रिस्क कॉन्टेक्ट आदि हेतु प्रर्याप्त होगा। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उक्तानुसार उत्तरकाशी शहर अर्न्तगत 04 एवं बड़कोट क्षेत्र में 02 होटलों के अतिरिक्त जनपद के समस्त होटलों के साथ–साथ जी0एम0वी0एन0 हर्षिल एवं सांकरी को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये। मुख्यालय में 04 एवं बड़कोट क्षेत्र के 02 होटलों के अधिग्रहण को निरन्तर रखे जाने के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी उक्त होटलों का निरीक्षण कर सम्बन्धितों से नेगोसेशन कर दर निर्धारित कर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी ,उत्तरकाशी।)

12. बी0एस0एन0एल0 के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा जनपद में समय–समय पर बी0एस0एन0एल0 की इन्टरनेट सेवाऐ बाधित रहने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जनपद में चारधाम परियोजना के अर्न्तगत हो रहे सड़क निर्माण एवं जगह–जगह पर सक्रिय भूस्खलन से केबिल क्षतिग्रस्त होने से इन्टरनेट सेवा प्रभावित रहती है। उक्त के दृष्टिगत प्रभागीय अभियंन्ता ओ0एफ0सी0 बी0एस0एन0एल0, एन0टी0आर0 द्वारा प्राप्त आंख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत उत्तरकाशी–डुण्डा–धरासू–चिन्यालीसौड़ एवं धरासू–ब्रहमखाल– बडकोट क्षेत्र में ओ0एफ0सी0 लाईन समय–समय पर क्षतिग्रस्त होने के दृष्टिगत उक्त क्षेत्रों में ओ0एफ0सी0 केबल को बी0टी0एल0 द्वारा स्थापित पोल के माध्यम से लगाया जाना उचित होगा। उक्त के सम्बन्ध में जनपद में आपदा की संवेदनशीलता के साथ–साथ वर्तमान में कोविड के नियंत्रण के सम्बन्ध में की जा रही प्रभावी कार्यवाही के दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि उक्त चिन्हित क्षेत्रों में बी0टी0एल0 द्वारा स्थापित पोल के माध्यम से बी0एस0एन0एल0 के लाईन को व्यापक जनहित के दृष्टिगत निःशुल्क लगाया जाना होगा। इस सम्वन्ध में संम्बन्धितों से आवश्यक पत्राचार कर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही– प्रभागीय अभियन्ता बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।)

क्रमशः................4

Scanned with OKEN Scanner

13. कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरकाशी द्वारा तैनात एम्बुलेन्स/अन्य वाहनों में आकस्मिक सेवाओं के दृष्टिगत 05 वाहन चालकों की तैनाती की मांग एस0डी0आर0एफ0 मद के तहत की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया की मुख्य चिकित्साधिकारी उक्त के दृष्टिगत विभाग के पास वर्तमान में कोविड के नियंत्रण हेतु तैनात एम्बुलेंन्स/वाहनों एवं उक्त वाहनों में तैनात चालकों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/औचित्य उपलब्ध कराये तथा उक्त हेतु विभाग के पास धनराशि के पास धनराशि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में स्पष्ठ आख्या अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा भी सीमान्त क्षेत्र विकास परियोजना के तहत आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण के माध्यम से प्रस्तावित मारचुरी वाहन उपलब्ध किये जाने एवं उक्त वाहन के कोविड संक्रमित मृतकों के परिवहन हेतु किये जाने के दृष्टिगत एक वाहन चालक की तैनाती आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के क्रम में निर्देश दिये गये की कोविड के नियंत्रण के सम्बन्ध में पूर्व में गठित क्रय समिति उक्त के सम्बन्ध में स्पष्ठ आख्या संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय ,उत्तरकाशी)

14. विगत वर्ष मोरी तहसील अर्न्तगत आराकोट क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुयी विभिन्न विभागीय परिसम्पत्तीयों के पुर्ननिर्माण/मरम्मत सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया की सभी सम्बन्धित विभाग उक्त क्षतियों से सम्बन्धित प्रस्तावों की स्वीकृत के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से पत्रचार कर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे तथा वर्तमान वर्ष में हुयी विभागीय क्षतियों से सम्बन्धित प्रस्ताव एस0डी0आर0एफ0 मानक के अनुरूप तत्काल सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, उप जिलाधिकारी, पुरोला/समस्त विभागीय अधिकारी)

15. जनपद अन्तर्गत विभिन्न नदियों में अतिरिक्त आर0बी0एम0 जमा होने के कारण मानसून अवधि में आसन्न सम्भावित खतरे से सुरक्षा के दृष्टिगत नदी चैनालाईजेशन के तहत तहसील स्तरीय गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त भागीरथी इकोसेन्सटिव जोन की परिधि से बाहर रिवर ट्रेनिंग कार्य किये जाने सम्बन्धी प्रस्तावों पर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्भावित खतरे की सुरक्षा के दृष्टिगत सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी, समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/जिला खान अधिकारी, उत्तरकाशी)

अन्त में बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 1530 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक/कोविड–19/2020 दिनांक–24 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण की बैठक

:: उपस्थिति ::

दिनांक– 19.09.2020

स्थान– एन0आई0सी0 कक्ष, उत्तरकाशी।

क्र०सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Pankaj Bhatt	[signature]	9411112733	[signature]
2	डि० वी० पी० आर्य	[illegible]	9837020375	[signature]
3	Balak Ram	Treasury	9219736164	[signature]
4	D. S. Negi	Revenue	9410191049	[signature]
5				
6	R. S. Khatri	PD PWD Bhatwari	9411384150	[signature]
7	Er. V.V. Rawat	ExEn, RWD	9412998190	[signature]
8	Rimanand Sharma EE	Infrastructure Div. Uttarkashi	94125?5?95	[signature]
9	SURESH TOMAR	EE CD PWD Chinyalisaur	7579186700	[signature]
10	J.S. Rawat	EE. I.D. UKI	9412363621	[signature]
11	Praveen Kush	EE PD PWD UKI	9997163215	[signature]
12	Rajendra Kumar Pal	AE PWD. Barkot	9411143449	[signature]
13	ASHISH BHATT	AE. P.M.G.S.Y.	9760041357	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22.08.2020 को कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में आहूत वीडियों कॉन्फेरिंग बैठक में दिये गये निर्देश सम्बन्धी कार्यवृत्त

बैठक उपस्थिति–

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
5. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
6. उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
7. डॉ0 बी0एस0 रावत, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
8. डॉ सुजाता, चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
9. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।

दिनांक 22.08.2020 को कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार एवं मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत वीडियों कन्फेसिंग बैठक निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है–

1. जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर स्क्रीनिंग केन्द्रों पर बाहर से आने वाले स्थानीय/प्रवासियों की शतप्रतिशत जांच एवं स्क्रीनिंग तथा सैम्पलिंग किये जाने एवं वाहनों को सैनेटाईज किये जाने की समुचित व्यवस्था की जाए। जिससे कोई भी वाहन/यात्री/प्रवासी बिना स्क्रीनिंग के जनपद में प्रवेश नहीं करें। सीमा पर स्थापित स्क्रीनिंग/सैम्पलिंग केन्द्रों पर आने वाले लोगों हेतु पर्याप्त व्यवस्था यथा प्रतीक्षालय, शौचालय/पेजयल, सैम्पलिंग कक्ष, पी0पी0ई0 किट बदलने एवं अल्प विश्राम हेतु कक्ष तथा सुरक्षा कार्मिकों हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गए है। ताकि किसी भी कर्मी एवं आने वाले प्रवासियों/स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न होने पाए।

   कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बड़कोट/पुरोला/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त नोडल अधिकारी, बैरियर/स्क्रीनिंग सेन्टर।

2. कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोरोना पॉजीटिव पाये जाने वाले क्षेत्र को गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकानुसार तत्काल Containment Zone बनाये जाने। यथा आवश्यक विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पॉजीटिव केश पाए जाने पर निर्देश दिये गये है कि उक्त क्षेत्र में आवश्यकतानुसार Containment Zone बनाते हुये उक्त क्षेत्र में रहने वाले समस्त लोगों की सैम्पलिंग की जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि कोविड वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कन्टेनमेंट जोन में निर्धारित समय तक लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर जोन के अन्दर रहने वाले लोगों की दैनिक आवश्यकता की सामग्री उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जाय। क्षेत्र में डोर–टू–डोर सर्वेक्षण, सैनेटाइज करने, चिकित्सकीय परीक्षण तथा यथोचित अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किये जाने के निर्देश दिये गये है।

   कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बड़कोट/पुरोला/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

DEOC UKI k2-17

Scanned with OKEN Scanner

3. जनपद अन्तर्गत कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु आम–जनमानस को कोरोना वायरस से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, गृह संगरोधन के प्रोटोकॉल का अनुपालन आदि कोविड–19 वायरस के रोकथाम सम्बन्धी सावधानियों की जानकारी से जागरूक किये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद अन्तर्गत सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क का प्रयोक न करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करते हुये नियामानुसार दण्डात्मक व चालान की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा। किया जा। उक्त चालान होने वाले लोगों को चालान होने पर मास्क भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बडकोट/पुरोला/मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/ नोडल अधिकारी प्रशिक्षण/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद उत्तरकाशी।

5. राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के दृष्टिगत आगामी 15 दिनों तक विशेष एहतियात/सर्तकता बरतने के निर्देश दिये गये। इसके साथ यह भी निर्देश दिये गये है कि जनपद अन्तर्गत विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिलाओं एवं जटिल बीमार व्यक्तियों व दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत लोगों की सैम्पलिंग की जाय। कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु वृहत/संघन सर्विलांस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग व ट्रेवल हिस्ट्री कार्य किया जाय प्राप्त सूचनाओं का वृहत विश्लेषण किया जाना आवश्यक है, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। उक्त कार्य में स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं पुलिस विभाग को क्रियात्मक सहयोग दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बडकोट/पुरोला।

8. प्रवासियों हेतु राज्य सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु योजनाओं के सफल संचालन के लिये जनपद में सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये इस सम्बन्ध में बैंक ऋण सम्बन्धी जटिलताओं के सम्बन्ध में बैंकर्स के साथ समय–समय पर बैठक आहूत कर समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण किया जाय।

कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बडकोट/पुरोला/ लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी।

9. जनपद अन्तर्गत वर्तमान में डेंगू के प्रकोप से बचाव हेतु विशेष तैयारी, तत्सम्बन्धी औषधियों के छिड़काव एवं इसके व्यापक बचाव हेतु सावधानियां सम्बन्धी जानकारियों का प्रचार–प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बडकोट/पुरोला।/ समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, जनपद उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–1449/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक 31 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः– उपरोक्त सम्बन्धित के अनुपालनार्थ प्रेषित हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

DEOC UKI k2-17

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 07 अगस्त, 2020 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

1. श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री पी0सी0 डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. डॉ0 डी0पी0 जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. श्री चतर सिंह चौहान, प्रभारी अधिकारी, उत्तरकशी।
6. श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
7. श्री डी0एस0 नेगी, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
8. श्री सोहन सिंह सैनी, उप जिलाधिकारी, पुरोला।
9. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
10. डॉ0 एस0डी0 सकलानी, प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
11. श्रीमती हिमानी स्नेही, मुख्य कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
12. डॉ0 प्रलयंकरनाथ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
13. डॉ0 विपुल विश्वास, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
14. डॉ0 आर0सी0 आर्या, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, पुरोला उत्तरकाशी।
15. श्री विजय प्रताप कण्डारी जिला युवा कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी।
16. सुश्री वन्दना जौहरी, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, उत्तरकाशी।
17. श्री चन्दन सिंह, कर अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
18. श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी, प्रा0 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
19. श्री संजय बिजल्वाण, ए0डी0पी0ओ0, उत्तरकाशी।
20. श्री संगम सिंह, सी0डी0पी0ओ0, उत्तरकाशी।
21. डॉ0 सुजाता सिंह, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
22. डॉ0 कुशुमलता उनियाल, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
23. श्री प्रकाश सिंह खत्री जिला पर्यटन विकस अधिकारी उत्तरकाशी।
24. श्री सर्वेश मणी मिश्रा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
25. श्री यू0के0 तिवारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी।
18. श्री हरीशचन्द्र आर्या, डी0पी0आर0ओ0, उत्तरकाशी।
19. श्री विमल कुमार, डी0डी0ओ0/ए0पी0डी0, उत्तरकाशी।
20. श्री जितेन्द्र सक्सेना जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, उत्तरकाशीं
21. श्री जितेन्द्र, परविहन कर अधिकारी, उत्तरकाशी।
22 श्री प्रवीण कुमार आर0आई0 टेक्निकल ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय उत्तरकाशी।
23. श्रीमती सीमा, आशा समन्वयक, जनपद उत्तरकाशी।
24. श्रीमती कुसुम राणा, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, बाड़ाहाट, उत्तरकाशी।
25. श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी।
26. श्री सुरेश लाल, प्रशासनिक अधिकारी मुख्य राजस्व लेखाकार अनुभाग जिला कार्यालय उत्तरकाशी।
27. श्री गणेश मणी बड़ोनी, सहायक राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय उत्तरकाशी।

वर्तमान में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के सम्बन्ध में दिनांक 07.08.2020 को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अन्तर्गत समस्त सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों के साथ आवश्यक समन्वय हेतु महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में जनपद में कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु अबतक की गई कार्यवाही की जानकारी ली गई साथ ही भविष्य में बेहतर समन्वय हेतु रणनीति तैयार की गई। निर्देश दिये गये कि प्रत्येक शनिवार उक्त सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में आहुत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारी अपनी आख्या ससमय उपलब्ध करायेगें तथा शासन स्तर से उक्त हेतु जारी दिशा निर्देशों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु समस्त नोडल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग करेगें। पूर्व में लॉकडाउन के दृष्टिगत तैनात किये गये नोडल अधिकारियों के कार्यो में अनलॉक की प्रक्रिया में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होने पर पुनः नोडल अधिकारी की तैनाती का निर्णय लिया गया। इस प्रकार

क्रमशः....2

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की समीक्षा एवं भविष्य हेतु कार्ययोजना पर चर्चा करते हुये शासन स्तर से इस सम्बन्ध में समीक्षा एवं दिये गये दिशा–निर्देशों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही हेतु निम्न प्रकार निर्देश दिये गये:–

1. **संस्थागत क्वारंटीन–** संस्थागत क्वारंटीन के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये कि राज्य के बाहर से हाई रिस्क क्षेत्र से आने वाले समस्त प्रवासियों व हाई रिस्क कॉन्टेक्ट में आये सभी लोगों की शत प्रतिशत सैम्पलिंग करते हुये परिणाम आने तक संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाना होगा। कोविड टेस्ट की पॉजीटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें DCCC अथवा जिला चिकित्सालय में शिफ्ट किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त संस्थागतक्वारंटीन में रहने वाले अन्य लोगों को चिकित्सीय सुझाव पर शपथ–पत्र उपलब्ध कराते हुये गृह संगरोधन में शख्त हिदायत के साथ संस्थागत क्वारंटीन में भेजा जाना होगा। इसके साथ यह भी निर्देश दिये गये कि क्वारंटीन केन्द्रों में किसी भी अप्रिय घटना एवं रह रहे लोगों के मानसिक तनाव के दृष्टिगत प्रत्येक संस्थागत क्वारंटीन में रहने वाले व्यक्तियों की प्रत्येक दिन स्वास्थ्य परीक्षण के साथ–साथ मानसिक रूप से कांउसलिंग कर आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक दिन की संस्थागत क्वारंटीन किये गये समस्त लोगों की सूची तथा उनके किये गये टेस्ट के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध कराया जाना होगा। *(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/नोडल अधिकारी, संस्थागत क्वारंटीन।)*

2. **ग्राम क्वारंटीन–** उक्त हेतु नोडल अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत घरों/विद्यालयों व सामुदायिक केन्द्रों में क्वारंटीन में रखे गये लोगों हेतु समुचित व्यवस्था, सफाई एवं अन्य आवश्यक कार्यो हेतु ग्राम प्रधानों से समन्वय कर उनकी आवश्यकता अनुसार शासनादेश के अनुसार धनराशि की मांग प्राप्त कर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्राप्त कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न क्वारंटीन केन्द्रों मे क्वारंटीन किये गये लोगों की सूची के सम्बन्ध में आख्या प्रत्येक दिन वाररूम को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मियों/पंचायत प्रतिनिधियों का वाट्सएप ग्रुप बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य हेतु अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ग्राम स्तर पर सेनीटाईजेशन व स्वच्छता सम्बन्धी कार्य सहित नोडल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही–जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी/वाररूम प्रभारी/ अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत।)

3. **होम क्वारंटीन–** उक्त हेतु नोडल अधिकारी, जिला विकास अधिकारी द्वारा चिकित्सीय सलाह के आधार पर शपथ–पत्र के साथ होम क्वारंटीन किये गये समस्त लोगों का कम से कम सप्ताह में एक बार आशा एवं आंगनबाडी व स्थानीय अध्यापक की टीम द्वारा मॉनिटरिंग निश्चित रूप से की जानी सुनिश्चित की जायेगी। होम क्वारंटीन का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे सम्बन्धितो के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। उक्त टीम द्वारा आख्या जिसमें प्रत्येक दिन आये लोगों का विवरण, उनकी की गयी सैम्पलिंग के विवरण के साथ–साथ SARI/ILI का विवरण दैनिक रूप से आशा कॉडीनेटर के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार जिला विकास अधिकारी द्वारा माईग्रेन्ट एप के द्वारा सभी लोगों का फॉलोअप उक्त हेतु नामित मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आख्या दैनिक रूप से वाररूम प्रभारी को उपलब्ध करायेंगे। माईग्रेन्ट एप में आवश्यक सहयोग हेतु पूर्व तैनात सी0आर0टी0/बी0आर0टी0 का सहयोग लिया जा सकेगा।

(कार्यवाही–मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास/वाररूम प्रभारी।)

4. **टेस्टिंग–** जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा संक्रमण के प्रभावी रोकथाम हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक दिन जनपद में आने वाले व कोरोना वायरस समक्रमण के संदिग्ध लोंगों की जारी गाईडलाईन के अनुसार आई0टी0पी0सी0आर0 सैम्पलिंग की जाय, जिसके अन्तर्गत 200 सैम्पल प्रत्येक दिन AIIMS तथा शेष सैम्पल निजी लैब में भेजे जायें। भेजे गये सैम्पल की रिपोर्ट ससमय उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित लैब तथा AIIMS के सम्बन्धित अधिकारियों से लगातार समन्वय किया जाय। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि तीन अथवा चार से अधिक दिनों की सैम्पलिंग रिपोर्ट आनी लम्बित न रहे। ट्रूनट टेस्टिंग मशीन में प्रत्येक दिन औसतन 20 सैम्पलिंग की जानी होगी तथा प्रत्येक दिन की गयी सैम्पलिंग की नियमित रूप से पोर्टल पर इंट्री की जाय। इसी प्रकार रेपिड ऐन्टीजन टेस्टिंग सम्बन्धी सूचना भी तत्काल पोंटल पर अपलोड किया जाये। जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक दिन विवरण सहित की गयी/टेस्टिंग लैबवार भेजी गयी सैम्पलिंग एवं प्राप्त रिपोर्ट व लम्बित सैम्पलिंग रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही–जिला सर्विलांस अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।)

क्रमशः....3

Scanned with OKEN Scanner

5. **कॉनटेक्ट ट्रेसिंग**— नोडल अधिकारी, कॉनटेक्ट ट्रेसिंग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कोविड पॉजीटिव पाये गये लोगों की सूची प्रभारी वाररूम/जिला सर्विलांस अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त कर 05 घण्टे के अन्तर्गत कॉनटेक्ट ट्रेसिंग कार्य पूर्ण करते हुये रिपोर्ट वाररूम प्रभारी को उपलब्ध करायी जाय तथा वाररूम प्रभारी तत्काल सूची के अनुसार पाये गये कोविड संक्रमण से संदिग्ध लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखते हुये इनकी सैम्पलिंग कराकर गाईडलाइन के अनुसार यथाआवश्यक अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। *(कार्यवाही— प्रभारी वाररूम/जिला सर्विलांस अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)*

6. **केस मॉनीटिरिंग**— कोविड पॉजीटिव पाये गये सिम्प्टोमैटिक केस को प्रत्येक दशा में जिला चिकित्सालय में स्थापित DCHC में रखा जाना होगा। किसी भी कोविड पॉजीटिव व्यक्ति की स्थिति गम्भीर होने पर उसे तत्काल हायर सेन्टर हेतु रेफर किया जाना होगा। किसी भी कोविड पॉजीटिव के सिम्प्टोमैटिक व्यक्ति को DCCC व DCHC से डिस्चार्ज के समय बिना शपथ—पत्र भरवाये नहीं छोड़ा जाना होगा। प्रत्येक दशा में उक्त व्यक्ति से शपथ—पत्र पूर्ण रूप से भरवाकर हिदायत के साथ होम संगरोधन में भेजा जाना होगा।

(कार्यवाही— प्रभारी वाररूम/जिला सर्विलांस अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तरकाशी)

7. **DCCC** — नोडल अधिकारी, DCCC द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समस्त केन्द्रों में लोगों के सुविधाजनक रूप से रहने हेतु समस्त आवश्यक सुविधाओं के साथ—साथ सेनेटाईजेशन एंव सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जाय। इस हेतु समस्त उपजिलाधिकारी अपने—अपने क्षेत्रान्तर्गत होटल व अन्य विभागीय सुविधाजनक आवसीय भवनों को चिन्हित कर उपयोग में लिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी प्रत्येक केन्द्र में डॉक्टर व प्रशासनिक नोडल अधिकारी की तैनाती कराते हुये प्रत्येक DCCC में DCCC चैक लिस्ट तैयार कर पत्रावली में अनुमोदन उपरान्त मुख्य स्थान पर चस्पा करते हुये समस्त सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को भी उपलब्ध करायेगें। इस सम्बन्ध समस्त नोडल अधिकारियों को आवश्यक जानकारियॉ/प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय। उक्त समस्त DCCC केन्द्रों का डिजिटल मैप तैयार करते हुये सम्बन्धित समस्त सूचना पोर्टल पर अपडेट किया जाना होगा। पोर्टल पर सूचना अपडेटशन कार्य की मॉनीटिरिंग जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा की जानी सुनिश्चित की जायेगी। *(कार्यवाही— अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी वाररूम/समस्त उपजिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।)*

8. **सर्विलांस**— मुख्य विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, सर्विलांस के रूप में सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर डोर टू डोर सर्वे जो आशा, आंगनबाड़ी द्वारा तैयार किया जाता है तथा समस्त आर्युर्वेदिक व एलोपैथिक चिकित्सालयों के ओ0पी0डी0 में SARI/ILI से सम्बन्धित रोगियों, 60 वर्ष से अधिक वृद्धों व गर्भवती महिलाओं की सूची संकलित कर वाररूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय की सम्बन्धित MOIC द्वारा क्षेत्र की आशाओं को इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण व जानकारी प्रदान किया जाय तथा उक्त कार्य हेतु आशा व आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को वाशेबल पी0पी0ई0 किट, फेस शील्ड व थर्मल स्केनर क्रय कर उपलब्ध कराये जायें। विगत डोर टू डोर सर्वे में SARI/ILI से सम्बन्धित आख्या में बहुत कम लोगों को कोविड वायरस सम्बन्धी लक्षणों के होने के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे संवेदनशील रूप से उक्त सर्वेक्षण कार्य को गहनता के साथ सम्पादित करेंगे। उक्त के सम्बन्ध में दैनिक आख्या सम्बन्धित आशा व आंगनबाड़ी द्वारा आशा सुपरवाईजर तथा आशा कॉडीनेटर उसके उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास व मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जानी होगी। उक्त कार्य हेतु परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेगें। *(कार्यवाही— मुख्य विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण/प्रभारी वाररूम/कार्यक्रमय अधिकारी, बाल विकास/मुख्य चिकित्साधिकारी /आशा समन्वयक)*

9. **Procurement**— मुख्य चिकित्साधिकारी समस्त MOIC से उनकी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री/उपकरणों व एम्बुलेंस की मांग व इसी प्रकार प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक की मांग के सम्बन्ध में आख्या क्रय समिति को उपलब्ध करायेंगे। अपर जिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय व वरिष्ठ कोषाधिकारी उक्त के सम्बन्ध में सामग्री/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। *(कार्यवाही— अपर जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी /प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय।)*

क्रमशः....4

Scanned with OKEN Scanner

10. **प्रशिक्षण व जागरूकता**– मुख्य शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्सक संयुक्त रूप से समस्त डी0सी0सी0सी0 में नामित नोडल अधिकारियों, सफाईकर्मियों तथा कोविड–19 की रोकथाम हेतु तैनात अन्य कर्मियों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करते हुये आख्या नियमित रूप से वाररूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सामुदायिक स्तर पर कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जनजागरूता के लिए समस्त उपजिलाधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के सहयोग से दैनिक रूप से वाहन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में की जानी वाली कार्यवाही से भी जन सामान्य को अवगत कराते हुये नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। विभिन्न बाजारों के सप्ताहिक बंदी के दौरान व्यापक रूप से सफाई कार्यक्रम, सेनेटाईजेशन व छिड़काव करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी /मुख्य शिक्षा अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत।)

11. **अनुपालन न करने पर कार्यवाही**– गृह मंत्रालय, भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने की दशा में व्यापक रूप कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जायेगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेसिंग मजिस्ट्रेट, राजस्व व नगर पालिकायें अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत गाईडलाईन का अनुपालन नहीं करने वाले लोगों के विरूद्व व्यापक रूप से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी/ समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत।)

12. **मृतक प्रबन्धन**– गृह मंत्रालय, भारत सरकार व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप कोविड संक्रमित एवं संदिग्ध मृतक व्यक्ति के अंतिम संस्कार किये जाने हेतु चिन्हित समिति के दिशा–निर्देशन में शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, एस0डी0आर0एफ0 के सहयोग से समस्त कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कोविड–19 के सक्रमण हेतु उप जिलाधिकारियों की मांग के अनुरूप समय–समय पर वाहन उपलब्ध करातें हुये देयकों को प्रमाणित कर भुगतान हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। जिला पर्यटन विकास अधिकारी भविष्य में संक्रमण के संभावित बृद्धि के दृष्टिगत अन्य होटलों की आवश्यकता के दृष्टिगत पूर्व से ही होटलों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध करायेगें तथा होटल स्वामियों से पूर्व में ही समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेगें।

विभिन्न प्रान्तों व राज्य के विभिन्न जनपदों से प्रवासियों के अपने पैतृक निवास में वापस आने से उनके रोजगार व आजीविका से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान तथा आजीविका संवर्धन व स्वरोजगार की सम्भावनाओं, कृषि, पशुपालन, उद्योग, मत्स्य पालन आदि कार्यों की रूचि व आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अध्ययन कर प्रवासियों हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा, जिला सेवायोजन अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, मुख्य उद्यान अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य, सहायक निदेशक दुग्ध विकास, तथा प्रभागीय प्रबन्धक, एकीकृत आजीविका संवर्धन परियोजना समन्वित रूप से योजना पर कार्य करेगें तथा इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उक्त अधिकारियों से समन्वय कर योजना के क्रियान्वयन आख्या मुख्य विकास अधिकारी, के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(कार्यवाही– समस्त सम्बन्धित अधिकारी।)

उक्त दिशा निर्देशों का ससमय अनुपालन करते हुये गम्भीरता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। किसी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता क्षम्य नही होगी। उक्त दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1997 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

अन्त में बैठक के समाप्ति की घोषण की गयी।

(मयूर दीक्षित)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 1353 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक/कोविड–19/2020 दिनांक– 11 अगस्त, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कोविड–19 के सम्बन्ध में बैठक।

क्र.सं.	अधिकारी नाम/पदनाम	मो0	हस्ताक्षर
1			
2	[illegible] MGN	[illegible]	[illegible]
3	P.C. Dandriyal, CDO	8218924757	[illegible]
4	Himani Snehi C.T.O.	9458931632	[illegible]
5	Dr. Pralayankar Nath CVO	8937001274	[illegible]
6	Vijay Gopal Bhandari	9412991255	[illegible]
7	Dr. Sujata Singh	9411723371	[illegible]
8	Dr. Kusumlata Uniyal	9412912310	[illegible]
9	Prakash Singh Khatri, Dpro	8954615410	[illegible]
10	Sarvesh Mani Mishra DIO	9873976231	[illegible]
11	U.K. TIWARI - GM DIC	9897366778	[illegible]
12	Harish Arya DPRO	9412977300	[illegible]
13	Vimal Kumar DDO/APD	8979633489	[illegible]
14	Sanjay Kumar Singh PD	8191830001	[illegible]
15	D.S. Negi SDM	9410191049	[illegible]
16	C.S. Chauhan OC(C)	8006509340	[illegible]
17	Sohan Singh Saini SDM Purola	9719773528	[illegible]
18	Vandana SPO UREDA	9412864765	Vand
19	Kusum Kaur D.H.I.	9997995144	Kusum
20	Seema Agrawal	9997043680	[illegible]
21	ANIL BISHT	9897283474	[illegible]
22	Vinod Kumar	9410177772	Vinod
23	Arvind Kannaujia	9756937365	[illegible]
24	लक्ष्मीसिंह कर अधिकारी जिलापंचायत	9412974274	[illegible]
25	Jitendra Sapera	9410913699	[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

क्र.सं.	अधिकारी नाम / पदनाम	मो0	हस्ताक्षर
26	विनोद प्रसाद सिमल्टी प्र. CEO.	7253993565	[signature]
27	Sanjay Bijslwan ADCO	8126667423	[signature]
28	SARGAM SINGH CDPO	9410530085	[signature]
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25.07.2020 को मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी समीक्षा हेतु आहूत वीडियों कन्फ्रेसिंग में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में प्रत्येक शनिवार को कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम सम्बन्धी वीडियों कन्फ्रेसिंग के द्वारा समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 25.07.2020 को आहूत वीडियों कन्फ्रेसिंग में कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम एवं वर्तमान समय में जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

1 जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 02 माह में सम्भावित संक्रमित व्यक्तियों के संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों/उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

2. जनपद में कोरोना वायरस से संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों की सूची में कतिपय संदिग्धों द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण में अपना दूरभाष नम्बर सही/स्पष्ट नहीं दिया गया है अथवा उनके द्वारा कन्ट्रोल रूम द्वारा फोन किये जाने पर उसका प्रतिउत्तर नहीं दिया जा रहा है अवथा नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। ऐसे व्यक्तियों की सूची संकलित कर उनका ICMR गाईड लाईन के अनुसार कॉउसिलिंग एवं सैम्पलिंग किये जाने सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी, वाररूम/पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी/बडकोट/ समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।

3. कोविड–19 के सम्बन्ध में सूचनाओं में विभिन्न स्तर पर सूचनाओं की भिन्नता के सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित आपस में समन्वय स्थापित करं सूचनाओं को तार्किक रूप से प्रस्तुत कर पोर्टल तथा अन्य माध्यम से शासन को अवगत कराने की कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी वार रूम/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।

4. समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा किये जा रहें सर्वेक्षण में 60 वर्ष से अधिक वृद्ध लोगों में को–मोर्विड लोगों का विवरण एवं गर्भवती महिलाओं की सूची वाररूम को उपलब्ध कराते हुए उनकी सैम्पलिंग की जानी सुनिश्चित की जाय। उक्त के क्रम में प्रथम चरण में शहर क्षेत्र में इस प्रकार के लोगों की शतप्रतिशत सैम्पलिंग कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास/प्रभारी, वाररूम/ समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

5. जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ रहें कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एवं उनके सम्पर्क में आये अन्य व्यक्तियों की तत्काल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किये जाने के दृष्टिगत समुदायिक संक्रमण को रोके जाने हेतु जनपद के अन्य क्षेत्रों यथा चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला में भी स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई व अन्य विभागीय कार्मिकों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम का गठन किया जाय।

कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/प्रभारी अधिकारी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम/ पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी/बडकोट/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः...................2

Scanned with OKEN Scanner

6. जनपद में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। जिससे विभागीय एवं कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण में तैनात कार्मिकों की संक्रमित होने की सम्भावना है। उक्त के दृष्टिगत निर्देश दिये गये है कि समस्त विभागों एवं कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण में तैनात कार्मिकों की रैन्डम सैम्पलिंग की जाय। उक्त कर्मिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार फैस शील्ड क्रय कर उपलब्ध कराये जाये। इसके अतिरिक्त समय–समय पर आहूत बैठकों में प्रतिभाग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की भी रैन्डम सैम्पलिंग की जाय।

कार्यवाही– समस्त विभागाध्यक्षत, जनपद उत्तरकाशी/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी/बड़कोट/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

7. जनपद में कोरोना पॉजिटव व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्वि के दृष्टिगत ट्रूनॉट मशीन में सैम्पलिंग की रिपोर्ट जल्दी आने को कारण ट्रूनॉट मशीन में सैम्पलिंग की संख्या में वृद्वि की जाय। जिसमें जनपद में प्रवेश करने वाले यात्रियों की भी सैम्पलिंग की जाय।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी प्रभारी, वाररूम/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

8. समस्त स्क्रीनिंग केन्द्रों में आने वाले प्रवासियों/यात्रियों/सभी वाहनों की गहनता पूर्वक एवं संवेदनशीलता के साथ शतप्रतिशत जांच व स्क्रीनिंग तथा सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित की जाय। कोई भी व्यक्ति/वाहन बिना स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजेशन के जनपद में प्रवेश नहीं करेंगे।
उक्त समस्त स्क्रीनिंग सेन्टर में पेयजल/शौचालय/सेल्टर एवं पोंटा कैबिन आदि सुविधा की जानी सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ नोडल अधिकारी, समस्त स्क्रीनिंग सेन्टर/ समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/नोडल अधिकारी, वाररूम2

9. सोशल मीडिया के माध्यम से कोरोना वायरस सम्बन्धी भ्रमक सूचनाओं के फैलने के दृष्टिगत समस्त सोशल मीडिया वैबपेज/ऐप पर भ्रमक सूचनाओं की कड़ी निगरानी किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त भ्रमक सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/ जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी / पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी/बड़कोट।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

तेरह– 1260/कोरोना (COVID-19)2019–20 दिनांक 25 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि:–

1. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

DEOC- k2- 2019@Mtg

Scanned with OKEN Scanner

(दिनांक- 03.07.2020 को शासन के निर्देशानुसार कोविड–19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जनपद आपाताकालीन परिचालन केन्द्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत)

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण

1– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ मुख्य सर्विलांस अधिकारी, कोविड–19
2– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय उत्तरकाशी।
3– उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4– उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
5– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/वार रूम प्रभारी, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी।
6– खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा।
7– जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
8– नोडल कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम, जनपद उत्तरकाशी।

उपरोक्त विषयक वर्तमान समय में कोरोना वायरस (CoVID–19) को आपदा के रूप में अधिसूचित किया गया है। वर्तमान समय में अन्यत्र राज्यों/जनपदों/विदेशों से जनपद में अनलॉक–02 के अन्तर्गत आवागमन किया जा रहा है तथा मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पंत्राक संख्या– 385/USDMA/792 (2020) दिनांक 02.07.2020 के नवीनतम दिशानिर्देश के अन्तर्गत high load Covid-19 infected शहरों से आये कोरोना सम्भावित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी asymptomatic व्यक्तियों को 14 दिवसीय गृह संगरोधन हेतु निर्देश दिये गये है।

(**clause 4.3: All inbound persons, not from high load Covid-19 infected cities shall only be home quarantined for 14 days.**)

उपरोक्त के सन्दर्भ में आहूत की गयी बैठक में मुख्य सर्विलांस अधिकारी, प्रभारी वाररूम, आपातकालीन चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्योंकि बाहरी राज्यों से विभिन्न माध्यम यथा बस/कार/रेल/हवाई यात्रा से आने वाले समस्त प्रवासियों के सन्दर्भ में निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि वे यात्रा/प्रवास के दौरान कोरोना संक्रमित अथवा उसके प्राथमिक सम्पर्क वाले अज्ञात व्यक्तियों के सम्पर्क में आये है या नहीं तथा वर्तमान में जनपदान्तर्गत कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में न सिर्फ वृद्धि हुई है बल्कि संक्रमित पाये गये अधिकांश व्यक्ति asymptomatic हैं एवं आने वाले ऐसे asymptomatic व्यक्तियों द्वारा संक्रमण के प्रसार की पूर्ण सम्भावना है।

क्रमशः..................2

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्देशित किया गया कि महानगरों की तर्ज पर बाहर से आये हुए ऐसे प्रवासी जो high load Covid-19 infected शहरों से नहीं आये हैं तथा जिन्हें नवीनतम दिशा निर्देशानुसार 14 दिवसीय संस्थागत क्वारंटीन नहीं किया जा सकता उनको जनपदीय सीमा स्थित बैरियर से जिला चिकित्सालय में ICMR के दिशा निर्देशानुसार आर0टी0पी0सी0आर0 सैम्पल हेतु भेजा जाये तथा सैम्पल लेने के पश्चात धनराशि रू0 01 लाख के निजी मुचलके पर इस प्रतिबन्ध के अधीन कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु समस्त नियमों का पालन करेंगे उन्हें गृह संगरोधन में भेजा जाय। गृह संगरोधन के नियमों का उल्घंन करने की स्थिति में व्यतिक्रमी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों में आये प्रवासियों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित पंत्राक संख्या–944/तेरह–आ0प्र0प्रा0 (कोविड–19)/2020 दिनांक 12.06.2020 के अनुसार ग्राम स्तरीय समिति के विवेकानुसार गृह संगरोधन में भेजा जाये तथा पृथक कक्ष एवं शौचालय न होने की स्थिति में अथवा गृह संगरोधन वाले स्थान में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे/65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध होने की स्थिति में पंचायत संगरोधन में रखा जाये। मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या– 197/यू.एस.डी.एम.ए.– 838–(2020) दिनांक 23.05.2020 के निर्देशानुसार एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा पारित पत्रांक संख्या–1088/आ0प्र0प्रा0(COVID-19)/2020 दिनांक 01.07.2020 द्वारा नगरीय क्षेत्र में आये प्रवासियों को वार्डवार नियुक्त नोडल अधिकारी की आख्यानुसार पृथक कक्ष एवं शौचालय न होने की स्थिति में अथवा गृह संगरोधन वाले स्थान में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे/65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध होने की स्थिति में संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाये।

भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार छोटे बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलायें संस्थागत अथवा पंचायत संगरोधन में नहीं रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त दैनिक रूप से जनपदान्तर्गत आये प्रवासियों को उनको किये गये क्वारंटीन विवरणानुसार एवं जनपद में SARI/ILI के लक्षण से ग्रसित लोगों की सूची तथा उनकी ICMR गाईडलाइन के अनुसार की गयी सैम्पलिंग (RTPCR/TRUNAT) की आख्या अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाहीः– मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य सर्विलांस अधिकारी,/प्रभारी, वाररूम जिला चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/ नोडल समस्त बैरियर)

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

संख्या- 1119 /तेरह-आ0प्र0प्राधि/2019-20 दिनांक 07 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि :- उपरोक्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक संख्या – 864

दिनांक 31 मई, 2020 को अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1 उप मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
2 प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
3 उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4 उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
5 प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
6 आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7 नोडल अधिकारी, वाररूम, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

दिनांक 31.05.2020 को अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वर्तमान समय में जनपद में अत्यधिक संख्या में प्रवासी नागरिक आने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण से नियंत्रण हेतु आवश्यक बैठक आहूत की गयी। बैंठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है–

1. प्रत्येक ग्राम स्तर पर पर एक पंजिका रखी जाय, जिसमें बाहर से आने वाले सभी प्रवासी नागरिकों की सम्पूर्ण सूचना के साथ–साथ ग्राम में " ILI"एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों के लोगों की सूचना दैनिक रूप से दर्ज कर अद्यतन रखते हुये प्रत्येक दिन वाररूम को उपलब्ध कराया जायेगा। वाररूम उक्त ग्राम स्तर से प्राप्त होने वाली प्रवासी लोगों एवं "ILI"एवं " SARI " सम्बन्धित लक्षणों के लोगों की सूचना का विवरण Excel में तैयार कर संरक्षित करेगें।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, वाररूम/जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी/ /जिला कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य शिक्षाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी।

2. जनपद के बॉडर पर नगुण बैरियर चिन्यालीसौड, डामटा में आवागमन खुलने पर भी निरन्तर 24X7 घण्टें जनपद में आने वाले प्रवासियों, आवश्यक सेवाओं के वाहनों, एम्बुलेंस एवं लोगों की सघन चैकिंग/निगरानी कर स्क्रीनिंग करते हुये ण्आने वाले लोगों की सूची तैयार करते हुये वाहनों को सेनेटाईज करने सहित आदि कार्य यथावत करेगें। पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत निरन्तर सेनेटाईजेशन/साफ–सफाई करवाते हुये सम्भावित संक्रमित लोगों को पृथक कर प्रोटोकॉल के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त अधिशसी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत/नोडल अधिकारी/स्टैटिक टीम नोडल अधिकारी, नगुण बैरियार/डामटा बैरियर।

3. कोविड केयर सेन्टर एवं क्वारंटीन सुविधाओं को बढ़ाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते हुये इस सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था दुरूस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता/मांग के अनुसार एम्बुलेंस एवं वाहनों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी/सम्बन्धित, उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

4. भविष्य में आवागमन खुलने की सम्भावना के दृष्टिगत वाहनों के आवागमन अनुमति के उपरान्त ही किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक टैक्सी बस संचालक द्वारा एक पंजिका तैयार की जायेगी जिसमें टैक्सी/बस यूनियन द्वारा वाहनों के संचालन का रोस्टर सहित समस्त यात्रियों आदि का विवरण रखा जायेगा।जिसकी सूचना प्रत्येक दिन वाररूम तथा कन्ट्रोल रूम कों दी जायेगी। सूचना के संकलन हेतु प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

कार्यवाही– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी/ स्टैटिक टीम नोडल अधिकारी, नगुण बैरियार/डामटा

5. जनपद में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त आवश्यक व्यवस्थायें की जाये जिससे प्रसूति महिलाओं एवं उनके शिशु को संक्रमण से मुक्त रखा जा सके इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की लापरवाही नही की जाये।

कार्यवाही– प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।

6. समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रों के बाजार एवं भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर आने वाले सभी व्यक्तियों की नियमित स्क्रीनिंग की जाये जिससे वायरस के संक्रमण को रोका जा सके यथा आवश्यक इस कार्य में पुलिस का सहयोग लिया जा सकेगा।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/प्रमुख चिकित्साधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला।

7. गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार विभागीय कार्यालयो के खुलने पर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाईजेशन सहित आदि सभी सावधानियों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये जिससे वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।

कार्यवाही– समस्त कार्यालाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।

8 होटल व्यवसाय संचालन की अनुमति प्राप्त होती है तो प्रत्येक होटल में आने वाले आगन्तुकों की निर्धारित प्रारूप पर सूचना एकत्रित करते हुये सूचना दैनिक रूप से कन्ट्रोल रूम को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही होटम में आने वाले सभी आगन्तुकों व कार्मिकों का दैनिक रूप से आई0आर0 थर्मामीटर से स्क्रीनिंग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही–पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

पत्र संख्या–864/आ0प्र0प्रा0 (CoVID-19)/2020 दिनांक ~~मई~~ 02 जून, 2020

प्रतिलिपिः– उपरोक्त सम्बन्धित के अनुपालनार्थ प्रेषित हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27 मई 2020 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बाहरी राज्यों से भेजे जा रहे प्रवासियों हेतु आववश्यक तैयारी सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्तः—

बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है :—

1. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी ।
3. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
4. प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी ।
6. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी ।
7. डा0 सुजाता, जिला चिकिंत्सालय, उत्तरकाशी।
8. डा0 तरूण, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
9. डा0 विश्वास, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।

बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत अवगत कराया गया कि आगामी सप्ताहों में जनपद में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि होने की प्रबल सम्भावना है। जिसके मध्यनजर जनपद में बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों को संस्थागत संगरोधन में रखने हेतु, संगरोधन में सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी नितान्त आवश्यक है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले व्यक्तियों को मा0 न्यायालय के निर्देशों के अनुक्रम में भोजन, विद्युत, पयेजल तथा शौचालय एवं साफ—सफाई युक्त होटलों एवं संस्थानों में रखा जाना है। इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:—

1. संक्रमित व्यक्तियों के आने की अधिकता के दृष्टिगत शासन स्तर से आहुत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बाहरी प्रदेशों के RED ZONE / Containment Zone से आने वाले सभी प्रवासियों को संस्थागत संगरोधन में होटल अथवा अन्य सुविधा युक्त सरकारी संस्थानों में 14 दिन के लिए अनिवार्यतः रखा जायेगा। केवल गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं धात्री महिलाओं तथा बुजुर्ग एवं गम्भीर बिमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को ही गृह संगरोधन में रखा जायेगा। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या एवं बसावट का घनत्व अधिक होने के कारण यहॉ संक्रमण फैलने की प्रबल सम्भावना है जिसके दृष्टिगत नगर पालिका / पंचायत के निवासी जो अपने गृह वापस आये हैं उन्हें अनिवार्यतः संस्थागत संगरोधन में रखा जायेगा ।
2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त उप जिलाधिकारी अपने—अपने परगनान्तर्गत संस्थागत संगरोधन हेतु होटलों का चिन्हिकरण करेंगे। 50 बेड की क्षमता से कम क्षमता वाले होटलों को वरीयता नहीं दी जायेगी। उप जिलाधिकारी होटल स्वामियों से बैठक एवं विचार विमर्श कर होटलों के अधिगृहण के सम्बन्ध में सूचना आज ही उपलब्ध करायेंगे। होटल स्वामियों को आवासीय एवं भोजन व्यवस्था का भुगतान शासन द्वारा नियत दरों पर किया जायेगा। कोविड—19 संक्रमण को

Scanned with OKEN Scanner

रोकने तथा प्रवासियों के आगमन की सम्भावना के दृष्टिगत लगभग 1000 व्यक्तियों के संगरोधन की व्यवस्था होटलों में की जानी आवश्यक होगी।

3. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संगरोधन के नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि Institutional Quarantine Center में रखे गये सभी प्रवासियों को उच्च गुणवत्ता का पौस्टिक आहार प्रदान किया जाए। संस्थागत संगरोधन की प्रतिदिन 02 बार सफाई सुनिश्चित की जायेगी। चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन संगरोधन में रखे गये व्यक्तियों का 02 बार स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा तथा इसका पूर्ण विवरण धारित किया जायेगा। यदि किसी व्यवित्त को खॉसी, बुखार, गले में खरास, सिरदर्द, उल्टी तथा दस्त की शिकायत हो तो उन्हें तत्काल चिकित्सकों के परामर्श पर आइसोलेशन वार्ड में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही संगरोधन के नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा इसकी रिपोर्ट WAR ROOM के माध्यम से आपात कालीन परिचालन केन्द्र के कंट्रोल रूम में की जायेगी। नोडल अधिकारी संस्थागत संगरोधन में रखे गये व्यक्तियों, कक्षों, शौचालयों तथा भोजन के फोटोग्राफ्स तथा अभिलेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करेंगे।

4. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक संस्थागत संगरोधन केन्द्र में संगरोधन केन्द्र का नाम तथा उसमें कोरोना संक्रमण के बचाव तथा सुरक्षा सम्बन्धी Do's & Dont's की सूचना फ्लैक्स बोर्ड पर पठनीय तथा सुलभ दर्शनीय स्थल पर लगाया जायेगा। उक्त फ्लैक्स बनाने का कार्य आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद के सभी कोविड केयर सेन्टर में Mild, Moderate तथा Primary Contact वाले व्यक्तियों को रखा जायेगा। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी कोविड केयर सेन्टर में मानक अनुसार चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी तथा सफाईकर्मी तैनात करेंगे। जनपद में उक्त चिकित्सकीय कर्मियों के रिक्त पदों पर शासन के निर्देशानुसार तथा आज दिनांक 27 मई 2020 को आहुत विडियो कॉन्फ्रैसिंग में मा0 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्तियॉ यथाशीघ्र करायी जाए। इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिक्तियों का आंकलन करते हुए पूर्व गठित नियुक्ति समिति के माध्यम से प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को 03 दिन अन्दर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि स्थानीय स्तर पर पैरा मेडिकल स्टॉफ आदि उपलब्ध हो तो इस हेतु स्थानीय स्तर पर विज्ञप्ति जारी कर तैनाती की प्रक्रिया गठित समिति के माध्यम से पूर्ण करायी जा सकती है।

6. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभी कोविड केयर सेन्टर तथा कोविड चिकित्सालय के लॉजिस्टिक के सम्बन्ध में विवरण उपलब्ध

Scanned with OKEN Scanner

करायेंगे। जिन सेन्टर अथवा चिकित्सालयों में कोविड 19 के दृष्टिगत कतिपय आवश्यक कार्य एवं उपकरण आदि क्रय किये जाने आवश्यक हैं उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेंगे।

7. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद में कोविड–19 संक्रमण के सैम्पल कम संख्या में भेजे जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वार रूम एवं आईसोलेशन अधिक से अधिक संख्या में सैम्पल एम्स ऋषिकेश, श्री चन्द्र सिंह गढवाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर तथा दून मेडिकल कॉलेज में भेजना सुनिश्चित करें। Red Zone / Containment Zone से आने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से सैम्पल हेतु चिन्हित किया जाए। सैम्पलिंग की व्यवस्था बडकोट चिकित्सालय में भी सुनिश्चित की जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सैम्पलिंग हेतु दन्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण देते हुए इनकी तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।

8. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कोविड–19 संक्रमण के बचाव हेतु आवश्यक चिकित्सीय सामग्री, दवाईयों आदि की मॉग का आंकलन करते हुए आगामी 02 माह हेतु आवश्यक सामग्री, दवाईयों आदि की मॉग उपलब्ध करायेंगे। मॉग का आंकलन विगत 02 माह में उपयोग हुयी सामग्री के आधार पर तथा कोविड–19 पॉजिटिव केसों की संख्या के आधार पर करेंगे।

9. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कोविड चिकित्सालय, कोविड केयर सेन्टर तथा संस्थागत संगरोधन में तैनात चिकित्साकर्मी, पैरामेडिक स्टॉफ, नोडल तथा सफाईकर्मियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण तथा सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जाए, जिससे इन कार्मिकों की संक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

10. जनपद में अन्यत्र राज्यों से प्रवासी रात्रि को अधिकता में आ रहे हैं। इन प्रवासियों की स्क्रिनिंग सेन्टर पर तथा कतिपय मामलों में जिला चिकित्सालय में जॉच की जा रही है। प्रवासी व्यक्तियों द्वारा स्क्रीनिंग सेन्टर से आईसोलेशन अथवा संस्थागत संगरोधन केन्द्र हेतु वाहन की मॉग की जा रही है। रात्रि काल में उक्त व्यक्तियों के पास वाहन न होने से इन्हें जिला प्रशासन द्वारा अधिगृहित वाहनों तथा एम्बूलेंस के माध्यम से गंतव्यों तक पहुॅचाया जा रहा है। इसी प्रकार संस्थागत संगरोधन तथा आईसोलेशन में रखे गये व्यक्तियों द्वारा संगरोधन अवधि पूर्ण करने अथवा रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात अपने पैतृक ग्रामों में जाने हेतु वाहनों की मॉग की जा रही है। चूंकि स्थानीय बाजार में लॉक डाउन के कारण वाहन उपलब्ध नहीं हैं तथा वाहन चालक कोविड–19 संक्रमण के भय से ऐसे व्यक्तियों को ले जाने हेतु इच्छुक नहीं हैं तथा कतिपय मामलों में प्रवासियों के पास धन की कमी होने से उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि बाहर से आने वाले प्रवासियों की परिस्थितियों एवं लॉकडाउन के

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टिगत वाहनों की अनुपलब्धता एवं रात्रि के समय वाहनों की कमी के साथ–साथ अपरिहार्य स्थितियों को देखते हुए उचित होगा कि प्रवासियों को जनहित में तथा कोविड संक्रमण रोकने के दृष्टिगत जिला प्रशासन के वाहनों से उनके गंतव्यों तक छोड़ा जाए।

11. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम के उत्तरकाशी, मनेरी, बड़कोट तथा पुरोला स्थित पर्यटक आवास गृहों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी अविलम्ब कोविड केयर सेन्टर के रूप में परिवर्तित करना सुनिश्चित करेंगे। इन आवास गृहों में Mild, Moderate तथा High Risk Primary Contact वाले व्यक्तियों को रखते हुए उनका उपचार किया जायेगा।

12. जनपद में कोविड–19 संक्रमण से ग्रसित पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी Contact Traccing Team से तथा War Room से समन्वय स्थापित कर जनपद में कोविड–19 के माह जून एवं जुलाई 2020 के Surg सम्बन्धी विषलेशण कर रिपोर्ट 03 दिन अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के साथ–साथ डा0 सुजाता एवं डा0 विश्वास के साथ समन्वय स्थापित करते हुए WAR ROOM से जानकारी साझा कर MIS Portal पर जनपद से सम्बन्धित अपडेशन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

13. कोविड चिकित्सालय में आई0सी0यू0 वार्ड तैयार हो चुका है। किन्तु जनपद में एनेस्थिजियोलॉजिस्ट न होने के कारण आई0सी0यू0 को क्रियाशील करने में कठिनाई हो रही है। इस सम्बन्ध में विडियो कॉन्फ्रैंसिंग में सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आई0सी0यू0 में Intubation तथा अन्य कार्यों हेतु प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को तैनात चिकित्सकों तथा पैरामेडिक स्टॉफ को चिन्हित कर Intubation Training हेतु दून मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस हेतु चिकित्सकों तथा पैरामेडिक स्टॉफ को चिन्हित करते हुए प्रशिक्षण हेतु दून मेडिकल कॉलेज भेजना सुनिश्चित करें।

14. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि 14 दिवसों बाद यदि संदिग्धों में कोरोना से सम्बन्धित कोई Symptoms प्रतीत नहीं होते हैं तो उन्हें उनके घर पर ही नियम व शर्तों पर Surveillance पर रखा जाए। यदि इस हेतु संदिग्धों को वाहन उपलब्ध कराया जाना हो तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मॉग पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा तथा वाहन पर प्रयुक्त किये जाने वाले ईंधन के सम्बन्ध में जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

15. बैठके के दौरान डा0 सुजाता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद की तहसील डुण्डा मे संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वाहन उपलब्ध नहीं है, जिससे कार्य करने में कठिनाई हो रही है। उक्त के सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, नजारत, जिला कार्यालय को निर्देश दिये गये गये कि तत्काल एक वाहन QRT Team

Scanned with OKEN Scanner

हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुण्डा को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें यह भी संज्ञान में रहे कि वाहन चिकित्सा कार्यों हेतु ही प्रयोग में लाया जाए एवं वाहन का प्रकार चिकित्सा कार्यों हेतु उपयुक्त हो ।

16. संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में बेहतर स्वच्छता एवं समय–समय पर सेनेटाईजेशन हेतु निर्देश दिये गये कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बाडाहाट, बडकोट एवं पुरोला अपने नगर अन्तर्गत सभी संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में एक–एक सफाई कर्मी तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। सफाईकर्मी संगरोधन केन्द्र में ही निवास करेगा तथा नियमित रूप से सभी सुरक्षात्मक उपकरणों एवं पी0पी0ई0 किट पहन कर सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन 02 बार संगरोधन केन्द्रों में सफाई एवं फ्यूमीगेशन किया जाए।

17. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी सप्ताहों में जनपद में अन्य बाहरी राज्यों के RED ZONES से भारी संख्या में प्रवासियों के आने के दृष्टिगत होटलों तथा संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में नोडल अधिकारियों तथा सहायक कार्मिकों की तैनाती की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा उक्त तैनात कार्मिकों को कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(चतर सिंह चौहान)
प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्याः 859 / तेरह–आ0प्र0 / 2020–21 दिनांक 30 मई 2020 ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी ।
3. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी
4. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, संस्थागत संगरोधन।
6. प्र0 चिकित्सा अधीक्षक, बडकोट / पुरोला ।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बडकोट / बडाहाट / पुरोला / नौगॉव
8. प्रभारी War Room, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
9. उपरोक्त अधिकारीगण ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डुण्डा को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें यह भी संज्ञान में रहे कि वाहन चिकित्सा कार्यो हेतु ही प्रयोग में लाया जाए एवं वाहन का प्रकार चिकित्सा कार्यो हेतु उपयुक्त हो ।

16. संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में वेहतर स्वच्छता एवं समय–समय पर सेनेटाईजेशन हेतु निर्देश दिये गये कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, बाडाहाट, बडकोट एवं पुरोला अपने नगर अन्तर्गत सभी संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में एक–एक सफाई कर्मी तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। सफाईकर्मी संगरोधन केन्द्र में ही निवास करेगा तथा नियमित रूप से सभी सुरक्षात्मक उपकरणों एवं पी0पी0ई0 किट पहन कर सफाई करना सुनिश्चित करेंगे। नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन 02 वार संगरोधन केन्द्रों में सफाई एवं फ्यूमीगेशन किया जाए।

17. जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आगामी सप्ताहों में जनपद में अन्य वाहरी राज्यों के RED ZONES से भारी संख्या में प्रवासियों के आने के दृष्टिगत होटलों तथा संस्थागत संगरोधन केन्द्रों में नोडल अधिकारियों तथा सहायक कार्मिकों की तैनाती की जायेगी। खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा उक्त तैनात कार्मिकों को कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

(चतर सिंह चौहान)
प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या: 859 / तेरह–आ0प्र0 / 2020–21 दिनांक 30 मई 2020 ।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी ।
3. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी
4. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
5. समस्त नोडल अधिकारी, संस्थागत संगरोधन।
6. मु० चिकित्सा अधीक्षक, बडकोट / पुरोला ।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बडकोट / बडाहाट / पुरोला / नौगॉव
8. प्रभारी War Room, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी ।
9. उपरोक्त अधिकारीगण ।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25 मई, 2020 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
3. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उपजिलाधिकारी, बड़कोट/पुरोल (वी0सी0 के माध्यम से)
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. एस0डी0ओ0 बी0एस0एन0एल0, बड़कोट।
10. एस0डी0ओ0 बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी।
11. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट।
12. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी/पुरोला।
13. अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट।
14. सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
15. सहायक अभियता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/बड़कोट/पुरोला।
16. सहायक अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
17. वन क्षेत्राधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
18. प्रतिनिधि, सूचना विभाग, उत्तरकाशी।

आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत करते हुये शासन के पत्र संख्या 329/XVIII-B-1/2020–13 (5)/2007 दिनांक 20 मई, 2020 द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. विगत वर्ष मानसून में तहसील मोरी के आराकोट क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण विभागीय परिसम्पत्तियों की क्षति हुयी थी। क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्ननिर्माण कार्य विभागों द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं किये गये हैं। क्षतिग्रस्त मार्ग/सुरक्षात्मक कार्य को आगामी मानसून से पूर्व किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला एवं अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला को निर्देश दिये जाते हैं कि मोल्डी एवं चिंवा आदि संवेदनशील स्थानों पर मोटर मार्ग को यातायात हेतु सुगम किया जाय तथा उक्त मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी तैनात की जाय, इसी प्रकार सिंचाई विभाग उक्त क्षेत्र में गाड–गदेरों में पर्याप्त सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र पूर्ण किये जायें। उक्त हेतु पूर्व में शासन को प्रेषित आंगणनों के सापेक्ष धनराशि की मांग के सम्बन्ध में विभागीय स्तर से इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग को निर्देशित किया जाता है कि तहसील मोरी अन्तर्गत रूपिन/सुपिन नदी क्षेत्र हेतु भी आपात स्थिति हेतु कार्ययोजना तैयार रखी जाय। इस सम्बन्ध में राजस्व एवं वन विभाग से समन्वय कर वैकल्पिक मार्ग, सम्भावित प्रभावित जनसंख्या आदि सूचनाओं के साथ कार्ययोजना तैयार करेंगे। सिंचाई विभाग विभिन्न नदियों का उच्च बाढ़ स्तर के सम्बन्ध में विभग वर्षो का डाटा तैयार कर विभागीय कार्ययोजना में समाहित करेंगे। भविष्य में पुनः आराकोट आदि क्षेत्रों में आपदा की स्थिति में हैलीकॉप्टर की सहायता से राहत कार्य किये जाने की स्थिति में उक्त क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप समे लगाये गये सेब आदि फसलों के लाने हेतु लगाये गये तारों को मानसून अवधि से पूर्व कृषि एवं वन विभाग आपस में समन्वय कर हटाना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0 खण्ड, पुरोला/ सिंचाई खण्ड, पुरोला /पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला/उपजिलाधिकारी, पुरोला।)

2. मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपात स्थिति में उक्त हेतु कार्ययोजना व माह सितम्बर तक सम्भावित प्रसव होने वाली महिला एवं सम्बन्धित आशा के मोबाईल नम्बर की सूची उपलब्ध कराये जायें तथा गर्भवती महिलाओं के हिमोग्लोबिन की कमी के सम्बन्ध में भी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित की जाय कि किसी भी दशा में एम0एम0आर0 वृद्वि होने पर सम्बन्धितों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त मानसून में जलवायु परिवर्तन/दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ग्राम स्तर पर टीकाकरण ससमय पूर्ण कर लिया जाय।
(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

क्रमश.............2

Scanned with OKEN Scanner

3. मानसून मे मार्ग अवरूद्व होने की सम्भावना के दृष्टिगत दूरस्थ क्षेत्रों / ग्रामों (Remote Areas) में 03 माह का खाद्यान्न अग्रिम रूप से दिनांक 15.06.2020 से पूर्व उपलब्ध कराया जाय। इस सम्बन्ध सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उक्त हेतु मॉनीटिरिंग करेंगे।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी / समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।)

4. विगत वर्षो मे अतिवृष्टि के कारण जनपद के कई क्षेत्रों में पैदल पुल क्षतिग्रस्त हुये हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों हेतु लो0नि0वि0 द्वारा ट्रॉलियों का निर्माण किया गया है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने नियंत्रणाधीन स्थापित सभी ट्रॉलियों की सुरक्षित आवामगन हेतु मरम्मत कार्य किये जायें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिशासी अभियंता अपने नियंत्रणाधीन ट्रॉलियों का सुरक्षित होने का प्रमाण–पत्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही–समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।)

5. **मशीनरी की आवश्यक मरम्मत / भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों का चयन एवं मशीनरी / मजदूरों आदि की तैनाती–**

(i) समस्त निर्माण / कार्यदायी विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि एक सप्ताह अन्दर मशीनरी जेसीबी / डोजर आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये कार्यशील करेंगे तथा उक्त की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को आवश्यक रूप उपलब्ध करायेंगे।

(ii) समस्त निर्माण विभागों को निर्देश दिये जाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य ग्रामीण मोटर मार्गों के भूस्खलन आदि से संवेदनशील क्षेत्र / स्थान में चेवावनी बोर्ड भी लगाये जायें।

(iii) सीमा सड़क संगठन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड को निर्देश दिये जाते हैं कि यमुनोत्री एवं गंगोत्री राजमार्ग पर भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों तथ वर्तमान में सड़क चौडीकरण कार्य में हिल कटिंग से नये भूस्खलन क्षेत्र बन गये हैं उनका भी सर्वेक्षण कर संवेदनशील स्थलों की सूचना एवं उक्तानुसार मशीनों / संसाधनों का तैनाती विवरण उपलब्ध करायेंगे।

(iv) मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गों के चिन्हत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों यथा अधिकारियो / कर्मचारियों तथा मशीनरी / ऑपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0,बडकोट, लो0नि0 वि0 खण्ड,तरकाशी / पी0एम0जी0एस0वाई / समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी / समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

6. ओजरी (डबरकोट) के पास भूस्खलन से मार्ग बार–बार अवरूद्ध होने के कारण उक्त स्थान पर पर्याप्त मशीनरी / मजदूर / प्रकाश व्यवस्था की समुचित व्यवस्था आदि किये जायें तथा उक्त स्थान पर हनुमानचट्टी की ओर से अधिक मशीनों / मजदूरों की तैनाती की जाय।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट / लोक निर्माण विभाग बडकोट / पी0एम0जी0एस0वाई / उप जिलाधिकारी, बडकोट

7. मानसून में अतिवृष्टि से जगह–जगह पर मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध होने के कारण लोगों को भोजन आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों / होटल मालिकों द्वारा भोजन आदि हेतु अधिक मूल्य लिया जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि सभी दुकानदार / होटल मलिकों को कड़े निर्देश दिये जायें कि खाने–पीने की सभी वस्तुओं की रेट लिस्ट दुकान / होटल में चस्पा कर लिया जाय।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी)

8. पुश चारा / दवाओं की उपलब्ध के सम्बन्ध में पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को मानूसन काल में होने वाली बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां / वैक्सीन तथा चारे आदि की उपब्धता रखे जाने के निर्देश दिये जाते हैं। (कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।)

क्रमश............3

Scanned with OKEN Scanner

9. ऑधी/तूफान के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने के कारण मानव/पशु क्षति अथवा प्रमुख मोटर मार्ग बाधित हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ऑधी–तूफान के कारण गिरने की सम्भावना वाले पेड़ों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जाय।

(कार्यवाही–समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

10. मानसूनकाल में अतिवृष्टि/भूस्खलन से विद्युत पोल/ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते हैं कि मानसून पूर्व विद्युत संयोजन/मरम्मत सम्बन्धी उपयोगी सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भण्डार करना सुनिश्चित करें तथा क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों का शीघ्र मरम्मत कार्य किया जाय। इसके साथ ही समस्त विद्युत लाईनों का व्यापक सर्वे कर संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये लाईनों में पड़ने वाले पोलों की संख्या लाईन की लम्बाई, अन्य संसाधन, सम्बन्धित ठेकेदार का नाम व उसके पास उपलब्ध मानव संसाधन का विवरण तैयार कर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट।)

11. जनपद के समस्त थानों/अग्निशमन विभाग/तहसीलों को उपलब्ध करायें गये खोज–बचाव उपकरण/सामग्री को चालू स्थिति में रखें। तथा खराब उपकरणों की मरम्मत शीघ्र करवायी जायें। इसके साथ ही उपलब्ध कराये गये उपकरण मुख्य रूप से वुड कटर, कंक्रीट कटर, आस्का लाईट, पैलिकन लाईट एवं सेटेलाईट फोन आदि उपकरणों की सम्बन्धित कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाय।

(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)

12. वर्तमान में जेशियाड़ा मोटर पुल का मरम्मत कार्य गतिमान है। उक्त मोटर पर मरम्मत कार्य गतिमान होने के कारण मोटर पुल पर आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्ध है, जिससे कि लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाडी को निर्देश दिये जाते हैं कि मोटर पुल का मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण किये जायें। इसी के साथ अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते हैं कि तिलोथ मोटर पुल का मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण किये जायें।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाडी/उत्तरकाशी।)

13. जनपद की सीमान्त तहसील मोरी जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी हुयी है। तहसील मोरी कई क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश के जलवायु के अनुसार वर्षा आदि पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि मानसूनकाल में हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी आवश्यक रूप से रखें, जिससे ऊपरी क्षेत्र में वर्षा व जल स्तर बढ़ने से ससमय मौसम के अनुसार क्षेत्र में चेतवानी आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, पुरोला)

14. मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्रियों/स्थानीय लोगों हेतु Transshipment करने हेतु गाडियों की व्यवस्था– अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर Transshipment करने हेतु गाडियों की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

15. बी0एस0एन0एल0 की सेवा बाधित होने के दृष्टिगत उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपने क्षेत्र अन्तर्गत सेवा बाधित होने की आवश्यक रूप से जांच करते हुये नेटवर्क को सुचारू किये जाने के कार्य, उपलब्ध संसाधन एवं सुचारू करने में लगाया गया समय (Response time) की मॉनिटिरिंग कर सेवा को तत्काल सुचारू करवाना सुनिश्चित करें। समस्त सड़क सम्बन्धित निर्माण विभागों को निर्देश दिये गये कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि बी0एस0एन0एल की ओ0एफ0सी0 केबल न कटे। साथ ही निर्देश दिये गये कि मानसून काल में विघुत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवरों के संचालन हेतु विघुत बैकअप की व्यवस्था हेतु डीजल आदि का भण्डारण भी रखा जाय।

कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।/ समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0उत्तरकाशी/सीमा सड़क संगठन।

16. तहसील कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा उक्त में आवश्यक व्यवस्था किया जाना। तहसील कन्ट्रोल रूम को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाय तथा कन्ट्रोल रूम में ग्राम प्रधानों तथा आवश्यक मशीनरी के चालकों आदि के दूरभाष के नम्बरों की सूची रखी जाय।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/, उत्तकराशी।

क्रमश.............4

Scanned with OKEN Scanner

17. विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में संकरी घाटी होने तथा नजदीक में जल श्रोत एवं जलाशय अथवा नदी–नालों से सटे होने से उक्त क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनायें घटित होने की सम्भावनायें अधिक होती है। इस प्रकार सम्बन्धित क्षेत्र/ग्रामों का चिन्हॉकंन कर क्षेत्रवार योजना तैयार की जाय।

18. विभागीय प्रबन्धन कार्ययोजनाः–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–2005 के प्राविधानों के अनुसार जनपद के समस्त विभाग दिये गये निर्देशों से सम्बन्धित सूचनायें अपनी आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में समाहित करते हुये कार्ययोजना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। (कार्यवाही– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।)

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 840/तेरह–आ0प्र0प्राधि0/मानसून/2020 दिनांक– 29 मई, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में शासन के पत्र संख्या– 329 दिनांक 20.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

मानसून पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में दिनांक 25.05.2020 को आहूत बैठक

:: उपस्थिति ::

दिनांक 15.05.2020 ।

क्र.सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3	Tirath Pal Singh	Admin		[illegible]
4	C.S. Chauhan OC	Revenue	8006509340	[illegible]
5	Chakrapani Misra	Transport	9560904773	[illegible]
6	Gopal Singh Matura.	D.S.O. UKI/Food.	9410180103	[illegible]
7	Jaivindra Singh	SDO BSNL	9412055411	[illegible]
8	Vipin Kumar	SDO BSNL	9411100456	Vipin
9	RAMENDRA KUSHWAHA	CEO	9410549727	[illegible]
10	R.K. Jain	S.E. PWD	789525176[illegible]	[illegible]
11	Dr. S.D. [illegible]	PS/CMO in charge	78307[illegible]501	[illegible]
12	Manoj Gusain	E.E UPCL Uttarkashi	9412077677	[illegible]
13	Shashi Prakash Jaiswal	AE Irrigation UKI	7503445202	[illegible]
14	Devendra [illegible] Rathuri	AE [illegible]	9412418594	[illegible]
15	Harish Singh	AE PD PWD UKI	9411093618	
16	Ravindra Pundir	Ranger, UKI	9456700841	[illegible]
17	सुरेश कुमार	सूचना विभाग	8449505031	[illegible]
18	R.S. Khatri	EE PD PWD Bhatwari	9411384150	[illegible]
19				
20				
21				
21				
22				[illegible]
23				
24				
25				

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
59	B.M. Nautiyal	Fire Officer.	9456153086	[signature]
60	D.K. Bist	EE PWD Chinyalisaur	9412959004	[signature]
61	Alok Kumar Chauhan	Ex. Engg. P.D. PWD UKI	9760370115	[signature]
62	R.S. Khatri	E.E.-P.D PWD Bhatwari	9411384150	[signature]
63	Dhirendra Kumar	E.E. P.W.D Purola/Barkot	9411127567	[signature]
64	Jagmohan Singh	SI NIM	9411121357	[signature]
65	B.S. Rana	B.D.O Dunda	9410196067	[signature]
66	D.S. Bhandari	BDO naugaon	8954904860	[signature]
67	S.S. Chauhan	BDO. Chinyali	9927620157	[signature]
68	Navneet Pandey	EE NH, Barkot	9997976809	[signature]
69	Ram lal Bijalwan	AO CRA collectorate	9458931310	[signature]
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				

Scanned with OKEN Scanner

सचिव महोदय की अध्यक्षता में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में वीडियोकॉन्फ्रेसिंग

:: उपस्थिति ::

दिनांक- 18.03.2020 ।

नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
DM	—	—	
Sandeep Kumar	DFO Uttarkashi		
सन्तोष कुमार / कनिष्ठ सहायक	फार्मेसी	9411143040	
सुशील कुमार कुरील	ग्रा.पं. व व्यवहार उत्तरकाशी	9412409827	
Dr B.S. Rawat	Health	9412394912	
Dr C.S. Rawat	Health	8650670770	
Dr S.D. Saklani	〃	9412027882	
Dr. D.P. Joshi	Health	9412078733	
Dysp. K.S. Panwar	Police	9411112779	
Iqbal Singh Mathura	D.S.O./food	9410180103	
Vikram Singh	D.P.O.(WE(2))	7455933268	
Pramod Nautiyal	C.M.O. office, Health	9456334329	
C.P. Suyal	A.P.R.D.	8979362325	
U.K. Tiwari	GM, DIC	9897366778	
Jitendra Saxena	DEO (Basic)	9411093688	
Chakrapani Mishra	ARTO	9560904773	
सुरेश कुमार	संरक्षक-वन	8449505031	
अमित सैनी	LIU	8126102307	

Scanned with OKEN Scanner

नाम/पदनाम	विभाग	फोन	हस्ताक्षर
D.S. Patwal (DMO)	Disaster Management	9456147974	[signature]
O.S. Chauhan OC	Revenue	8006509340	[signature]
ADM.	—"—		

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12 मार्च, 2020 को जिला कार्यालय में चारधाम यात्रा व्यवस्था-2020 की तैयारियों के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1- श्री केदार सिंह रावत, मा0 विधायक, यमुनोत्री विधान सभा क्षेत्र।
2- श्री दीपक बिजल्वाण, मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
3- श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4- श्री प्रवेश चन्द्र डंडरियाल, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
5- श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
6- मेजर, अवनीश शर्मा, ओ0सी0 72 आर0सी0सी0।
7- श्री चतर सिंह चौहान प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
8- श्री सोहन सिंह, उप जिलाधिकारी बड़कोट।
9- श्री महेन्द्र सिंह, डी.एफ.ओ. बड़कोट।
10- डा0 डी0पी0 जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11- डा0 सी0एस0 रावत, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0का0।
12- श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
13- श्री आर0एस0 खत्री अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 भटवाड़ी।
14- श्री नवनीत पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0, लो0नि0वि0 बड़कोट।
15- श्री बी0एस0 तोमर, एल0डी0एम0,उत्तरकाशी।
16- श्री पी0एस0 मटूडा, पर्यावरण विशेषज्ञ, उत्तरकाशी।
17- वन्दना, एस0पी0ओ0, उरेडा।
18- श्री संजय कुमार, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

:: कार्यवृत्त ::

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगणों का स्वागत करते हुए चारधाम यात्रा व्यवस्था-2020 के सफल संचालन हेतु विचार विमर्श कर जिला स्तरीय अधिकारियों को निम्न प्रकार निर्देश निर्गत किये गये:-

यात्रा कन्ट्रोल रूम :- आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि चारधाम यात्रा व्यवस्था-2020 के सफल संचालन हेतु जिला मुख्यालय के आपदा प्रबन्धन कार्यालय में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जानकीचट्टी में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। इस संबंध में आपदा प्रबन्धनं अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त

...2

कन्ट्रोल रूम में एक-एक नोडल अधिकारी नामित करते हुये एक-एक शिकायत पंजी बनायी जाय जिसमें शिकायतों को दर्ज किया जायेगा एवं शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यात्रियों हेतु टोल-फ्री नम्बर स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- आपदा प्रबन्धन अधिकारी/उप जिलाधिकारी बड़कोट।

यात्रा मार्गो का सर्वे :- उप जिलाधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक से प्राप्त चारधाम यात्रा मार्गो के प्रत्येक 02-02 किलो मीटर सर्वे रिपोर्ट सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभाग यथा-बी.आर.ओ., एन.एच., लो.नि.वि. को प्रेषित करते हुये निर्देश दिये गये थे कि उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 15 दिन अन्दर सड़क सुरक्षा कार्य जैसे-कैश बैरियर, मलवा डालना, ड्रम लगाना, पैराफिटस, प्रोटेक्शन साईनेजेज आदि का कार्य पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप जिलाधिकारी भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट को भी निर्देशित किया गया था कि अपने-अपने सब-डिविजन अन्तर्गत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा सम्वन्धी उपरोक्त कार्यो का स्वयं अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभागों से उक्त कार्य प्राथमिकता से पूर्व करवाकर प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। परन्तु उक्त अनुपालन आख्या मात्र 72 सड़क निर्माण इकाई (ग्रेफ) द्वारा अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत की गई है। अन्य विभाग से अनुपालन आख्या आतिथि तक प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में सम्बन्धित निर्माण इकाई/ विभाग यथा-एन.एच.,लो.नि.वि.,एन.एच.आई.डी.सी.एल. को निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य 07 दिन अन्दर पूर्ण करते अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही उप जिलाधिकारी भटवाडी/डुण्डा/वड़कोट को भी निर्देशित किया गया था कि अपने-अपने सब-डिविजन अन्तर्गत सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपरोक्त कार्यो का स्वयं अनुश्रवण करते हुए सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभागों से उक्त कार्य प्राथमिकता से पूर्व करवाकर प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।,

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट/-एन.एच.,लो.नि.वि.,एन.एच.आई.डी.सी.एल.।

...3

Scanned with OKEN Scanner

संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थानों का चिन्हिकरण- उप जिलाधिकारी बड़कोट से प्राप्त यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग में संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थानों की चिन्हीकरण रिर्पोट अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट को उपलब्ध करवाते हुये निर्देश दिये गये थे कि कि उक्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार संवेदनशील/अति संवेदनशील स्थलों का सुधारीकरण एवं सड़क सुरक्षा यथाशीध्र पूर्ण करते हुए अनुपालन आख्या मय फोटोग्राफ्स सहित अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उप जिलाधिकारी बड़कोट को निर्देशित किया गया था कि उक्त कार्य अपनी निगरानी में करवाते हुए अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।परन्तु आतिथि तक अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है, जो अत्यन्त खेद का विषय है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी बड़कोट एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट को निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाते हुये एक सप्ताह अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही :-उप जिलाधिकारी बड़कोट/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट।

पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा चारधाम यात्रा-2019 के दृष्टिगत निम्न 06 स्थान चिन्हित किये गये है, जंहा पर मार्ग अत्यन्त संकीर्ण होने के कारण बसों के टायर सड़क से बाहर निकल गये थे। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माण इकाई एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया था कि उक्त स्थलो का चौडीकरण, कैश बैरियर, पेराफिट, सूचना सूचक बोर्ड आदि से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या से यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु एन0एच0 द्वारा उक्त के संबंध में आतिथि तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में एन0एच0 को पुनः निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करवाते हुये एक सप्ताह अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही-उप जिलाधिकारी/बी.आर.ओ./एन.एच./लो.नि.वि./एन0एच0आई0डी0सी0एल/सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।

...4

Scanned with OKEN Scanner

यात्रा मार्गो का डामरीकरण- समस्त निर्माण इकाई/कार्यदायी संस्था को पूर्व सम्पन्न हुई बैठक में निर्देशित किया गया था कि चारधाम यात्रा मार्ग पर जहां-जहां चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है उक्त मार्ग पर डामरीकरण का कार्य यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी भटवाडी, डुण्डा, बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने सब-डिविजन अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण इकाई/विभागों से डामरीकरण का कार्य प्राथमिकता से करवाते हुए समय-समय पर उक्त कार्य का स्वयं अनुश्रवण कर प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/बी.आर.ओ./एन.एच./लो.नि.वि./एन0एच0आई0डी0सी0एल0।

यमुनोत्री ट्रेक रूट- अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप जिलाधिकारी बड़कोट, प्रभागीय वनाधिकारी यमुना वनप्रभाग बड़कोट, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 बड़कोट एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया था कि जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम तक स्थित पैदल मार्ग का संयुक्त रूप से सर्वे कर ट्रेक रूट की कैरिंग कैपेसिटी के सम्बन्ध में अपनी संयुक्त सर्वे रिपोर्ट एक पक्ष अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु आतिथि तक उक्त सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है जो अत्यन्त खेद का विषय है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि यथाशीघ्र उक्त पैदल मार्ग का सर्वे कर ट्रेक रूट की कैरिंग कैपेसिटी के सम्बन्ध में अपनी संयुक्त सर्वे रिपोर्ट दो दिन अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट/वन प्रभाग बड़कोट/लो0नि0वि0 बड़कोट/जिला पंचायत।

वाहनो में स्टीकर - कतिपय यात्रियों द्वारा वाहन चालकों से मनमानी किराया लेने, नशे के हालात में वाहन चलाना, क्षमता से अधिक यात्री ले जाना व तेज गति से वाहन चलाना आदि शिकायतों व असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये यात्रा कन्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों सहित स्टीकर तैयार कर वाहनों पर लगाये जांय। जिससे यात्रियों को शिकायत करने में सुविधा हो तथा दुर्घटना होने से बचा जा सके।

कार्यवाही- परिवहन/आपदा प्रबन्धन/पर्यटन।

...5

Scanned with OKEN Scanner

दुर्घटना को रोकने के दृष्टिगत Audio Announcement सिस्टम :- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोबाटा, जानकीचट्टी तथा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू, हीना, भटवाडी आदि स्थानों पर यात्रियों के रूकने तथा इससे आगे की ओर दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र होने पर उक्त क्षेत्र में चालकों द्वारा विशेष सावधानी बरते जाने के दृष्टिगत इन स्थानों पर यात्रा प्रबंधन एवं दुर्घटना रोंके जाने को देखते हुये पूर्व की भांति इस वर्ष भी परिवहन तथा पुलिस विभाग के तत्वाधान में एनाउंसमेंट सिस्टम स्थापित किये जायेंगे। जिससे यात्रियों/वाहन चालको को सुरक्षित यातायात हेतु ऑडियो क्लिप के माध्यम से सचेत किया जायेगा। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा हेतु मार्ग अवरूद्ध होने तथा मौसम की स्थिति व अन्य जानकारियां प्रचारित प्रसारित की जायेगी।

कार्यवाही- परिवहन/पुलिस।

Gail द्वारा यमुनोत्री धाम में करवाये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में- उप जिलाधिकारी बड़कोट एवं परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि Gail द्वारा यमुनोत्री धाम में करवाये जा रहे कार्यो का समय-समय पर निरीक्षण करते हुए यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त कार्य को पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट/परि0निदे0 ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।

सफाई एवं स्वच्छता :-

(01) उप जिलाधिकारी बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि चारधाम यात्रा व्यवस्था-2020 हेतु जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम में जिला पंचायत से अतिरिक्त कार्मिकों की व्यवस्था करवाते हुए पैदल मार्ग, घोडे-खच्चरों की लीद, नदी नालों से साड़ी, कपड़े, आदि की साफ-सफाई हेतु वृहद सफाई अभियान चलवाते हुए समय-समय उक्त सफाई कर्मियों की निगरानी कर स्वयं उक्त कार्य का अनुश्रवण करते हुए गंदगी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

(02) परियोजना प्रबन्धक, ग्राम्य विकास विभाग उत्तरकाशी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री को

Scanned with OKEN Scanner

निर्देशित किया जाता है कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व एवं यात्राकाल के दौरान उत्तरकाशी शहर से गंगोत्री धाम तक यात्रा मार्ग एवं घाटों की वृहद साफ-सफाई हेतु समय-समय पर स्वच्छता अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी/पी.डी./जिला पंचायत/नगर पालिका/नगर पंचायत।

(03) उत्तरकाशी में स्थित श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री का मुख्य प्रवेश द्वार चिन्यालीसौड़ है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर प्रवेश द्वार एवं नगर पालिका अन्तर्गत समस्त मार्गों, कस्बों, शौचालयों, नालियों आदि की मरम्मत एवं सफाई व्यवस्था करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। उक्त के अतिरिक्त समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपने-अपने नगर पालिका/पंचायत अन्तर्गत मार्गों, शौचालयो, नालियों आदि की मरम्मत एवं सफाई व्यवस्था प्राथमिकता से करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- समस्त अधि0अधि0नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत।

(04) उप जिलाधिकारी भटवाडी/डुण्डा/बड़कोट अपने-अपने सब-डिविजन अन्तर्गत सघन अभियान चलाते हुए पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं तम्बाकू मुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी तम्बाकू, धुम्रपान निषेध सम्बन्धी प्रभावी अभियान चलायेंगे। उप जिलाधिकारी बड़कोट जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सघन स्वच्छता अभियान चलायेंगे तथा मार्ग पर खच्चरों की लीद को गैंग टीम के माध्यम से साफ करवायेंगे व यमुना नदी में साड़ी गैंग से नदी की सफाई भी सुनिश्चित करवायेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी।

(05)अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत बाड़ाहाट/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/गंगोत्री व अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि अपने-अपने नगर पालिका/नगर पंचायत एवं जिला पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गों को धूल मुक्त बनाये जाने हेतु धूल उड़ने वाले स्थानों के दोनों ओर पेवर ब्लॉक्स (Paver Blocks) लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- समस्त अधि0अधि0नगर पालिका/नगर पंचायत।

...7

Scanned with OKEN Scanner

(06) जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी को पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रा मार्गों पर स्थित समस्त पेट्रोल पम्पों पर शौचालय, पानी आदि की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ पेट्रोल पम्पों के प्रवेश द्वार तथा बाहर जाने वाले रास्ते पर पेवर ब्लॉक्स (Paver Blocks) लगवाना सुनिश्चित करेंगे जिससे पेट्रोल पम्प पर धूल न उड़े। बावजूद निर्देशों के इनके द्वारा वर्तमान तक अनुपालन से अवगत नहीं करवाया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। इस संबंध में पुनः निर्देश दिये जाते है कि उक्त अनुपालन आख्या यथाशीध्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

(07) जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि गंगनानी में स्नानघर का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करवाकर प्रभावी अनुश्रवण करते हुए यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व उक्त कार्य पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।

(08) पूर्व बैठक में सतलुज जल विद्युत निगम उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया था कि यात्रा प्रारम्भ होने से एक माह पूर्व बन्दरकोट, जानकीचट्टी में शौचालयो का निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु इस संबंध में प्रगति रिर्पोट आतिथि तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। इस संबंध में सतलुज जल विद्युत निगम उत्तरकाशी को पुनः निर्देश दिये जाते है कि उक्त स्थानों पर शौचालयों का निर्माण यथाशीध्र प्रारम्भ करवाते हुये अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपर जिलाधिकारी उत्तरकाशी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्य का स्वयं अनुश्रवण करते हुये प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी, डुण्डा/बड़कोट/सतलुज जल विद्युत निगम, उत्तरकाशी।

(09) माह मार्च, 2020 के अन्त तक घाटों, यात्री प्रतिक्षालय, सेवादार बूथ आदि से सम्बन्धित कार्यो का निर्माण पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।

Scanned with OKEN Scanner

(10) विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि चारधाम यात्रा के दौरान समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कार्यवाही- परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।</u>

(11) यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव जानकीचट्टी है, जिस हेतु चारधाम यात्रा के दौरान जानकीचट्टी में यात्रियों का आवागमन अत्यधिक होता है। उक्त के दृष्टिगत यात्रियों की सुविधा, तरल एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण, साफ-सफाई, आदि व्यवस्थाओं को देखते हुए जानकीचट्टी को नगर पंचायत बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता को देखते हुये पूर्व बैठक में उप जिलाधिकारी, बड़कोट को निर्देश दिये गये थे कि नगर पंचायत गंगोत्री के तर्ज पर जानकीचट्टी को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु नियमानुसार प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु बावजूद निर्देशों के उप जिलाधिकारी बड़कोट द्वारा वांच्छित प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अत्यन्त खेद का विषय है। इस संबंध में उप जिलाधिकारी बड़कोट को निर्देश दिये जाते है कि एक सप्ताह अन्दर वांच्छित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

<u>कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट।</u>

<u>स्वास्थ्य विभाग</u> विगत वर्षो के सापेक्ष चारधाम यात्रा-2019 के दौरान गंगोत्री में हृदय गति रूकने से मृत्यु की संख्या में वृद्धि हुई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तरकाशी को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि हर्षिल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गंगोत्री धाम में हृदय घात सम्बन्धी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन केन्द्र स्थापित करते हुए कार्डिक एम्बुलेंस, डॉक्टर, मेडिकल टीम, आवश्यक उपकरण, वाहन चालक, तकनिशियन, फार्मसिस्ट की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे। यमुनोत्री धाम व पैदल मार्ग में भी उपरोक्तानुसार आपातकालीन केन्द्र स्थापित करते हुए कार्डिक एम्बुलेंस, डाक्टर, मेडिकल टीम, आवश्यक उपकरण, वाहन चालक, तकनिशियन, फार्मसिस्ट की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग व हर्षिल एवं गंगोत्री में श्रद्धालुओं को चिकित्सा के दृष्टिगत पैदल मार्ग के विभिन्न स्थानों पर दुकान स्वामियों, एस.डी.आर.एफ, मेडिकल फर्स्ट रिस्पोंडर्स को पोर्टेबल ऑक्सीजन सलेण्डर उपलब्ध करवाये जांय। साथ ही उन्हें इसके प्रयोग के सम्बन्ध में प्रशिक्षण भी दिया जाय।

...9

Scanned with OKEN Scanner

यात्रियों के आराम की व्यवस्था व चैकअप के साथ ही आवश्यक जानकारी हेतु ऑडियो-विज्युअल क्लिप व पैदल यात्रा मार्ग पर साईनेज के माध्यम से हृदय घात के सम्बन्ध में सावधानियों की जानकारी भी प्रचारित-प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि इच्छुक गैरलाभ कारी संस्था से यथाशीघ्र समन्वय स्थपित करते हुये ह्दय घात की स्थिति से निपटने हेतु संचालन केन्द्र के सफल कियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि वर्तमान में कोरोना वायरस के दृष्टिगत चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस की जांच हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण स्थल पर कैम्प स्थापित करते हुये डाक्टरों की तैनाती कर प्रत्येक यात्रियों की जांच करना सुनिश्चित करेगें, इस संबंध में यथाशीध्र कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी।

पूर्व बैठक में उप जिलाधिकारी बड़कोट/अध्यक्ष मंदिर समिति यमुनोत्री को निर्देश दिये गये थे कि यमुनोत्री धाम के जानकीचट्टी में स्थित हॉस्पिटल का प्राथमिकता से सुदृढीकरण कार्य करवाते हुये अनुपालन आख्या से अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। इस संबंध में उप जिलाधिकारी को पुनः निर्देश दिये जाते है कि प्राथमिकता से उक्त हॉस्पिटल का सुदृढीकरण कार्य करवाते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी/उप जिलाधिकारी।

<u>चारधाम यात्रा मार्गो पर अवस्थित भोजनालय/ढ़ाबों के वर्गीकरण हेतु वेबसाइट</u> जनपद के यात्रा मार्गो के विभिन्न पड़ावों पर स्थित भोजनालय/ढ़ाबों में यात्रियों द्वारा गुणवत्ता परख व पसंद का भोजन चुनने में होने वाली दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुये स्थानीय व्यंजनों के साथ-साथ अन्य राज्यों के व्यंजनों की उपलब्धता व यात्रियों को अपने पसंद के अनुसार रेस्टोरेंट व व्यंजन चुनने तथा स्वच्छ खान-पान/भोजन के स्तर की जानकारी को दिये जाने व पर्यटको की सुविधा हेतु विगत वर्ष में बनायी गई साईट www.tasteuttarkashi.com को कियांवित किया जाय। जिसके माध्यम से स्थानीय/यात्रियों को भोजनालय/ढ़ाबों की स्थिति एवं श्रेणी की जानकारी दी जायेगी। साथ ही यात्री भोजनालय/ढ़ाबों को फीड बैक भी दे सकेगें। यात्रा व्यवस्था की दृष्टिगत उक्त कार्य पर्यटन विभाग की देखरेख में किया गया है।

कार्यवाही- जिला पर्यटन अधिकारी।

...10

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है जाता है कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा, कृषकों को लाभ एवं स्थानीय होटल व्यवसायियों को उचित मूल्य पर स्थानीय उत्पाद उपलब्ध कराये जाने हेतु नेताला कस्बे को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मांग एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में वृहद सर्वेक्षण करवाते हुए ILSP के माध्यम से ब्लू प्रिंट तैयार करना सुनिश्चित करें, जिसमे नेताला व नेताला के निकट स्थित कृषको के फल, सब्जी इत्यादि को ILSP के माध्यम से उचित मूल्य एवं आपूर्ति के रूप में यात्रा काल के दौरान होटल स्वामियो को उपलब्ध करवाया जाय, ताकि होटल व्यवसायियों एवं स्थानीय कृषको की आय में वृद्धि हो।

कार्यवाही- परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।

यात्रा काल के दौरान यात्रा मार्ग में पड़ने वाले होटल, भोजनालयों, ढाबों आदि में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त होती रहती है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा काल के दौरान दो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती करने हेतु यथाशीध्र कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/पर्यटन।

यात्रियों का बायोमेट्रिक पंजीकरण :- प्रायः यह देखने में आया है कि हीना एवं दोबाटा में यात्रियों का शतप्रतिशत बायोमेट्रिक पंजीकरण नहीं किया जाता है, जिससे इसका उद्देश्य सार्थक नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये थे कि हीना एवं दोबाटा अथवा चिन्यालीसौड़ एवं डामटा में यात्रियों के शतप्रतिशत बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाये जाने हेतु यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये थे कि चारधाम यात्रा मार्गो पर स्थित शौचालयो में तैनात सफाई कर्मियों के कार्यो एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति के सम्बन्ध में ठोस एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। परन्तु वांच्छित कार्ययोजना आतिथि तक अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में जिला पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी को पुनः निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार कार्ययोजना तैयार कर दो दिन अन्दर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

कार्यवाही- जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

जिला पर्यटन अधिकारी उत्तरकाशी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व बायोमेट्रिक पंजीकरण स्थल पर आधुनिक शौचालय यथा पुरूष महिला, बुजुर्गो व दिव्यांगजनों के सुविधा हेतु शौचालय का निर्माण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी/पर्यटन/जिला पंचायत।

<u>विद्युत आपूर्ति –</u> अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी एवं परियोजना अधिकारी उरेडा, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि गतिमान कार्य को यथाशीध्र पूर्ण करते हुये चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- विद्युत विभाग/उरेडा विभाग।

<u>पेयजल व्यवस्था-</u> अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान उत्तरकाशी/पुरोला को निर्देशित किया जाता है कि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यथाशीध्र कार्य योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करते हुये चारधाम यात्रा मार्गो में पेयजल आपूर्ति, हैण्ड पंम्प/स्टैंण्ड पोस्ट निर्मित करना सुनिश्चित करेगें। उक्त हैण्ड पंम्पों पर नम्बरिंग आदि कराकर सूची तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।साथ ही आलवेदर रोड़ कार्य के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले पेयजल आपूर्ति, हैण्ड पंम्प/स्टैंण्ड पोस्ट आदि को तत्काल सुचारू करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि0अभि0 जल संस्थान, उत्तरकाशी।

<u>जानकीचट्टी तथा गंगोत्री में ए0टी0एम0 मशीन की उपलब्धता –</u> जानकीचट्टी तथा गंगोत्री में जियो की 4G सर्विस सुचारू हो चुकी है, जिस हेतु लीड बैंक अधिकारी उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानों पर यात्रियों के सुविधार्थ एस0बी0आई0 या अन्य शाखा के ए0टी0एम0 मशीन स्थापित कर यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व सुचारू करवाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित कर ले कि उक्त ए0टी0एम0 में यात्रा काल के दौरान कैश की उपलब्धता निरन्तर एवं निर्वाद्ध बनी रहे।यदि सम्बन्धित द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो तद्नुसार उनके विरूद्व कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को सूचित किया जायेगा।

कार्यवाही- लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी।

....12

Scanned with OKEN Scanner

मोबाईल ए०टी०एम० वैन- विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों में यात्रियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दोनों धामो सहित यात्रा मार्ग में ए०टी०एम० एवं मोबाईल ए.टी.एम. वैन की व्यवस्था की जाय।

कार्यवाही- लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी।

घोड़े-खच्चरों की व्यवस्था- पूर्व बैठक में उप जिलाधिकारी बड़कोट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को सदस्य नामित किया है। उक्त समिति चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यमुनोत्री धाम हेतु पैदल मार्ग पर घोड़े-खच्चरों हेतु आवश्यक व्यवस्था यथा-यात्रा मार्ग पर पशुरोध नियंत्रण, निगरानी चौकियां को स्थापित करना, घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण, मार्गो में खच्चरों के रूकने हेतु घोड़ा-खच्चर पडाव की व्यवस्था, गर्म पानी, चरियां की व्यवस्था, पशु चिकित्सकों की तैनाती, मार्गो में घोड़े-खच्चरों के मलमूत्र/लीद एवं अन्य अनुप्रयोगी सामग्री के निस्तारण की व्यवस्था, खच्चरों की क्रुरता एवं दुप्रयोग से बचने हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन, घोड़ा खच्चरों के कार्य करने की समय सीमा, घोड़े-खच्चरों की RFID टैगिंग आदि से सम्बन्धित एक्शन प्लान यथाशीघ्र तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी बड़कोट/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/जिला पंचायत।

अतः सम्बन्धित अधिकारीगण उपरोक्त दिये गये निर्देशों का प्राथमिकता से अनुपालन करते हुए बिन्दुवार अनुपालन आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(डा० आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3069 /34-05(2018-19) दिनांक 12 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :- सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी उत्तरकाशी

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

District Disaster Management Authority-Uttarkashi

gency Meeting Regarding Weather Forecast

11.01.2020

Name of Officer	Designation	Contact No	Signature
	EE PWD UKI		
Surendra Singh Negi	Ex.En	9456590172	[signature]
Virendra Chaurasia	JTO	9412050475	[signature]
Akhilesh Nautiyal (D/man)		0126221301	[signature]
Manoj Gusain	Ex. En UPCL	9412077671	[signature]
Dr. Sujala Singh		9411723371	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 13.12.2019 को जनपद में हो रही वर्षा/बर्फबारी के कारण आवश्यक सेवाओं के सुचारू रखने एवं शीतलहरी के बचाव के सम्बन्ध में आहूत आपात बैठक उपस्थिति–

स्थान– जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी।

दिनांक– 13.12.2019 समय– प्रातः 11:00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
1				
2				
3	P.C. Dandriyal	CDO UKi	7818924757	[illegible]
4	श्री [illegible]	प्रभारी [illegible]	8006509340	[illegible]
5	D. S. Negi	SDM (B)	9410191040	[illegible]
6				
7	Manoj Gusain	E.E. UPCL	9412077671	[illegible]
8	एस० पी० [illegible]	ADIO	8979287457	[illegible]
9	SI Rajendra [illegible]	Sub-Inspector, SDRF	9412175749	RSL
10	Harish Singh	AE PD PWD UKI	9411093618	[illegible]
11	Pooja Rana	Planner, USDMA	7600673987	Pooja
12	Sudha Maher	Junior Engineer, PWD	8954457579	Sudha
13				
14	Shardul Gusain	D.C. D.D.M.A.	9997878927	[illegible]
15				
16				
17				
18				
19				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 27.11.2019 को जनपद में संचार सेवा को दुरूस्त किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

बैठक उपस्थिति–

1	श्री तीर्थपाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2	श्री बलवन्त सिंह नेगी, ए0जी0एम0, बी0एस0एन0ए0 नई टिहरी।
3	श्री एच0एस0लिंगवाल, एस0डी0इ0, बी0एस0एन0एल0 (एन0टी0आर0)नई टिहरी।
4	श्री जयवेन्द्र सिंह, उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी।
5	श्री संदीप असवाल, सहा0 अभि0,बी0एस0एन0एल0,(एन0टी0आर0) उत्तरकाशी।
6	श्री पंकज सिंह, एस0सी0ओ0 रिलायंस, जिओ, देहरादून।
7	श्री नितिन डिमरी, प्रतिनिधि रिलायंस, जिओ, देहरादून।
8	श्री अमित चौहान, प्रतिनिधि, वोडाफोन/आईडिया, उत्तरकाशी।
9	श्री सलमखान, प्रतिनिधि, वोडाफोन/आईडिया, उत्तरकाशी।
10	श्री एम0पी0 शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
11	श्री विरेन्द्र दत्त, प्रतिनिधि, एयरटेल, उत्तरकाशी।
12	श्री देव सिंह, प्रतिनिधि, एयरटेल, उत्तरकाशी।
13	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

जनपद में संचार नेटवर्क समय-समय पर बाधित रहने एवं शीतकाल के दृष्टिगत अग्निकाण्ड, बर्फबारी के कारण मार्ग अवरूद्व होने व अन्य आपदा की घटनाओं में राहत-बचाव व मार्ग सुचारू किये जाने हेतु संचार व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने के कारण समस्यायें उपत्पन्न होती हैं। उक्त के दृष्टिगत संचार सेवायें सुदृढ़ व सुचारू रखे जाने व संचार सेवायें तत्काल बहाल किये जाने के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन के तहत मा0 विधायक, गंगोत्री विधानसभा की उपस्थिति में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आहूत आवश्यक बैठक में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये।

जनपद बैठक में उपस्थित बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि उनके नियंत्रणाधीन समस्त बी0टी0एस0 एवं एन0टी0आर0 में तैनात संशाधनों यथा उपकरण/मानव एवं जनरेटर, ईधन की आपूर्ति सहित प्लान तैयार कर उपलब्ध करायेंगे साथ ही अन्य समस्त दूरसंचार कम्पनी भी जनपद में स्थापित अपने टावरों की जे0एस0आई0 मैपिंग हेतु निम्न प्रारूप पर सूचना आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण की मेल आई0डी0 ddmauttarkashi@gmail.com को उपलब्ध करायेंगे।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	टॉवर स्थपित स्थल का नाम	स्थल के कॉडिनेट्स		आच्छादित ग्राम व क्षेत्र का नाम	तैनात कर्मचारी/अधिकारी का नाम	सम्पर्क नम्बर	टिप्पणी
			देशान्त	अक्षांश				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

कमशः:..........2

Scanned with OKEN Scanner

बी0एस0एन0एल0 के उप मण्डीलय अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि बी0एस0एन0एल0 की 98.00 लाख रू0 की देनदारियों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में रिलांयस जियो के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। बी0एस0एन0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में बी0एस0एन0एल0 के 55 बी0टी0एस0 कार्यशील है, जिसमें 17 बी0टी0एस0, वी सेट के माध्यम से संचालित है तथा उक्त बी0टी0एस0 के संचालन एंव रख-राखव हेतु 23 कर्मचारी तैनात हैं। इस संदर्भ में बी0एस0एन0एल0 के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि समस्त बी0टी0एस0 टावरों की सूची व उनमें कार्यरत कर्मियों की सूची दूरभाष नम्बर सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तथा उक्त कर्मियों का टावर पर उपस्थिति भी सुनिश्चित करायें, जिससे संचार सेवा बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। इसके साथ ही अपने टावरों पर पर्याप्त मात्रा में ईधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित रखें।

मोरी के दूरस्थ क्षेत्रों में कतिपय अग्निकाण्ड की घटनायें होती है, इकसे साथ ही जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों यथा-हर्षिल, सुक्की, गंगोत्री, जानकीचट्टी, मोरी, सांकरी, चौरंगी, राडी टॉप में बर्फबारी के कारण मार्ग अवरूद्व होता रहता है, जिससे आपात स्थिति के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत मार्ग सुचारू किये जाने हेतु दूरसंचार सेवाओं का सुचारू रहना अतिआवश्यक है। अतः इस सम्बन्ध में समस्त दूरसंचार प्रदाता कम्पनी अपनी दूरसंचार सेवायें प्रत्येक स्थिति में सुचारू रखना सुनिश्चित करेंगे।

बी0एस0एन0एल0, एन0टी0आर0 के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में एन0टी0आर0 में फाईवर कैबल जोडने हेतु मात्र एक कनिष्ट अभियन्ता के अधीन एक टीम ही तैनात है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये एन0टी0आर0 में कैबल जोडने हेतु अतिरिक्त कार्मिकों की मांग की जाय, जिससे केबिल कटने की स्थिति में अतिशीघ्र दूरसंचार सेवा सुचारू किया जा सके।

विगत दिनों जनपद मुख्यालय में 03 दिन तक बी0एस0एन0एल0 सेवा बाधित रही। इस सम्बन्ध में बी0एस0एन0एल0 को निर्देशित किया गया कि पुनः ऐसी स्थिति न हो इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुये कार्ययोजना बनायी जाय। जिसके अन्तर्गत ऑल वेदर रोड़ से सम्बन्धि ऐजन्सी व लो0नि0वि0 के साथ समन्वय कर कार्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे, इसके साथ एन0टी0आर0 टीम में अतिरिक्त कर्मी व वाहन की तैनाती की जाय।

जनपद के गाजणा, कमद क्षेत्र व चकोन में रिलायंस जिओ का कार्य अत्यधिक दिनों से बाधित है। इस सम्बन्ध में उपस्थिति प्रतिनिधियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। इसके साथ ही फोल्ड क्षेत्र में बी0एस0एन0एल0 टावर कार्यशील नहीं है। इस सम्बन्ध में बी0एस0एन0एल0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त टावर हेतु विद्युत विभाग से संयोजन हेतु आवेदन किया गया है तथा गाजणा-कमद क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या को देखते हुये बी0सेट लगाने की योजना है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया कि 03 दिन अन्तर्गत दूरसंचार सेवाओं सुचारू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा सिंगोट, पांव व कुन्सी क्षेत्र में नेटवर्क की समस्याओं का पुनः परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जाय। तथा विद्युत विभाग फोल्ड चकोन में विद्युत संयोजन उपलब्ध करायें।

क्रमशः..........3

Scanned with OKEN Scanner

मोरी के दूरस्थ क्षेत्र यथा- ओसला, ढाटमीर सहित सरबडियार क्षेत्र में दूर संचार सेवायें नहीं होने के कारण बी0एस0एन0एल0 तथा रिलायंस जियो के प्रतिधिनियों से योजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में रिलायंस जियो के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आराकोट क्षेत्र में जियो नेटवर्क स्थापित करने का कार्य आपदा से प्रभावित रहा है, जिसे अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा, तथा त्यूनी-आराकोट क्षेत्र में जियो के नेटवक्र स्थापित किये गये हैं तथा जखोल-सांकरी क्षेत्र में योजना तैयारी की गयी है, उनके द्वारा सरबडियार क्षेत्र हेतु भी योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

महिडाण्डा क्षेत्र व ऊपरीकोट भराणगांव क्षेत्र में वोडाफोन/आइडिया का टावर स्थापित है, जिसकों उच्चीकृत किया जाय, जिससे उक्त क्षेत्र में समस्त ग्रामवासियों को दूर संचार सेवा सुलभ हो सके।

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में जिओ के नेटवर्क स्थापित होने के उपरान्त गंगोत्री में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा जानकीचट्टी में पंजाब नेशनल बैंक को यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत ए0टी0एम0 मशीन लगाये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त लीड बैंक प्रबन्धक को धौन्तरी क्षेत्र में भी ए0टी0एम0 लगाने हेतु निर्देशि किया गया।

बैठक के अन्त में समस्त दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में टावर स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन व जन प्रतिनिधियों से स्थान चयन के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय, जिससे उपयुक्त स्थान पर टावर स्थापित कर अधिक से अधिक स्थानीय लोंगो को नेटवर्क सुविधा प्राप्त हो सके।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या- 1960 /तेरह-07/2018-19 दिनांक- 06 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपिः

1. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

मोरी के दूरस्थ क्षेत्र यथा– ओसला, ढाटमीर सहित सरबडियार क्षेत्र में दूर संचार सेवायें नहीं होने के कारण बी0एस0एन0एल0 तथा रिलायंस जियो के प्रतिधिनियों से योजना प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में रिलायंस जियो के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि आराकोट क्षेत्र में जियो नेटवर्क स्थापित करने का कार्य आपदा से प्रभावित रहा है, जिसे अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा, तथा त्यूनी–आराकोट क्षेत्र में जियो के नेटवक्र स्थापित किये गये हैं तथा जखोल–सांकरी क्षेत्र में योजना तैयारी की गयी है, उनके द्वारा सरबडियार क्षेत्र हेतु भी योजना तैयार किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

महिडाण्डा क्षेत्र व ऊपरीकोट भराणगांव क्षेत्र में वोडाफोन/आइडिया का टावर स्थापित है, जिसकों उच्चीकृत किया जाय, जिससे उक्त क्षेत्र में समस्त ग्रामवासियों को दूर संचार सेवा सुलभ हो सके।

चारधाम यात्रा के दृष्टिगत गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में जिओ के नेटवर्क स्थापित होने के उपरान्त गंगोत्री में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा जानकीचट्टी में पंजाब नेशनल बैंक को यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत ए0टी0एम0 मशीन लगाये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त लीड बैंक प्रबन्धक को धौन्तरी क्षेत्र में भी ए0टी0एम0 लगाने हेतु निर्देशि किया गया।

बैठक के अन्त में समस्त दूर संचार सेवा प्रदाता कम्पनियों को निर्देशित किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में टावर स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन व जन प्रतिनिधियों से स्थान चयन के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय, जिससे उपयुक्त स्थान पर टावर स्थापित कर अधिक से अधिक स्थानीय लोंगो को नेटवर्क सुविधा प्राप्त हो सके।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या–1960 /तेरह–07/2018–19 दिनांक– 06 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2019

प्रतिलिपिः

1. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

6 - 0

जनपद में संचार व्यवस्था दुरूस्त किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक उपस्थिति-

स्थान- जिला कार्यालय सभागार कक्ष, उत्तरकाशी।

दिनांक- 27.11.2019 समय- प्रातः 11:30 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	Balwant Singh Negi.	AGM BSNL Tehri Garhwal	9412077666	[signature]
2	H.S. Ligwal	SDE BSNL New Tehri NTR	9412077730	[signature]
3	Jaivindra Singh	CDO BSNL Uttarkashi	9412055411	[signature]
4	Sandeep Aswal	JE NFC BSNL Uttarkashi	~~9412077777~~ 9456312472	[signature]
5	PANKAJ SINGH	SCO - RELIANCE JIO	6395779942	[signature]
6	Nitin Dimri	ROW - NLD, Reliance Jio	8791008404	[signature]
7	AMIT CHAUHAN	VIL (VODA-IDIA)	8979284223	[signature]
8	SALMAN KHAN	VIL (VODA-IDIA)	9897442900	[signature]
9	एम. पी. शुक्ला	A.DIO	8979289451	[signature]
10	Virendra Rauth	ZTM Airtel	7060032293	[signature]
11	Devsingh	VIL Network Team	9012299845	[signature]
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Scanned with OKEN Scanner

आगामी शीतकाल के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में में आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3	उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
4	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5	मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
6	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7	प्रभागीय वनाधिकारी, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
8	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
9	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
10	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
11	सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।
12	सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, उत्तरकाशी।
13	जिला शिक्षा अधिकारी, बेसिक, उत्तरकाशी।
14	समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।
15	नायब तहसीलदार, भटवाडी
16	निरीक्षक, पूर्ति विभाग, उत्तरकाशी।

दिनांक 23 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आगामी शीतकाल/वर्षा/बर्फवारी के दृष्टिगत आवश्यक पूर्व तैयारियों हेतु आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में निम्नप्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है–

<u>शिक्षा विभाग–</u>

जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जनपद अन्तर्गत क्षतिग्रस्त विद्यालयों की अद्यतन सूची/आख्या उपलब्ध कराते हुये उक्त विद्यालयों के शीघ्र विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मरम्मत करवाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के उचित उपाय किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिन बच्चों के पास गर्म कपडे़ नहीं है को नियमानुसार गर्म कपडे़ उपलब्ध करायेंगे।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जनपद में वर्षा तथा हिमपात होने की दशा में तत्काल ऐसे विद्यालयों की सूची उपलब्ध करायेंगे जो हिमपात के कारण छात्राओं के लिये असुरक्षित हो गये है।

कार्यवाही– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी/
<u>उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/समस्त तहसीलदार।</u>

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

सड़क मार्ग

सड़क सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये है कि अपने नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्य ग्रामीण यातायात मार्गों के बर्फबारी/पाला पड़ने वाले स्थानों यथा रॉडीटॉप, चौरंगी, स्यानाचट्टी-जानकीचट्टी, गंगनानी-हर्षिल आदि क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में चूना आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त भूस्खलन से संवेदनशील स्थानों पर सक्षम अधिकारी एवं आवश्यक मशीनरी (जेसीबी/पोकलैण्ड/डोजर आदि) तथा मजदूरों की तैनाती करना सुनिश्चित किया जाय। सम्बन्धित अधिकारी/अभियन्ता/जेसीबी0, आपरेटर आदि के दूरभाष नम्बर की अद्यतन सूची जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध नही रहे। इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो।

अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्रय किये जाने वाले स्नो कटर की निविदा आमंत्रित की गयी है। माह दिसम्बर, 2019 के अन्तिम सप्ताह तक उक्त की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यवाही- कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0/1442बी0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/भटवाड़ी/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट तथा पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी/पुरोला।

यातायात नियंत्रण

पुलिस विभाग को निर्देश दिये जनपद में मुख्य मोटर मार्गो पर स्थित पुलिस बैरियर से रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक एम्बुलेंस, बीमारी, आपातकालीन सेवा वाहन, सैन्य/अर्द्धसैन्य बलों के वाहनों के आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त वाहनों का परिवहन/आवागमन सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिबन्धित किया जाय। बर्फबारी एवं पाला गिरने से दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर सुरक्षित आवागमन/यातायात नियंत्रण हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाय।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामों में अग्निशमन उपाय-

तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में शीतकाल में घटित अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोकथाम हेतु एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन विभाग आदि के माध्यम से ग्रामों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाय तथा उक्त ग्रामों में अग्निशमन उपकरण उपलब्ध कराने वाली फर्म/कम्पनियों के सहयोग से अग्निशमन उपकरणों के क्रय/संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु कैम्प लगवाये जाने के निर्देश दिये गये। उक्त क्षेत्र मे निवासरत लोगों को लकड़ी के परम्परागत भवनों में जानवरों के घास-चारा व लकड़ी आदि सामग्री का भण्डार नहीं रखे जाने आदि अग्निशमन सम्बन्धी जानकारी से जागरूक किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, पुरोला/बड़कोट/तहसीलदार मोरी/पुरोला/बड़कोट/अग्निशमन अधिकारी, बड़कोट/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रमीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये कि उक्त क्षेत्र हेतु अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोकथाम हेतु तैयार किये जा रहे पशुचारा भण्डार सेल्टर की अद्यतन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। उक्त के निर्माण में प्रगति लाये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, ग्रमीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी

क्रमशः...............3

Scanned with OKEN Scanner

तहसील मोरी के दूरस्थ क्षेत्र/ग्राम जिनमें किसी भी कम्पनी के मोबाईल नेटवर्क नहीं है या संचार का अन्य माध्यम नहीं है में आवश्यक रूप से सैटेलाईट फोन की उपलब्ता राजस्व उप निरीक्षक के माध्यम से रखवाना सुनिश्चित करेंगे। तहसील मोरी के कन्ट्रोल रूम को कार्यशील/सतर्क रखने के निर्देश दिये गये है। तहसील कन्ट्रोल रूम प्रत्येक एक-एक घण्टे में जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र से सम्पर्क कर अद्यतन सूचना से अवगत करायेगा।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, पुरोला/तहसीदार मोरी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

खाद्यान्न-

जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी को जनपद के यथा पिंलग, लिवाडी, आरकोट क्षेत्र, मसरी, दोणी, खन्ना आदि दूरस्थ ग्रामों एवं बर्फवारी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मार्च, 2020 तक का खाद्यान्न आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा उक्त की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके साथ ही दूरस्थ/बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त रसोई गैस की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये। उक्त की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

चिकित्सा सुविधा

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि माह जनवरी,फरवरी एवं मार्च, 2020 तक बर्फवारी वाले स्थानों में गर्भवती महिलाओं का रोस्टर दूरभाष एवं गर्भवती महिला के उपचार सम्बन्धित जानकारी सहित तैयार कर जनपद आपदा प्रबन्धन को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आशा/आंगनबाडी/परिजनों आदि के अद्यतन दूरभाष नम्बर उपलब्ध करायेंगे।

इसके अतिरिक्त बर्फवारी से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु टीम गठित कर रोस्टर तैयार करेंगे। विशेषकर बच्चों को निमोनिया, त्वचा आदि बीमारियों के बचाव/चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, टीकाकरण कराये जाने हेतु कार्ययोजना तैयारी करते हुये टॉस्क फोर्स गठित किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तरकाशी।

पेयजल व्यवस्था

सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से प्रभावित होने वाली पेयजल लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करें तथा उक्त के मरम्मत हेतु प्रर्याप्त संशाधन उपलब्ध रखेंगे।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।

विद्युत व्यवस्था

बर्फवारी के प्रभावित होने वाली विद्युत लाईन के तत्काल मरम्मत हेतु टीमों को गठन कर आवश्यक समाग्री का भण्डारण रखना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त 01 विभागीय नोडल अधिकारी को समन्वय हेतु जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में तैनात करेंगे। बाधित विद्युत लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बडकोट।

क्रमशः...............4

Scanned with OKEN Scanner

पशुओं हेतु चारा

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पशुओं हेतु पर्याप्त चारे की उपलब्धता एवं उक्त से होने वाली बिमारियों के उपचार सम्बन्धी दवाओं रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

उच्च हिमालीय क्षेत्रों में आवाजाही

जनपद के वन क्षेत्रान्तर्गत व अन्य ट्रैक रूटों मुख्य रूप से गौमुख क्षेत्र, केदारताल, दयारा, केदारकांठा, हरकीदून व चाईसील सहित अन्य सभी ट्रैक रूटों पर बर्फवारी की सम्भावना के दृष्टिगत एतिहातन दिनांक 30 नवम्बर, 2019 के पश्चात किसी भी ट्रैकर्स को न जाने दिया जाय। इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियॉ/एतिहात वरते जाये।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट/टोंस वन प्रभाग/उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार पुरोला/ गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क/पर्यटन विकास अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी

अलाव एवं रैन बसेरा की व्यवस्था–

आम जनमानस को शीतलहरी एवं बर्फबारी से बचाव हेतु सार्वजनिक चिन्हित स्थानों पर आवश्यक रूप से अलाव जलाये जाने एवं रैन बसेरों को सुव्यवस्थित किये जाने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित तहसीलदार जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को प्रतिदिन व्यवस्था किये गये अलाव की फोटो सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। निसहाय लोगों को चिन्हित करते हुये उन्हें कम्बल आदि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

इसके अतिरिक्त शीतकाल में गंगोत्री में निवासरत लोगों/साधुओं आदि की संख्या आपदा प्रबन्धन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा बडकोट/पुरोला/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, बडाहाट/चिन्यालीसौड/बडकोट/नगर पंचायत, नौगाव/पुरोला/नगर पंचायत, गंगोत्री।

संचार व्यवस्था–

बी0एस0एन0एन0 को गंगोत्री सहित जनपद के समस्त क्षेत्रों में निर्वाध संचार व्यवस्था रखे जाने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक बी0एस0एन0एल0 के बी0टी0एस0 पर तैनात अधिकारियो/कर्मचारियों एवं उपलब्ध संशाधन, डीजल आदि की आपूर्ति के सम्बन्ध में सत्यापन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही– तहसीलदार/भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला/मोरी/ उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, बडकोट/उत्तरकाशी।

आराकोट क्षेत्र

शीतकाल के दृष्टिगत माह अगस्त, 2019 में अतिवृष्टि से प्रभावित हुये आराकोट के क्षेत्र में विद्युत/पेयजल/खाद्यान्न/ गर्म कपडे आदि आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। भूमिहीन परिवारों को पट्टे की भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत की जाय।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, पुरोला/तसीलदार, मोरी/ अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/पेयजल/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ उत्तरकाशी

दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या- 1939 /13-आ0प्र0 (2019-20) दिनांक- 26 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपिः

1. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी के अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आगामी शीतकालीन में आवश्यक तैयारियों की दृष्टिगत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक उपस्थिति-

स्थान- जिला कार्यालय सभागार कक्ष, उत्तरकाशी।

दिनांक- 23.11.2019

समय- सांय 4:30 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
1				
2				
3	P.C. Dandriyal	CDO UKI	8218924257	[signature] 23.11.19
4	Jitendra Gaong	D E O (B)	9410913679	[signature]
5	Dr. Pralayankar Nath	C.V.O.	8937001274	[signature]
6	R. S. Khatri	E.E. P.D. PWD Bhatwari	9411384150	[signature]
7	Atirodi Joshi	SDH	3579032478	[signature]
8	H. B. Sharma	DD Gangotri Park	9456572164	[signature]
9				
10	Shardul Gusain	D.C. DDMA	9997071947	[signature]
11	[illegible]	A.D.I.O	8979287451	[signature]
12	मंगल Mangalmohan	M.T. (B)	9639469693	[signature]
13	Manoj Gusain	E.E. UPCL Uttarkashi	9412077631	[signature]
14	Yashavant Singh Rawat	A.A.E. U.J.S. Jal Sansthan UKI	8937090522	[signature]
15	Rajesh Jaguri	SI (D.S.O. office)	9411519319	
16	Sunil Rawat	AE PWD UKi	6397916196	[signature]
17	Ramendra Kaushik	CEO/Education	9410549727	[signature]
18	डा० एस० एस० जोशी	मु०चि० अधि० उत्तरकाशी	9412078733	[signature]
19				
20				
21				
22				
23				
24				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 16 अगस्त, 2019 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मौसम विभाग द्वारा जारी भारी वर्षा की चेतावनी के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार हैः–

1. श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री तीर्थ पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मे0 अवनीश शर्मा, कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, बी0आर0ओ0।
4. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
5. डॉ0 अविनाश मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. डॉ0 बी0एस0 रावत, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. श्री डॉ0 डी0पी0 जोशी, स्वास्थ्य विभाग।
8. श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. श्री आर0पी0 सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
10. श्री प्रवीन कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11. श्री मनोज कश्यप, अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
12. श्री वी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियंता, जल संस्थान।
13. श्री प्रमोद नौटियाल, स्वास्थ्य विभाग।
14. वन्दना, वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेड़ा।
15. श्री आर0एल0 रतूड़ी, एस0डी0ओ0, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
16. श्री बी0के सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
17. श्री जी0पी0 सुयाल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
18. श्री सुरेश कुमार, सूचना विभाग।
19. श्री रामेश्वर प्रसाद, शिक्षा विभाग।
20. श्री जगमोहन, निरीक्षक, एस0डी0आ0एफ0।
21. श्री रामेन्द्र, शिक्षा विभाग।
22. श्री डी0एस0 पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
23. श्री शार्दुल गुसांई, जिला समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।
24. श्री राजवीर सिंह, टीम लीडर, खोज बचाव दल, उत्तरकाशी।
25. श्री शिवनारायण भट्ट, टीम लीडर, क्यू0आर0टी0, उत्तरकाशी।

दिनांक 16.08.2019 को भारतीय मौसम विभाग, देहरादून द्वारा राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में भारी से भारी वर्षा की चेतावनी के दृष्टिगत बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. भारी वर्षा के कारण जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में गाड़–गदेरों में अधिक मात्रा में जल प्रवाह होने तथा भूस्खलन, बादल फटने, सड़क मार्ग/पैदल मार्ग अवरूद्व होने की सम्भावना के दृष्टिगत सभी राजस्व उपनिरीक्षक अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सर्तकता के साथ मौजूद रहेंगे तथा समय–समय अत्यधिक वर्षा होने व गदेरो में अधिक जल प्रवह होने की सूचना शीघ्र आपदा सम्बन्धितों के साथ आपदा कन्ट्रोल को देंगे। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उपरोक्त कार्यो निगरानी करेंगे तथा क्षेत्र में कोई घटना घटित होने पर शीघ्र राहत–बचाव कार्य सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त तहसीलों को आबंटित उपकरण यथा–वुड कटर, आयरन कटर, आर0सी0सी0 कटर, टावर लाईट, सर्च लाईट आदि को सुचारू अवस्था में रखेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उपकरण उपयोग में लायेंगे। *(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार)*

2. भारी वर्षा के कारण मोटर मार्ग अवरूद्व होने की सम्भावना के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग/पी0एम0जी0एस0वाई0/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये गये हैं कि अपने अधीनस्थ सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं को आवश्यक प्रदान नहीं करेंगे तथा अवकाश पर चल रहे अभियंताओं का अवकाश निरस्त किया जाय।
(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/एन0एच0,बडकोट)

Scanned with OKEN Scanner

3. सम्भावित आपदा के दृष्टिगत प्रभावित क्षेत्रों में राहत समाग्री वितरण हेतु रेडक्रास सोसाईटी, उत्तरकाशी 50–50 खाद्यन्न/आवश्यक वस्तुओं की किट हर समय तैयार रखेंगे, जिससे कि किसी क्षेत्र में आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित व्यक्तियों को की जा सके।
(कार्यवाही– सचिव, रेडक्रास सोसाईटी)

4. दिनांक 14.08.2019 को तहसील भटवाड़ी अन्तर्गत ग्राम साल्ड में गदेरे में बहने के कारण आठ वर्ष के बच्चे की मृत्यु हुयी थी। तहसीलदार, भटवाड़ी उक्त घटना के कारणों आदि की विस्तृत आख्या जिलाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
(कार्यवाही– तहसीलदार, भटवाड़ी)

5. राष्ट्रीय राजमार्ग/अन्य मोटर मार्गो के ऊपर वन क्षेत्र से नीचे की ओर मोटर मार्ग पर बोल्डर्स/पत्थर आने की सम्भावना के दृष्टिगत वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मी मार्गो के ऊपर रूके हुये बोल्डर्स/पत्थर तथा उनके मोटर मार्ग पर आने से दुर्घटना होने सम्बन्धी आख्या सम्बन्धित मार्ग के अधिशासी अभियंता को उपलब्ध करायेंगे तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंता उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/ समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/एन0एच0,बडकोट)

6. पुलिस विभाग/अग्निशमन विभाग/एस0डी0आर0एफ0 अपने पास उपलब्ध खोज–बचाव उपकरणों की नियमित जांच करेंगे तथा उपकरणों को सक्रिय स्थिति में रखेंगे, जिससे कि राहत–बचाव कार्य प्रभावित न हो सके।
(कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/समस्त अग्निशमन अधिकारी/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0)

7. सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी जनपद में नियमित सघन चैकिंग अभियान चलायेंगे तथा परिवहन नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे।
(कार्यवाही– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी)

8. भारी वर्षा के दृष्टिगत युवा कल्याण अधिकारी अपने अधीनस्थ पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों/हल्का सरदार से अपने क्षेत्र में भारी वर्षा/गदेरों में जल प्रवाह/दुर्घटना की सूचना लेंगे तथा युवा कल्याण अधिकारी उक्त सूचना आपदा कन्ट्रोल रूम को नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
(कार्यवाही– जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी)

9. भारी वर्षा से मार्ग अवरूद्व होने की सम्भावना के दृष्टिगत गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के मध्येजनर मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद में ऐसी गर्भवती महिलओं की सूचना उपलब्ध करायेंगे जिनका प्रसव अगले 15 दिन के अन्तर्गत होने वाला है। इसके अतिरिक्त ऐसी गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 1122 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2019 दिनांक– 16 ~~जून~~ अगस्त 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

मौसम पुर्वानुमान एंव पूर्व तैयारी सम्बंधी बैठक

उपस्थिति

दिनांक 16/08/2019 स्थान – जिला सभागार

क्रसं0	अधिकारी नाम/पद नाम	विभाग का नाम	दूरभाष संख्या	हस्ताक्षर
01	MAJ AVNISH SHARMA OC, 72 RCC	BRO	9084199933	[illegible]
02	DR. D.P. Joshi	Health Deptt.	9837020379	[illegible]
03	DR. B.S. Rawat	CMS	9412394912	[illegible]
04	Dr. Avinash Katariya	Vet. officer Sheep	8958998089	[illegible]
05	Mr Pramod Nautiyal	Health (cmo office)	9456334329	[illegible]
06	Praveen Kumar	A.R.T.O	9897624953	[illegible]
07	MANOJ KASHYAP	Executive Engineer UJVNL	9456590112	[illegible] 16/08/2019
08	Vandana	SPO UREDA	9412864765	[illegible]
09	R.L. Rather SDO	UPCL	9412077174	[illegible]
10	Vijay Lal Bhandari	[illegible]	9412491255	[illegible]
11	R. B. Singh	DFO soil uttarkashi	9456931685	[illegible]
12	Gopal Singh Mattura	DSO UKI	9410180103	[illegible]
13	Hemda Ballabh Shah	DD Gangotri N. Park	9456572164	[illegible]
14	V. K. SINGH	DFO. UTTARKASHI	9997447445	[illegible]
15	G.P. Silwal	EE Irrigation Div. UKI	7895342554	[illegible]
16	सुरेश कुमार	सूचना विभाग	8449505031	[illegible]
17	रामदयाल [illegible]	[illegible] विभाग	945651472	[illegible]
18	SJ Rai MOHAN	SDRF	9410511622	[illegible]
19	[illegible]	शिक्षा विभाग	9410549327	[illegible]
20	Anokh Singh	EE Jal Sansthan	941103549	[illegible]
21	Rajveer Singh	D.M.M.C	7534802717	[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

22	Shivnarayan Bhadu	Q.R.T	9897648276	[signature]
23	KRISHAN PAL Singh	Q.R.T	9627624744	[signature]
24	[illegible]	Q.R.T	9897082946	[signature]
25	[illegible]	Q.R.T.	7900863081	[signature]
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 12 जुलाई, 2019 को गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बडेथी–चुंगी में एन0एच0डी0सी0आई0एल0 द्वारा करवाये जा रहे भूस्खलन जोन के उपचारत्मक कार्य के स्थलीय निरीक्षण की आख्या।

जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1031 / तेरह–आ0प्र0 / मानसून–2019 दिनांक 02.07.2019 के क्रम में गठित समिति के समस्त सदस्यों द्वारा दिनांक 12.07.2019 व दिनांक 15.07.2019 को ऑल वेदर सड़क परियोजना के अन्तर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बडेथी–चुंगी में एन0एच0डी0सी0आई0एल0 द्वारा करवाये जा रहे सड़क चौड़ीकरण एवं Hill Side Cutting व भूस्खलन जोन के उपचारत्मक कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अभियंता श्री अजय कुमार, पंकज रावत, भारत कन्ट्रक्शन कम्पनी के अभियंता राजेश रावत, टीम लीडर मंजूनाथ व ऑथोरटी अभियंता कार्य स्थल पर मौजूद थे। निरीक्षण में निम्न बिन्दु पाये गये।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बड़ेथी चुंगी के समीप आल वेदर रोड चौड़ीकरण से Hill Side Cutting के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की कटिंग करके चौड़ीकरण कार्य के दौरान लगभग 70 डिग्री के खड़े पहाड़ पर कटिंग करके बेंच बनायी गयी हैं। बनायी गयी बैंच से ऊपर चैनेज 100.600 के हिल साईड से भूस्खलन हो रहा है। भूस्खलन से प्रभावित लम्बाई लगभग 160 मीटर तथा ऊंचाई लगभग 140 मीटर है। भूस्खलित भाग के ऊपर कुछ हिस्से में पुनः हल्की दरारें दिखाई दे रही हैं, जिससे सम्भवतः और भूस्खलन होने की सम्भावना है। उक्त भाग में कुछ पेड़ भी भूस्खलन क्षेत्र में आ सकते हैं। ऑल वेदर रोड़ चौड़ीकरण के फलस्वरूप सिंचाई विभाग की ज्ञानसू नहर लगभग 40 मीटर लम्बाई में पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा आसपास के भाग में दरारें पड़ी हुयी है, जिससे काफी क्षेत्र में धसाव/कटान में आ रहा है। उक्त समस्त क्षेत्र का उपचार किया जाना आवश्यक है।

2. सिंचाई विभाग की ज्ञानसू नहर लगभग 40 मीटर लम्बाई में पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है, फलस्वरूप कृषकों को उपलब्ध करायी जा रही सिंचाई सुविधा भी बाधित हो गयी है। सिंचाई हेतु कृषकों को तत्काल अस्थाई व्यवस्था (सम्प वैल बनाकर पम्प द्वारा लिफ्ट कर नहर में पानी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था) से कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 12.07.2019 को निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आल वेदर रोड निर्माण एजेन्सी द्वारा अस्थाई व्यवस्था कर एक पम्प लगाकर दिनांक 15.07.2019 को पानी चलाया गया है। निरीक्षण के दौरान 4'' इन्च डायामीटर की पाइप लाइन द्वारा नहर में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया गया पानी सिंचाई हेतु कम पाया गया तथा स्थानीय कृषक भी पानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अतः सिंचाई हेतु एक और समानान्तर पाइप लाइन व्यवस्था से कृषकों की सिंचाई की मांग की पूर्ति की जानी आवश्यक है। उक्त क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के बराबर एवं हिल स्लोप के ऊपर में किये गये सम्पूर्ण उपचार कार्य के ऊपर सिंचाई विभाग की नहर अवस्थित है, जिससे भविष्य में क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना बनी हुयी है। अतः उक्त क्षेत्र में भी भूस्खलन होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त के दृष्टिगत भविष्य में उपचारात्मक भाग के ऊपर अवस्थित नहर को पाईप लाईन के माध्यम से बानाया जाना भी तकनीकी दृष्टि से उचित होगा।

3. एन0एच0डी0सी0आई0एल0 को सड़क पर जमा अत्यधिक मलवे को हटा कर डम्पिंग जोन में निस्तारण करते हुए राजमार्ग को यातायात हेतु सुचारु व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिये गये। साथ ही भूस्खलित भाग के ऊपर लूज पडे भाग को साफ करते हुये उक्त भाग का उपचारात्मक कार्य किया जाना आवश्यक है।

4. एन0एच0डी0सी0आई0एल0 को यह भी निर्देश दिये गये कि भूस्खलन से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में सुरक्षा के दृष्टिगत पैदल कांवड़ यात्रियों को मनेरा झूला पुल से बड़ेथी बाईपास मार्ग से आवागमन कराने हेतु कर्मी की तैनाती की जाय। उक्त स्थान पर मार्ग अवरूद्ध होने पर यातायात मनेरा बाईपास से संचालित किया जाना उचित होगा, जिससे इस दौरान कार्य स्थल पर कार्य करने का समय भी मिल सके।

अतः समिति की आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।	अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।	उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी। 22/7/19

दिनांक 03 जुलाई, 2019 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन के तहत पेयजल/विद्युत/संचार सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–</u>

1. श्री पी0एस0 रावत, अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पुरोला।
2. श्री बी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियंता, उतराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।
3. श्री वी0वी0 रावत, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
4. श्री प्रशांत पन्त, अधिशासी अभियंता, यू0पी0सी0एल0, बड़कोट।
5. डॉ0 आर0एल0 रतूड़ी, सहायक अभियंता, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
6. श्री आशीष, प्रतिनिधि, जी–मैक्स।
7. श्री श्री विशाल सिंह, प्रतिनिधि, आई0आईआर0डी0 (गेल प्रा0लि0)
8. श्री सुरेश कुमा, संरक्षक, सूचना विभाग, उत्तरकाशी।
9. श्री डी0एस0 पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

मानसूनकाल के दृष्टिगत पेयजल/विद्युत/संचार सेवा सुचारू रखे जाने के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

<u>संचार</u>–यमुनोत्री धाम में उपजिलाधिकारी, बड़कोट वाई–फाई कनेक्टिवीटि हेतु बी0एस0एन0एल0, जी मैक्स कम्पनी व आई0आई0आर0डी0 से समन्वय कर शीघ्र धाम में वाई–फाई कनेक्टिविटी उपलब्ध करायेंगे। उक्त कार्य माह अगस्त तक पूर्ण कर लिये जायें। इसके अतिरिक्त मोरी/पुरोला के दूरस्थ क्षेत्रों व सुक्खी तथा उससे ऊपर लगे मोबाइल टावरों हेतु ईधन भण्डारित रखा जाय, जिससे कि आपदा के समय मोबाईल टावरों को सुचारू रखा जा सकेगा। जिला पूर्ति अधिकारी भण्डारित ईधन वाले डीलरों की सूची सम्पर्क नम्बरों सहित बी0एस0एन0एल0 से साझा करेंगे।
(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, बडकोट, भटवाडी/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट/प्रबन्धक, जी मैक्स/प्रतिनिधि, आई0आई0आर0डी0, गेल प्रा0लि0)

<u>विद्युत</u>– जनपद अन्तर्गत विद्युत विभाग से सम्बन्धित ठेकेदार/कार्मियों की क्षेत्रवार सूची उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त आपदा के समय बाधित होने वाली विद्युत सेवा को तत्काल सुचारू किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही दल बनाया जाय, जो अविलम्ब कार्यवाही करते हुये क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनों की मरम्मत कर विद्युत सेवा सुचारू करेंगे।

अधिशासी अभियंता, यू0पी0सी0एल0, बड़कोट द्वारा अवगत कराया गया कि मोरी तहसील में नेटवर्क न होने के कारण विद्युत मरम्मत हेतु सटडाउन करने तथा उसके पश्चात सुचारू करने हेतु कई बार 1–2 दिन का समय लग जाता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं कि ऐसी स्थिति में तहसीलों को उपलब्ध कराये गये सेटेलाईट फोन का प्रयोग कर व्यवस्था बनायेंगे।
(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/बड़कोट)

<u>पेयजल</u>– मानसूनकाल में जल जनित बीमारियों की सम्भावना के दृष्टिगत जनपद के समस्त ग्रामो में जल संस्थान/जल निगम द्वारा बनाये गये पेयजल टैंकों की उचित साफ सफाई करवायी जाय। इसके अतिरिक्त विगत वर्षो में जनपद के कतिपय ग्रामों में पेयजल से जल जनित रोगों से कई लोग संक्रमित बीमारियों से ग्रसित रहे। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, जल संस्थान को निर्देश दिये जाते हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय कर जनपद के जो ग्राम विगत वर्षो में जल जनित बीमारी से प्रभावित हुये हैं उन ग्रामों में पानी के टैंक आदि की उचित साफ–सफाई करवाते हुये नियमित रूप से पेयजल के सैम्पल की जांच कर जल जनित बीमारी से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था आदि करवाना सुनिश्चित करेंगे। (ग्रामों की सूची संलग्न) ***(कार्यवाही– अधिशासी अभियंता, जल संस्थान/जल निगम/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)***

(डॉ0 आसीष चौहान)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः.....................2

Scanned with OKEN Scanner

<u>कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

संख्या–1058 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक/2019 दिनांक–08 जुलाई, 2019

<u>प्रतिलिपि:</u>– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22 जून, 2019 को मुख्य अधिशासी अधिकारी, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण में विभागीय समन्वय/सर्तकता/तैयारियाँ सम्बन्धी बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:-

1. श्री मनोज कश्यप, अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी।
2. श्री जी0पी0 सुयाल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
3. श्री अनन्त भूषण गैरोला, सहायक अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी।
4. श्री राजेश चौबे, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
5. श्री पवन बिजल्वाण, यू0जे0वि0एन0एल0, जेशियाड़ा।
6. श्री विनोद पाल, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी।
7. श्री शिवओम गुप्ता, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी।
8. श्री डी0एस0 पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

मानसून के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन के तहत बाढ़ नियंत्रण में विभागीय समन्वय/सर्तकता/तैयारियाँ सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. मानसून सत्र में नदी के जल स्तर पर निगरानी रखे जाने के लिए आपसी समन्वय हेतु सम्बन्धित विभाग यू0जे0वि0एन0एल0, सिंचाई विभाग तथा केन्द्रीय जल आयोग का एक वट्सअप ग्रुप बनाया जाय, जिसमें गेज तथा नदी के डिस्चार्ज आदि की सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जायेगा।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

2. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भागीरथी नदी में तिलोथ तथा यमुना नदी में नौगांव तथा टौंस नदी में मोरी आदि स्थानों में मानसून सत्र में दैनिक रूप से 03 बार नदी के जल स्तर को मापा जाता है। अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि नदी के जल स्तर सम्बन्धी सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को दैनिक रूप से उपलब्ध करान सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

3. ऐसे स्थान क्षेत्रों में जहाँ त्वरित बाढ़ व भूस्खलन से नदी के रूख बदलने की सम्भावना है उक्त स्थानों का चिन्हॉकंन कर लिया जाय। केन्द्रीय जल आयोग, यू0जे0वि0एन0एल0 तथा भारतीय मौसम विभाग से समन्वय कर वर्षा की सम्भावना व बाढ़ तल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

4. बाढ़ की स्थिति हेतु सायरन द्वारा सूचना देने हेतु विभिन्न स्थानों पर सायरन लगाया जाय। अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि स्थान जोशियाड़ा, मातली, डुण्डा तथा धरासू में सायरन लगे हैं, जिससे कि नदी का जल स्तर बढ़ने पर चेतवानी देने हेतु बजाया जाता है। निर्देशित किया गया कि विभिन्न स्थानों पर सायरन की क्रियाशीतला तथा सायरन बजाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सभी सम्बन्धितों से साझा किया जाय।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

5. पूर्व बैठक में सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये थे कि बादल फाटने की घटनायें संकरी घाटी से लगते पहाड़ की चोटी से नीच बसे आबादी क्षेत्र जहाँ तलहटी में पानी की उपलब्धता हो ऐसे स्थानों पर अधिक होती है। इस सम्बन्ध में जनपद में घटित त्वरि बाढ़/बादल फटने की घटनाओं के अध्ययन/अनुभव के साथ एसे स्थानों का चिन्हॉकंन कर लिया जाय जहाँ इस तरह की घटनायें घटित होने की सम्भावनायें हैं। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी उक्त सम्बन्ध में शीघ्र आख्या उपलब्ध करायेंगे।
(कार्यवाही- समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी)

6. टी0एच0डी0सी0 द्वारा ऋषिकेश आदि स्थानों पर बड़े-बड़े आधुनिक सायरन लगाये गये हैं। अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0 को निर्देश दिये जाते हैं कि जनपद में जोशियाड़ा, धरासू, मनेरी आदि स्थानों पर भी टी0एच0डी0सी0 की तर्ज पर उक्त सायरन स्थापित किये जायें। आपदा प्रबन्धन अधिकारी उक्त सायरन से सम्बन्धित सूचना/मॉडल सम्बन्धित विभाग से साझा करेंगे।
(कार्यवाही- समस्त अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/ जोशियाड़ा/धरासू/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

क्रमशः..................2

Scanned with OKEN Scanner

7. यू0जे0वि0एन0एल0 के अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0जे0वि0एन0एल0 द्वारा गंगोरी वन विभाग चौक के पास सायरन लगाया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु विभाग को एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त स्थान पर सायरन स्थापित किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग से एन0ओ0सी0 लिए जाने हेतु पत्राचार/कार्यवाही शीघ्र की जाय।
(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वि0एन0एल0/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

8. विगत मानसून में धराली में खीरगाड़ में नदी का जल स्तर बढ़ने से काफी मात्रा में मलवा आया था। पूर्व में सिंचाई विभाग को निर्देशि किया गया था कि खीरगाड़ में चैनालईजेशन कार्य कर मलवा निस्तारित किया जाय। अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह अन्तर्गत खीरगाड़ में चैनलाईजेशन कार्य कर शीघ्र पूर्ण करते हुये मलवा निस्तारण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/पुरोला/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/ जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/समस्त उपजिलाधिकारी)

इसी के साथ बैठक में सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(हेमन्त कुमार वर्मा)
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 1011 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2019 दिनांक– 22 जून, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आहूत आपदा पूर्व तैयारियों बैठकों में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी बैठक उपस्थिति

स्थान- जिला कार्यालय सभागार कक्ष

दिनांक- 11.06.2019

समय- सांय 5:00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम/विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	DMSm.	—	—	
2	इन्द्र दत्त	A-D.M.		
3	देवेन्द्र सिंह नेगी	[illegible]	9410191049	
4	Maj S Mohanty	OC 72 RCC (BRO)		
5	Chakrapani Mishra	ARTO (Transport)		
6	Mahadev Uniyal	SO Kotwali	9411112862	
7	Gopal Singh Matura.	DSO, Food Supply Deptt.	9410180103	
8	Nanda Ballabh Shar	DD Gangotri National Park	9456572164	
9	डा० डी०पी० जोशी	CMO	983[illegible]	
10	Dhiraj Gupta	AE NH PWD Barkot	9412914256	
11	R.C. Arya	CEO. Education	9412977663	
12	Jaynand Semwal	Sanitary Inspector	9690584854	
13	Ajay Narayan [illegible]	EO Naugaon N.P.	9557278995	
14	M.S. Rautela	E.O. NPP - Chinyali	9411533571	
15	S.K. Kumar	E.O. N.P.P. Barahat Uttarkashi	9412409827	
16	SURESH KUMAR	EE PWD Chinyali	7579186700	
17	J.S. Kanyal	EE, PMGSY Utt	9760877667	
18	Subhashish Rana	AE. PMGSY, UKI	9997669022	
19	Mukesh Pokhriyal	Firestation Uttarkashi	8449722308	
20	Jaivindra Bisht	SDO BSNL	9412055411	
21	Shiv Das	EE UJVNL Joshiyara	9456590075	
22	Sachin Kumar	Inspector Police	8958038550	
23	Govind Bisht	DIO Information	7055007019	
24	D.S. Pathwal	DMO	9456147974	
25	J.P.S. Panwar	District Coordinator	945636664	

26	Shardul Husain	District Coordinator	9997071927	[signature]
27	ARVIND	DEO, DEOC	9456502337	[signature]
28	Sonam	DEOC	9410910011	[signature]
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				

Scanned with OKEN Scanner

25 मई, 2019 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दक्षिण–पश्चिम मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक एवं आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आहुत वीडियोकॉन्फ्रेंस में दिये गये निर्देशों का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री प्रशांत आर्य, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
4. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
5. डॉ0 सी0एच0 रावत, उप चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. डॉ0 नाथ, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. श्री जी0पी0 सिंलवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
8. श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. श्री आर0पी0 सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग।
10. श्री हरीश धपोला, अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
11. श्री आर0एस0 खत्री, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
12. श्री विरेन्द्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियंता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
13. श्री हरीश सहायक अभियंता, जल निगम, उत्तरकाशी।
14. श्री सुमन सिंह, अ0स0अ0, जल संस्थान उत्तरकाशी।
15. श्री आर0एल0 रतूड़ी, एस0डी0ओ0, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
16. श्री वी0के0 बरमाड़ा, परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, उत्तरकाशी।
17. श्री जे0एस0 कन्याल, अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0।
18. श्री राजेश जोशी, निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी, उत्तरकाशी।
19. श्री अनन्त, सहायक अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
20. श्री गोपाल सिंह समाज कल्याण विभाग, उत्तरकाशी।
21. श्री भरत भारद्वाज, डी0जी0एम0, यू0जे0वि0एन0एल0, तिलोथ।
22. श्री नवीन ध्यानी, सहायक अभियंता, प्र0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
23. श्री जोत सिंह, तहसीलदार, चिन्यालीसौड़।
24. श्री वीरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार, डुण्डा।
25. श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला।
26. श्री डी0एस0 पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
27. श्री शार्दुल गुसांई, जिला समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।

दक्षिण–पश्चिम मानसून के दृष्टिगत आपदा की घटनाओं के मध्येनजर शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ आहूत बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. **सड़क सम्बन्धी–**

समस्त सड़क से सम्बन्धित विभाग मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में की गयी कार्यवाही हेतु एक रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त निम्न प्रारूप पर सूचना दैनिक रूप से आपातकालीन परिचालन केन्द्र को भी उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

जनपद में अवरूद्व होने पर मार्गो की दैनिक सूचना उपलबध कराने हेतु प्रारूप–

क्र.सं.	मार्ग का नाम	मार्ग अवरूद्ध का स्थान	मार्ग अवरूद्व होने का दिनांक/समय व कारण	अवरूद्व स्थल पर बचाव दल एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति	अवरूद्व स्थल पर कार्यशील संसाधनों का विवरण	मार्ग खुलने का सम्भावित समय	मार्ग अवरूद्व होने के कारण रूके लोगों/वाहनों का विवरण	अवरूद्व स्थल पर रूके यात्रियों हेतु आवश्यक व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के भटवाड़ी से आगे संगलाई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग से ऊपर की ओर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्मित मार्ग से विगत वर्ष मलवा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग समय–समय पर बाधित रहा। भविष्य में एकत्र किये गये मलवे से राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलवा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरूद्व हो सकता है तथा किसी भी प्रकार की दुर्घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधिशासी

क्रमशः

Scanned with OKEN Scanner

सड़क संगठन, भटवाड़ी तथा अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर किये जा सकने वाले उपचारात्मक कार्यों के सम्बन्ध में सुझाव सम्बन्धित विभाग को देते हुये विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करवाना भी सुनिश्चित करेगे। इसी प्रकार पी0एम0जी0एस0वाई0 के नियंत्रणाधीन कुन्साला–त्रिखली मोटर मार्ग की आवश्यक मरम्मत तथा विकास खण्ड नौगाव के पैदल मार्ग के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, बड़कोट निरीक्षण कर प्रगति आख्या व अन्य आवश्यक कार्यों के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध करायेंगे।

ईको सेसिटिव के मास्टर प्लान में विषय विशेषज्ञों द्वारा भू–स्खलन सक्रिय क्षेत्रों का चिहिन्हॉन किया गया है। सड़क से सम्बन्धित विभागों को निर्देशि किया जाता है कि उक्त स्थानों के दोनों ओर सावधानी वरतने के सम्बन्ध में साईन बोर्ड लगवाते हुये उक्त क्षेत्र का आवश्यक उपराचात्क कार्य किये जाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। सभी सम्बन्धित विभाग संवेदनशील स्थानों में सड़क अवरूद्व होने की स्थिति में स्थानवार मैप, संसाधनों व उत्तरदायी अधिकारियों सहित सभी बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार कर उपलबध करायेंगे।

आपदा अथवा मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में विभिन्न विभागों को निश्चित क्षेत्रान्तर्गत तात्कलिक रूप से ससाधनो सहित आवश्यक सहयोग व मशीनरी की आवश्यकता पड़ने के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों में आपसी समन्वय होना आवश्यक है। जनपद के दूरस्थ आन्तरिक क्षेत्रों यथा–जखोल, लिवाड़ी, फिताड़ी, संगमचट्टी, जोगत, कुपड़ा आदि क्षेत्रों में सम्बन्धित सड़क विभाग द्वारा जे0सी0बी0 की तैनाती करते हुये उक्त मशीन से आच्छादित मार्गो की किलोमीटरवार योजना तैयार की जाय तथा उक्त मशीनों की आवश्यक मरम्मत तथा उक्त क्षेत्र में ईधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय।

विगत वर्ष हुयी विभिन्न दुर्घटनाओं में संगलाई व डामटा क्षेत्र को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस सम्बन्ध में सीमा सड़क संगठन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त स्थानों पर आवश्यक उपचारात्मक कार्य करते हुये ब्लैक स्पॉट हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। मार्गों के सवेदनशील स्थलों पर क्रेश बैरियर/पैराफिट लगवाये जाने तथा मार्गों के कलवर्ट आदि की सफाई की जाय। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट को निर्देश दिये गये है कि सिलक्यारा आदि स्थानों पर मार्ग चौडीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त क्रेश बैरियर/पैराफिट क्षतिग्रस्त हुये है उनकी तत्काल मरम्मत करवाया जाय। इसके साथ ही डाबरकोट में भूस्खलन की स्थिति में अर्ली वार्निंग हेतु मानसून पूर्व सायरन स्थापित करना सुनिश्चित करेगें।

सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट एवं लो0नि0वि0 अपने नियंत्रणाधीन संवेदनशील पुल/ट्रॉली व जीर्ण–शीर्ण अवस्था वाले पुलों व उनके अवेटमेंट की गुणवत्ता/मजबूती के सम्बन्ध में आख्या शीघ्र प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करते हुये इसके अतिरिक्त वर्षा के कारण जल भराव के दृष्टिगत सड़क मार्गो के किनारे बनी नालियों/कलवट की साफ–सफाई आदि कार्य मानसून पूर्व किये जाने के दृष्टिगत 15 जून, 2019 से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे।

अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी दूरस्थ क्षेत्रों में जहॉ गांवों की आवाजाही हेतु पुल अत्यधिक दूर तथा क्षतिग्रस्त है, उनके लिए नयी ट्रॉली लगाने अथवा पुरानी ट्रॉली को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में आंगणन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी अपने स्तर से सर्वे कर उक्त प्रस्तावों का सत्यापन उपरान्त औचित्यर्पूण प्रस्ताव इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सभी कार्यदायी संस्था अपने अधीनस्थ जे0सी0बी0 सहित अन्य मशीनों पर जी0पी0एस0 सिस्टम लगाना सुनिश्चित करेंगे ताकि मार्ग अवरूद्व होने पर मार्ग खुलवाने हेतु मशीन की लोकेशन ट्रैक की जा सके।

(कार्यवाही– सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0,बडकोट, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/ समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

लो0नि0वि0 तथा वन विभाग के विश्राम गृह, किसी भी प्रकार की आपदा आपदा/मार्ग अवरूद्व होने के दौरान रेस्क्यू सेन्टर के रूप में उपयोग में लाये जा सकेगें। सभी सम्बन्धित अधिशासी अभियंता व प्रभागीय वनाधिकारी अपने अधीनस्थ समस्त विश्राम गृहों का उचित रख–रखाव करेंगे। इस सम्बन्ध में विश्राम गृह से सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता तथा केयर टेकर के नाम/मोबाईल नम्बर निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध करायेंगे। विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों यथा–भोजवास, जखोल, अगोड़ा, गांगोत्री, भटवाड़ी आदि क्षेत्रों के विश्राम गृह में किसी भी प्रकार की आवश्यक मरम्मत तथा रख–रखाव के सम्बन्ध में आख्या/आंगणन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्भावित हैलीपैड के सम्बन्ध में सूचना भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रारूप– 01 (आवास व्यवस्था)

क्र.सं.	स्थान	प्रकार (अतिथि गृह, होटल, धर्मशाला, अन्य)	क्षमता कमरे	अंक्षास/देशान्तर	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	दूरभाष/मोबाईल संख्या–
1	2	3	4	5	6	7

प्रारूप– 02 (हैलीपैड)

क्र.सं.	स्थान	आकार (ल0X चौ0)	अंक्षास/देशान्तर	ऊॅचाई
1	2	3	4	5

(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड/सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/ समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी)

क्रमश.............3

Scanned with OKEN Scanner

2. सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण–

अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/पुरोला को निर्देशित किया जाता है कि मानसून अवधि में विभिन्न नदी नालों के पास अतिवृष्टि व बादल फटने की स्थिति में नदी–नालों से कटाव से आबादी क्षेत्रों को सम्भावित खतरे वाले स्थानों का चिन्हॉकंन ऐसे स्थानों से स्थलवार कार्ययोजना तथा नोडल विभागीय अधिकारियों मैप सहित तथा उक्त नदी नाले का उच्च बाढ़ स्तर तथा पूर्व में घटित घटनाओं का विवरण सहित योजना तैयार कर एक सप्ताह अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। तथा केन्द्रीय जल आयोग के सक्षम अधिकारियों के साथ एक सप्ताह अन्दर बैठक करवाते हुये प्रत्येक माह में एक बार समस्त सम्बन्धितों के साथ बैठक का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

जिन क्षेत्रों में त्वरित बाढ़ व भूस्खलन से नदी के रूख बदलने की सम्भावना है उक्त स्थानों में बाढ़ चौकी स्थापित की जाय तथा केन्द्रीय जल आयोग, यू0जे0वि0एन0एल0 तथा भारतीय मौसम विभाग से समन्वय कर वर्षा की सम्भावना व बाढ़ तल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय। यू0जे0वि0एन0एल0 से समन्वय कर विभिन्न स्थानों पर सायरन की क्रियाशीतला तथा सायरन बजाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण सभी सम्बन्धितों से साझा करते हुये उसका लोकल नेटवर्क टी0वी0 चैनलों पर प्रसारण भी किया जाय।

प्रायः यह देखा गया है कि बादल घटने की घटनायें संकरी घाटी से लगते पहाड़ की चोटी से नीच बसे आबादी क्षेत्र जहॉ तलहटी में पानी की उपलब्धता हो ऐसे स्थानों पर अधिक होती है। इस सम्बन्ध में जनपद में घटित त्वरि बाढ़/बादल फटने की घटनाओं के अध्ययन/अनुभव के साथ एसे स्थानों का चिन्हॉकंन कर लिया जाय जहॉ इस तरह की घटनायें घटित होने की सम्भावनायें हैं।
(कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/पुरोला/अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी/तिलोथ/जोशियाड़ा/धरासू/केन्द्रीय जल आयोग/समस्त उपजिलाधिकारी)

3. यातायात नियंत्रण–

यात्रा अवधि के दौरान देखा गया है कि गंगोत्री तथा यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के दोबाटा से राड़ी टॉप, सिलक्यारा से रॉड़ी टॉप तथा गंगनानी से सुक्खी टॉप के मध्य प्रायः जाम लगा रहता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये निर्देश दिये गये कि उक्त स्थानेां पर पुलिस विभाग द्वारा वॉकी–टॉकी के साथ युवा कल्याण विभाग के स्वयंसेवक की तैनाती की जाय, जिन्हें हाइवे वोलियन्टर के नाम से जाना जायेगा। यात्रा व्यवस्थाओं में लगे सेक्टर अधिकारी उनके सहयोग से यातायात नियंत्रण के साथ–साथ घटना/दुर्घटना घटित होने पर सूचना सम्बन्धितों को प्रेषित करेंगे।

मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्व होने, तेजी बारिश व ऑधी–तूफान आने की स्थिति में वायरलैस के माध्यम से तत्काल सूचना आपताकालीन परिचालन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी तथा यातायात को सुरक्षित स्थानों पर जहॉ जलपान आदि की उपलब्धता हो रोका जायेगा। दुर्घटना के दृष्टिगत किसी भी स्थिति में यातायात निर्धारित समय से पूर्व नहीं छोड़ा जायेगा। श

मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में वाहनों के ट्रॉस्पिटमेन्ट हेतु वाहनों का चिन्हॉकंन तथा किराया दरों का निर्धारण पूर्व में ही किया जाना होग।

संज्ञान में आया है कि यात्रा हेतु अन्य राज्यों से अधिक क्षमता की बसें आने से मार्ग में जाम की स्थिति के साथ–साथ दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। विगत दिनों में 06 बसों के टायर सड़क से बाहर जाने के कारण दुर्घटना की स्थिति बन गयी थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुये इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी तथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंता इस सम्बन्ध में जॉच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिससे यथा स्थिति तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जा सकेगा। *(कार्यवाही:–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी /युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी)*

4. दूरसंचार–

दूरसंचार विभाग अपने मोबाईल टावरों की स्थिति कॉर्डिनेट्स सहित उनके रख–रखाव करने वाले कर्मियो के नाम व दूरभाष नम्बर तथा ईधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। तथा सम्बन्धित राजस्व कर्मियों द्वार उनका परीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जायेगी। जायेगा।

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वार तहसील स्तर पर सैटेलाईट फोन उपलब्ध कराये गये हैं। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उक्त सैटेलाईट फोनों का विवरण जिनके पास उक्त फोन उपलब्ध कराये गये हैं, आच्छादित क्षेत्र, दूरभाष नम्बर व अधिकारी का नाम सहित विवरण एक सप्ताह अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राजस्व कर्मियों द्वारा किसी घटना/दुर्घटना की स्थिति में सैटेलाईट फोन मौके पर अपने पास उपलब्ध रहे, जिसका उपयोग सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु किया जाय। इसके साथ ही विभिन्न पुलिस थानों/चौकियों को उपलब्ध कराये गये वॉकी–टॉकी दुर्घटना के समय मौके पर आपसी समन्वय के लिए उपयोग किये जायें। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर ले कि किसी भी घटना की स्थिति में वायरलैस तथा सैटेलाईट फोन के साथ कर्मी मौके पर उपस्थित रहे।

क्रमशः..............4

Scanned with OKEN Scanner

रेडियो संचार अधिकारी सम्बन्धित समस्त अधिकारियों को वायरलैस तथा वॉकी–टॉकी संचालन हेतु प्रशिक्षित करेंगे तथा आपदा प्रबन्धन अधिकारी सैटेलाईट फोन संचालन का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करेंगे।

रेडियो संचार अधिकारी द्वारा जनपद में दूरसंचार सेवायें बाधित होने की स्थिति में निर्वाचन की दर्ज पर कम्युनिकेशन प्लान तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(कार्यवाही:- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी / समस्त उपजिलाधिकारी /ए0आर0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी, बड़कोट /आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

5–खाद्य / नागरिक आपूर्ति–

मानसूनकाल में दूरस्थ ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बाधित होने की स्थिति में पूर्व तैयारी के दृष्टिगत जनपद अन्तर्गत सभी दूरस्थ क्षेत्र यथा–लिवाड़ी, फिताड़ी, जखोल, ओसला, गंगाड़, सरबडियार, संगमचट्टी क्षेत्र, पिलग, जौड़ाव आदि क्षेत्रों में माह सितम्बर तक का खाद्यन्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

मार्ग होने की स्थिति में संवेदनशील व सम्भावित स्थलवार मार्ग में रूके यात्रियों हेतु जलपान व भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में योजना जिसमें डिब्बाबंद भोजन सहित दुकानों का चिन्हॉकंन, दर निर्धारण, मैन्यू, सम्बन्धित अधिकारी का नाम दूरभाष नम्बर सहित विस्तृत योजना तैयार करते हुये किसी भी आपदा आपदा की स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित राहत केन्द्रों में भोजन आदि व्यवस्था के सम्बन्ध में भी योजना तैयार करेंगे। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय थोक विक्रेताओं की सूची उनके दूरभाष नम्बर तथा उनके पास उपलब्ध खाद्यन्न, मसाले, तेल तथा अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता का विवरण दिनांक 10.06.2019 तक सम्बन्धित तहसील तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे।

जनपद में विभिन्न पैट्रोल पम्पों पर उपलब्ध पैट्रोल / डीजल की उपलब्धता का विवरण दैनिक रूप से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। जनपद में आपदा की स्थिति में आई0टी0बी0पी0 12वी वाहिनी मातली द्वारा ए0टी0एफ0 की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। परन्तु कतिपय समय में उनके पास ए0टी0एफ0 की उपलब्धता न होने के कारण आपात स्थिति में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुये जिला पूर्ति अधिकारी आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत पूर्व तैयारी के तहत ए0टी0एफ0 मैनेजमेंट प्लान बनाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे प्रत्येक स्थिति में एक निर्धारित मात्रा में ए0टी0एफ0 आपदा प्रबन्धन हेतु आई0टी0बी0पी0 द्वारा आरक्षित रखा जा सके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही:–जिला पूर्ति अधिकारी / समस्त उपजिलाधिकारी)

6. स्वास्थ्य एवं पशुपालन विभाग–

पूर्व के अनुभवों के साथ जिन स्थानों पर संक्रमणशील तथा जल जनित के साथ–साथ अन्य बीमारियॉ समय–समय पर होती हैं उनका विवरण के साथ भविष्य में इस प्रकार बीमारियॉ न हो इस सम्बन्ध में योजना तैयार करते हुये ऐसी स्थितियों हेतु क्षेत्रवार चिकित्सकों तथा अन्य सहायक कर्मियों की तैनाती की योजना तैयार करते हुये मानसून अवधि में जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती के सम्बन्ध में योजना तैयार कर एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

पशुओं में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु योजना तथा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ–साथ इस सम्बन्ध में आवश्यक दवाओं / उपकरणों की मांग के सम्बन्ध में आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। *(कार्यवाही:–मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी)*

7. अन्य आवश्यक व्यवस्थायें–

1. मानूसन अवधि में नगरीय क्षेत्रों में जल भराव के दृष्टिगत सम्बन्धित नगर पालिका तथा नगर पंचायतों द्वारा नालियों की उचित साफ–सफाई 15 जून, 2019 से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे तथा आख्या संकलित कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही:–समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत)

3. आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत दिनांक 04.06.2019 को समस्त सम्बन्धित आई0आर0एस0 का प्रशिक्षण जिसमें आवाश्यकतानुसार अधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण भी किया जायेगा। साथ ही प्रशिक्षण में किन्हीं कराणों से मुख्य अधिकारी की अनुपस्थिति में उनके अधीनस्थ अन्य कर्मी को भी नामित किया जाना होगा। इसी के साथ दिनांक 05.06.2019 को मार्ग अवरूद्व होने तथा दिनांक 06.06.2019 को त्वरित बाढ़ सम्बन्धी मॉक अभ्यास का आयोजन किया जायेगा। उक्त अभ्यास तहसील स्तर पर गठित आई0आर0एस0 द्वारा भी किया जायेगा, जिसकी विस्तृत आख्या तथा अधिगम / सुझाव सभी सम्बन्धितों / डी0ओ0ओ0सी0 तथा आयुक्त महोदय से साझा किये जायेंगे। वनाग्नि काल समाप्त होने के उपरान्त वन विभाग के कर्मियों व ग्राम प्रहरियों व राजस्वों कर्मियों की एक संयुक्त कार्याशाला आयोजित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।
(कार्यवाही:–आपदा प्रबन्धन अधिकारी / समस्त उपजिलाधिकारी / समस्त प्रभागीय वनाधिकारी)

क्रमश..............5

Scanned with OKEN Scanner

शासन से दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के यमुना तथा टौंस घाटी हेतु एक–एक ड्रोन कैमरा क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई में फंसने के कारण उसे सुरक्षित निकालने हेतु जाल तथा 108 सेवा सहित अन्य आवश्यक राहत–बचाव से सम्बन्धित वाहनों हेतु जी0पी0एस0 उपकरण भी क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे उक्त वाहनों की समय–समय पर ट्रैकिंग की जा सके।

(कार्यवाही:–प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

5. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न थानों/चौकियों/तहसीलों व अग्निशमन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये खोज–बचाव उपकरणों को सप्ताहिक रूप से (शुक्रवार को) परीक्षण कर उपकरणों के कार्यशील होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही:–पुलिस अधीक्षक/अग्निशमन अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी)

6. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में विभिन्न आपदाओं/दुर्घटनाओं एवं विभिन्न सूचनाओं व आंकड़ों के विश्लेषण हेतु एक Data Analysis Wing बनाया जाता है। उपजिलाधिकारी, भटवाडी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़ एवं सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी को नामित किया जाता है, जिनके द्वारा समय–समय पर आंकड़ों का विश्लेषण कर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किये जाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, भटवाडी/अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़/सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी)

7. जिला सूचना अधिकारी जनपद के फेसबुक पेज पर आपदा प्रबन्धन के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो/सुझावों तथा आवश्यक जानकारियों को साझा किया जायेगा।

(कार्यवाही–जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी)

इसी के साथ बैठक में जनपद की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना–2019 का अनुमोदन भी किया गया तथा बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2019 दिनांक– जून, 2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

4. शासन से दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के यमुना तथा टौंस घाटी हेतु एक–एक ड्रोन कैमरा क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई में फंसने के कारण उसे सुरक्षित निकालने हेतु जाल तथा 108 सेवा सहित अन्य आवश्यक राहत–बचाव से सम्बन्धित वाहनों हेतु जी0पी0एस0 उपकरण भी क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे उक्त वाहनों की समय–समय पर ट्रैकिंग की जा सके।

(कार्यवाही:–प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

5. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न थानों/चौकियों/तहसीलों व अग्निशमन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये खोज–बचाव उपकरणों को सप्ताहिक रूप से (शुक्रवार को) परीक्षण कर उपकरणों के कार्यशील होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही:–पुलिस अधीक्षक/अग्निशमन अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी)

6. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में विभिन्न आपदाओं/दुर्घटनाओं एवं विभिन्न सूचनाओं व आंकड़ों के विश्लेषण हेतु एक Data Analysis Wing बनाया जाता है। उपजिलाधिकारी, भटवाडी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़ एवं सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी को नामित किया जाता है, जिनके द्वारा समय–समय पर आंकड़ों का विश्लेषण कर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किये जाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कार्यवाही:– उपजिलाधिकारी, भटवाडी/अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़/सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी)

7. जिला सूचना अधिकारी जनपद के फेसबुक पेज पर आपदा प्रबन्धन के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो/सुझावों तथा आवश्यक जानकारियों को साझा किया जायेगा।

(कार्यवाही:–जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी)

इसी के साथ बैठक में जनपद की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना–2019 का अनुमोदन भी किया गया तथा बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 968 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2019 दिनांक–04 जून, 2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

शासन से दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद के यमुना तथा टौंस घाटी हेतु एक–एक ड्रोन कैमरा क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ किसी भी व्यक्ति के ऊंचाई में फंसने के कारण उसे सुरक्षित निकालने हेतु जाल तथा 108 सेवा सहित अन्य आवश्यक राहत–बचाव से सम्बन्धित वाहनों हेतु जी0पी0एस0 उपकरण भी क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे उक्त वाहनों की समय–समय पर ट्रैकिंग की जा सके।

(कार्यवाही–प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबन्धन / आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

5. आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न थानों / चौकियों / तहसीलों व अग्निशमन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये खोज–बचाव उपकरणों को सप्ताहिक रूप से (शुक्रवार को) परीक्षण कर उपकरणों के कार्यशील होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक / अग्निशमन अधिकारी / समस्त उपजिलाधिकारी)

6. जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में विभिन्न आपदाओं / दुर्घटनाओं एवं विभिन्न सूचनाओं व आंकड़ों के विश्लेषण हेतु एक Data Analysis Wing बनाया जाता है। उपजिलाधिकारी, भटवाडी की अध्यक्षता में अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़ एवं सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी को नामित किया जाता है, जिनके द्वारा समय–समय पर आंकड़ों का विश्लेषण कर आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किये जाने के लिए सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, भटवाडी / अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़ / सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी)

7. जिला सूचना अधिकारी जनपद के फेसबुक पेज पर आपदा प्रबन्धन के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों / सुझावों तथा आवश्यक जानकारियों को साझा किया जायेगा।

(कार्यवाही–जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी)

इसी के साथ बैठक में जनपद की आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना–2019 का अनुमोदन भी किया गया तथा बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण / जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 96B /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2019 दिनांक–04 जून, 2019

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण /
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दक्षिण–पश्चिम मानसून–2019 के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी विभागीय तैयारियों की समीक्षा बैठक।

:: उपस्थिति ::

स्थान– जिला कार्यालय सभागार, उत्तरकाशी।

दिनांक– 25.05.2019।

क्र. सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4	आर० के० सिंह उप प्र०व०	वन विभाग	9458931685	[signature]
5	गोपाल सिंह भण्डारी	खाद्य आपूर्ति विभाग	9410180103	[signature]
6	Rambir S. Pundir	[illegible]	9411587264	[signature]
7	ए० के० मिश्र	उद्यान विभाग	9412923069	[signature]
8	सुमनासिंह [illegible]	[illegible]	9411185354	[signature]
9	[illegible]	AS UKI	8958008354	[signature]
10	गोपाल सिंह [illegible]	[illegible] विभाग	9412026087	[signature]
11	जोतसिंह नेगी	[illegible]	9639621753	[signature]
12	वीरेन्द्र सिंह रावत	तहसीलदार डुण्डा	9411331611	[signature]
13	[illegible]	अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, PMGSY	9760877667	[signature]
14	चन्द्रमोहन राणा	तहसीलदार [illegible]	9411185808	[signature]
15	R.S. Khatri	E.E. P.D PWD Bhatwari	9411384150	[signature]
16	G.P. Silwal	EE Irrigation Div UKI	7895342154	[signature]
17	Dr C.S. Rawat	ACMO Health	8650670770	[signature]
18	AKASH Joshi	SDM Dunda	7579073428	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
19	Dr. Pralayankar Nath	C.V.O.	8937001274	[signature]
20	Vikram Singh Raut	J.E Zila Panchayat Utt.	9536003698	[signature]
21	Harish Kuniyal AAE	AAE Jal Nigam Utta.	9410177836	[signature]
22	R.L. Raturi	SDO, UPCL	9412077174	[signature]
23	V.K. Bamrara	P.O UREDA	9258897005	[signature]
24	SI Rajesh Joshi	SDRF	9412991862	[signature]
25	ANANT BHUSHAN GAIROLA	UJVNL (AE)	8905008040	[signature]
26	HARISH DHAPOLA	UJVNL (EE)	9456590408	[signature]
27	Bharat Bhardwaj	DGM, Tiloth UJVNL	9456590016	[signature]
28	Naveen Dhyani AE	P.D PWD UK1	9997331519	[signature]
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
1				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 09 मई, 2019 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आगामी मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत विमागीय नोडल अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:–

1. श्री पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री प्रशांत आर्य, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री बी0के0 सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी डैम, उत्तरकाशी।
4. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5. श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
6. डॉ0 सुचाता, प्रभारी जिला चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. डॉ0 एच0 पाण्डे, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
8. श्री सतीश कुमार सिंह, उप महाप्रबन्धक, यू0जे0वी0एन0एल0, मनेरीं
9. श्री भारत भारद्वाज, उप महाप्रबन्धक, यू0जे0वी0एन0एल0, तिलोथ।
10. श्री प्रमोद शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी।
11. श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. श्री चकपाणि मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशीं
13. श्री विक्रम सिंह, डी0पी0ओ0 बाल विकास, उत्तरकाशी
14. श्री आर0सी0 आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
15. श्री बी0एस0 डोगरा, अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान उत्तरकाशी।
16. श्री नवनीत पण्डेय, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो0नि0वि0 बडकोट।
17. श्री एस0एस0 तोमर, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड।
18. श्री जी0पी0 सिंलवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
19. श्री हरीश धपोला, अधिशासी अभियन्ता, यू0जे0वी0एन0एल0, मनेरी डैम, उत्तरकाशी।
20. श्री सुनील सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
21. अनिता रावत, सहायक अभियन्ता, छटवॉ वृत्त लो0नि0वि0, उत्तरकाशी
22. श्री रवीन्द्र सिंह नेगी, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
23. श्री रवीन्द्र एम0, सहायक अभियन्ता, सीमा सड़क संगठन, सिंविल, तेखला।
24. श्री रमेश कुशवाह, जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, उत्तरकाशी।
25. श्री अजय बिष्ट, लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी।
26. श्री जितेन्द्र सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, उत्तरकाशी।
27. सुश्री हेमलता, पाण्डेय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
28. श्री विजय प्रताप भण्डारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
29. श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
30. श्री गोविन्द सिंह विष्ट, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
31. श्री मुकेश नौटियाल, जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी।
32. श्री अमर सिंह, प्रतिनिधि, 2 महर रेजिमेंट, हर्षिल।
33. श्री सुरजीत सिंह, सुवेदार, 2 महर रेजिमेंट, हर्षिल।
34. श्री बिमलेश नेगी, सहायक सेनानी, 12 वी वाहिनी, आई0टी0बी0पी0 मातली।
35. श्री रमेश चन्द्र, अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
36. सालनी, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
37. कुशुम राणा, प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
38. श्री नवल किशेर, परियोजना प्रबन्धक, एन0बी0सी0सी0, उत्तरकाशी।
39. श्री सन्दीप सिंनवाल, प्रतिनिधि जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
40. श्री विक्रम पुण्डीर, निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
41. श्री चन्दन सिंह राणा, तहसीलदार पुरोला।
42. श्री विरेन्द्र सिंह रावत, तहसीलदार बडकोट।
43. श्री एफ0 खान, लेखाकार, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

आगामी मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत करते हुये शासन से प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों, सीमा सड़क संगठन, सेना/आई0टी0बी0पी0 के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

क्रमशः............2

Scanned with OKEN Scanner

1. **मशीनरी की आवश्यक मरम्मत/भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों का चयन एवं मशीनरी/मजदूरों आदि की तैनाती–**

(A) समस्त निर्माण एवं राहत बचाव सम्बन्धी विभागों/संस्थाओं को निर्देश दिये गये है कि 15 दिन अन्दर मशीनरी जेसीबी/डोजर/ उडकटर/वाहनों एवं खोज–बचाव सम्बन्धी उपकरणों, सैटेलाईट फोन आदि की आवश्यक मरम्मत करते हुये कार्यशील करेंगे तथा उक्त की सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगें।

(B) समस्त निर्माण विभागों को निर्देश दिये गये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य ग्रामीण मोटर मार्गों के भूस्खलन आदि से संवेदनशील क्षेत्र/स्थान में चेवावनी बोर्ड भी लगाये जायें।

(C) सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिये गये है कि गंगोत्री मार्ग पर भूस्खलन से संवेदनशील स्थलों का पुनः सर्वेक्षण कर संवेदनशील स्थलों की सूचना एवं उक्तानुसार मशीनों/संसाधनों का तैनाती विवरण उपलब्ध करायेंगे।

(D) मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गों के चिन्हत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों यथा अधिकारियो/कर्मचारियों तथा मशीनरी/ऑपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गों को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गों को चिन्हित कर सूचि उपलब्ध कराये। सड़क/संवेदनशील स्थलों पर गिरने की सम्भावना वाले पेड़ों को हटाने की कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/ कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0,बडकोट, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/ समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी/

(E) गंगोत्री धाम से गौमुख तक के पैदल मार्ग का सर्वेक्षण गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क एवं जानकीचट्टी से यमुनोत्री तक के पैदल मार्ग के सर्वेक्षण लो0नि0वि0 बडकोट करेंगे । उक्त मार्गों के संवेदनशील स्थलों का चिन्हाकन कर हधोहस्ताक्षरी को 10 दिन अन्दर प्लान उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाहीः– उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क,उत्तरकाशी एवं अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बडकोट।

(F) मार्गों के संवेदनशील स्थलों पर क्रेश बैरियर/पैराफिट लगवाये जाने तथा मार्गों के कलवर्ट आदि की सफाई की जाय। अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट को निर्देश दिये गये है कि सिलक्यारा आदि स्थानों पर मार्ग चौडीकरण के दौरान क्षतिग्रस्त क्रेश बैरियर/पैराफिट क्षतिग्रस्त हुये है उनकी तत्काल मरम्मत करवाया जाय।

कार्यवाही– कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/एन0एच0, बडकोट पी0एम0जी0एस0वाई/समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी।

(G) ओजरी (डबरकोट) के पास भूस्खलन से मार्ग बार–बार अवरूद्ध होने के कारण उक्त स्थान पर पर्याप्त मशीनरी/मजदूर/प्रकाश व्यवस्था/पुलिस/एस0डी0आर0एफ0/शौचालय सुविधा/वैकल्पिक मार्ग में समुचित व्यवस्था आदि किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा कुन्शाला–कुपडा/अगलाडगांड वैकल्पिक मार्ग के कार्य को दिनांक 30.05.2019 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये है। यदि उक्त अवधि तक कार्यदायी विभाग द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत धारा के तहत दण्दात्मक कार्यवाह की जायेगी।

(I) अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 बडकोट एवं अधिशासी अभियन्ता, भटवाडी को निर्देश दिये गये है कि तत्काल उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अनुसार स्नो कटर एवं जे0बी0बी0 मशीन क्रय करें।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बडकोट/उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधि0अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला।

2. उप जिलाधिकारी, भटवाडी द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वारीगाड पुल की आवश्यक मरम्मत किये की जानी आवश्यक होगी। उक्त के दृष्टिगत उक्त पुल की आवश्यक मरम्मत एवं रख रखाव किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यवाही–कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।

3. **ट्रॉलियों का रख–रखाव/उक्त के संचालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये है कि** अपने नियंत्रणाधीन में अवस्थित ट्रॉलियों की आवश्यक मरम्मत करते हुये उक्त के सही होने सम्बन्धी रिर्पोट दिनांक 30.05.2019 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त मानसून अवधि में उक्त ट्रॉलियों के संचालन हेतु विभागीय संसाधनों से कार्मिकों की तैनाती की जाय।

कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई खण्ड/पुरोला/उत्तरकाशी/ समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः............3

Scanned with OKEN Scanner

(A) डिडसारी में लगायी गयी मोटरेवल ट्रॉली उक्त स्थान पर पुल निर्माण होने के फलस्वरूप उक्त ट्राली को हटाकर जनपद के अन्य स्थान जहाँ पर आवश्यकता हो स्थापित किया जाय।

कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

(B) ग्राम दिलसौड में प्रस्तावित पुल की प्रगति के सम्बध में आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये ।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

4. **मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्रियों/स्थानीय लोगों हेतु Transshipment करने हेतु गाडियों की व्यवस्था–** अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर Transshipment करने हेतु गाडियों की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

5. **जनपद में Crane की स्थिति–** पुलिस विभाग को उपलब्ध करायी गयी रिकवरी वाहन के उपयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। इसके अतिरिक्त जे0सी0बी0, हाईड्रा आदि मशीनरी के किराये आदि की दर निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।/अधीक्षण अभियन्ता, छटवॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

6. **बी0एस0एन0एल0 की सेवा बाधित होने के दृष्टिगत** उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपने क्षेत्र अन्तर्गत सेवा बाधित होने की आवश्यक रूप से जांच करते हुये नेटवर्क को सुचारू किये जाने के कार्य, उपलब्ध संसाधन एवं सुचारू करने में लगाया गया समय (Response time) की मॉनिटिरिंग कर सेवा को तत्काल सुचारू करवाना सुनिश्चित करें तथा इस सम्बन्ध में आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। समस्त सड़क सम्बन्धित निर्माण विभागों को निर्देश दिये गये कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि बी0एस0एन0एल की ओ0एफ0सी0 केबल न कटे।

बी0एस0एन0एल0 कार्मिकों के सर्विस मैनुवल की जांच करेंगे तथा उक्तानुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाय। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अभियन्ता को नोडल अधिकारी नामित करते हुये बैठक में बी0एस0एन0एल0 उच्चाधिकारियों को प्रतिभाग किये जाने के निर्देश दिये गये है।
साथ ही निर्देश दिये गये कि मानसून काल में विघुत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवरों के संचालन हेतु विघुत बैकअप की व्यवस्था हेतु डीजल आदि का भण्डारण भी रखा जाय।

कार्यवाही–उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला/मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।/ समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0उत्तरकाशी/सीमा सड़क संगठन।

7. **तहसील कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा उक्त में आवश्यक व्यवस्था किया जाना–**
तहसील कन्ट्रोल रूम को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाय तथा कन्ट्रोल रूम में ग्राम प्रधानों तथा आवश्यक मशीनरी के चालकों आदि के दूरभाष के नम्बरों की सूची रखी जाय।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/, उत्तकराशी।

8. **घटित घटना/राहत–बचाव कार्यों की फोटोग्राफ/वीडियोंग्राफ किया जाना–** घटित घटना की सूचना तत्काल कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करायी जाय। कन्ट्रोल रूम में पंजीकृत क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु एस0डी0आर0एफ0 मद से धनराशि स्वीकृति की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त कार्यदायी विभाग।

10. **दूरस्थ ग्रामों (Remote Areas)में खाद्यान्न उपलब्ध कराये** जाने हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि दिनांक 30.05.2019 से पूर्व सुदूरवर्ती ग्रामों (Remort Areas) में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की अग्रिम चार माह की आपूर्ति की जाय।

(A) समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि वह अपन क्षेत्रान्तर्गत खाद्य विभाग के गोदामों की जांच करते हुये उक्त गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

(B) जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि आपदा/मार्ग अवरूद्ध होने पर उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन निर्धारित किया जाय। यातायात मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यात्रियों के जलपान, भोजन, ठहरने व बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु प्लान तैयार कर दस दिन अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

क्रमशः............4

Scanned with OKEN Scanner

09. **विभिन्न बाजारों तथा व्यापार मण्डलों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मीटिंग/सम्पर्क करते हुये सभी प्रकार की आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लगभग दो माह का स्टॉक बनाये रखने हेतु कार्यवाही करना–** जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारी को मुख्य मोटर मार्गो में स्थित दुकानों/जनरल व्यापारियों/व्यापार मण्डल के साथ बैठक कर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री स्टॉक रखे जाने तथा दर निर्धारित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु सक्षम बिक्रेता को चयनित किया जाय।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

10. **स्वास्थ्य सुविधा** मानसून काल में बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाते हुये आवश्यक दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिये गये है।

(A) मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये है कि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की अवश्यक मरम्मत की जाय। एम्बुलेंस चालकों को जिम्मेदारी से कार्य किये जाने हेतु निर्देशित करेंगे। लापरवाही करने वाले एम्बुलेंस वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठनों/आई0टी0बी0पी0 /एन0आई0एम0 /सीमा सड़क संगठन एवं आश्रमों आदि के रोगी वाहनों विवरण उपलब्ध करायेगें

(B) मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थति में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपात स्थिति में उक्त हेतु कार्ययोजना व सम्बन्धित महिला एवं आशा के सही नम्बर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।/

(C) जनपद के दूरस्थ ग्रामों यथा हडवाडी/नुराणू/कलाप/सावणी/सटुटी/ओसला/जखोल/जौडवा/पिलंग आदि ग्रामों के पैदल मार्ग आवागमन हेतु सुरक्षित होने /मार्ग पर अवस्थित नालो/नदियों पर संवेदनशील पुलों की स्थिति, संचार व्यवस्था की स्थति, खाद्यान, एवं उक्त क्षेत्र में निवासरत गर्भवती महिलाओं/वृद्ध आदि को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने, बीमारियॉ फोलने तथा आपदा की घटना घटित होने पर सहायता पहुॅचाये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सर्वेक्षण हेतु समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये निर्देश दिये गये है कि सम्बन्धित तहसीलदारों से समन्वयक कर उक्त ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण अपने विकास खण्ड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारियो से आंगणनवाडी/आशा के सहयोग से करवायेंगे। दिनांक 30.05.2019 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध करायेगे।

कार्यवाही– जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी/सम्बन्धित तहसीलदार।

11 **पुश चारा/दवाओं की उपलब्ध के सम्बन्ध में** पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को मानूसन काल में होने वाली बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां/वैक्सीन तथा चारे आदि की उपब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये । इसके अतिरिक्त जनपद में अतिवृष्टि/वज्रपात के कारण समय–समय पर भेडो की मृत्यु होने के दृष्टिगत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वह चरवाहों को प्रशिक्षित करते हुये चरवाहों के कल्याण हेतु योजना तैयार की जाय।

कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

12. समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये गये है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों एवं नदी–नालों के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवासरत संवेदनशील आवादी बस्तियों को चिन्हित कर सूचि उपलब्ध करायेंगे तथा जिन स्थानों पर मानूसन काल में नदी–नालों में पानी बढने से आवागमन करते समय दुर्घटना होने की सम्भावना है, के सम्बन्ध में ग्रामवार राजस्व उप निरीक्षकों से निरीक्षण कराते हुये ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर उक्त स्थान पर यथाशीघ्र किये जा सकने वाले तात्कालिक उपाय से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

इसके अतिरिक्त समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नालियों की सफाई दिनांक 30.05.2019 से पूर्व करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका, उत्तरकाशी।

क्रमशः............5

Scanned with OKEN Scanner

09. विभिन्न बाजारों तथा व्यापार मण्डलों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मीटिंग/सम्पर्क करते हुये सभी प्रकार की आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लगभग दो माह का स्टॉक बनाये रखने हेतु <u>कार्यवाही करना–</u> जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारी को मुख्य मोटर मार्गो में स्थित दुकानों/जनरल व्यापारियों/व्यापार मण्डल के साथ बैठक कर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री स्टॉक रखे जाने तथा दर निर्धारित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु सक्षम बिक्रेता को चयनित किया जाय।

<u>**कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।**</u>

10. <u>**स्वास्थ्य सुविधा**</u> मानसून काल में बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाते हुये आवश्यक दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिये गये है।

(A) मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये है कि स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस की अवश्यक मरम्मत की जाय। एम्बुलेंस चालकों को जिम्मेदारी से कार्य किये जाने हेतु निर्देशित करेंगे। लापरवाही करने वाले एम्बुलेंस वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठनों/आई0टी0बी0पी0/एन0आई0एम0/सीमा सड़क संगठन एवं आश्रमों आदि के रोगी वाहनों विवरण उपलब्ध करायेगें

(B) मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य के दृष्टिगत आपात स्थिति में उक्त हेतु कार्ययोजना व सम्बन्धित महिला एवं आशा के सही नम्बर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

<u>**कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।/**</u>

(C) जनपद के दूरस्थ ग्रामों यथा हडवाडी/नुराणू/कलाप/सावणी/सटुटी/ओसला/जखोल/जौडवा/पिलंग आदि ग्रामों के पैदल मार्ग आवागमन हेतु सुरक्षित होने /मार्ग पर अवस्थित नालो/नदियों पर संवेदनशील पुलों की स्थिति, संचार व्यवस्था की स्थति, खाद्यान, एवं उक्त क्षेत्र में निवासरत गर्भवती महिलाओं/वृद्ध आदि को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने, बीमारियॉ फोलने तथा आपदा की घटना घटित होने पर सहायता पहुॅचाये जाने एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के सर्वेक्षण हेतु समाज कल्याण अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करते हुये निर्देश दिये गये है कि सम्बन्धित तहसीलदारों से समन्वयक कर उक्त ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण अपने विकास खण्ड में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारियो से आंगणनवाडी/आशा के सहयोग से करवायेंगे। दिनांक 30.05.2019 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी को विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध करायेगे।

<u>**कार्यवाही– जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी/सम्बन्धित तहसीलदार।**</u>

11 **पुश चारा/दवाओं की उपलब्ध के सम्बन्ध में** पशु चिकित्साधिकारी को पशुओं को मानूसन काल में होने वाली बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां/वैक्सीन तथा चारे आदि की उपब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये । इसके अतिरिक्त जनपद में अतिवृष्टि/वज्रपात के कारण समय–समय पर भेडो की मृत्यु होने के दृष्टिगत मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वह चरवाहों को प्रशिक्षित करते हुये चरवाहों के कल्याण हेतु योजना तैयार की जाय।

<u>**कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।**</u>

12. समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी/नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये गये है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों एवं नदी–नालों के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवासरत संवेदनशील आवादी बस्तियों को चिन्हित कर सूचि उपलब्ध करायेंगे तथा जिन स्थानों पर मानूसन काल में नदी–नालों में पानी बढने से आवागमन करते समय दुर्घटना होने की सम्भावना है, के सम्बन्ध में ग्रामवार राजस्व उप निरीक्षकों से निरीक्षण कराते हुये ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर उक्त स्थान पर यथाशीघ्र किये जा सकने वाले तात्कालिक उपाय से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

इसके अतिरिक्त समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित नालियों की सफाई दिनांक 30.05.2019 से पूर्व करना सुनिश्चित करें।

<u>**कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी जनपद उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका, उत्तरकाशी।**</u>

क्रमशः............5

Scanned with OKEN Scanner

करना सुनिश्चित करेंगे। राजस्व विभाग समस्त विभागों से समन्वय कर अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त उपलब्ध संसाधनों व अधिकारियों की सूची आपदा के समय समन्वय हेतु अध्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे, तथा जिन क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क नहीं है वहा पर वैकल्पिक संचार व्यवस्था हेतु तहसील आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना में सम्मिलित कर उपलब्ध करायें।

कार्यवाही– समस्त –कार्याध्यक्ष जनपद उत्तकाशी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

20. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि एन0टी0पी0सी0 की भटवाडी क्षेत्र में लगी टॉवर लाईट को तत्काल निकाल कर शहर क्षेत्र के आवश्यकता वाले स्थानों पर मानसून काल से पूर्व लगवाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधि0अभि0 ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/अधि0अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट।

21. रेडियो संचार अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जनपद के दूरस्थ क्षेत्र के कतिपय स्थानों पर संचार नेटवर्क नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्रों में मानसून अवधि में कम्युनिकेशन स्थापित किये जाने हेतु यथा आवश्यक रिपिटर लगाये जाने के लिये सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/वन विभाग से समन्वय कर कार्ययोजना प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/रेडियो संचार अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, गोविन्द वन्यजीव विहार पुरोला/उप जिलाधिकारी, भटवाडी/बडकोट/पुरोला।

22. जनपद में गठित INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) अन्तर्गत नामित अधिकारियों को अपडेट किये जाने एवं यू0जे0वी0एन0एल0 के अधिकारियों को भी सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 906 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017 दिनांक– 13 मई, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में शासन के पत्र संख्या– 614 दिनांक 18.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान सुक्की के पास भूस्खलन एवं यमुनोत्री में धाम में नदी के चैनलाईजेशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति-

1	श्री हेमन्त कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2	श्री आर0एस0 रावत, परियोजना निदेशक, ग्राम्य अभिकरण, उत्तरकाशी।
3	श्री आकाश जोशी, उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा।
4	श्री के0एस0 पंवार, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
5	श्री गुणानन्द शर्मा, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
5	मेजर सत्यजीत सिंह, कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, भटवाडी
6	डॉ0 सी0एस0 रावत, प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7	श्री वी0एस0 पुण्डीर, अधि0 अभि0, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
8	श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
9	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10	श्री गोविन्द विष्ट, जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

चारधाम यात्रा व आगामी मानसून अवधि में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान सुक्की के पास भूस्खलन से मार्ग अवरूद्ध होने की सम्भावना एवं यमुनोत्री में धाम में यमुना नदी में जमा अतिरिक्त आर0बी0एम0 से पुलिया व गतिमान बाढ सुरक्षा कार्यो सहित मन्दिर परिसर आदि को नदी के कटान से उत्पंन खतरे के दृष्टिगत यमुना नदी के प्रश्नगत भाग में नदी चैनलाईजेशन कार्य के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 30.04.2019 को आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक निम्न निर्णय लिये गये।

1. गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 108 पर स्थान सुक्की के पास लगभग 30 मीटर लम्बाई व 200 मीटर ऊँचाई पर सड़क से नीचे की ओर से भूस्खलन/कटाव होने के कारण मार्ग यात्रा/मानसूनकाल में अवरूद्ध होने की सम्भावना के दृष्टिगत उक्त स्थान पर समय रहते आवश्यक कार्य किये जाने हेतु सीमा सड़क संगठन के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थान पर मार्ग चौडीकरण हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत उक्त स्थान पर भूस्खलित भाग का भू-गर्भीय सर्वेक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया। भू-सर्वेक्षण हेतु उप जिलाधिकरी भटवाडी की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की गयी है-
   1. उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
   2. पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
   3. कमान अधिकारी, 72 सड़क निर्माण इकाई, भटवाडी।
   4. उप निदेशक, भू-वैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी।

उपरोक्त समिति को निर्देश दिये गये है कि तत्काल उक्त स्थल का सर्वेक्षण कर सर्वेक्षण आख्या आवश्यक सुझाव सहित उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त शासन स्तर से उच्च तकनीकी सर्वेक्षण दल से सर्वेक्षण करवाये जाने हेतु शासन से पत्राचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/कमान अधिकारी, 72 सड़क निर्माण इकाई, ग्रिप तेखला, उत्तरकाशी/ उप निदेशक, भू-वैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी।

क्रमशः........2

Scanned with OKEN Scanner

2\. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला द्वारा पत्राक संख्या–सी–सिं0ख0पु0 के द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं दिनांक 26.04.2019 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा यमुनोत्री धाम में यात्रा व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता सिंचाई एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 बडकोट द्वारा अवगत कराया गया कि यमुना नदी में भारी बोल्डर आने से पानी के प्रवाह बाधित होने से यमुनोत्री धाम में वर्षाकाल में प्रतिवर्ष क्षति होने के कारण यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा यमुनोत्री धाम में क्षति का मुख्य कारण बालू/मिट्टी इत्यादि के जमा से नदी का जल स्तर बढ़ने से बताया गया है, जो कि मन्दिर परिसर एवं मन्दिर से नीचे की तरफ (Down Stream) में स्थित लौह सेतु आदि को क्षति पहुँचाता है। यदि नदी के तल पर जमा रेत/मलवा आदि को हटाया जाता है तो यमुना नदी के प्रवाह को स्थान उपलब्ध हो एवं नदी में मलवा जमा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मन्दिर परिसर के ऊपर नदी के दाहिने किनारे पर स्थित बरसाती नाले पर रॉक फाल बैरियर लगाये जाने से पहाडी से गिरने वाले बोल्डरों को नदी तक पहुँचने से रोका जा सकता है। उनके द्वारा उक्त स्थानों पर नदी के चैनलाईजेशन किये जाने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्तानुसार यमुनोत्री धाम में नदी में जमा अतिरिक्त रेत/मलवा से मन्दिर की सुरक्षा/आसन्न संकट के दृष्टिगत नदी चैनलाईजेशन एवं यात्रियों की सुविधा/सुरक्षा हेतु किये जाने वाले अन्य कार्यो की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु उप जिलाधिकारी, बडकोट की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की गयी है।

1. उप जिलाधिकारी, बडकोट
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।
3. उप निदेशक, भू–वैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी।
4. खान निरीक्षक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी।

कार्यवाही:– उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला/ उप निदेशक, भू–वैज्ञानिक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी/खान निरीक्षक, जिला टॉस्क फोर्स, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय– अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 880 /13–आ0प्र0प्राधि0/2018 दिनांक– 4 मई, 2019

प्रतिलिपि:–

1. समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार शीघ्र अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आपदा – प्रबंधन

दिनांक 17.04.2019 को जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में चारधाम यात्रा व्यवस्था–2019 के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1– श्री प्रशांत आर्या, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2– श्री सत्यजीत मोहन्ती, कमान अधिकारी 72 आर0सी0सी0 (बी0आर0ओ0)
3– श्री देवेन्द्र नेगी, उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4– श्री देवेन्द्र पटवाल, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5– श्री आर0एस0 खत्री, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 भटवाडी।
6– श्री वी0एस0 पुन्डीर, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
7– श्री सुरेश तोमर, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़।
8– श्री धीरज गुप्ता, सहायक अभियन्ता, एन0एच0 लो0नि0वि0 बड़कोट।
9– श्री एस0एस0 रावत, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
10– श्री एल0एस0 कुमांई, सहायक अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
11– श्री वी0के0 पुरी, जिला अर्थ एवं सांख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
12– श्री आर0एल0 रतूडी, एस0डी0ओ0 विद्युत विभाग, उत्तरकाशी।
13– श्री प्रकाश खत्री, जिला विकास पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
14– श्री कबूल चन्द्र, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
15– श्री चकपाणी मिश्रा, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
16– श्री सुरेश नौटियाल, सहायक अर्थ सांख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
17– श्री नवनीत पाण्डे, अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 लो0नि0वि0 बड़कोट।
18– श्री मनोज रावत, सहायक अभियन्ता, एन0एच0 लो0नि0वि0 बड़कोट।
19– श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डे, प्रभारी सुलभ इंटरनेशनल, उत्तरकाशी।
20– श्री विवेक नौटियाल, अभियन्ता स्वजल परियोजना, उत्तरकाशी।
21– श्री पी0एस0 राणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री।
22– श्रीमती मंजू देवी, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट।
23– श्री हरीश कुमार, जल निगम, उत्तरकाशी।

:: कार्यवृत्त ::

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का स्वागत करते हुये आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20.04.2019 को होने वाली चारधाम यात्रा व्यवस्था के कार्यों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये यात्रा तैयारियों के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, विद्युत, दूरसंचार, पर्यटन, परिवहन, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। उक्त के कम में सम्बन्धित विभागों को निम्न प्रकार आदेश निर्गत किये जाते है।

1– यात्रा मार्गों की मरम्मत व रख–रखाव :– चारधाम यात्रा के प्रमुख मार्गों यथा देहरादून– बड़कोट, धरासू–यमुनोत्री, धरासू–गंगोत्री व उत्तरकाशी–लम्बगांव मार्गों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा किये गये सुदृढिकरण कार्यों की किलोमीटर वार आख्या तथा विशेष रूप से उत्तरकाशी–लम्बगांव मार्ग में जोशियाडा पुल सहित उक्त क्षेत्र में मार्ग की मरम्मत, चौरंगीखाल व लम्बगांव के मध्य इसी प्रकार सीमा सड़क संगठन अन्तर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाडी से गंगनानी के मध्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट अन्तर्गत धरासू से ब्रहमखाल के मध्य मार्ग की मरम्मत की विशेष आवश्यकता है। यात्रा के पूर्व प्रस्तावित कार्यों का विवरण व प्रगति आख्या, सभी मार्गों को गड्डा मुक्त व पैच मरम्मत के सम्बन्ध में आख्या मानचित्र/फोटोग्राफस सहित कल दिनांक 18.04.2019 से दैनिक रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान डाबरकोट में समय–समय पर अवरूद्ध होने के दृष्टिगत वैकल्पिक मार्ग के रूप में पी0एम0जी0एस0वाई0 के नियंत्रणाधीन कुन्साला–त्रिखली मार्ग की तत्काल

.... 2

मरम्मत के सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश दिये गये है। यात्रा तैयारी सम्बधी बैठक में अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 के उपस्थित न होने पर अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0पी0एस0वाई0 पुरोला को निर्देश दिये जाते है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर अपना स्पष्टीकरण एवं कार्य प्रगति की आख्या मय फोटोग्राफस अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त मार्ग के पैदल भाग में खण्ड विकास अधिकारी नौगांव द्वारा किये जा रहे कार्य की प्रगति आख्या आतिथि तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। खण्ड विकास अधिकारी नौगांव को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मार्ग पर प्रस्तावित कार्यों को तत्काल पूर्ण करते हुये कार्य से सम्बन्धित दैनिक आख्या फोटोग्राफस सहित कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– बी0आर0ओ0/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट/लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड बड़कोट/प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी एवं उत्तरकाशी/अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला/खण्ड विकास अधिकारी नौगांव।

2–विभिन्न यात्रा मार्गों के सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक कार्य :– विभिन्न यात्रा मार्गों के सुरक्षा हेतु उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्यदाई संस्था के अधिशासी अभियन्ता, कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन संयुक्त रूप से अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत यात्रा मार्गों के सुरक्षा के दृष्टिगत किये गये आवश्यक कार्यों का सर्वे करते हुये पूर्व में किये गये प्रत्येक दो किलोमीटर के सर्वे के अनुसार किये गये कार्य का सत्यापन एवं यात्रा से पूर्व अन्य कार्य जो सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित एवं यात्रा को सुगम बनाये जाने हेतु आवश्यक हों, आख्या दो दिन अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक/बी0आर0ओ0/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट/लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड बड़कोट/प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी एवं उत्तरकाशी।

3–सफाई व्यवस्था :– जनपद अन्तर्गत यात्रा मार्गों पर नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट/चिन्यालीसौड़/बड़कोट व नगर पंचायत गंगोत्री/नौगांव एवं जिला पंचायत स्थित है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत एवं जिला पंचायत को निर्देश दिये जाते है कि यात्रा सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व विशेषकर नगर क्षेत्रान्तर्गत सफाई की सुचारू व्यवस्था करते हुये जगह–जगह उचित स्थानों पर अतिरिक्त जैविक/अजैविक कूड़ेदान स्थापित करें व मूत्रालयों एवं शौचालयों की प्रयाप्त व्यवस्था करते हुये उनमें सफाई एवं पानी आदि का विशेष ध्यान रखा जाय। उत्तरकाशी, गंगोत्री नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित विभिन्न स्नान घाटों की विशेष सफाई व्यवस्था रखी जाय।

कार्यवाही– समस्त नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत।

4– शौचालयों की व्यवस्था :– जिला पंचायत, प्रभारी सुलभ इंटरनेशनल, स्वजल एवं पर्यटन को निर्देश दिये जाते है कि यात्रा मार्गों के विभिन्न पड़ावों पर स्थित शौचालयों को तत्काल दुरस्त करते हुये साफ–सफाई एवं टॉयलेट में पानी की समुचित व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उक्त टॉयलेट एवं शौचालयों में तैनात सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थित ली जायेगी जिसकी निगरानी यात्रा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

सड़क चौड़ीकरण व सर्व ऋतु परियोजना के तहत कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा सी0एस0आर0 के तहत निम्नानुसार चिन्हित स्थानों पर चार सीटर (दो महिला एवं दो पुरुष) सुविधाजनक शौचालयों का निर्माण किया जाना है :– (1) सीमा सड़क संगठन– स्थान सुक्खी में (2)मै0 नवयुगा कन्सट्रक्सन– स्थान सिलक्यारा में (3) मै0 रानी कन्स्ट्रक्सन– स्थान शिवगुफा में (4) मै0 के0सी0सी कन्सट्रक्सन– स्थान धरासू में (5) मै0 भारत कन्स्ट्रक्सन– स्थान बंदरकोट में। परियोजना प्रबन्धक स्वजल उक्त सभी संस्थाओं को शौचालय बनाये जाने हेतु डिजाईन तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त कार्य का पर्यवेक्षण करते हुये आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही–जिला पंचायत/प्रभारी सुलभ/पर्यटन/स्वजल/उपरोक्त कार्यदाई संस्थायें।

.........3

Scanned with OKEN Scanner

01374222722, 222126, मो0नं0– 7500337269 एवं 7310913129 स्थापित किये गये है। इसके अतिरिक्त कन्ट्रोल रूम की ई–मेल आई0डी0– yatrauttarkahi@gmail.com पर भी यात्रा सम्बन्धी शिकायते/सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। Efficient Grievance Redresaal Machanism के सम्बन्ध में यात्रा कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों/सुझाव के लिये एक रजिस्टर तैयार किया गया है जिसका प्रारूप संलग्न है। इसी प्रकार विभिन्न दुर्घटनाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना दर्ज करने हेतु पृथक–पृथक प्रारूप तैयार किये गये है, जिनका पंजीकरण पंजीका में दर्ज कर यात्रा व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार हेतु उक्त सूचनाओं/सुझावों का संज्ञान सक्षम स्तर से लिया जायेगा तथा प्राप्त शिकायतों का ससमय निस्तारण किया जायेगा। नोडल अधिकारी द्वारा उक्त विभिन्न प्रारूपों के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा की गई।

कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों/सुझावों को विभागीय नोडल अधिकारी/सेक्टरवार नामित अधिकारियों को प्रेषित कर उसकी निरतारण आख्या प्राप्त की जायेगी। जिला स्तर पर विभागीय नोडल अधिकारियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में पत्रालेख अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख तत्काल प्रस्तुत किया जाय। उक्त के अतिरिक्त यमनोत्री यात्रा के सफल संचालन हेतु उप जिलाधिकारी बड़कोट के अधीन एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जिसमें स्थानीय स्तर पर शिकाय/सुझाव को पंजीकरण कर निस्तारण किया जायेगा। इसी प्रकार गंगोत्री में भी उप जिलाधिकारी भटवाडी के अधीन एक यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा। बैठक में यमुनोत्री में यात्रा व्यवस्थाओं के सीधा प्रसारण हेतु स्थापित कैमरों को यमुनोत्री पुर्ननिर्माण कार्यों की मॉनिटिरिंग हेतु तत्काल स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

<u>कार्यवाही– अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी भटवाडी/बड़कोट/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग।</u>

<u>9–</u> उत्तराखण्ड पर्यटन विकास देहरादून में यात्रियों के सुविधार्थ शिकायतें दर्ज करने हेतु हेल्प लाईन नम्बर– 1364 एवं जिला स्तर पर स्थापित आपदा कंट्रोल रूम नम्बर– 1077 एवं आवश्यक दूरभाष नम्बर से सम्बन्धित पम्पलेट एवं होल्डिंग तैयार किया जाय उक्त पम्पलेटों को वाहनों, होटलों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यात्रियों के सुविधार्थ एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु Facebook एवं Twitter Handle Page को यथाशीघ्र तैयार करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कार्यवाही– जिला पर्यटन अधिकारी/सहा0स0परि0 अधि0/समन्वयक डीडीएमए, आपदा प्रबन्धन उ0का0/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी।</u>

<u>10–</u> यात्रियों की सुविधा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत Audio तैयार कर निम्न स्थान यथा–धरासू, हीना, धराली में Announcement की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कार्यवाही– जिला पर्यटन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी</u>

<u>11–</u> यात्रा की आवश्यक तैयारियों एवं समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुये दैनिक आख्या प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने व अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं को तैयार करने के दृष्टिगत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 चिन्यालीसौड़ को यात्रा हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है जो यात्रा कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रह कर अधोहस्ताक्षरी को दैनिक रूप से आख्या उपलब्ध करायेंगे।

<u>कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड चिन्यालीसौड।</u>

<u>12–</u> यमनोत्री धाम में विगत वर्ष आपदा/अतिवृष्टि से हुई क्षति के उपरान्त पुर्ननिर्माण कार्यों के तहत बाढ़ सुरक्षा कार्यों/पुल निर्माण के सम्बन्ध में गतिमान कार्यों की प्रगति अपेक्षानुसार नहीं होने

......5

Scanned with OKEN Scanner

5–पेयजल व्यवस्था :– जल संस्थान द्वारा जनपद में जलापूर्ति की जाती है। अधि अभियन्ता जल संस्थान को कड़े निर्देश दिये जाते है कि यथाशीघ्र पानी की टैंकियों/ साफ–सफाई करते हुये समय–समय पर आवश्यकतानुसार दवाईयों का प्रयोग भी करें। अतिरिक्त यात्रा मार्गों पर लगे हैण्ड़ पम्पों को तत्काल ठीक करवाकर हैण्ड़ पम्पों पर नम्बरिंग आदि का कार्य करते हुये जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। यात्रा मार्गों के विभिन्न स्थानों पेयजल की उपलब्धता से सम्बन्धित साईन बोर्ड भी लगवाना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में गये कार्यों की दैनिक आख्या फोटोग्राफस सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बैठक में उपस्थित कमान अधिकारी सीमा सड़क संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा हीना के पास बायोमैट्रिक पंजीकरण केन्द्र पर पूर्व की भांति यात्रियों की सुविधा हेतु पेयजल की व्यवस्था की जायेगी।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, उत्तरकाशी/बड़कोट

6–विद्युत व्यवस्था :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड उत्तरकाशी एवं परियोजना प्रबन्धक उरेड़ा यथाशीघ्र विद्युत लाईनों एवं परियोजनाओं को आवश्यक मरम्मत करवाकर दोनों धामों में विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि चारधाम यात्रा के दौरान यदि विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं की जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। यमनोत्री पैदल मार्ग पर सी0एफ0एल0 बल्ब एवं स्ट्रीट लाईट लगाई जाय। उक्त अनुपालन आख्या का प्रमाण पत्र दोनों विभाग यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। गंगोत्री धाम के विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी को कड़े निर्देश दिये जाते है कि एक सप्ताह अन्तर्गत गंगोत्री धाम की विद्युत व्यवस्था सुचारू करते हुये इस सम्बन्ध में दैनिक आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, यूपीसीएल, उ0का0/बडकोट/वरिष्ठ परियोजना अधिकारी उरेड़ा

7–स्वास्थ्य व्यवस्था :– यात्रा सम्बंधी आवश्यक बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी और न ही उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपना स्पष्टीकरण के साथ–साथ चारधाम यात्रा व्यवस्था हेतु की गई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में योजना के साथ अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

बैठक में उपस्थित कमान अधिकारी सीमा सड़क संगठन द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा गंगोत्री यात्रा मार्ग पर यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु स्थान भटवाडी, डबरानी, भैरवघाटी में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इसी प्रकार आई0टी0बी0पी0 मातली, नाहिडाख्य सेना से भी सहयोग की अपेक्षा की जाती है। तद्नुसार मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

विगत वर्षो में यात्रा के दौरान ह्रदय गति रूकने के कारण काफी यात्रियों की मृत्यु हुई है। उक्त के दृष्टिगत यात्रियों को ह्रदय घात की स्थिति से निपटने सम्बधी प्राथमिक उपचार विषयक जानकारी देने हेतु वीडियो डिस्पले तैयार किया जाना है। तद्नुसार मुख्य चिकित्साधिकारी दो दिन के अन्दर एक वीडियो डिस्पले तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी/कमान अधिकारी, बी0आर0ओ0/आई0टी0बी0पी0 मातली/नाहिडा

8–शिकायतों का निस्तारण :– जनपद में चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्र में यात्रा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को यात्रा कन्ट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। यात्रा कन्ट्रोल रूम में टोल–फ्री नम्बर– 1077 के साथ–साथ अन्य दूरभाष नम्बर–

Scanned with OKEN Scanner

के उपरान्त उक्त कार्यों की निगरानी एवं अपेक्षित प्रगति लाये जाने के दृष्टिगत एक अधिकारी की तैनाती की जाय जो विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रगति आख्या निर्धारित प्रारूप पर यात्रा कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 सिंचाई कार्य मण्डल उत्तरकाशी व अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तरकाशी स्वयं यमुनोत्री में उपस्थित रह कर कार्य का पर्यवेक्षण करते हुये समय–समय पर आख्या कंट्रोल रूम एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त जनपद में यथा–कुन्साला तिखली मार्ग, बड़कोट आई0सी0यू0, यमुनोत्री पुल, यमुनोत्री बाढ़ सुरक्षा कार्य, जोशियाडा मार्ग मरम्मत/पुल का रख–रखाव, वरूणावत उपचार कार्य, सड़क के गड्डो को भरना, केश बैरियर, टॉयलेट निर्माण, हैण्ड़ पम्प, पेयजल व्यवस्था, गंगनानी शौचालय के मरम्मत/निर्माण कार्य, धराली गाड़ बाढ़ सुरक्षा कार्य, गंगोत्री विद्युत लाईन की मरम्मत का कार्य सम्बन्धित विभाग यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये सम्बन्धित अधिकारी उक्त कार्यों की दैनिक प्रगति से सम्बन्धित आख्या निर्धारित प्रारूप पर फोटोग्राफस सहित अधोहस्ताक्षरी एवं कन्ट्रोल रूम को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगें।

यात्रा तैयारी सम्बधी बैठक में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी के उपस्थित न होने पर उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो कर अपना स्पष्टीकरण एवं कार्य प्रगति की आख्या मय फोटोग्राफस सहित अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कार्यवाही– सम्बन्घित कार्यदाई संस्था/अपर जिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।</u>

<u>13–</u> जिला समाज कल्याण अधिकारी, यात्रा में आने वाले बिकलांग, वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की सहायता हेतु मंदिर समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य स्वयंसेवी समूहों से समन्वय कर उनकी सहायता हेतु विस्तृत योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

<u>कार्यवाही– जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

<u>14–</u> जनपद में स्थित सभी होटल, रेस्टोरेन्टस एवं ढाबों की सेवाओं को बेहतर किये जाने के दृष्टिगत जिला पर्यटन विकास अधिकारी सम्बन्धित उप जिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सभी होटल, रेस्टोरेन्टस एवं ढाबों की सूची तैयार कर एक एप तैयार करते हुये उनका एप में पंजीकरण कर आवश्यक प्रशिक्षण के साथ उनकी सेवाओं व उनके द्वारा प्रदत सुविधाओं एवं स्वच्छता के मानकों के अनुसार स्टार रेटिंग प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में योजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे।

(डा0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 7822/34–05(2018–19) दिनांक 18 अप्रैल, 2019

<u>प्रतिलिपि</u> :– सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

आवश्यक/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

दिनांक 18 फरवरी, 2019 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 21.02.2019 को जनपद में वर्षा/बर्फवारी होने की सम्भावना के दृष्टिगत सम्बन्धित विभाग हेतु दिये गये निर्देश।

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 21.02.2019 को जनपद में वर्षा/बर्फवारी की सम्भावना के दृष्टिगत अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय दिनांक 18.02.2019 को सांय जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी में उपस्थित रहकर मौसम पूर्वानुमान के दृष्टिगत निम्न प्रकार से अनुपालन/कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी एवं आपदा प्रबन्धन अधिकारी मौजूद रहे।

खाद्यान्न-पूर्ति-

जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी दूरस्थ व सम्भावित बर्फवारी वाले क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदामों में पूर्व में ही पर्याप्त खाद्यान्न रखेगे तथा वाहनों हेतु ईधन की प्रयाप्त व्यवस्था रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही दूरस्थ/बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त रसोई गैस की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये। उक्त की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

चिकित्सा सुविधा -

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी बर्फवारी वाले स्थानों में गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार कर साझा करेंगे तथा उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सुलभ स्थानों पर शिफ्ट कर निगरानी करेंगे। 108 एम्बुलेंस/अन्य एम्बुलेंस को को सुचारू/एक्टिव रखे जाने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यो में लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, आशा व आंगनवाडी कार्यकत्री आदि की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। उक्त की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तरकाशी।

सड़क मार्ग -

सड़क सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये है कि अपने नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गो एवं अन्य ग्रामीण यातायात मार्गो के संवेदनशील स्थानों पर सक्षम अधिकारी की तैनाती करते हुये आवश्यक मशीनरी (जेसीबी/पोकलैण्ड/डोजर आदि) तथा मजदूरों की तैनाती करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही बर्फवारी/पाला पड़ने वाले स्थानों यथा रॉडीटॉप, चौरंगी, स्यानाचट्ट-जानकीचट्टी, गंगनानी-हर्षिल आदि क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में चूना आदि की पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध नहीं रहें। इस सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि आम जनजीवन प्रभावित नहीं हो।

यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी के पास भूस्खलन से मार्ग अवरूद्ध होने की सम्भावना के दृष्टिगत सतर्कता बरती जाय तथा उक्त स्थान पर पर्याप्त मशीनरी आदि की तैनाती की जाय। उक्त की दैनिक सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0/1442बी0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/भटवाडी/चिन्यालीसौड/बडकोट/पुरोला एवं राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट तथा पी.एम.जी.एस.वाई. उत्तरकाशी/पुरोला।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत व्यवस्था-

सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से बॉधित विद्युत लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करें तथा उक्त के मरम्मत हेतु प्रर्याप्त संशाधन उपलब्ध रखते हुये सूचना दैनिक रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायें।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।

पेयजल व्यवस्था-

सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से प्रभावित पेयजल लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करें तथा उक्त के मरम्मत हेतु प्रर्याप्त संशाधन उपलब्ध रखते हुये सूचना दैनिक रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायें।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।

पशुओं हेतु चारा-

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पशुओं हतु पर्याप्त चारे के सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जनपद अन्तर्गत ऐसे सभी क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराते हुये ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त चारे रखना भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

उच्च हिमालीय क्षेत्रों में आवाजाही-

जनपद अन्तर्गत सभी ट्रैक रूटों में 21 फरवरी को भारी बर्फबारी की सम्भावना के दृष्टिगत वन क्षेत्रान्तर्गत व अन्य ट्रैक रूटों मुख्य रूप से गौमुख्य क्षेत्र, केदारताल, दयारा, केदारकांठा, हरकीदून व चाईसील सहित अन्य सभी ट्रैक रूटों पर बर्फवारी की सम्भावना के दृष्टिगत एतिहातन किसी भी ट्रैकर्स को न जाने दिया जाय। इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियॉ/एतिहात वरते जाये। उक्त के सम्बन्ध में लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित वन प्रभाग की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। वर्तमान समय में यदि कोई पर्यटक/ट्रैकर्स उच्च हिमालयी क्षेत्र में गये है तो तत्सम्बन्ध में वन विभाग, पुलिस व पर्यटन विभाग तत्काल इस सम्बन्ध में सूचना से अवगत करायेंगे।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट/टोंस वन प्रभाग/उप निदेशक, गोविन्द पशु विहार पुरोला/ गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क/पर्यटन विकास अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी

आम जनमानस को हिमस्खलन/बर्फ गिरने की दशा में बर्फ वाले क्षेत्रों में अति आवश्यक होने पर ही आवागमन करने हेतु सचेत करें तथा बर्फवारी के दौरान एवलॉन्स वाले स्थानों में नहीं जाने/सतर्क रहने के लिये सूचित करें। जनपद अन्तर्गत समस्त राजस्व उप निरीक्षक,राजस्व निरीक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में ही प्रवास करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी आपदा/घटना की स्थिति उच्चाधिकारियों को अवगत करायेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा बडकोट/पुरेाला।

समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें एवं अपना मोबाईल फोन किसी भी स्थिति में बन्द नहीं रखेगें साथ ही भविष्य में जिलाधिकारी महोदय की बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय न छोडें।

कार्यवाही- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।

आपदा प्रबन्धन आई0आर0एस0 प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी सतर्क रहते हुए हाई अलर्ट पर रहेंगे।

कार्यवाही- समस्त नामित आई0आर0एस0 अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी।

क्रमशः..............3

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने एवं किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ उत्तरकाशी

दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या- 741 /13-आ0प्र0 (2018-19) दिनांक-19 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः

1. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी के अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अधिशासी अधिकारी,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 17 फरवरी, 2019 को आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अन्तर्गत आई0आर0एस0 अधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	श्री प्रशांत आर्य, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2	श्री हेमन्त कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3	श्री संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
4	श्री विनोद कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5	श्री पी0नाथ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6	श्री प्रकाश रावत, पी0डी0, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
7	श्री कमल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
8	श्री गोपाल सिंह मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
9	श्री आर0एस0 चौहान, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
10	श्री प्रवीन कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11	श्री प्रमोद कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी।
12	श्री सचिन कुमार, पुलिस वायरलेस संचार अधिकारी, उत्तरकाशी।
13	श्री बृजमणी भट्ट, कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
14	श्री सुभाष चन्द्र, परियोजना अधिकारी बाल विकास, उत्तरकाशी।
15	डॉ सुरेन्द्रदत्त, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तरकाशी।
16	श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
17	श्री आर0सी0 आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
18	जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी। (बेसिक)
19	जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी। (माध्यमिक)
20	अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, उत्तरकाशी।
21	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, खण्ड, उत्तरकाशी।
22	श्री आर0एल0 रतूडी, एस0डी0ओ0, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
23	श्री एस0डी0ओ0, उत्तरकाशी वन विभाग, उत्तरकाशी।
24	श्री विजयप्रताप भण्डारी, युवा कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
25	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
26	श्री विनायक श्रीवास्तव, जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
27	श्री हरीश सिंह, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
28	श्री जे0एस. नेगी, पीआरआई पंचायत, उत्तरकाशी।
29	श्री मुकेश पोखरियाल, अग्निशमन विभाग, उत्तरकाशी।
30	श्री के0आर0 पाण्डेय, कोतवाली उत्तरकाशी।
31	श्री विकास पुण्डीर, उप निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
32	श्री रवीन्द्र पुण्डीर, आर0ओ, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
33	श्री सुमन भण्डारी, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।
34	श्री मुकेश नौटियाल, बी0एस0एन0एल0 उत्तरकाशी।
35	श्री जयप्रकाश पंवार, समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।
36	श्री केदार सिंह नेगी, ड्यूटी प्रभारी, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

सर्व प्रथम मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को दिनांक 18.02.2019 से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार वर्षा/बर्फवारी की सम्भावना के पूर्व तैयारी क दृष्टिगत जनपद में मुख्य सड़क मार्गो पर स्थिति संवेदनशील स्थलों तथा आपदा की स्थिति में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित INCIDENT RESPONSE SYSTEM (IRS) के नामित अधिकारियों के दायित्वों/कार्यो पर चर्चा कर सभी को अपने दायित्वों/कार्यो की सम्पूर्ण जानकारी रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- समस्त नामित आई0आर0एस0 अधिकारीगण, उत्तरकाशी।

खोज-बचाव दल/टीम

जनपद में खोज-बचाव उपकरणों के रख-रखाव तथा कार्यशीलता से अवगत होते हुये सभी खोज-बचाव दलों को एक्टिव रहने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक/ समस्त उपजिलाधिकारी/निरीक्षक,एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन अधिकारी बडकोट/उत्तरकाशी,समस्त लो0नि0वि0 खण्ड/

खाद्यान्न-

जिला पूर्ति अधिकारी को सभी दूरस्थत खाद्यान्न गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुये वाहनों हेतु ईधन की प्रयाप्त व्यवस्था रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसके साथ ही दूरस्थ/बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त रसोई गैस की उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

चिकित्सा सुविधा

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था सहित समस्त संशाधनों को तैयार रखने तथा गर्भवती महिलाओं की सूची तथा 108 एम्बुलेंस/अन्य एम्बुलेंस को को सुचारू/एक्टिव रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी

विद्युत व्यवस्था

एस0डी0ओ0, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से बॉधित विद्युत लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करें तथा उक्त के मरम्मत हेतु प्रर्याप्त संशाधन उपलब्ध रखते हुये सूचना दैनिक रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायें।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।

पेयजल व्यवस्था

सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से प्रभावित पेयजल लाईनों की तत्काल मरम्मत करना सुनिश्चित करें तथा उक्त के मरम्मत हेतु प्रर्याप्त संशाधन उपलब्ध रखते हुये सूचना दैनिक रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायें।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।

यातायात व्यवस्था

सड़क निर्माण से सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये है कि वर्षा/बर्फवारी से संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मशीनरी रखे जाने तथा मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में तत्काल सुचारू किये जाने के निर्देश दिये गये। बर्फवारी एवं पाला वाले स्थानों पर चूना आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही सड़क मार्गो से सम्वन्धित सूचना दैनिक रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायें।

कार्यवाही-समस्त निर्माणदायी लो0नि0वि0 विभाग/सीमा सडक संगठन/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट।

क्रमशः................3

Scanned with OKEN Scanner

समस्त विद्युत/सड़क/पेयजल आदि विभागों को निर्देश दिये गये है कि जनपदान्तर्गत समस्त क्षेत्रों के नोडल अधिकारी के रूप में वर्षा/बर्फवारी से बाँधित आवश्यक व्यवस्थाओं की बाधित/सुचारू होने की समस्त सूचना तत्तकाल जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र में उपलब्ध करायें

कार्यवाही- अधि0अभि0, जल संस्थान/विद्युत/लो0नि0वि0 समस्त खण्ड/सीमा सड़क संगठन।

पशुओं हेतु चारा

बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पशुओं हतु पर्याप्त चारे के सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जनपद अन्तर्गत ऐसे सभी क्षेत्रों का निरीक्षण कर चारे की उपलब्धता के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराते हुये ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त चारे रखना भी सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

उच्च हिमालीय क्षेत्रों में आवाजाही

जनपद अन्तर्गत सभी ट्रैक रूटों में 21 फरवरी को भारी बर्फबारी की सम्भावना के दृष्टिगत वन क्षेत्रान्तर्गत व अन्य ट्रैक रूटों पर एतिहातन किसी भी ट्रैकर्स को न जाने दिया जाय। इस सम्बन्ध में पर्याप्त सावधानियाँ/एतिहात वरते जाये।

कार्यवाही- समस्त प्रभागीय वनाधिकरी, उत्तरकाशी/निदेशक, गोविन्द पशु विहार, गंगोत्री नेशनल पार्क/समस्त उपजिलाधिकारी।

समस्त आई0आर0एस0 नामित अधिकारीगण, समस्त उप जिलाधिकारी/स्वास्थ्य/लोक निर्माण विभाग/जल संस्थान/विद्युत विभाग/ एस0डी0आर0एफ0/ पुलिस आदि विभागों हाई एलर्ट पर रहने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही- समस्त नामित आई0आर0एस0 अधिकारीगण,/समस्त उपजिलाधिकारी/ समस्त निर्माणदायी विभाग उत्तरकाशी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी/,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ उत्तरकाशी
दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या- 737 /13-आ0प्र0 (2018-19) दिनांक- 17 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः *निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-*

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी।

मुख्य अधिशासी अधिकारी/,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

:: उपस्थिति ::

विषय– इन्सिडेण्ट रिसपोन्स सिस्टम (IRS) आकस्मिक बैठक।

स्थान– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 17.02.2019।

क्र. सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2	Prashant Arya	CDO	8477952500	[signature]
3	R. S. Rawat	PD DRDA	9411149140	[signature]
4	Sanjay Kumar	DDO	8191830001	[signature]
5	Dr. Pralayankar Nath	C.V.O.	8937001274	[signature]
6	Pramod Kumar Shukla	A. D. fisheries	7251000170	[signature]
7	Praveen Kumar	R-I (Tech)/ARTO	9897624953	[signature]
8	Sachin Kumar	R.I Police Wireless	8958035920	[signature]
9	Preeti	Wireless Rmo	8445802819	[signature]
10	Bishalmani Bhatt	Treasury ATO	9410532201	[signature]
11	Subhash Chandra	DPO-ICDS	9456504012	[signature]
12	Harish Singh	AE PD PWD UKI	9411093618	[signature]
13	J.S. Negi	P. RI Panchayat	7579058047	[signature]
14	Mukesh Pokhriyal	Fire Station	8445172300	[signature]
15	K.R. Pandey	Kotwali UKI	9411112862	[signature]
16	Vikas Pundir	SDRF.	8979689063	[signature]
17	Kamal Singh Panwar	Co. UKI	9411112779	[signature]
18	Rajeev Sharma	Adeo	9837127165	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम / पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
19	R.L. Raturi SDO	UPCL	9412077174	[signature]
20	Ranjan Kumar JE	UPCL	9412077223	[signature]
21	Dr. Surendra Dutt Shah	Ayurved	9411733388	[signature]
22	Gopal Singh Matura	Food & Civil Supply	9410180103	[signature]
23	Dr. Vinod Mantiyal	CMO	9411101808	[signature]
24	T RC Arya	CEO	9412977663	[signature]
25	Jitendra Singh	DEO (Basic)	9410913X9	[signature]
26	Rajeev Goswami	EE PMGSY	9410724767	[signature]
27	Vinayak Srivastava	District Employment Office	9411197519	[signature]
28	Ramendra Kushwaha	Education	9410549727	[signature]
29	Vijay Lal Bhandari	D.O.P.R.D. (Hathlassi)	9412991255	[signature]
30	Ravindra Pundir	Raygen, Uki	9456700841	[signature]
31	Suman Bhandari	AA.G UJS	9411185954	[signature]
32	G.P. Silwal	EE Irrigation Div	7895342154	[signature]
33	Jay Prakash Singh	DDMA	9456326641	[signature]
34	Kedar Singh Negi	[illegible]	94143[illegible]	[signature]
35	Mukesh Nautiyal	BSNL	9412077877	[signature]
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 05.12.2018 को जनपद के तहसील मोरी/पुरोला एवं बडकोट के दूरस्थ ग्रामों में आगजनी की घटनाओं के दृष्टिगत उनके रोक-थाम हेतु ग्राम स्तर पर सतलुज जल विद्युत निगम लि0 के सी0एस0आर0 मद से प्रस्तावित कार्य के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति-

1	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2	प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
3	उप जिलाधिकारी, बडकोट।
4	उप जिलाधिकारी, पुरोला।
5	उप महाप्रबन्धक, सतलुज जल विघुत परियोजना, मोरी।
6	अधिशासी अभियन्ता, ग्रमीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
7	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
8	नायब तहसीलदार, मोरी।
9	तहसीलदार, बडकोट।
10	सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी।
11	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला।
12	निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
13	अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
14	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15	समन्वयक, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
16	समन्वयक, एस0आर0डी0आर0 परियोजना, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।

दिनांक 05.12.2018 को जनपद के तहसील मोरी/पुरोला एवं बडकोट के दूरस्थ ग्रामों में लकड़ी के परम्परागत भवनों में जानवरों के घास-चारा व लकड़ी आदि सामग्री का भण्डार भी आवासीय भवनों में किया जाता है। जिससे शीतकाल में घरों में आगजनी की घटना घटित होने पर गांव के अन्य भवनों में भी आगजनी की घटना से सम्पूर्ण गांव प्रभावित होता है। जिससे ग्रामीणों को पशुहानि/खाद्यान्न/आवासीय भवन आदि की भारी क्षति होती है। ग्राम स्तर पर आगजनी की घटनाओं के रोक-थाम व पूर्व तैयारी के दृष्टिगत गांव स्तर पर लकड़ी के परम्परागत भवनों के आग से सुरक्षा के दृष्टिगत पशुओं के घास-चारा व लकड़ी के भण्डार हेतु गावं में आवासीय भवनों से दूर चारा/लकड़ी भण्डार कक्ष बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलों द्वारा प्रारम्भिक रूप से सर्वेक्षण कर लिया गया है। उक्त हेतु सतलुज जल विद्युत निगम लि0 द्वारा नियमानुसार धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

क्रमश:........2

Scanned with OKEN Scanner

(A) इस सम्बन्ध में बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में पारदर्शी रूप से लाभार्थियों के चयन के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से समिति का गठन किया गया है-

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी- अध्यक्ष
2. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी- सदस्य
3. सम्बन्धित तहसीलदार- सदस्य
4. सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी- सदस्य
5. सतलुज जल विद्युत निगम, मोरी से नामित प्रतिनिधि- सदस्य

उक्त समिति एक सप्ताह के अन्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची निम्न प्राथमिकता मानकों के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

1. अंत्योदय/गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन/एस0ई0सी0सी0 डाटा/एकल विधवा/एकल वृद्ध।
2. सड़क सम्पर्क से वंचित ग्राम की दूरी।
3. पूर्व में हुयी अग्नि दुर्घटनायें वाले ग्राम।
4. लकड़ी के पारम्परिक भवनों का प्रयोग करने वाले ग्राम।
5. समिति द्वारा चयनित अन्य लाभार्थी।

कार्यवाही- उपरोक्त समिति के समस्त सदस्य।

(B) उक्तानुसार ग्रामों में चिन्हित लाभार्थियों के लिये भण्डारण कक्ष बनाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी तत्काल भण्डारण कक्ष की मितव्ययता परख drawing तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। जो केवल घास/चारा/लकड़ी के भण्डार हेतु प्रयोग हो, जिसमें यथा संभव स्थानीय निर्माण सामग्री का प्रयोग हो तथा drawing तैयार करने में हितधारक के सुझाव भी समाहित किये जाये। उक्त परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ताकि सतलुज जल विद्युत परियोजना से धनराशि की मांग प्रेषित की जा सके।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्या- 802 /13-आ0प्र0/अग्नि सुरक्षा/2018 दिनांक- 06 दिसम्बर, 2018

प्रतिलिपिः उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को

1. समस्त उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 01.12.2018 को जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी (डबरकोट) के पास भूस्खलन क्षेत्र में प्रस्तावित उपचारात्मक कार्यों एवं वैकल्पिक मार्ग के सम्बन्ध में आहूत आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति:-

1	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3	उप जिलाधिकारी, बडकोट।
4	मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5	परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तरकाशी।
6	अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।
7	अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, बडकोट।
8	अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 पुरोला।
9	उप प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
10	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
11	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट।
12	सहायक अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।
13	श्री जयप्रकाश पंवार, समन्वयक, आपदा प्रबन्धन उत्तरकाशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान ओजरी (डबरकोट) के पास 400 मीटर भाग में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से समय-समय पर पहाडी से भूस्खलन के साथ पत्थर गिरने के कारण यात्राकाल/मानसूनकाल में बार-बार मलवा आने से अवरूद्ध हुआ है। वर्तमान समय में मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। आगामी यात्राकाल/मानसूनकाल 2019 से पूर्व उक्त स्थान आम जनमानस की सुरक्षा एवं सुरक्षित/सुचारू यात्रा हेतु भूस्खलित भाग के उपचारात्मक कार्य एवं शीघ्र वैकल्पिक मार्ग के मरम्मत/निर्माण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नप्रकार से निर्णय लिये गये है।

1- ओजरी के पास शीघ्र ही भूस्खलन क्षेत्र में लूज मलवा/बोल्डर आदि के सर्वेक्षण कार्य अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि. बडकोट द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये तथा ड्रोन कैमरा से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0/निर्माण खण्ड बडकोट।

2. ओजरी के पास उपचारात्मक कार्यों, वैकल्पिक मोटर/पैदल मार्ग एवं लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग द्वारा यमुनोत्री पैदल मार्ग/यमुनोत्री धाम/जानकीचट्टी में किये जा रहें निर्माण कार्यो की निगरानी तहसील आई0आई0एस0/उप जिलाधिकारी द्वारा किया जायेंगा। प्रत्येक 15 दिन में कार्य प्रगति की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त निर्देश दिये गये है कि निर्वाचन आचार सहिता से कार्य प्रभावित नहीं हो। निर्माण कार्य आदि के सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित की जाय।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0/निर्माण खण्ड बडकोट/ पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला/निमार्ण खण्ड, बडकोट।

क्रमश:..............2

Scanned with OKEN Scanner

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला को निर्देश दिये गये है कि वैकल्पिक मार्ग में विभिन्न स्थानों पर वाहनों के सुगम आवागमन हेतु समतलीकरण/हिल साइड कटिंग एवं प्रथम चरण के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर पानी की निकासी हेतु ह्यूम पाईप लगाते हुये वंसुधरागाड के पास शीघ्र पुलिया निर्माण करें। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है अप्रैल, 2019 तक पुलिया निर्माण का कार्य पूर्ण किया जायेगा। उक्त कार्य पूर्ण करते हुये डामरीकरण का कार्य भी यात्रा काल से पूर्व करना सुनिश्चित करेंगे।

4. अधोहस्ताक्षरी के ओंसला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान लिवाड़ी मोटर मार्ग पर कार्य धीमी गति से होना तथा पर्याप्त मशीनरी तैनात नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि लिवाडी मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु पर्याप्त मशीनरी/मजूदरों की तैनाती की जाय। तथा प्रत्येक दिन कार्यगति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाहीः- <u>अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला</u>।

5. तहसील मोरी/पुरोला के दूरस्थ ग्रामों में शीघ्र घरेलू आग सम्बन्धी प्रशिक्षण शीघ्र संचालित किये जाये। पुरोला के दूरस्थ ग्रामों में अग्निकाण्ड की घटनाओं के रोक-थाम 14वें वित्त आयोग के बजट से ग्राम पंचायत स्तर पर *ए0बी0सी0 06 किलोग्राम क्षमता* अग्निशमन यंत्र 05 दिन अन्तर क्रय किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारियों को सूचित करें। उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट को एस0डी0आर0एफ एवं अग्निशमन विभाग से समन्वय कर ग्राम वासियों को जागरूक/प्रशिक्षित शीघ्र प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु सूचित करें। साथ ही ग्राम वासियों को आवासीय भवनों में घास अन्य ज्वलनशील सामग्री नहीं रखने जाने के लिये शपथ दिलवाते हुये स्वयं के संसाधनों से भी अपने भवनों की सुरक्षा हेतु अग्निशमन उपकरण क्रय किये जाने एवं आग की घटनाओं के रोक-थाम हेतु प्रोत्साहित करेंगे। सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक गांव में किसी भी ग्रामवासी द्वारा आवासीय भवनों में घास/लकड़ी भण्डारित किये जाने की स्थिति में समुचित कार्यवाही करेंगे।

कार्यवाहीः- उप जिलाधिकारी, पुरोला/बडकोट/
<u>समन्वयक, आपदा प्रबन्धन/आपदा प्रबन्धन अधिकारी।</u>

6. विगत वर्ष में घटित वनाग्नि की घटना के आकडों के अनुसार इस वर्ष वनाग्निकाल से पूर्व समस्त तैयारी पूर्ण की जाय। वनाग्नि के दृष्टिगत आवश्यक मॉस्क, ड्रेस आदि आवश्यक उपकरण क्रय किये जाय तथा शीघ्र वनाग्नि प्लान तैयार किया जाय।

<u>कार्यवाहीः- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग(नोडल)।</u>

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

संख्या- 617 /13-आ0प्र0प्राधि0/ओजरी/2018 दिनांक- 14 दिसम्बर, 2018

<u>प्रतिलिपि</u>:-1 समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

:: उपस्थिति ::

विषय– आपदा प्रबन्धन की आवश्यक बैठक।

स्थान– आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 09.02.2019। सांय 7.00 PM

क्र. सं.	नाम	विभाग	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1				
2	Dr. Vinod Nautiyal	CMO	9411101808	[signature]
3	Maj Satyajit Mohanty	OC 72 RCC (BRO)	9560691816	[signature]
4	Sunil Rawat	AE PWD	9599929098	[signature]
5	Harish Singh	AE PWD UKI	941109368	[signature]
6	Suresh Kumar.	Information Dept	8449505031	[signature]
7	Manoj Soni	food & supply SI HQ	9634421907	[signature]
8	Anoop Semwal.	Jal Sansthan	9411399939	[signature]
9	D. S Negi	SDRF	9410191049	[signature]
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Scanned with OKEN Scanner

चारधाम सर्वऋतु विकास परियोजना।

परियोजना का उद्देश्यः–

केन्द्र सरकार की महत्वकांक्षी योजना के तहत उत्तराखण्ड में चारधाम की सुगम यात्रा हेतु ऑल वेदर रोड़ (सर्वऋतु सड़क परियोजना) का संकल्प तैयार गया। जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के यात्रा मार्गो हेतु 12 हजार करोड़ की ल लगभग 900 किमी0 लम्बी सड़क ऑल वेदर रोड़ के नाम से चार धार्मिक पर्यटक यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ तक बनना प्रस्तावित है, जिस पर कार्य है।

मानसून सत्र में उत्तराखण्ड की मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदि अतिवृष्टि के कारण बाढ/भूस्खलन होने पर समय–समय पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है, जिससे देश एवं दुनिया से चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों/श्रदालुओं को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

ऑल वेदर रोड़ (सर्वऋतु सड़क परियोजना) के तहत जनपद उत्तरका स्थित दो प्रमुख धाम यमुनोत्री तथा गंगोत्री यात्रा मार्ग के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण का कार्य जाना है, जिसकी कार्य प्रगति एवं प्रस्तावित कार्य का विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	कार्यदायी संस्था	चैनेज की संख्या	स्वीकृत कार्य की माप (कि0मी0 मे)	कार्य हेतु प्राप्त धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1	BRO	चैनेज संख्या 3 कि0मी0 132.300 से 139.800 कि0मी0 चिन्यालीसौड से धरासू बैण्ड तक	26.553	260.44	0.00	कार्य की निविदा हो चुकी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
2	BRO	चैनेज संख्या 3 कि0मी0 133.020 से 137.330 कि0मी0 चिन्यालीसौड बाईपास मोटर मार्ग।	4.310	29.70	0.00	कार्य की निविदा हो चुकी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ
3	NHIDCL	चैनेज संख्या 4 कि0मी0 100.500 से 101.333 कि0मी0 बडेथी क्षेत्र का भूस्खलन उपचार	0.76	28.00	9.00	45 प्रतिशत कार्य हो चुका है।

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
27	Mrityunjay Singh	E.E. Jal Sansthan	9411103541	
28	ओ.एन. भगत	DEO प्रभारी प्रशिक्षण	9450519911	
29	D. P. Diwan	B DO Mori	7579146499	
30	Dinesh Dalmar	SDMA UTK	8475931667	
31	S. L. Painuly	A.D. समाज कल्याण वि०	9895828999	
32	Uday Gupta	AE, Sahayak Parayojana	9456595354	
33	T.R. Jaguri	A.E. Pey Jal Nigam	9412380373	
34	Shishir Shrivastava	A.E PMGSY, Uttarkashi	9560384865	
35	Subhashish Rana	AE, PMGSY, Uttarkashi	9997669022	
36	Vijay Pratap Bhandari	D.O.P.R.D Uttarkashi	9412991255	
37	Ashutosh Kumar	EE ADB (Aapda) PWD	9411717072	
38	SHAMSHER SINGH	SUB - 2 MAHAR REGT	9456591109	
39	Rajesh Kr Thapliyal	ADM Uttarkashi	9456594907	
40	Jagmohan	PC H.L.I	7310647436	
41	Pramod Kumar Shukla	Fisheries Deptt & Sports Deptt	7251000170	
42	Ambrish Yadav	EE(M), Tiloth Power House	9456590072	
43	SANJAY JOSHI	DGM, Tiloth P/H UJVNL	9456590147	
44	HARISH DHAPOLA	EE, Maneri Dam UJVN Ltd.	9456590408	
45	Priyank Chauhan	EE Tiloth Power House	9456590274	
46	Sanjeev Dhone	J.T.O (BSNL-BARKOT)	9412077377	
47	VISHAL VERMA	SDE BSNL UTK	9412077277	
48	Gaurav Saklani	EE, UPCL	9412077178	
49	पी० डी० आर्य	तहसीलदार (भटवाड़ी)	9410510186	
50	एस० आर० राजौरी	तहसीलदार मोरी	9411751342	
51	बी० डी० ए०	BDO भटवाड़ी	9456334236	
52	वीरेन्द्र सिंह रावत	नायब तहसीलदार जोशियाड़ा	9411331611	
53	बहादुर चन्द	नियोजन अधि० उत्तरकाशी	7088007019	
54	C.S. Rawat	Tehsildar Barkot	9411736320	
55	I D Prasad	AE (LV) (LWD)	9485150065	
56	K.C. Joshi	D.R.D.A Uttarkashi	7500802084	
57	S.S Kumaiya	BDO Purola	9412984319	
58	B.P. Pokhriyal	S.A.O Tourism	9411721999	

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 22.11.2018 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति-

1	उप सैनानी, 12 वी वाहिनी, आई0टी0पी0पी0, मातली।
2	उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
3	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
4	प्रतिनिधि जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
5	नागा ऐडवेन्चर एसोसियेशन के प्रतिनिधि।
6	ट्रैकिंग एसोसियेशन के प्रतिनिधि।

जनपद में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से उच्च हिमालय क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने हेतु माह जनवरी, 2019 के द्वितीय सप्ताह अन्तर्गत Fear Factor तथा Spartan Race की तर्ज पर जनपद के हर्षिल क्षेत्र में **"High Altitude Himalaya Obstacles Race"** किये जाने के का निर्णय लिया गया। उक्त रेस 05 किलोमीटर दूरी के लगभग होगी, जिसमें तकनीकी सहयोग आई0टी0बी0पी0 मातली तथा ट्रैकिंग एसोसियेशन द्वारा किया जायेगा। उक्त प्रतियोगिता हेतु आयोजक समिति के सदस्य निम्नप्रकार से नामित किये गये है।

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी
3. उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन तेखला।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
9. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

उक्त आयोजन के सम्बन्ध में जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतिशीघ्र पर्वतारोहण एसासियेशन के पदाधिकारियों एवं इस क्षेत्र में कार्य कर रहें दक्ष संस्थाओं के साथ बैठक करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिससे भविष्य में उक्त कार्यक्रम के संचालन हेतु रणनीति तैयार की जा सकें। आई0टी0बी0पी0, 12 वी वाहिंनी मातली को उक्त आयोजन हेतु copartner नामित किया गया।

कार्यक्रम के आयोजन हेतु सीमा सड़क संगठन, वन विभाग, लो0नि0वि0 तथा आई0टी0बी0पी0, मातली द्वारा श्रमिक आदि तथा श्रम सहयोग प्रदान किया जायेगा। आयोजन के प्रचार-प्रसार हेतु उच्च गुणवत्ता के ई-कार्ड, पेम्पलेट, पोस्टर बनाकर प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य समितियों का गठन किया जायेगा। आई0टी0बी0पी0 के कमान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अतिशीघ्र ही उक्त क्षेत्र का भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ पर्वतारोहण/ट्रैकिंग के प्रतिनिधियों व जिला पर्यटन विकास अधिकारी को भी अतिशीघ्र उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर कार्यक्रम के आयोजन हेतु रूट निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये ताकि अगली बैठक में इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों से विचार-विर्मश कर कार्यक्रम के आयोजन हेतु रूट के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकें।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालि-पर्यटन विकाश अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 592 /SPA/ पर्यटन 2018-19 (2018) दिनांक-01 नवम्बर, 2018

प्रतिलिपिः- उपरोक्त समस्त अधिकारीगण को शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 29 अगस्त, 2018 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में तिरूपति बाला जी धाम दिखोली, धरासू के पर्यटन की दृष्टि से उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय तीर्थ के रूप में विकास किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति-

1	अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
2	उप जिलाधिकारी, डुण्डा।
3	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, भटवाडी।
4	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
5	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
6	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7	जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8	स्वामी षड्मुगानन्द महाराज।

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में तहसील डुण्डा अन्तर्गत अवस्थित तिरूपति बाला जी धाम, दिखोली, धरासू को विकास किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक चर्चा की गयी। बैठक में स्वामी षड्मुगानन्द महाराज द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त तिरूपति धाम के प्रचार-प्रसार के आभाव के कारण पर्यटन के दृष्टि से विकास नहीं हो पाया है। उनके द्वारा धाम में बड़ी-बड़ी मूर्तिया भी स्थापित कर धाम को व्यापक रूप दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा धरासू में अवस्थित तिरूपति धाम के उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय तीर्थ के नाम से विकसित तथा प्रचारित-प्रसारित किये जाने के सम्बन्ध में जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी व सम्बन्धितों को निम्न निर्देश दिये गये है:-

1. उक्त तिरूपति बाला जी धाम की हाईडेफिनेशन कैमरा से वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी कर लघु वृत्तचित्र फिल्म (Documentary films) तैयार कर प्रचार-प्रसार करेंगे।
2. धाम में अवस्थित मूर्तियों की जानकारी का प्रदर्शन हिन्दी तथा इंग्लिस भाषा में कर विभिन्न वैबसाईट से जानकारियों को प्रचार-प्रसार किया जाय।
3. उक्त तिरूपति धाम के जानकारी सम्बन्धी होर्डिंग बोर्ड गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग पर सीमा सड़क संगठन द्वारा लगाया जायेगा।
4. उक्त तिरूपति धाम के विकास किये जाने हेतु सचिव, पर्यटन एवं मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन से पत्राचार किया जाय।
5. उक्त तिरूपति धाम के विकास हेतु भविष्य की योजना तैयार करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, डुण्डा/कमान अधिकारी, 1442 सीमा सडक संगठन, उत्तरकाशी
जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।

उपरोक्तानुसार सम्बन्धितों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा समयान्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश के साथ दिखोली धरासू में अवस्थित तिरूपति बाला जी धाम का व्यापक प्रचार-प्रसार कर उत्तर भारत में दक्षित भारतीय तीर्थ के रूप में विकसित किया जाय।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्या- 498 / दिनांक-30 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि:- उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगणों को शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 14.11.2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:–</u>

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तराशी।
3. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
4. कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
8. कनिष्ठ अभियंता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
9. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. जिला समन्वयक, आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।

बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान गंगोरी में बैली ब्रिज के समीप वैकल्पिक मार्ग का निर्माण, ग्रामों में अग्निकाण्ड के दृष्टिगत सुरक्षा उपाय व जन जागरूकता तथा वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट के उपचार सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार–विर्मश कर निम्न दिशा–निर्देश दिये गये।

1. गंगोरी वैली ब्रिज पूर्व में भारी वाहनों की आवाजही के कारण पूर्व में दो बार क्षतिग्रस्त हुआ है, जिस कारण भटवाड़ी क्षेत्र के समस्त ग्रामों व गंगोत्री धाम में व्यवस्थायें वाधित रही। यह वैली ब्रिज भटवाड़ी क्षेत्र के कई ग्रामों का एकमात्र यातायात का माध्यम है साथ ही सीमान्त क्षेत्र में रक्षा सामग्रियों, सैनिकों के परिवहन व आवश्यक सामग्री व मशीनरी पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है। उक्त के दृष्टिगत वैली ब्रिज से अधिक भारी वाहनों व निर्माण सम्बन्धित मशीनरी हेतु वैली ब्रिज के समीप वन क्षेत्रान्तर्गत अस्सीगंगा नदी से होते हुए नितान्त अस्थायी रूप से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण सामरिक दृष्टि से तथा व्यापक जनहित में किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्षाकाल समाप्त होने के उपरान्त वर्तमान में नदी का जल स्तर कम हो गया है तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु परिस्थति अनुकूल है। बैली ब्रिज की भारवहन क्षमता के दृष्टिगत पुल की सुरक्षा को देखते हुए वैली ब्रिज के ऊपर अधिक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित किया जाय तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधिक भारी वाहनों हेतु उक्त स्थान पर अस्थायी रूप से वैकल्पिक मार्ग का निर्माण आगामी 06 माह हेतु शीघ्र करवाया जाय। वैकल्पिक मार्ग पर डैलीनेटर लगाये जायें व मार्ग यातायात हेतु सुलभ बनाया जाय। वैकल्पिक मार्ग पर नगर पालिका परिषद द्वारा लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय, जिससे कि रात्रि के समय वाहन आसानी से आवाजही कर सके। वाहनों की आवाजाही वन–वे हो, जिस हेतु पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाय। वैकल्पिक मार्ग पूर्णत अस्थायी रूप से निर्मित होगा किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण नही किया जाय। शीतकाल में वर्षा होने की स्थिति में नदी के जल स्तर बढ़ने की स्थिति में उक्त वैकल्पिक मार्ग से वाहनों की आवाजही नहीं की जायेगी।

(कार्यवाही–कमान अधिकारी सीमा सड़क संगठन/पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बाडाहाट)

क्रमश.......................2

Scanned with OKEN Scanner

2. जनपद में मुख्यतः तहसील पुरोला एवं मोरी के ग्रामों में में अग्निकाण्ड की घटनायें होती रहती हैं। उक्त के दृष्टिगत अग्निकाण्ड की घटनाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित जन–जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम अग्निशमन विभाग,वन विभाग,एस0डी0आर0एफ0 द्वारा दिया जायेगा। अग्निकाण्ड की घटनाओं के प्रति अतिसंवेदनशील ग्रामों की सूची तैयार कर 14 वें वित्त आयोग के बजट से ग्राम पंचायतों को अग्निकाण्ड की घटनाओं से बचाव हेतु अग्निशमन उपकरण (अग्निशामक यंत्र/फायर बॉल) क्रय कर दिये जायें। इसके अतिरिक्त अग्निकाण्ड के प्रति अतिसंवेदनशील ग्रामों में फायर लाईन बनायी जाय तथा ग्राम वासियों को स्वयं के संसाधनों से अपने–अपने घरों में अग्निशमन उपकरण रखे जाने हेतु प्रोत्साहित व जागरूक किया जाए। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उक्त के सम्बन्ध में किये गये कार्यों के सम्बन्ध में मॉनीटिरिंग करेंगे तथा आख्या से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही–अग्निशमन अधिकारी, बड़कोट/उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तरकाशी/एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट का उपचार कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसके लिए 1.5292 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने हेतु सैधांतिक स्वीकृति प्राप्त है तथा विधिवत स्वीकृति हेतु कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है, जिसके दृष्टिगत वन विभाग द्वारा गतिमान कार्य रोका गया है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उत्तरकाशी नगर की सुरक्षा हेतु उपचार कार्य को मई, 2019 तक पूर्ण किया जाना है। वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी सूट से पूर्व में कई बार पत्थर आने की घटनाओं से अनेक व्यक्तियों चोटे आयी तथा कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु भी हुयी है। इसके साथ ही दिनांक 19.08.2018 को इन्द्रा कालोनी में पत्थर गिरने से 04 व्यक्ति घायल हुये व 03 अवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुये हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में निवासरत परिवारों को अस्थायी रूप से अन्य सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी करना पड़ा। उक्त भूस्खलित क्षेत्र में निगरानी हेतु वाचर की तैनाती भी की गयी। दिनांक 09.12.2016 को वरूणावत पर्वत के ताम्बाखानी क्षेत्र में उपचार हेतु गठित समिति के सदस्यों की बैठक में लिये गये निर्णयों एवं जनवरी, 2016 व दिनांक 21.11.2018 को टी0एच0डी0सी0 व सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्र के संयुक्त स्थालीय निरीक्षण आख्या में तथा दिनांक 29.08.2018 को भूस्खलित क्षेत्र के सर्वेक्षण के उपरान्त आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून व जी0एस0आई0 के भू–वैज्ञानिकों द्वारा भी अपनी आख्या में नगर की सुरक्षा हेतु भूस्खलित क्षेत्र में शीघ्र उपचारात्मक कार्य करवाये जाने के सुझाव दिये गये हैं। उक्त घटनाओं के दृष्टिगत नगर क्षेत्र की सुरक्षा हेतु आसन्न खतरे को देखते हुये आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निणर्य लिया गया कि उक्त उपचारात्मक कार्य आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन विधिवत स्वीकृति की प्रत्याशा में सैंधातिक स्वीकृति के आधार पर शीघ्र करवाये जाये। साथ ही कार्य की विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में लो0नि0वि0 व वन विभाग शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–अधि0अभि0, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग/उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

<u>कार्यालय–जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।</u>

संख्या– 579 */तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017* *दिनांक–* 19 *नवम्बर, 2018*

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।
4. उपरोक्त अधिकारीगण।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 03.11.2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के तहत IRS में नामित अधिकारियों की आपात बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:-</u>

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
4. उपजिलाधिकारी, डुण्डा।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
7. जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
9. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
11. सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी।
12. वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उत्तरकाशी।
13. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।
14. प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाईन, उत्तरकाशी।
15. निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।
16. प्रतिसार निरीक्षक, परिवहन विभाग, उत्तरकाशी।
17. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
18. जिला समन्चयक, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
19. प्रतिनिधि जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

बैठक में में निम्न प्रकार दिशा-निर्देश दिये गये-

1. वर्तमान मे स्थानीय मौसम में परिर्वतन के दृष्टिगत सीमा सड़क संगठन/राष्ट्रीय राजामर्ग खण्ड/लो0नि0वि0 अपने अधिनस्थ मार्गो में भूस्खलन की संवेदनशीलता के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों पर मशीन तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मार्ग पर बर्फबारी/पाला पड़ने की घटना के दृष्टिगत चूना/नमक की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे, तथा मार्ग अवरूद्व होने की दशा में मार्ग यातायात हेतु शीघ्र सुचारू करवाना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उक्त की मॉनीटिरिंग सुनिश्चित करेंगे।

(कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन/अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजामर्ग खण्ड/समस्त अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी)

2. जिला पूर्ति अधिकारी जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों जहॉ फर्बबारी के कारण मार्ग अवरूद्व रहता है में बर्फबारी के सम्भावित समय तक का खाद्यन्न पूर्व में ही भण्डारित करवाना सुनिशचित करेंगे। सम्बन्धित उपजिलाधिकारी उक्त का सत्यापन कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी)

3. जनपद में वर्षा के तापमान गिरने के कारण यात्रियों हेतु यमुनोत्री तथा गंगोत्री धामों तथा मुख्य यात्रा पड़ावों में अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। किसी भी व्यक्ति की ठण्ड के कारण मृत्यु न हो इस हेतु उपजिलाधिकारी पूर्व में ही कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। पुलिस विभाग लाउडस्पीकर के माध्यम से यात्रियों को सचेत करायेंगे कि यात्रा के दौरान ठण्ड के दृष्टिगत गर्म कपड़े, कम्बल आदि व्यवस्थायें अपने पास रखें इस सम्बन्ध में यात्रियों को आवश्यक सुझाव भी प्रदान करगें।

(कार्यवाही- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री/समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।)

Scanned with OKEN Scanner

4. जनपद में दुर्घटनाओं के दृष्टिगत यात्री वाहन तथा स्थानीय वाहनों की सघन चैकिंग करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि वाहन ओवर लोडिंग न हो तथा वाहन चालक नशे की स्थिति में न हो तथा ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय। रात्रि के समय निर्धारित समय के उपरान्त वाहनों की आवाजही पर पूर्णतः रोक लगायी जाय। इसके अतिरिक्त निकाय सामान्य निर्वाचन एवं दीपावली आदि त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित आवागमन एवं अग्निशमन आदि घटनाओं हेतु तत्काल कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराते हुये विशेष सतर्कता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी / सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी)

5. जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में यथा–पिंलग, अगोड़ा, ओसला, मोरी, जानकीचट्टी में स्थापित किये गये हैं। उक्त स्थापित डी0एस0पी0टी0 फोन को कार्यशील रखे जाने हेतु बी0एस0एन0एल0 को निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, सम्बन्धित अधिकारियों /कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करेंगे। उक्त डी0एस0पी0टी0 फोन प्रत्येक दशा में सुचारू रखा जाना आवश्यक है, जिससे आपदा की स्थिति में दूरस्थ क्षेत्रों में सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी /एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी)

6. गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने के बाद शीतकाल के दौरान कतिपय कर्मचारी/स्थानीय लोग निवासरत रहते हैं तथा समय–समय पर पर्यटकों का आवागमन भी बना रहता हैं। उक्त के दृष्टिगत विद्युत विभाग तथा बी0एस0एन0एल0 को यह निर्देशित किया जाता है कि शीतकाल के दौरान गंगोत्री धाम में विद्युत तथा मोबाईल कनेक्टविटी सुचारू रखना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड/एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी)

7. श्री आकाश जोशी, डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वयक कर जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरस्थ ग्रामों/सड़क मार्ग से कटे ग्रामों में गर्भवती महिलाओं का ब्यौरा तैयार करते हुये गर्भवती महिलाओं की प्रसव की तिथिवार सूची बनाकर सुरक्षित प्रसव हेतु सम्पूर्ण व्यवस्था यथा–वाहन उपल्बधता, दवाईयाँ, बर्फबारी के दृष्टिगत प्रसव पूर्व ही चिकित्सालय परिसर में व्यवस्था सुनिश्चित करवाना आदि सुनिश्चित करते हुये सूचना से अधोहस्ताक्षरी तथा आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही– श्री आकाश जोशी, डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी /मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)

8. जनपद में कतिपय क्षेत्रों में शीतकाल में लकड़ी के भवनों में घास का भण्डारण किया जाता है, जिस कारण उपरोक्त भवन अग्निकाण्ड हेतु अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत तहसीलवार अग्निकाण्ड से बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाये तथा ऐसे भवनों की सूची तैयार की जाय तथा सूची आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त विगत 10 वर्षो में तहसीलवार हुये अग्निकाण्ड की घटनाओं की सूची भी उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी)

9. व्यक्तिगत स्वच्छता, चर्म रोग, नेत्र रोग आदि जिनके फैलने के कारण सम्पूर्ण ग्राम प्रभावित हो सकता हो के दृष्टिगत ग्राम/विद्यालय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाते हुये लोगों को जागरूक करेंगे तथा रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य शिक्षा अधिकारी)

10. जनपद में अवैध विद्युत कनेक्शन की सूची तैयार कर अवैध कनेक्शनधारियों के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। शीतकाल में ट्रांसफार्मर में नमी के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, जिससे विद्युत व्यवस्था बाधित हो जाती है। उक्त के दृष्टिगत ट्रांसफार्मरों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही– अधिशासी अभियंत, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी)

Scanned with OKEN Scanner

11. आग लगने की घटना के दृष्टिगत उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में अग्नि जोखिम निस्तारण दल बनाया जाय। उक्त दल में राजस्व उपनिरीक्षक, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/अग्निशन अधिकारी नामित होंगे। उक्त दल सम्बन्धित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलायेंगे। इसके अतिरिक्त चूल्हा/चिमनी/धुम्रपान/घास/अंगेंठी के सम्बन्ध में सावधानियों तथा क्या करें, क्या न करें आदि के सम्बन्ध में जागरूक करेंगे।
(कार्यवाही– समस्त उपजिलाधिकारी, उत्तरकाशी/अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी/बड़कोट)

12. जनपद में संचालित परियोजना SRDR के तहत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अग्निकाण्ड के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु पम्पलेट के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय।इसके साथ ही ग्राम वार अग्नि दुर्घटना के सम्बन्ध में रिर्पोट व कार्ययोजना तैयार किया जाए।
(कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी/परियोजना समन्वयक, SRDR परियोजना, उत्तरकाशी)

13. जनपद में मौजूद सभी एम्बुलैस को सक्रिय स्थिति (टायर/फिटनेस/ईधनं/वैटरी/वाहन चालक) सहित पुनः परीक्षण कर 02 दिनों के अर्न्तगत सभी मरम्मत योग्य एम्बुलैसों की मरम्मत कर सूचना आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी (आपदा कन्ट्रोल रूम) को उपलब्ध करायी जाय।
(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी/जिला समन्वयक 108 आपात सेवा, उत्तरकाशी।)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

संख्या– 570/तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017 *दिनांक– 05 नवम्बर, 2018*

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।
4. उपरोक्त अधिकारीगण।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

इन्सिडेण्ट रिसपोन्स सिस्टम (IRS) सम्बन्धी आपात बैठक

स्थान–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण कार्यालय, उत्तरकाशी।

दिनांक– 03.11.2018।

क्र. सं.	नाम	IRS पदनाम	उपस्थिति समय	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	Ashish Chauhan	PRO (DM)	11:00	9412077500	
2	Dadanpal	OSC	11:28		
3	Dr. V. Mamtiyal	MVL CMO	11.05	9411100308	
4	संजय कुमार सिंह	DOL/DDO	11:11 AM	8191830001	
5	मनोज कुमार	वरि०परि०अधि०	11:15 am	9411079047	
6	प्रमोद कुमार शुक्ल	Aviation Transport	11.17 Am	7251000170	
7	डॉ. प्रेम शंकर नाथ	MVL	11.17 Am	8937001274	
8	देवेन्द्र सिंह	RBD	11.00 AM	9410191049	
9	R. S. Chauhan	DIO (NIC) Liaison Offr	11.15 Am	9557549775	
10	Praveen Kumar	RI (Tech) A.R.T.O UKI	11:30 Am	9897624953	
11	Mukesh Kumar	Consl P/L	11.30 Am	9458908162	
12	सुरेश कुमार	infor/media प्रतिनिधि	11 Am.	8449505031	
13	Anil Sharma	Staging Area Manager (R)	11.35	9411366066	
14	Ravindra singh	SI SDRF	11:20	9412988535	
15	B. S. Dogra	Jal Sansthan	11.20	9411103541	
16	Himani Suchi	Dir. Finance Branch	11:35	9458931632	
17	Gopal Singh Matura	F.D.L. DSO, UKI.	11.15	9410180103	
18	D.S. Pathani	LO	11:00	9410350338	
19	CDO	PSC	11:40		

दिनांक 29 अगस्त, 2018 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी (डबरकोट) के पास भूस्खलन भाग के उपचार एवं वैकल्पिक मार्ग शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में आहूत आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति:-

1	अधीक्षण अभियन्ता, छटवॉं वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
2	अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट।
3	उप प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
4	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5	तहसीलदार, बडकोट।
6	सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट।
7	सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला।
8	कार्यालय सहायक, राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थान ओजरी(डबरकोट) के पास 400 मीटर भाग में लगभग 300 मीटर की ऊंचाई से समय-समय पर पहाडी से भूस्खलन के साथ पत्थर गिरने के कारण बार-बार मलवा आ आने से अवरूद्ध हो रहा है। वर्तमान समय में मार्ग यातायात हेतु सुचारू है। उक्त स्थान पर पहाडी से पत्थर गिरने के कारण आम जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत वाहनों का आवागमन रोक-रोक कर तथा यात्रियों ट्रॉजिपमेंट कर धाम भेजा गया। आगामी मानसूनकाल 2019 तक उक्त स्थान आम जनमानस की सुरक्षा एवं सुरक्षित/सुचारू यात्रा हेतु भूस्खलित भाग के उपचारात्मक कार्य एवं शीघ्र वैकल्पिक मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में निम्नप्रकार से निर्णय लिये गये है।

1- सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत कुन्साला-कुपडा मार्ग पर निर्माण कार्य गमिमान है। मार्ग के किमी0 01 में कुन्साला में बसुधारा गदेरे पर सेतु तथा किमी0 02 में अखलाड गाड पर पुलिया का निर्माण आवश्यक है। कुन्साला में 30 मीटर का सेतु प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति के सम्बन्ध मे प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर अपेक्षित है तथा दिनांक 04.09.2018 को होने वाली बैठक में स्वीकृत होने की सम्भावना है। स्वीकृति के पश्चात टेण्डर प्रक्रिया यू0आर0डी0ए0 के स्तर पर की जानी है। टेण्डर प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र सम्पादित की जानी आवश्यक होगी ताकि सेतु का निर्माण प्रत्येक दशा में आगामी मानसून से पूर्व किया सके। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा एन0आर0आर0डी0ए0 से स्वीकृति कराने एवं आगामी मानसून से पूर्व सेतु के निर्माण शासन से पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही:- उप जिलाधिकारी, बडकोट/अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला/अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

2. अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि ओजरी से वैकल्पिक मार्ग निर्माण हेतु शासन स्तर से गठित तकनीकी समिति द्वारा दिनांक 02.08.2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। दिनांक 06.08.2018 को तकनीकी समिति द्वारा आख्या शासन को प्रेषित की गयी है। उक्त आख्या के क्रम में मुख्य अभियंता, टिहरी क्षेत्र, लो0नि0वि0, टिहरी के द्वारा मार्ग तथा संस्पेंशन बेली ब्रिज के

क्रमशः.............2

Scanned with OKEN Scanner

निर्माण का प्रथम चरण का आंगणन लागत रू0 16.84 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है। प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्ग निर्माण में वन भूमि पड़ रही है। वन भूमि हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव गठित करने से पूर्व कार्य की प्रथम चरण की स्वीकृति अपेक्षित है।वन भूति हस्तांतरण में लगने वाले समय के दृष्टिगत उक्त प्रक्रिया शीघातिशीघ्र प्रारम्भ की जानी आवश्यक होगी। वन भूमि हस्तांतरण के पश्चात तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति के पश्चात ही मार्ग एवं सेतु का निर्माण प्रारम्भ हो सकेगा। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षर द्वारा कुन्साला-कुपडा मोटर मार्ग निर्माण के प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासन से पत्राचार किये जाने के निर्देश दिये गये ताकि आगामी यात्रा/मानसून काल से पूर्व मार्ग निर्माण पूर्ण किया जा सकें।

कार्यवाही:- अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/
<u>अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, बडकोट।</u>

3- राष्ट्रीय राजमार्ग के ओजरी (डबरकोट) में भूस्खलन क्षेत्र में उपचारात्मक कार्य के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट द्वारा अवगत कराया गया है उक्त स्थान पर उपचारात्मक कार्य सर्वऋतु सड़क परियोजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि परियोजना के तहत उक्त कार्य को स्वीकृत कर आगामी यात्रा/मानसून से पूर्व आवश्यक उपचारात्मक कार्य किया जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय। जिससे यात्रा अवधि में मार्ग को यातायात हेतु सुचारू रखा जा सके।

<u>कार्यवाही:- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बडकोट</u>

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

<u>कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

संख्या-499 /13-आ0प्र0प्राधि0/ओजरी/2018 दिनांक-30 अगस्त, 2018

<u>प्रतिलिपि</u>:-1 समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप जिलाधिकारी, बडकोट।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

बडकोट–यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी (डबरकोट) भूस्खलित स्थान पर वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 29.08.2018 को आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र0सं0	अधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	व्हॉटसएप्प नम्बर
1	अशोक [illegible], SE, PWD	[signature]	9719003704
2.	R.S. Khatri E.E PD PWD Bhatwari	[signature]	9411384750
3	G P Silmy EE Irrigation	[signature]	7895342154
4.	Er. V.V. Rawat, EE, RWD, Uki	[signature]	9412998190
5	Er D.C. Nautiyal AE PWD CD Barkot	[signature]	9412140974
6	Navneet Pandey EE NH Barkot	[signature]	99979776809
7.	Yogendra Kumar Singh	[signature]	99270867106
8.	D.S. Patwal DMO	[signature]	9456147974
9.	B.R. SDORIYAL Tch Bkt	[signature]	7895662857

दिनांक 25 अगस्त, 2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के सम्बन्ध में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति-

1	श्री प्रशान्त आर्य, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2	श्री हेमन्त कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3	श्री डी0एस0 नेगी, उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
4	डॉ विनोद नौटियाल, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
5	श्री गणेश कोहली, पुलिस उपाधीक्षक, बडकोट, उत्तरकाशी।
6	श्री आर0एस0 खाती, अधि0अभि0,प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, भटवाडी।
7	श्री जी0पी सिंलवाल, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
8	श्री विकास श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।
9	श्री जी0एस0 बिष्ट, जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
10	श्री सुनिल सिंह रावत, सहा0 अभि0, प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
11	श्री आर0एस0 विजल्वाण, प्रतिनिधि, गोविन्द पशु विहार, पुरोला।
12	श्री दिनेश लाल, प्रतिनिधि, गोविन्द पशु विहार, पुरोला।
13	श्री अलोक तोमर, सहा0 अभि0,नि0ख0,लो0नि0वि0, बडकोट।
14	श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15	श्री सुरेश लाल, मुख्य राजस्व लेखाकर, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्यों की बैठक में वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यो के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लेते हुये निर्देश दिये गये है:-

1 अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बडकोट द्वारा जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग के किमी0 2.00 में वन विभाग के हट हाउस के समीप प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्स्थापना हेतु रू0 63.23 लाख, जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग के किमी0 6.00 में क्षतिग्रस्त 15 मी0 स्टील गार्डर सेतु के पुनर्स्थापना हेतु रू0 94.23लाख तथा जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग के किमी0 6.00 में घोड़ा पड़ाव के समीप क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्स्थापना/स्लिप सफाई के कार्य हेतु रू0 16.58 लाख का आंगणन प्रस्तुत किये गये है। जानकीचट्टी से यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग के किमी 6.00 घोड़ा पड़ाव के समीप क्षतिग्रस्त दीवार के पुनर्स्थापना/स्लिप सफाई हेतु प्रस्तुत आंगणन की धनराशि रू0 16.58 के औचित्य के सम्बन्ध में अधि0अभि0,लो0नि0वि0 बडकोट स्पष्ठ आख्या शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही- <u>अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट।</u>

2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला द्वारा जानकीचट्टी में यमुना नदीके दॉये किनारे पर पॉवर हाउस के समीप, शुभम होटल के समीप तथा यमुनोत्री धाम मे तात्कालिक बाढ़ सुरक्षा कार्यो के आंगणन प्रस्तुत किये गये है।

क्रमशः..........2

Scanned with OKEN Scanner

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि उक्त स्थानों पर स्थायी बाढ़ सुरक्षा कार्यो के आंगणन प्रस्तुत किये जाय। सम्बन्धित विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि यमुनोत्री धाम में सुरक्षा कार्यो के आंगणन रू0 152.92 लाख की धनराशि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।

3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा द्वारा अवगत कराया गया है कि धराली के पास खीरगंगा में तत्काल लगभग 225 मीटर बाढ़ सुरक्षा, नदी चैनलाईजेशन एवं आबादी की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक कार्य हेतु रू0 55.59 तथा रू0 12.59 लाख के आंगणन गठित किये गये है तथा आवश्यक कार्य पूर्ण किये गये है। इसके अतिरिक्त ज्ञानसू के वार्ड न0 07 में काली माता मन्दिर के पास भूस्खलन से सिंचाई विभाग के आवासीय भवनों की सुरक्षा कार्य हेतु प्रस्तुत 32.12 लाख के आंगणन के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड,उत्तरकाशी।

4. तहसील मोरी अन्तर्गत फिताडी व जखोल के मध्य सुपिन नदी पर खेडा खाटी नामक स्थान पर क्षतिग्रस्त लॉगब्रिज हेतु रू0 7.89 लाख का आंगणन उप निदेशक, गो0प0वि0, पुरोला द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त किमूघाटी में लांगब्रिज का प्रस्ताव रखा गया है तथा कलाप–फिताडी–लिवाडी,कासला–राला पैदल मार्गो के मरम्मत हेतु आंगणन नियमानुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– उप निदेशक, गोविन्द पशु विकार पुरोला/उप जिलाधिकारी, पुरोला।

5. तहसील पुरोला/मोरी के दुरस्थ ग्रामों में आज जनमानस के सुरक्षा की दृष्टि, स्वास्थ्य एवं आवागमन, खाद्य सामग्री की आपूर्ति, पशुओं के उपचार, सुचारू विद्युत/पेयजल आपूर्ति आदि व्यवस्थाओं के निरीक्षण तथा तद्सम्बन्धी कार्यो के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शीघ्र एस0डी0आर0एफ0/स्वास्थ्य/पूर्ति/विकास खण्ड अधिकारी/ वनवभाग/ लो0नि0वि0/ पी0एम0जी0एस0वाई0 की संयुक्त टीम सर्वेक्षण हेतु भेजी जाय। उक्त टीम उक्तानुसार दुरस्थ ग्रामीणों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा मार्गो की क्षतिग्रस्त/अद्ययतन सम्बन्धी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलबध करायेंगे।

कार्यवाहीमुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, पुरोला/ निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/समस्त अधि0अभि0, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/समस्त विकास खण्ड अधिकारी, उत्तरकाशी।

अतः समस्त विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन को गठित टी0एस0सी0 के समक्ष कर प्रस्तुत किये जाने तथा परीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धितों को पुनः समयान्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के निर्देश के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी है।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 8797/13–आ0प्र0प्राधि0/2018 दिनांक– 29 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः– समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25.08.2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में वर्ष 2018 की प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त तात्कालिक प्रकृति के विभागीय सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुनर्स्थापना कार्यों के सम्बन्ध में आहूत बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	व्हॉटसएप्प नम्बर
1	Prashant Arya	[illegible]	8477953800
2	D.S. Negi SDM (B)	[illegible]	9410191049.
3	Dr. Vinod Nautiyal CAO	[illegible]	9411101808.
4	R.S. Khatri E.E. P.D. PWD Bhatwari	[illegible]	9411384150
5	Sunil Singh Rawat AE PWD UKi	[illegible]	9599929098
6	R.B. Payalwan section officer OPWS.	[illegible]	7579263116
7	[illegible]	[illegible]	9411534907
8	[illegible] C.O [illegible]	[illegible]	9411112368
9	D.S. Patwal DMO	[illegible]	9410350338
10	G.P. Silamp - EE [illegible] UKi	[illegible]	7895342154
11	Alok Tomar A.E. PWD Barkot	[illegible]	9837590809
12	G.S. Bisht DIO	[illegible]	7055007019
13	Vikas Srivastava EE, [illegible]	[illegible]	9412078170
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 08.08.2018 को रात्रि लगभग 9:00 बजे तहसील भटवाडी के धराली में खीरगंगा में पानी बढ़ने से हुयी क्षति के सम्बन्ध में राहत–बचाव कार्यो हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आपात बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2	मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाडी।
4	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
6	निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

दिनांक 08.08.2018 को रात्रि लगभग 9:00 बजे तहसील भटवाडी अन्तर्गत धराली के पास खीरगंगा में पानी बढ़ने व नदी में मलवा जमा होने के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों/सुरक्षात्मक कार्यो की आवश्यक मरम्मत व मलवा निस्तारण एवं राहत कार्यो सहित नदी के चैनालईजेशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09.08.2018 को प्रातः जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आपात बैठक आहूत कर निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये–

1. **<u>राहत शिविरः–</u>**

धराली में प्रभावित परिवारों हेतु भविष्य में आवश्यकता के सम्बन्ध में राहत शिवर स्थापित किये जाने एवं राहत शिविर में अन्य आवश्यक व्यवस्थाए चिन्हित किये जाने सहित नदी के चैनालईजेशन कार्य व सुरक्षा कार्यो हेतु परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी को नोडल अधिकारी नामित कर शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी, भटवाडी शिविर हेतु स्थल का चयन कर सम्बन्धित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाए यथा टेंट/भोजन/विद्युत/शौचालय/पेयजल/स्वास्थ्य आदि किये जाने हेतु निर्देशित करेंगे।

<u>कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, भटवाडी/परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तरकाशी।</u>

2. **<u>गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्गः–</u>**

सीमा सड़क संगठन को निर्देश दिये गये है कि तत्काल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने हेतु पर्याप्त मशीनरी/मजदूरों की तैनाती कर मार्ग सुचारू करना सुनिश्चत करेंगे। इसके अतिरिक्त भैरोघाटी में तैनात मशीनरी को धाराली के पास स्टेशन करेंगे। सीमा सड़क संगठन से अपेक्षा की गयी है कि उक्त स्थान पर मानवीय बस्तियों/होटलों/से मलवा हटाने एवं खीरगंगा मुख्य धारा में चैनलाईजेशन कार्य हेतु अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी को मशीनरी उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही– कमाण्डर/कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी0, सीमा सड़क संगठन <u>उत्तरकाशी/अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी</u>

क्रमशः..........2

Scanned with OKEN Scanner

3. **मलवा निस्तारण/नदी चैनलाईजेशन-**

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को को निर्देश दिये गये है कि वह उक्त स्थान धाराली में कैम्प स्थापित कर तत्काल मानवीय बस्तियों/होटलों/से मलवा हटाते हुये खीरगंगा के दोनों ओर मानवीय बस्तियों की सुरक्षा हेतु यथा आवश्यक वायरक्रेट आदि लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त खीरगंगा नदी को मुख्य धारा में चैनलाईजेशन का कार्य तत्काल करना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश भी दिये है।उक्त कार्य में सीमा सड़क संगठन की मशीनरी का भी सहयोग भी लिया जाय।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी/ कमान अधिकारी, 72 आर०सी०सी०, सीमा सड़क संगठन, भटवाडी।

4. **खाद्यान्न व्यवस्थाः-** जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये है कि उक्त स्थान पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराते हुये। प्रभावित परिवारों एवं राहत-बचाव कार्मिकों हेतु शिविर आदि में पेयजल,भोजन आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रभावितों को राहत शिविर में रखे जाने की स्थिति में राहत शिविर हेतु खाद्यान्न/भोजन की व्यवस्था करेंगे।

कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

5. **स्वास्थ्य व्यवस्थाः-**

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि धाराली के पास 108 एम्बुलेस तथा मेडिकल टीम तैनात करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साकिधकारी, उत्तरकाशी।

6. **खोज-बचाव दलः-**

निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि धराली में वुडकटर/कंकरीट कटर/आस्का लाईट/सैटेलाइट फोन/पब्लिक एलाससमेंट सिस्टम आदि खोज-बचाव उपकरणों सहित तैनात रहेंगे।

कार्यवाही- अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड/अधिशासी अभियन्ता, जल स्थान को निर्देश दिये गये है कि तत्काल उक्त क्षेत्र में तैनात रहकर क्षतिग्रस्त विद्युत/पेयजल व्यवस्था को सुचारू करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी/ अधिशासी अभियन्ता, जल स्थान, उत्तरकाशी।

8. पूर्व में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सेना हर्षिल को उक्त क्षेत्र में किसी भी आपातकालीन स्थिति हेतु फस्ट रिस्पोन्डर नामिति किया गया है। अतः सेना हर्षिल उप जिलाधिकारी, भटवाडी/थानाध्यक्ष, हर्षिल की मांग के अनुसार आवश्यकता पड़ने राहत कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे।

कार्यवाही- सेना हर्षिल/उप जिलाधिकारी, भटवाडी/थानाध्यक्ष हर्षिल।

क्रमशः...........3

Scanned with OKEN Scanner

उप जिलाधिकारी, भटवाडी को निर्देश दिये गये है कि उक्त स्थान पर उपरोक्त कार्यो का पर्यवेक्षण कर सूचना से प्रतिदिन जिलाधिकारी महोदय को अवगत करायेंगे।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, भटवाडी

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 466 /13-विविध/2018 दिनांक- 09 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः

1. समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, 9/8/18
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 28.07.2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
6. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
8. अधिशासी अभियंता, नि0ख0, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़।
9. अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
10. अधिशास अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
11. श्री सहायक अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
12. प्रतिनिधि, एन0एच0आई0डी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
13. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
14. जिला समन्वयक, आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।
15. सहायक जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।

बैठक में में निम्न प्रकार दिशा-निर्देश दिये गये-

1. तहसील बड़कोट में पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला अन्तर्गत त्रिखली-कुन्साला मोटर मार्ग कई दिनों से अवरूद्व है। उपजिलाधिकारी, बड़कोट मार्ग का निरीक्षण कर 24 घण्टे अन्तर्गत मार्ग को सुचारू करवाना सुनिश्चित करेंगे। मार्ग शीघ्र सुचारू न होने की दशा में अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी उक्त मार्ग को अपने अधीन लेते हुये मार्ग खोलने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।**(कार्यवाही-उपजिलाधिकारी, बड़कोट/अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी)**

2. नमामि बंसल, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु) को जनपद में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्गो के कार्यो के पर्यवेक्षण हेतु नामित किया गया है। परन्तु उनके द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्गो की प्रगति के सम्बन्ध मे कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। नमामि बंसल, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु) पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत मोटर मार्गो का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे तथा मोटर मार्गो के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 को निर्देशित करेंगे तथा आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 के सहायक/कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा वट्सअप के डी0डी0एम0ए0 ग्रुप पर मार्ग सम्बन्धी कोई सूचना अपडेट नहीं की जा रही है। अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को डी0डी0एम0ए0 ग्रुप पर मार्ग सम्बन्धी सूचना के अपडेट हेतु निर्देशित करेगे। **(कार्यवाही- नमामि बंसल, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु), उत्तरकाशी/अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी)**

3. अतिवृष्टि के कारण ताम्बाखानी में भूस्खलन होने से पत्थर गिर रहे हैं। उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी तथा अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी उक्त भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर निगरानी हेतु कर्मियों की तैनाती कर आख्या शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। **(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी)**

4. यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विगत कई दिनों से स्थान ओजरी (डबरकोट) में भूस्खलन के कारण अवरूद्व है। मार्ग अवरूद्व होने के कारण ओजरी से ऊपर निवासरत आम जनमानस नकदी की लेन-देन हेतु बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे है। लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी उक्त प्रभावित क्षेत्र में नकदी की व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या शीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। **(कार्यवाही- लीड बैंक प्रबन्धक, उत्तरकाशी)**

Scanned with OKEN Scanner

5. यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विगत कई दिनों से स्थान ओजरी (डबरकोट) में भूस्खलन के कारण अवरूद्ध है। मार्ग अवरूद्ध होने के कारण ओजरी से ऊपर निवासरत स्थानीय लोगों स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही क्षेत्र के जिन महिलाओं के प्रसव की तिथि इस दौरान हो उन्हें चिकित्सकीय सलाह/सहायता की आवश्यकता भी होगी। मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी उक्त प्रभावित क्षेत्र में यथाशीघ्र मेडिकल कैम्प लगाकर लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हुये गर्भवती महिलाओं के परिजनों से लगातार समन्वय कर उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं पर विशेष निगरानी रखेंगे तथा आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। **(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)**

6. यमुनाघाटी में समय–समय पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अधीशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी यमुनाघाटी में शीघ्र विद्युत पुर्नस्थाना करना सुनिश्चित करेंगे।
(कार्यवाही– अधीशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी)

7. विगत कई दिनों से मुख्यालय तथा मुख्यालय के आस–पास के कस्बों में पेयजल आपूर्ति बाधित होती रही है। अधिशासी अभियंता, मुख्यालय के आस–पास के क्षेत्रों में पेयजल लाईन की मरम्मत करवाते हुये पयेजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे, जिसका निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा।
(कार्यवाही– अधीशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी)

8. विगत कई दिनों से जनपद में बी0एस0एन0एल0 की सेवायें समय–समय पर बाधित रहती हैं। एस0डी0ओ0 बी0एस0एन0एल0 तत्काल बी0एस0एन0एल0 की बाधित लाईनों की मरम्मत करवाते हुये बी0एस0एन0एल0 की सेवायें सुचारू करावाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे आपदा के समय राहत एवं पुर्नस्थापना कार्य में बाधा उत्पन्न न हो।
(कार्यवाही– एस0डी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी/बड़कोट)

9. उपजिलाधिकारी बड़कोट सम्बन्धित चिकित्साधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक के साथ ओजरी से ऊपर स्थित समस्त ग्रामों का निरीक्षण कर खाद्यन्न/स्वास्थ्य सम्बन्धी/गर्भवती महिलाओं की स्थिति के सम्बन्ध में आख्या तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
(कार्यवाही– उपजिलाधिकारी, बड़कोट)

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 443 */तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017* *दिनांक–* 31 *जुलाई, 2018*

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।
4. उपरोक्त अधिकारीगण।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,

Scanned with OKEN Scanner

आपदा प्रबन्धन हेतु खोज–बचाव उपकरणों सम्बन्धी demostration ।

स्थान–जिला कार्यालय परिसर, उत्तरकाशी।

दिनांक– 12.07.2018 ।

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग / संस्था	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	DM sir.			
2	ADM Utri			
3	D.S. Negi	SDM (B)		
4	Jay pamar	Coordinator-Disaster Mangmt. Utri		
5	Ravindra singh	SI SDRF	9412988535	[signature]
6	Mukesh Kumar	Const J/Kapda P/L	9458952162	[signature]
7	Laxmi Kandiyal	C.I. DMMC.	7534802712	[signature]
8	Veer Singh Gusain	DMMC	9411519887	[signature]
9	DALBEER SINGH RANA	DMMC	9412934929	[signature]
10	Harish Singh	S.D.R.F	9456511744	[signature]
11	Mukesh Tolia	SDRF	9897106894	[signature]
12	Harish Chandra	S.D.R.F.	9410164825	[signature]
13	SUMIT BIJALWAN	S.D.R.F	8938816306	[signature]
14	Vinod Gairola	P.O. S.D.R.F	9412960409	[signature]
15	Shiv Narayan Bhatt	D.M.M.C	9897648276	[signature]
16	Sunil Rana	D.M.M.C	8755339787	[signature]
17	[illegible]	FSSO UKI	9458317993	[signature]
18	Manoj Kumar Uniyal	FSMR FSUKI	9760993901	[signature]

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग / संस्था	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
19	Khoshal Singh	फायरमैन	8394893417	[signature]
20	Ravi Kant	"	7500145922	[signature]
21	Sanjay Kumar	"	9720088602	[signature]
22	Harsh Mani Bhatt	Leading Fm.	945676[illegible]29	[signature]
23	Jaidev Singh	Police line	9897760403	[signature]
24	Gunjan Singh Aswal	Police line gyansu	8755556525	[signature]
25	Navneet Singh	Police line gyansu	7409071789	[signature]
26	Surendra Singh	Police line gyansu	9634970064	[signature]
27	Sushil Joshi	P/L Gyansu UKI	7579060185	[signature]
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 09 जुलाई, 2018 को जिलाधिकारी/ Responsible Officer (RO) की अध्यक्षता में आहूत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अन्तर्गत नामित आई0आर0एस0 अधिकारियों एवं जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक उपस्थिति- संलग्न</u>

मानसून काल के दृष्टिगत जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत गठित आई0आर0एस0 अन्तर्गत नामित/जिम्मेदार अधिकारियों को आई0आर0एस0 के तहत दिये गये उत्तरदायित्वों एवं आई0आर0एस0 की विस्तृत जानकरी तथा आई0आर0एस0 को आपदा के समय प्रभावशाली बनाये रखने हेतु बैठक आहूत की गयी ।

बैठक में आई0आर0एस0 के विभिन्न पक्षों की जानकारी एवं नामित अधिकारियों को आई0आर0एस0 के तहत दिये गये उत्तरदायित्वों एवं भूमिका के सम्बन्ध में प्रत्येक अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गयी। बैठक में आई0आर0एस0 नामित अधिकारियों, आई0टी0बी0पी0- 35 व 12 वी वाहिनी, सेना, बी0आर0ओ0, पुलिस, स्थास्थ्य, पूर्ति, लो0नि0वि0 आदि विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व तैयारियों के दृष्टिगत विचार-विमर्श किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी आई0आर0एस0 अधिकारियों को उनके दायित्वों तथा कर्तव्यों की सम्पूर्ण जानकारी रखे जाने एवं मानसून काल में सतर्क रहने के निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त आई0आर0एस0 के अन्तर्गत नामित अधिकारी को निम्न प्रकार से सेक्शनवार विस्तृत प्रशिक्षण दिये जाने के निर्देश दिये गये है-

1 दिनांक 10.07.2018 को सांय 4:30 बजे से- " **<u>Planning Section</u>** " के समस्त अधिकारीगण।

2. दिनांक 13.07.2018 को सांय 4:30 बजे से- " **<u>Operation Section</u>** " के समस्त अधिकारीगण।

3. दिनांक 14.07.2018 को सांय 4:30 बजे से- "**<u>Logistics & Finance Section</u>**" के समस्त अधिकारीगण।

कार्यवाही- नामित समस्त आई0आर0एस0 अधिकारीगण/
<u>आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।</u>

जनपद के सीमावर्ती जनपद टिहरी एवं हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू जनपद के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर बैठक आहूत किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों से आपदा के समय सहयोग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले संसाधनों एवं मौसम सम्बन्धी जानकारी प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। आपदा की स्थिति में ग्रामों/क्षेत्रों के सम्पर्क बन्द होने पर प्रभावित क्षेत्रवार/ग्रामवार सक्षम अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित कर तैनात किया जायेगा।

कार्यवाही- <u>उप जिलाधिकारी, पुरोला/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।</u>

क्रमशः......2

Scanned with OKEN Scanner

जनपद के दुरस्थ ग्रामों यथा जौड़ाव/पिंलग, ओसला, वलावट एवं सरबडियार में संचार सुविधा हेतु डी0एस0पी0टी0 फोन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। गंगोत्री एवं हर्षिल में स्थापित एस0डी0पी0टी0 फोन को ग्राम जड़ाव/पिलंग एवं बलावट में स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, भटवाडी/पुरोला आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

दिनांक 12 जुलाई, 2018 को ग्राम जौड़ाव/पिंलग में स्वास्थ्य विभाग, पूर्ति विभाग, बी0एस0एन0एल0 की संयुक्त टीम भेजे जाने का निर्णय लिया गया। जो उक्त ग्राम में स्वास्थ्य/खाद्यान्न सम्बन्धी निरीक्षण कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे । उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0 द्वारा हर्षिल में स्थापित डी0एस0पी0टी0 की बैटरी खराब होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये है कि बी0एस0एन0एल0 को बैटरी उपलब्ध कराते हुये प्रधान जौड़ाव/पिंलग को आवास पर डी0एस0पी0टी0 फोन स्थापित करना सुनिश्चित करें। सम्वन्धित राजस्व उप निरीक्षक, उक्त डी0एस0पी0टी0 फोनों का रख-रखाव करेंगे तथा लॉगवुक उप जिलाधिकारी से सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/पुरोला/मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी/ उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

मानसून काल के दृाष्टगत जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/माध्यमिक को निर्देश दिये गये है कि 07 दिनों अन्दर जनपद के जर्जर/जीर्ण-शीर्ण, भूस्खलन एवं नदी नालों से संवेदनशील विद्यालय का सर्वेक्षण कर सूचि उपलब्ध कराये । साथ ही यह सुनिश्चित किया जाय कि जनपद के किसी भी विद्यालय में मानसून काल में उपरोक्त कारणों से दुर्घटना घटिन न हो। अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये जाय। यदि किसी विद्यालय में मानसून काल में भूस्खलन/विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने से किसी प्रकार की दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त होती है, तो समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध निलम्बित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक)/ जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), जनपद उत्तरकाशी।

मानूसन काल में आपदा घटित ग्रामों/स्थानों में स्थापित किये जाने वाले शिविरों में विद्युत/पेयजल/शौचायल/सफाई की व्यवस्था तथा रात्रि में रहने हेतु उचित व्यवस्था की जाय। स्थापित किये जाने वाले शिविरों में प्रभावित परिवारों एवं खोज-बचाव दलों के सदस्यों को लंगर लगा कर भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

कार्यवाही- समस्त उप जिलाधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी/ जिला पूर्ति अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

समस्त लो0नि0वि0 खण्डों को निर्देश दिये गये है कि मानसून काल अपने क्षेत्रान्तर्गत नेपाली मूल के ठेकेदारों को चिन्हित कर उक्त के पास उपलब्ध नेपाली मजदूरों की संख्या तथा प्रतिदिन मजदूरी का निर्धारण करते हुये सूचि जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाय।

कार्यवाही- अधीक्षण अभियन्ता, छटवा वृत्त, लोक निर्माण खण्ड, जनपद उत्तरकाशी।

क्रमशः......3

Scanned with OKEN Scanner

जनपद में तैनात समस्त खोज-बचाव दलों के पास उपलब्ध खोज-बचाव उपकरणों एवं उडुकटर आदि के संचालन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाय। प्रशिक्षण में रोप नोट आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाय।

कार्यवाही- आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

उप जिलाधिकारियों, भटवाडी/बडकोट को निर्देश दिये गये है कि जल संस्थान एवं विद्युत विभाग के जनपद विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित स्टोर का स्थलीय निरीक्षण कर उपलब्ध सामग्री की सूचि 07 दिन अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/बड्कोट/अधि0अभि0, जल संस्थान, उत्तरकाशी।

Meal Ready to Eat के 500 पैकेट क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया तथा अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर सीमा सड़क संगठन/आर्मी/आई0टी0बी0पी0 से लिया जायेगा। मार्ग अवरूद्ध होने पर भी इनका उपयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बॉडीबैग/सर्च लाईट/रिमोट एरिया सर्च लाईट क्रय की जाय। साथ ही ग्राम स्तर पर आवश्यक संसाधनों यथा आरी, रस्सी, धान कटर आदि की सूचि भी तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- कमान अधिकारी, 12 वी वाहिनी, मातली/कमान अधिकारी, 35 वी वाहिनी, महिडाण्डा/ कमान अधिकारी, 2nd महर रेजिमेंट, सेना हर्षिल/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

आई0आर0एस0 के अन्तर्गत एयर रेस्क्यू हेतु कार्ययोजना तैयारी की जाय तथा सेन्डई फ्रेमवर्क के अनुसार जनपद आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया है।

कार्यवाही- जनपद आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

अन्त में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/ उत्तरकाशी

दूरभाष नम्बर-01374-222126,(1077 टोल फ्री), फैक्स-222722, मो0.7500337269 ईमेल- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या-397/13-आ0प्र0/आई0आर0एस0/(2018) दिनांक- 11 जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः *निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-*

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

स्थानः- जिला कार्यालय सभागार, उत्तरकाशी।

दिनांकः- 09 जुलाई, 2018

क्र. सं.	नाम	आर0आर0एस0 पदनाम/विभाग	निवास का पता	दूरभाष नम्बर कार्यालय	फैक्स	मोबाईल	Alternate	E-Mail ID	हस्ताक्षर
1		जिलाधिकारी महोदय							
2		पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी							
3		अपर जिलाधिकारी							
4									
5	Anuy Arya	Dy Collector	Uttarkashi			9411433317			
6	R.S. Chauhan	Liasion officer	Profile officers colony Ladari UKI	NIC Collectorate		9557517775		[illegible]	
7	C.S. Rathore	D.P.R.O. Panchayat	Ladari	D.P.R.O.		9410776083		[illegible]	
8	Dr C.S. Rawat	Add CMO	Uttarkashi	CMO office		7310801441		[illegible]	
9	Veerendra Kumar Puri	DEO	Uttarkashi	Vikas Bhawan 01374 222552		9412026264		[illegible]	
10	Govind Bisht	AIDO	Uttarkashi	Information		7055007079			
11	Vinayak Srivastav	Distt. Employment Officer	House No-6 Pooled house Ladari	01374-222134		9411197519		[illegible]@gmail.com	
12	SANGAM SINGH	DPO	DUNDA	[illegible]		963053[illegible]		[illegible]	
13	C.S. Rawat	EE PWD Chinyalisaur	Chinyalisaur			9412933360		[illegible]	
14	Praveen Kumar	R.I (Tech) / A.R.T.O UKI	Bathela	Bathedi		9892624913		[illegible]	
15	C.L. Barsiwal	Dy.comdt. / ITBP 12Bn.	12 Bn. Matli ITBP	Matli	-	7503399817		-	
16	J.S. Negi	SDM (B)	—	—		9410191049			
17	M.K. Thakur	CO / UK I	UKI	UKI		9411112779			
18	Maj Satyajeet	OC 72 RCC (BRO)	Bhatwari	Bhatwari		9560691816		oc-72rcc.bro[illegible]	
19	Anil Kumar	Reserve Inspector	Police Line	Police		9411366066		—	

Scanned with OKEN Scanner

20	Aravind [illegible] Singh	SI SDRF	Ugeti	SDRF		9412980885			[signature]
21	[illegible]	[illegible] M.H	[illegible]	[illegible]		9412127922			[signature]
22	Sunil Rawat	AE PWD	Collectorate	PD, PWD UKi		9599929018		sunil.rawat 520 @gmail.com	[signature]
23	R.R.Parmar	Accountant	Uttarkashi	Uttarkashi		9412078351			[signature]
24	Kapil Rawat	AE PMGSY	Gyansu	Uttarkashi		7895675420			[signature]
25	Hitanshu	R.T.O office Clerk	Barethi	Barethi ~~Uttarkashi~~		7088481260			[signature]
26	Mukesh Kumar	Apda Team P/L	P/L UKI	P/L		9458952162			[signature]
27	Raghubir Singh Kali	TA UREDA	Gyansu	UREDA		7452526752			[signature]
28	Rajkumar Singh	P.R.D Offic [illegible]	Vikash Bhawan	Vivekalagar		9761213069		Rajkumar Singh [illegible] @yahoo.com	[signature]
29	Balwant Singh	INSP/Gd Balwant	35 BN ITBP	[illegible]		7579058081		[illegible]	[signature]
30	Ramesh Chandra	F/R SARDES	[illegible]	[illegible]		9458117923		,—	[signature]
31	Sachin kumar	R.P.(B) Police Deptt	P/Line UKi	UKi		8958035920		[illegible]	[signature]
32	Preeti	RMO Wireless	P/Line	UKi		8445202819			[signature]
33	Mukesh Nautiyal	J.T.O. BSNL/Communication cut leader	BSNL Colony Ladari UKK	BSNL office [illegible] Ladari		9412077877		mukesh.35978 @gmail.com	[signature]
34	R.C. Arya	Seeffort Brand Dweda	Uttaiwar Barahat	CEO		9412977663			[signature]
35	R.C. Jagur	Supply Inspector	Titeth	DSO office		9411579379			[signature]
36	G.S. Matura	D.S.O. UKI	Gyansu	—"—		9410103180		dso.uttarkashi@gmail	[signature]
37	Pralayankar Nath	C.V.O / Medical Unit	Ladari	(01374) 222320		8937002274		cvouttarkashi @gmail.com	[signature]
38	Brij Raj Singh	P.V.B.O./ Horticulture	Ladari			5410392104		→ HDUKI [illegible]	[signature]
39	Shashi Prakash [illegible]	Restoration [illegible] /AF	Gyansu	.		8941830224	9415[illegible]	[illegible] @gmail.com	[signature]
40	Pramod Kumar Shukla	Air operation/Fisheries	T-4/IV Pooled Awas	226433		7251000170		adfish123@gmail.com	[signature]
41	Ramendra Kushwaha	DEO(B)/Education	Main market UKI	9410549727		9410549727			[signature]
42	Himani Shahi	F.B.D.	Coll. colony	Treasury 945893KP		945893KP		sdto@nic.[illegible]	[signature]
43									

दिनांक 19 जून, 2018 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मानसून पूर्व तैयारी के दृष्टिगत आई0आर0एस0 अन्तर्गत नामित अधिकारियों एवं विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक कार्यवृत्त।

<u>बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है:—</u>

1. श्री ददनपाल, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. श्री पी0एल0शाह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
4. श्री पी0एस0 राना, उप जिलाधिकारी, बडकोट।
5. डॉ0 सी0एस0 रावत, प्रभारी जिला चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
6. डॉ0 एच0 पाण्डे, उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. श्री ए0एन0 सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, 72 आर0सी0सी, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
8. श्री संजय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
9. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
10 श्री प्रमोद शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी।
11. श्री गोपाल मटूडा, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. श्री विरेन्द्र कुमार पुरी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरकाशी।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी। प्रतिनिधि।
14. सहायक निदेशक, डेरी विकास, उत्तरकाशी।
15. श्री विनायक श्रीवास्तव, जिला सेवायोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
16. श्री बृजराज सिंह, सी0एच0ओ0, उत्तरकाशी।
17. अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएनएल, जोशियाडा बैराज, उत्तरकाशी।
18. अधिशासी अभियन्ता, यूजेवीएनएल, मनेरी बैराज, उत्तरकाशी।
19. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, उत्तरकाशी।
20. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तकराशी।
21. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बडकोट।
22. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, पुरोला।
23. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड।
24. अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
25. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 भटवाडी।
26. सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी। ।
27. श्री कपिल रावत, सहायक अभियन्ता, पीएमजीएसवाई, उत्तरकाशी।
28. सहायक अभियन्ता, यूजेवीएनएल, जोशियाडा।
29. सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
30. सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
31. श्री अनिल कुमार, आर0आई0 पुलिस लाईन, उत्तरकाशी।
32 श्री सचिन, पुलिस रेडियों संचार अधिकारी, उत्तरकाशी।
33 श्री अजय कुमार, प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।
34 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
35 तहसीलदार भटवाडी।
36 तहसीलदार, चिन्यालीसौड।
37 नायब तहसीलदार, जोशियाडा।
38 नायब तहसीलदार, धौन्तरी।
39 श्री रामनरेश, पी0पी0ओ,कृषि विभाग, उत्तरकाशी।
40 श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
41 श्री जय प्रकाश, जिला समन्वयक, आपदा प्रबन्धन।
42 श्री राज कुमार, प्रतिनिधि, जिला यूवा कल्याण विभाग, उत्तरकाशी।
43 श्री चन्द्रकान्त सिंह प्रतिनिधित, होमगार्ड
44 श्री आर0एस0, प्रतिनिधि, उरेडा, उत्तरकाशी।
45 श्री मनोज प्रतिनिधि, अग्निशमन विभाग, उत्तरकाशी।
46 श्री किशनपाल, कनिष्ठ अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी।

क्रमशः.............2

Scanned with OKEN Scanner

मानसून अवधि में सम्भावित आपदा की घटनाओं को दृष्टिगत करते हुये जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों एवं आई0आर0एस0 अन्तर्गत नामित अधिकारी एवं सीमा सड़क संगठन के साथ बैठक आहूत कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये।

1. **भूस्खलन से संवेदनशील मार्गों पर मशीनरी/मजदूरों आदि की तैनाती–**

मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गो तथा अन्य आन्तरिक मोटर मार्गो के चिन्हत संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में संसाधनों यथा अधिकारियो/कर्मचारियों तथा मशीनरी/ऑपरेटरों की तैनाती सुनिश्चित की जाय तथा मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल उक्त मार्गो को सुचारू किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त अधिक दिनों तक अवरूद्ध रहने वालें ग्रामीण मोटर मार्गो को चिन्हित कर सूचि उपलब्ध कराये।

कार्यवाही–कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

धरासू–बनचोरा मोटर मार्ग पर बाणगांव के पास मार्ग निर्माण के कारण भूस्खलन क्षेत्र बन गया है, जिससे गांव को भूस्खलन/भू–धसाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। उक्त निर्माण कर्ता संस्था/विभाग के उक्त कार्य हेतु दण्डित किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य की जांच हेतु उप जिलाधिकारी, डुण्डा को निर्देश दिये गये है कि तहसीलदार, चिन्यालीसौड, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड तथा भू–वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स, की समिति गठित करते हुये संयुक्त जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध करायें।

कार्यवाही– उप जिलाधिकारी, डुण्डा/तहसीलदार, चिन्यालीसौड,आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड तथा भू–वैज्ञानिक जिला टास्क फोर्स, उत्तरकाशी।

जिला पंचायत को निर्देश दिये गये है कि अगोडा मार्ग पर संगमचट्टी के पास स्थित पुलिया के एवेटमेंट की तत्काल मरम्मत कर आवागमन हेतु सुरक्षित करना सुनिश्चित करते हुये आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

कार्यवाही-- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

ओजरी (डबरकोट) के पास भूस्खलन से मार्ग बार–बार अवरूद्ध होने के कारण उक्त स्थान पर पर्याप्त मशीनरी/मजदूर/प्रकाश/पुलिस/एस0डी0आर0एफ0/शौचालय/वैकल्पिक मार्ग आदि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये है। मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में तत्काल सूचारू किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बडकोट/ पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/एस0डी0आर0एफ0/उप जिलाधिकारी, बडकोट।

2. **संवेदनशील पुलों की सुरक्षा के सम्बन्ध में–(यथा स्वारीगाड, गंगोरी, तिलोथ, जोशियाडा ब्रिज)**

उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि संवेदनशील पुलो की आवश्यक मरम्मत कर पुलों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी/समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 खण्ड, उत्तरकाशी/पी0एम0जी0एस0वाई/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

3. **ट्रॉलियों का रख–रखाव/उक्त के संचालन हेतु मानसून अवधि में पी0आर0डी0 की तैनाती–**

समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिये गये है जनपद में स्थापित ट्रॉलियों की संख्या तथा उनके रख–रखाव सहित कार्यशीलता की सूचि उपलब्ध कराये। यदि किसी ट्रॉली की मरम्मत की आवश्यकता है तो तत्काल मरम्मत करवायें।

कार्यवाही– समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

4. **मार्ग अवरूद्ध होने पर यात्रियों/स्थानीय लोगों हेतु Transshipment करने हेतु गाडियों की व्यवस्था–** अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर Transshipment करने हेतु गाडियों की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः............3

Scanned with OKEN Scanner

5. **जनपद में Crane की स्थिति**– जनपद में सीमा सड़क संगठन तथा सेना के पास एक–एक Crane उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जनपद के विभिन्न ठेकेदारों के पास 02 हाईड्रा उपलब्ध है। धरासू के पास ऑल वेदर मार्ग निर्माण कम्पनी के पास भी Crane उपलब्ध है। इसके अतिरक्त जे0सी0बी0, हाईड्रा आदि मशीनरी के किराये आदि की दर निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, छटवॉ वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।

6. **आपदा से बचाव हेतु खोज–बचाव उपकरण**– खोज–बचाव उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखे जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की 02 खराब आस्का लाईट को शीघ्र मरम्मत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

7. **बी0एस0एन0एल0/अन्य मोबाईल टॉवरों में अतिरिक्त ईंधन का भण्डारण रखा जाना**– बी0एस0एन0एल0 से कोई कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुये उक्त का स्पष्टिकरण लिये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही निर्देश दिये गये कि मानसून काल में विघुत व्यवस्था बॉधित होने पर टॉवरों के संचालन हेतु विघुत बैकअप की व्यवस्था हेतु डीजल आदि का भण्डारण रखे जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही–उप मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एन0, उत्तरकाशी/
आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।।

8. **तहसील कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा उक्त में आवश्यक व्यवस्था किया जाना**–
तहसील कन्ट्रोल रूम को 24X7 के आधार पर नियमित रूप से संचालित किया जाय तथा कन्ट्रोल रूम में ग्राम प्रधानों तथा आवश्यक मशीनरी के चालकों आदि के दूरभाष के नम्बरों की सूची रखी जाय। तहसील कन्ट्रोल रूम में 01–01 मोबाईल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है तथा पुलिस वायरलेस की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी समस्त उप जिलाधिकारी/
तहसीलदार/ रेडियों संचार अधिकारी, उत्तकराशी।

9. **घटित घटना/राहत–बचाव कार्यों की फोटोग्राफ/वीडियोंग्राफ किया जाना**– घटित घटना स्थल की फोटोग्राफी/वीडियोंग्राफी सहित उक्त स्थानों के कॉर्डिनेट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त जिन स्थानों पर एस0डी0आर0एफ0 मद से मरम्मत/पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य किये जायेगे उनके कार्डिनेट भी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/समस्त तहसीलदार/समस्त कार्यदायी विभाग।

10. **Remote Areas में खाद्यान्न की स्थिति, जिन स्थानों पर आम तौर पर रास्ता बन्द हो जाता है उनके स्थानों पर पी0डी0एस0 गोदामों में पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता**–
जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के सुदूरवर्ती ग्रामों (Remort Areas) में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की अग्रिम दो माह की आपूर्ति की गयी है। यातायात मार्ग अधिक समय तक अवरूद्ध होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यात्रियों/आम जनता के जलपान, भोजन, ठहरने व बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था की जायेगी।

11. **आपदा की स्थिति में लम्बे समय के लिये रास्ता आदि बन्द होने की स्थिति में यात्रियों आदि के आवासीय, खाना–पान, पेयजल, परिवहन तथा संचार आदि की व्यवस्था**–
आपदा की स्थिति में लम्बे समय के लिये रास्ता आदि बन्द होने की स्थिति में जनपद के सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदारों को अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गो पर शरण स्थलों जहां पर पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था हो का चिन्हींकरण करने तथा जिला पूर्ति अधिकारी को चिन्हित स्थलों में आवश्यक खाद्यय वस्तुओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में टेण्डर आदि की व्यवस्था तत्काल कर पर्याप्त मात्रा में रखे जाने की कार्यवाही की जायेगी। यातायात मार्ग अधिक समय तक अवरूद्व होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार यात्रियों/आम जनता के जलपान, भोजन, ठहरने व बच्चों के लिए दूध आदि की व्यवस्था प्रभावित स्थल के दोनों तरफ जिला पूर्ति अधिकारी/ सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

क्रमशः...........4

Scanned with OKEN Scanner

12. **विभिन्न बाजारों तथा व्यापार मण्डलों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मीटिंग/सम्पर्क करते हुये सभी प्रकार की आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लगभग दो माह का स्टॉक बनाये रखने हेतु कार्यवाही करना–** जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों तथा जिला पूर्ति अधिकारी को मुख्य मोटर मार्गो में स्थित दुकानों/जनरल व्यापारियों/व्यापार मण्डल के साथ बैठक कर पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री स्टॉक रखे जाने तथा दर निर्धारित करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु सक्षम बिक्रेता को चयनित किया जाय।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

13. **दवाओं की उपलब्धता एवं वर्षा के दौरान संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की सम्भावना का आंकलन तथा इससे बचने के लिये आवश्यक तैयारियों की स्थिति–** विगत 04 वर्षों के दौरान मानसूनकाल में घटित बीमारियों का डाटा तैयार करते हुये तद्नुसार मानसून काल में बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनाते हुये आवश्यक दवाओं आदि की पर्याप्त उपलब्धता रखने के निर्देश दिये गये है तथा शीघ्र आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त उप जिलाधिकारी, भटवाडी/बडकोट को निर्देश दिये गये है कि रेडक्रास समिति के स्टोर का निरीक्षण कर उपलब्ध सामग्री की सत्यापित सूचि अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

तहसील मोरी के पांव–मल्ला में त्वचा एवं अन्य बीमारियों के शिविर समय–समय पर आयोजित कर सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी, भटवाडी/बडकोट।

14 **चारा/दवाओं की उपलब्धता एवं वर्षा के दौरान पशुओं में होने वाली बीमारियों की सम्भावना का आंकलन तथा इससे बचने के लिये आवश्यक तैयारियों की स्थिति–** उक्त के सम्बन्ध में पशु चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पशुओं को मानूसन काल में होने बीमारियों हेतु पर्याप्त मात्र में दवाईयां/वैक्सीन तथा चारे आदि की उपलब्धता है। उक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये है कि आपदा की स्थिति में घोडा–खच्चरों के अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने वाले स्थान पर शीघ्र चारें की उपलब्धता हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

15. **नदी–नालों एवं जल भराव वाले क्षेत्रों में निवासरत लोगों का चिन्हिकरण/उक्त से होने वाली हानि से निपटने के लिये तैयारियों की स्थिति का विवरण–** नदी–नालें के आस पास आम–जनमान की सुरक्षा हेतु कुछ स्थानों पर वाचर टीम बनाकर सचेत करने हेतु रखी जाय। संवेदनशील स्थानों पर जहॉ पर नदी के पास बच्चें आदि खेलते–नहाते है उक्त स्थानों का चिन्हित कर चेतावनी बोर्ड लगाये जाये।

समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जल भराव वाले स्थानों एवं नदी–नालों के निकटवर्ती क्षेत्रों में निवासरत संवेदनशील आवादी बस्तियों को चिन्हित कर सूचि उपलब्ध करायेंगे तथा जिन स्थानों पर मानूसन काल में नदी–नालों में पानी बढने से मार्ग को पार कर में दुर्घटना होने की सम्भावना है को ग्रामवार राजस्व उप निरीक्षकों से निरीक्षण कराते हुये चिन्हित कर उक्त स्थान पर यथाशीघ्र किये जा सकने वाले तात्कालिक उपाय से सम्बन्धित सूचि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर पालिका, उत्तरकाशी।

16 **शहर क्षेत्र में जल भराव एवं नदी से संवेदनशील स्थानों/घाटों पर फ्लड लाईट लगाये जाने जाने की कार्यवाही**–यूजेवीएनएल को निर्देश दिये गये है कि शहर क्षेत्र के गंगोरी, उजेली, तिलोथ पुल, जोशियाडा झूला पुल/जोशियाडा बैराज, मातली, डुण्डा, चिन्यालीसौड़ के पास नदी से पास तथा घाटों पर आम–जनजीवन की सुरक्षा एवं नदी के जल स्तर की निगरानी हेतु फोकस/फल्ड लाईट तत्काल स्थापित करना सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय।

कार्यवाही– उप महाप्रबन्धन, यू0जे0वी0एन0एल, तिलोथ/मनेरी/
अधिशासी अधियन्ता, मेनरी/जोशियाडा बैराज, यूजेवीएनएल, उत्तरकाशी।

क्रमशः............5

Scanned with OKEN Scanner

17. **नदियों के जल स्तर की निगरानी/बैराज से पानी छोड़ने के सम्बन्ध में कार्यवाही–** यूजेवीएनएल को निर्देश दिये गये है कि जोशियाडा बैराज के सायरन की रेंज बढाई जाय तथा धरासू में तत्काल सायरन स्थापित किया जाय। वाहनों के द्वारा भी पानी छोडने की सूचना प्रचारित करें। विशेषकर सुबह–सांय को नदी में लोग रहते है के दृष्टिगत कार्यवाही की जाय।

कार्यवाही– उप महाप्रबन्धन, यू0जे0वी0एन0एल, तिलोथ/मनेरी/
अधिशासी अधियन्ता, मेनरी/जोशियाडा बैराज, यूजेवीएनएल, उत्तरकाशी।

18. **गंगोत्री धाम के स्नान घाट/संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय तथा उक्त स्थानों पर पुलिस/एस0डी0आर0एफ0 की तैनाती एवं उचित प्रकाश व्यवस्था–** गंगोत्री स्नान घाट/संवेदनशील स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हेतु फोकस लाईट लगाये जाने तथा पुलिस/एस0डी0आर0एफ0 की तैनाती किये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री/थानाध्यक्ष, हर्षिल।

19. **ट्रैक रूट पर जाने वाले ट्रैकर्स की सुरक्षा के सम्बन्ध में–** उक्त के सम्बन्ध में वन विभाग को निर्देश दिये गये है कि जनपद के समस्त ट्रैकिंग रूट को चिन्हित/सूचिबद्ध करते हुये ट्रैकिंग रूट का मैप, विभिन्न पड़ाओं(कैम्प) के नाम कॉर्डिनेट सहित, रोडहेड, ट्रैक रूट के पड़ाववार पैदल दूरी, समुद्र तल से ऊँचाई, संचार सुविधा, ट्रैक रूट पर उपलब्ध सुविधा तथा हैलीपैड आदि की सुविधा सम्बन्धी सूचनाओं की ट्रैक रूटवार कार्यायोजन तैयार कर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को उपलब्ध करायें। किसी भी दशा में असंगठित/बिना पूर्व तैयारी/सूचना, स्वास्थ्य परीक्षण करवाये, पंजिकरण तथा मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त किये बिना किसी भी ट्रैकिंग दल को मानसून काल में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग हेतु अनुमति प्रदान न की जाय। ट्रैकिंग दल की सूचना सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

कार्यवाही– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, गंगोत्री पार्क/
गोविन्द पशु विहार, पुरोला/समस्त उप जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

20. **विभिन्न मोटर मार्गों के कलवटों व नालियों की सफाई तथा शहरी क्षेत्र में जल भराव के दृष्टिगत नालियों की सफाई–** समस्त लो0नि0वि0 खण्डों/सीमा सड़क संगठन एवं नगर पालिका/नगर पंचायतों को निर्देश दिये गये कि अपने तत्काल क्षेत्रान्तर्गत कलवटों/नालियों की सफाई करना सुनिश्चित करें। अधोहताक्षरी द्वारा स्वयं उक्त का निरीक्षण किया जायेगा।

कार्यवाही– समस्त, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी/
समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, उत्तरकाशी।

22. पेयजल स्रोत्रों/टेंको की सफाई के निर्देश दिये गये है तथा पर्याप्त मात्रा में ब्लिचिंग पॉउडर/क्लोरीन की उपलब्धता रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त जनपद में स्थापित हेण्डपम्प के पेयजल की शुद्धता की जांच कर अधोहस्ताक्षरी को आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। पेयजल व्यवस्था बाधित होने पर सुचारू किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर सब स्टेशन की स्थापना कर पेयजल संयोजन सम्बन्धी उपयोगी सामग्री को पर्याप्त मात्रा में भण्डार रखना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, उत्तरकाशी।

23. विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर सुचारू किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर सब स्टेशन की स्थापना कर विद्युत संयोजन सम्बन्धी उपयोगी सामग्री को पर्याप्त मात्रा में भण्डार करना सुनिश्चित करते हुये कार्ययोजना तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण, उत्तरकाशी।

24. आपदा के दृष्टिगत विद्यालयों में चयनित शिविरों के भवनों की स्थिति, पेयजल/विद्युत/नोडल अधिकारी आदि की आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यवाही– मुख्य शिक्षा अधिकारी/समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

क्रमशः............6

Scanned with OKEN Scanner

25. समस्त विभागों को निर्देश दिये गये है कि आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी बैठक में सक्षम अधिकारी/विभागाध्यक्ष ही प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें जो निर्णय लेने में समक्ष हो।

कार्यवाही–समस्त विभागाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या– 367 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017 दिनांक– 27 जून, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
4. उपरोक्त अधिकारीगण।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19 मई, 2018 को जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में वनाग्नि रोकथाम के सम्बन्ध में आहूत आपात बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
2	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।(नोडल)
4	उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
5	डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी।
6	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
7	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
8	निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

वर्तमान समय में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनायें घटित होने के कारण जन जीवन/पर्यावरण प्रभावित होने की सम्भावना के दृष्टिगत वनाग्नि की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों की आपात बैठक आहूत कर निम्न निर्देश दिये गये–

1. वन विभाग के नेतृत्व में वनाग्नि की रोकथाम करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षकों, महिला मंगल दल/युवक मंगल दल/ग्राम प्रधान/ग्राम प्रहरी/प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, एस0डी0आर0एफ0 तथा अग्निशमन विभाग आदि का सहयोग लिया जाय। अपने क्षेत्र अन्तर्गत घास/पीरूल आदि की सफाई करना सुनिश्चित की जाय।

कार्यवाही–समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी/जिला पंचायत राज अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी/प्रान्तीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण अधिकारी/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0/अग्निशमन अधिकारी।

2. सीमा सड़क संगठन/राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/समस्त लो0नि0वि0 खण्ड जनपद उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वह अपने नियंत्रणाधीन मार्गों की वनाग्नि की सम्भावना के दृष्टिगत दो दिन अन्दर सफाई करते हुये सड़क के किनारों में पडे आग की सम्भावना वाले सामग्री/घास/पत्तियों को मार्ग से हटाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त मजदूरों आदि को वनाग्नि रोकथाम एवं अपने कैम्प के आस–पास खुले में आग न जलाने तथा आग फैलने से रोकने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर वनाग्नि की घटना घटित होने पर तत्काल वनाग्नि को नियंत्रित करने हेतु वन विभाग के निर्देशन में आवश्यक सहयोग दिये जाने हेतु निर्देशित करें।

कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन/अधि0अभि0, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड/पी0एम0जी0एस0वाई0/ समस्त लो0नि0वि0 खण्ड जनपद उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी समस्त/उप जिलाधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/

क्रमशः......2

Scanned with OKEN Scanner

3. समस्त यात्रा नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत वनाग्नि की घटना होने पर तत्काल कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुये तत्काल स्थानीय व्यवसायियों, स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग प्राप्त कर वन विभाग को वनाग्नि नियंत्रण के लिये आवश्यक योगदान देना भी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्गो पर अवस्थित अधिष्ठानों के संचालकों को आस-पास कूडे में आग न लगाने तथा आग लगने वाली सामग्री को साफ करने के सम्बन्ध में जागरूक करेंगे।

कार्यवाही-समस्त यात्रा नोडल अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।

4. अगामी दिनों तापमान में बढ़ने के कारण वनाग्नि की घटना के दृष्टिगत समस्त वन प्रभाग अपने क्षेत्रान्तर्गत तीन दिन में फायर लाईन बनाते हुये मानवीय बस्तियों के आस-पास घास/पीरूल आदि की सफाई करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित राजस्व उप निरीक्षक उक्त कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये आख्या तीन दिन अन्दर उप जिलाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त आम जनमान को वनाग्नि रोकथाम हेतु जागरूक किया जाय तथा वनाग्नि के नियंत्रण में समस्त विभागों एवं स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाय।

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,उत्तरकाशी/समस्त उप जिलाधिकारी/ समस्त तहसीलदार जनपद उत्तरकाशी/आपदा प्रबन्धन अधिकारी/समस्त जनपद स्तरीय अधिकरीगण।

उक्त निर्देशों का नियत समय पर पालन नहीं किये जाने/उल्लघंन की दशा में सम्बन्धितों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(डॉ आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्या- 242/13-आ0प्र0/वनाग्नि/2018 दिनांक- 21 मई, 2018

प्रतिलिपिः समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19 मई, 2018 को जिलाधिकारी उत्तरकाशी की अध्यक्षता में श्री यमुनोत्री धाम में आवश्यक व्वस्थाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक उपस्थिति–

1	पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी
2	अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3	प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।(नोडल)
4	उप जिलाधिकारी, भटवाडी।
5	डिप्टी कलेक्टर, उत्तरकाशी।
6	जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
7	आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
8	निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

जनपद के श्री यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने के दृष्टिगत यात्रियों की सुगमता व सुरक्षा एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारू रखे जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक आहूत कर सम्बन्धितों को निम्न निर्देश दिये गये–

1– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि यमुनोत्री धाम में यात्रियों की सुगमता व सुरक्षा के दृष्टिगत भीड को नियंत्रित करने एवं आपदा की स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के प्रसारण हेतु तत्काल **public address system** की स्थापना करना सुनिश्चित करें। उक्त पर व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान एस0डी0आर0एफ0 के क्षमता विकास मद (उपकरण क्रय) से किया जायेगा।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/ आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

2– जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर एस0डी0आर0एफ0/पुलिस के एक–एक मोबाइल दल की तैनाती की जाय, जो भीड़ तथा घोडे/खच्चरों के आवागमन को सुव्यवस्थित/नियंत्रित करेगी। इसके साथ ही पैदल मार्ग पर यात्रियों की समस्याओं का निराकरण भी करेगी।

कार्यवाही–पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/निरीक्षक, एस0डी0आर0एफ0, उत्तरकाशी।

3– श्री तुषार सैनी, डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यालय को श्री यमुनोत्री में यात्रा व्यवस्था सुचारू संचालन एवं धाम के यात्रा मार्गो पर कानून एवं शान्ति व्यवस्था, मार्ग अवरूद्ध होने पर तत्काल सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर सुचारू करने एवं यात्रियों की सुगमता व सुरक्षा तथा घोडे/खच्चरों के आवागमन को सुव्यवस्थित/नियंत्रित रखने, यात्रियों की घोडे/खच्चरों से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान व किसी प्रकार की असुविधा की सम्भावना के निराकरण, निर्धारित दरों पर उपलब्धता आदि कार्यो हेतु तैनात रहने के निर्देश दिये गये। सम्बन्धित विभाग श्री सैनी को यथा आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

(I) श्री सैनी यमुनोत्री मन्दिर समिति के पदाधिकारियों से नियमित रूप से बैठक करते हुये सुगम यात्रा व्यवस्था व भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में उचित प्रबन्धन करने हेतु समय–समय पर आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करेंगे तथा भीड के कारणों के अनुसार समुचित यात्रा का प्रबन्धन करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः...............2

Scanned with OKEN Scanner

(II) श्री सौनी घोडे/खच्चरों के संचालन युनियन के सदस्यों से नियमित रूप से बैठक कर आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत करते हुये यात्रियों की घोडे/खच्चरों से सम्बन्धित शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान व किसी प्रकार की असुविधा की सम्भावना के निराकरण, निर्धारित दरों पर उपलब्धता के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेंगे की किसी भी घोडा/खच्चर संचालक द्वारा यात्रियों के साथ अभद्रता एवं घोडे/खच्चर से चोट न लगे। एक घोडा संचालक द्वारा एक समय में एक ही घोडा/खच्चर का संचालन किया जाय। किसी प्रकार की अव्यवस्था के लिये घोडा/खच्चर संचालक पर कार्यवही अमल में लायी जायेगी।

कार्यवाही- श्री तुषार सैनी, डिप्टी कलेक्टर, जिला कार्यालय/ यमुनोत्री मन्दिर समिति/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/यात्रा नोडल अधिकारी।

3- परिवहन/पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये है कि नियमित रूप से वाहनों की सघन चैकिंग व जाम/मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में वाहनों के संचालन को नियमित/सुव्यवस्थित करना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।

4- यमुनोत्री पैदल मार्ग पर हृदय गति व अन्य कारणों से यात्रियों की हो रही मृत्यु के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों की स्वास्थ्य का निश्चित रूप से परीक्षण कर यात्रा के लिये सुझाव दिये जाय। विभिन्न स्थानों पर बीमारियों व यात्रा के सम्बन्ध मे सावधानियों से सम्बन्धित होर्डिंग व अन्य माध्यमों से जन-जागरूकता का प्रचार-प्रसार किया जाय।

कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

5- उप जिलाधिकारी, बडकोट को निर्देश दिये गये है कि तत्काल दोबाटा, जानकीचट्टी एवं भैरव मन्दिर के पास यात्रियों हेतु विशेष सुझाव सम्बन्धी आवश्यक सूचना पट्ट तत्काल लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, बडकोट।

(डॉ आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

संख्या-293/13-विविध/2018 दिनांक- 22 मई, 2018

प्रतिलिपिः समस्त उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारीगण, जनपद उत्तरकाशी को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

स्थानः— जिला कार्यालय सभागार, उत्तरकाशी।

दिनांकः— 08.05.2018

क्र.	नाम	नोडल अधिकारी/सदस्य	दूरभाष नम्बर			हस्ताक्षर
			कार्यालय	फेक्स	मोबाईल	
1	Dadan Pal	SP UKI			9411111733	[signature] 08/5
2	Vineet Kumar	CDO uttarkashi/PSC			7060097032	[signature]
3					9411205439[illegible]	[signature]
4	Dr. Vinod Nautiyal	CMO Uki				
5	A. N. SINGH	2IC 72RCC	72RCC		8729937666	
6	Harish Singh	AE PD PWD Uki			9411093618	[signature]
7	R. S. Khatri	EE. P.D. PWD Bhatwari	PD PWD Bhatwari		9411384150	[signature]
8	Narendra Kumar Arya	Inspector S.D.R.F	S.D.R.F		9410589645	[signature]
9	Badri Chand	D.I.O. Uki	D.I.P.R. Uki		7055007019	[signature]
10						
11						
12						

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 19–02–2018 को जिला कार्यालय सभागार, उत्तरकाशी में सड़क दुर्घटनाओं पर पूर्णतया अकुंश लगाये जाने हेतु बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति –

1	श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।
2	श्री सौरभ असवाल, उप जिलाधिकारी, डुण्डा, उत्तरकाशी।
3	श्री के0एस0चौहान, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
4	श्री नवनीत पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट।
5	श्री आर0एस0खत्री, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0भटवाड़ी / उत्तरकाशी।
6	श्री एस0एन0 सुयाल, अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
7	श्री सुनील सिंह रावत, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
8	श्री आई0डी0भट्ट, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 बड़कोट, उत्तरकाशी।
9	श्री पंकज असवाल, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 बड़कोट, उत्तरकाशी।
10	कु0 मनीशा नेगी, प्रभारी थाना इन्चार्ज, कोतवाली, उत्तरकाशी।
11	श्री सुरेश कुमार, सरंक्षक जिला सूचना विभाग, उत्तरकाशी।

:: कार्यवृत्त ::

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारीगणों का स्वागत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि जनपद में लगातार दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जनपद में दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। बैठक में जो भी निर्देश निर्गत किये जायेगे सभी अधिकारीगण उनका तत्परता से ससमय अनुपालन करना सुनिश्चित करेगें।

1– सड़क दुर्घटनाओं पर रिर्सच विंग स्थापित करना :–

आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद में संचालित आपातकालीन परिचालन केन्द्र में वाहन दुर्घटनाओं के कारणों पर एक रिर्सच विंग स्थापित करेगें। जिसमें सम्बधित उप जिलाधिकारी / पुलिस अधीक्षक से प्राप्त वाहन चालक एवं वाहन से सम्बधित सूचनाओं को संकलन कर दुर्घटना के कारणों पर रिपोर्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी एवं ए0आर0टी0ओ0 उत्तरकाशी को भी उपलब्ध करायेगें।

***कार्यवाही– आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

2– दुर्घटना की सूचना –

जनपद में दिनांक 01–01–2018 से घटित हुई वाहन दुर्घटनाओं में सलिंप्त वाहन एवं वाहन चालकों से सम्बधित बायोडाटा निर्धारित प्रोफार्मा पर 07 दिवस के भीतर आपदा कन्ट्रोल रूम में स्थापित रिर्सच विंग उपलब्ध करायेगें एवं भविष्य में घटित होने वाली वाहन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट निर्धारित प्रोर्फामा पर दुर्घटना के 03 दिवस अन्दर जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। (निर्धारित प्रोर्फामा संलग्न है)।

***कार्यवाही– सम्बधित एस0डी0एम0 एवं पुलिस उपाधीक्षक।

3– गतिसीमा के बोर्ड लगाना –

जनपद के समस्त मार्गो पर गतिसीमा से सम्बधित बोर्ड 07 दिन अन्दर लगाये जायें तथा इसकी स्थानवार सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाय।

***कार्यवाही– बी0आर0ओ0 / रा0राजमार्ग / लो0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई।

4– वाहनों की चैकिंग :–

वाहनों की चैकिगं के समय सामान्यतः वाहनों के प्रपत्र ही चैक किये जाते हैं। किन्तु वाहनों की तकनिकी दशा यथा– टायरों की दशा, ब्रेक की स्थिति, बैक लाईट की स्थिति, वाईपर की स्थिति आदि की जांच मौके पर नहीं की जाती है। वाहनों की दुर्घटना होने में वाहन की तकनिकी स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान है।

कमशः–2–

Scanned with OKEN Scanner

अतः भविष्य में प्रवर्तन कार्य के समय वाहनों के प्रपत्रों की जांच के साथ भौतिक एवं तकनिकी दशा की भी जांच की जाय। यदि वाहन की तकनिकी दशा खराब पाइ ... वाहन की फिटनेस के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये वाहन को पुनः फिटनेश प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया जाय।

***कार्यवाही–उप जिलाधिकारी/पुलिस विभाग/सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी।

5– वाहनो के संचालन हेतु समय का निर्धारण –

प्रायः देखने में आया है कि जनपद में घटित अधिकाश दुर्घटनायें रात्रि अथवा प्रातः काल में घटित हुई है। पहाड़ी मार्गो पर प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक वाहनों के संचालन किये जाने के निर्देश है। किन्तु फिर भी रात्रि में वाहनों का संचालन किया जा रहा हैं। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थापित चैक पोस्ट/सीमाओं पर रात्रि में वाहनो की चैकिंग का कार्य नियमित रूप से करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में किसी थाना क्षेत्रान्तर्गत रात्रि में कोई वाहन की दुर्घटना घटित होती है तो सम्बधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। तथा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदेश दिनांक 30–11–2017 का उल्लघन मानते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

***कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक /समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी।

6– पुलिस गस्त बढ़ाये जाना –

प्रायः देखा जा रहा है कि सांय काल के समय सड़कों के किनारे कतिपय लोग अपने वाहनों को खड़ाकर शराब का सेवन करते हैं। इससे सड़क दुर्घटना होने की सम्भांवना बनी रहती है। अतएव सभी थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी/नायव तहसीलदार एवं राजस्व उप निरीक्षक अपने–अपने क्षेत्रों में रात्रि गस्त कराते हुये ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

***कार्य0– पुलिस विभाग, समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारी/ नायव तह0/राजस्व उप निरी0।

7– ऐल्कोमीटर से चैकिंग की प्रभावी कार्यवाही –

जिला आपदा प्रबन्धन केन्द्र, उत्तरकाशी के माध्यम से कय किये गये 11 एल्कोमीटर पुलिस विभाग व उप जिलाधिकारियों को प्रवर्तन कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये है। अतः ऐल्कोमीटर से की गई चैकिंग कार्य एवं तथा अभियुक्तों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

***कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी ।

8– दुपहिया वाहनों पर हेल्मेट अनिवार्य रूप से लागू कराया जाना–

प्रायः देखा जा रहा है कि दुपहिया वाहन चालक एवं सह चालक द्वारा वाहन संचालन समय हेल्मेट नहीं पहना जा रहा हैं। अतः इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग वाहनों की सघन चैकिंग करते हुये कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अधोहस्तक्षरी को उपलब्ध करायें।

***कार्यवाही– पुलिस अधीक्षक/सम्बधित उप जिलाधिकारी/सहा० सम्भा० परिवहन अधिकारी।

9– तोषण योजना (Solatium Scheme)-

श्रीमती कंसरी देवी पत्नी स्व0 श्री माघूलाल निवासी **तिलाड़ी (जेष्टवाड़ी)**, जिला उत्तरकाशी द्वारा सहायता राशि हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06–02–2018 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29–06–2016 को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से ग्राम तिलाड़ी बनचौरा मोटर मार्ग पर उनके पति की मृत्यु हो गयी है।

उक्त प्रकरण में राहत राशि सोलेशियम स्किम के अर्न्तगत दिये जाने का प्राविधान हैं। अतएव इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी डुण्डा जो कि उक्त तोषण योजना 1989 के अर्न्तगत दावा जांच अधिकारी भी है। उक्त प्रकरण की जांच करते हुये नियमावली के अनुसार प्ररूप–2 में सम्यक रूप से उन्मोचन रसीद प्ररूप–5 में बचन के साथ अपनी सिफारिशो के साथ प्ररूप–3 में एक माह के भीतर रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी/दावा निपटारा आयुक्त को प्रस्तुत करेगें जिससे कि प्रतिकर भुगतान हेतु सम्बधित बीमा कम्पनी को आदेशित किया जा सकें।

***कार्यवाही-- उप जिलाधिकारी डुण्डा।

कमशः–3–

Scanned with OKEN Scanner

10– <u>जिला स्तरीय सोलेसिमय समिति की बैठक–</u>

उत्तराखण्ड राज्य में जिला स्तरीय सोलेशियम समिति हेतु न्यू–इण्डियां ईन्शोरेन्श कम्पनी, नई दिल्ली द्वारा मण्डलीय प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्शोरेन्श कम्पनी देहरादून को सदस्य/सचिव नामित किया गया है। अतः मण्डलीय प्रबन्धक, न्यू–इण्डिया इन्शोरेन्श कम्पनी देहरादून सदस्य/सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे जनपद स्तरीय समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करें तथा बैठक हेतु अधोहस्ताक्षरी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बैठक करवाये जाने हेतु समय प्राप्त करेगें।

*****कार्यवाही– प्रबन्धक, न्यू–इण्डिया इन्शोरेन्श कम्पनी देहरादून।**

11– <u>मार्गो में अतिकमण वाले स्थानों का चिन्हिकरण–</u>

प्रायः देखा जा रहा है कि जनपद के विभिन्न मार्गो पर अतिकमण किया गया है, जिससे कि जहॉ एक ओर जाम की स्थिति बनती हैं। वहीं यह अतिकमण वाहन दुर्घटना का भी कारण बनते हैं। इस सम्बन्ध में अतिकमण चिन्हित करते हुये **रोड़–साईड कन्ट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत** कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तथा यात्रा प्रारम्भ होन से पूर्व सम्बधित विभाग सम्पूर्ण मार्गो से अतिकमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करेगें। इस सम्बन्ध में यदि पुलिस बल की आवश्यकता हो तो सम्बधित विभाग पुलिस अधीक्षक अथवा उप जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते हुये अतिकमण हटावाना सुनिश्चित करें।

*****कार्यवाही– बी0आर0ओ0/रा0राजमार्ग/पी0एम0जी0एस0वाई/लो0नि0वि0।**

अन्त में सभी विभागों से सम्बधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये 07 दिन के अन्दर अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0आशीष चौहान),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 3991 /34– 02 (2017–18) दिनांक 21 फरवरी 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– आयुक्त, महोदय गढ़वाल मण्डल पौडी।
2– परिवहन आयुक्त, देहरादून।
3– सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

माघ मेले के सम्बन्ध में बैठक की उपस्थिति।

ांक–13.01.2018

ं.	नाम/पदनाम	मो0 नं0	ह0
	Devendra Singh Negi SDM (B)	9410191049	
	Manoj Kumar Thakur CO/UKI	9411112729	
	M.S. TOMAR C.A.O.	9412380321	
	V.S. Pundir E.E.	7500283030	
	Mahavir Uniyal So Kotwali	9411112062	
0	Praveen Kumar RI (ARTO)	9456505674	
11	Rajesh Choudhary BP UJVNL	9456590358	
12	Brij Bhushan DGM UJVNL Dharasu	9456590277	
13	Shiv Das EE (CPM) UJVNL Joshiyara	9456590075	
14	L.S. Kumar AE Jalsansthan UKI	9412923123	
15	Harish Singh AE Prov. Div. PWD UKI	9411093618	
16	D.S. Kohli Reader S.P. UKI	9411114854	
17	V.S. Rawat Naib Tehsildar Joshiyara	9411331611	
18	HARISH KHANDURI. A.R. Cooprative	8923239278	

19 B.P. Tamta DTDO, Tourism 9411351351

20. P.K. Shukla; A. D Fisheries 7251000170

21 MANOJ KUMAR Sr PO UREDA 9411079047

19			
20			
21			
22	Dr. Pralayankar Nath CVO	8937001279	[signature]
23	मोहित चौधरी, डी पी ओ	9410567544	[signature]
24	D.S. Patwal DMO (Disaster Mangt	9411035033 8	[signature]
25	G.P. Silmap EE Irrigation Div	7895342154	[signature]
26	Bhupesh Gosain AE PWD Bhatwari	9997274799	[signature]
27	Er V.V. Rawat, E.E, RWD, Uki	9412998190	[signature]
28	B.R. Singh P.V.D.O. UKI	9410392104	[signature]
29	Prem Lal A.D. Dairy Uki	9411370897	[signature]
30	Prakash Chauhan AE UJVNL	9456590459	[signature]
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 06.12.2017 की रात्रि को आये भूकम्प के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आहुत आपात बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 06.12.2017 को रात्रि लगभग 08.50 बजे जनपद में भूकम्प के झटके महसूस किये गये। भूकम्प के झटके महसूस होने के उपरान्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी व मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी आदि अधिकारी जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित हुये, जिसके उपरान्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की अध्यक्षता में आपात बैठक आहुत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार निर्देश दिये गये।

1. जनपद की समस्त तहसीलों से दूरभाष से तत्काल सम्पर्क कर भूकम्प से तहसीलान्तर्गत हुयी क्षति/हानि के सम्बन्ध में सूचना लेंगे तथा जिलाधिकारी/राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र, देहरादून को सूचना से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही–परिचालन केन्द्र के कर्मी/सम्बन्धित अधिकारी)

2. भूकम्प के झटके महसूस होने के उपरान्त आपताकालीन परिचालन केन्द्र में स्थापित सायरन तथा यू0जे0वि0एन0एल0 के सायरन बजने के उपरान्त भी आई0आर0एस0 के नामित नोडल अधिकारी जो आपताकालीन परिचालन केन्द्र में उपस्थित नहीं हुये हैं, उनके स्पष्टीकरण लिये जायें। **(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन अधिकारी)**

3. बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला अस्पताल में प्रवेश व बाहर निकलने का एक ही मार्ग होने के कारण आपात स्थिति में स्थितियॉ खराब हो सकती हैं तथा जनहानि से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि जिला अस्पताल में एक वैकल्पिक हल्का वाहन मार्ग निर्माण करवाया जाय, जिस हेतु लो0नि0वि0 से आंगणन प्राप्त कर तत्काल वैकल्पिक हल्का वाहन मार्ग निर्माण करवाया जाय।

(कार्यवाही–आपदा प्रबन्धन अधिकारी/अधि0अभि0, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय)

अतः में सभी सम्बन्धितों को अलर्ट रहने के निर्देश देते हुये बैठक समाप्त की गयी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

दूरभाष–01374–222722, 222126 टोलफ्री–1077 मो0 7500337269, ईमेल–ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या– 7071-2/तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017 दिनांक– 07 दिसम्बर, 2017

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।
4. सभी सम्बन्धित अधिकारीगण।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04.12.2017 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में दूर संचार सेवाओं की असंन्तोषजनक कनेक्टिविटी के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

1. श्री मुकेश नौटियाल, उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार निगम लि0,उत्तरकाशी।
2. श्री सन्दीप असवाल, जे0ई0ओ0, दूर संचार निगम लि0, उत्तरकाशी।
3. उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार निगम लि0, बडकोट।
4. श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
5. श्री जयप्रकाश पंवार, समन्वयक आपदा प्रबन्धन, उत्तरकाशी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद मे वर्तमान समय में बी0एस0एन0एल0 की दूर संचार सेवा की समय-समय पर कनेक्टिविटी बन्द होने तथा कॉलड्रॉप की समस्या तथा शहर क्षेत्र में डाटा कनेक्टिविटी के अत्यन्त खराब स्थिति के सम्बन्ध में बैठक ली गयी जिसमें बैठक हेतु उपयुक्त अधिकारी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। मण्डलीय अभियन्ता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह अन्दर अधोहस्ताक्षरी से समस्त सूचना के साथ मिलना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैठक में उपस्थित बी0एस0एन0एल0 प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त समस्याओं का निस्तारण अनिर्वाय रूप से करना सुनिश्ति करें तथा मोबाईल टॉवरों की सिग्नल क्षमता को बढ़ाये। यदि एक सप्ताह अन्दर उक्त समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है तो सम्बन्धितों के विरूद्व राजकीय कार्य में व्यवधान पहुॅंचाने के लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

कार्यवाही- उप मण्डलीय अभियन्ता, दुर संचार निगम लि0, उत्तरकाशी/बडकोट।

ओ0एफ0सी0 केबल कटने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि यदि किसी विभाग द्वारा बी0एस0एन0एल0 की केबल को पूर्व बिना अनुमति के क्षति पहुॅंचाई जाती है, तो बी0एस0एन0एल सम्बन्धित विभाग के विरूद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करें।

निम्नलिखित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि बी0एस0एन0एल0 की कनेक्टिविटी बन्द होने तथा कॉलड्रॉप की समस्या तथा शहर क्षेत्र में डाटा कनेक्टिविटी एवं ओ0एफ0सी0 केबल कटने के कारणों की जांच करें। सुचारू कनेक्टिविटी, कॉलड्रॉप की समस्या, डॉटा कनेक्टिविटी एवं मोबाईल टॉवरों की क्षमता बढ़ाये जाने हेतु तकनीकी सर्वेक्षण करते हुये बी0एस0एन0एल0 के पास उपलब्ध संसाधनों (मशीनरी/मानव आदि) की संयुक्त आख्या एक सप्ताह अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

1. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी।

कार्यवाही- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी/
अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।

क्रमशः:..............2

Scanned with OKEN Scanner

समस्त उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत ओ0एफ0सी0 केबल कटने के कारणों की जांच कर उक्त केबल को जोड़ने/सुचारू करने में बी0एस0एन0एल0 द्वारा लगाया गया समय (Response time) आदि की आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा ओ0एफ0सी0 केबल कटने/खराब होने पर निम्न टीम से सम्पर्क कर सूचना से अवगत करायें।

1. उत्तरकाशी से प्रतापनगर तक श्री सन्दीप असवाल,बी0एस0एन0एल0 मो0- 9456312472
2. उत्तरकाशी से नैनबाग तक श्री अमित कुमार, बी0एस0एन0एल0 मो0- 9422458060
3. नई टिहरी से प्रतापनगर/नई टिहरी से काण्डीखाल तक श्री सुनिल कुमार, बी0एस0एन0एल0 मो0 7579289073

<u>कार्यवाही- उप जिलाधिकारी, भटवाडी/डुण्डा/बडकोट/पुरोला/</u>
<u>उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार निगम लि0, उत्तरकाशी/बडकोट।</u>

बी0एस0एन0एल प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि बडकोट के धारी, थौलधार में बी0एस0एन0एल0 टॉवर को कार्यशील किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है तथा सरबडीयार क्षेत्र का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मण्डलीय अभियन्ता, नई टिहरी को भेजा गया। उक्त के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि उक्त प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

<u>उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार निगम लि0, बडकोट।</u>

अन्त में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या-1070 /13-आ0प्र0प्रा0/2017-18 दिनांक-05 दिसम्बर, 2017

<u>प्रतिलिपि</u>:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, दूर संचार निगम लि0, नई टिहरी।
4. उपरोक्त समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

संचार सम्बन्धी कम्पनियों के साथ आहूत बैठक उपस्थिति।

स्थान:- जिला कार्यालय सभागार कक्ष, उत्तरकाशी।

दिनांक:- 06 नवम्बर, 2017

समय सांय 3:00 बजे

क्र.सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Capt Rahul Verma	SCO, RJIL	9557826644	[signature]
2	Nitin Diwari	ROW RJIL	8791008404	[signature]
3	Dipu Roy	FME.	8979808460	[signature]
4	Hariommishra	Tech	8979122908	[signature]
5	SURENDRA PATEL.	Tech –	8126285100	[signature]
6	Suresh Kumar	संचार प्रपंच	8449505031	[signature]
7	Sandeep Aswal	JEOFC BSNL	9456312472 7895390410	[signature]
8	Mukesh Nautiyal	JTO. BSNL Uttarkashi	9456366585 ~~7534040414~~	[signature]
9	Kishor Nautiyal	JTO Barkot.	~~[illegible]~~ 9458956899	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Scanned with OKEN Scanner

:: आदेश::

दिनांक 12.09.2017 की प्रातः से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान ओजरी (डबरकोट) में पहाड़ी से लगभग 250 मी0 की ऊंचाई से लगातार भूस्खलन होने के कारण बोल्डर्स/मलवा गिरने से यातायात मार्ग अवरूद्ध है। अवरूद्ध स्थल से यात्रियों/स्थानीय लोगों का पैदल वैकल्पिक मार्ग से 2.50 किमी0 आवागमन करवाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में दिनांक 21-09-2017 को जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आहूत की गई, बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये-

1- उप जिलाधिकारी, बड़कोट ने अपने पत्र संख्या-327/ पी0ए0-पत्रा-विविध/ 2017 दिनांक 18-9-2017 से अवगत कराया है कि उक्त मार्ग के अवरूद्ध होने से स्थान स्यानाचट्टी एवं जानकीचट्टी आदि स्थानों पर खाद्यान, डीजल, गैस सिलेण्डर आदि आवश्यक सामग्री को पहुॅचाने में भारी कठिनाई हो रही है। अवरूद्ध मार्ग के निकट भविष्य में खुलने के आसार कम है, जिस कारण तत्काल वैकल्पिक मोटर मार्ग बनाना अति आवश्यक है।

2- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा भूस्खलित भाग का दिनांक 15-09-2017 को सर्वेक्षण किया गया है। निदेशक, तकनीकी समन्वय प्रभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून ने अपने निरीक्षण पत्र संख्या-1714/रा0इ0उ0/22/सिन/2016--17 दिनांक 19-09-2017 में उल्लेख किया है कि उक्त भूस्खलन को रूकने में एक माह या इससे अधिक का समय भी लग सकता है।

3- इस सम्बन्ध में सचिव, श्री यमुनोत्री मन्दिर समिति द्वारा अपने पत्र संख्या-02/य0म0स0-विविध/2017 दिनांक 18-09-2017 द्वारा अवगत कराया है कि मार्ग के अवरूद्ध होने तथा वैकल्पिक पैदल मार्ग से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है कतिपय यात्री धाम न आकर रास्ते से ही वापस हो रहें हैं, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यात्रा बाधित हो रही है।

चूॅकि उप जिलाधिकारी, बड़कोट एवं भूवैज्ञानिकों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन रूकने में अत्यधिक समय लगने की आंशका के दृष्टिगत निकट भविष्य में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का सुचारू किया जाना सम्भव नहीं है। चूॅकि उक्त क्षेत्र के 11 ग्रामों एवं श्री यमुनोत्री क्षेत्र के व्यवसायियों की लगभग 3500 आबादी प्रभावित है। यमुनोत्री धाम सहित इस सम्पूर्ण क्षेत्र में खाद्यान्न, अन्य आपूर्तियों तथा यात्रियों व क्षेत्र वासियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थल पर तत्काल वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में समीचीन हो गया है।

चूॅकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प किया जाना सम्भव नहीं है। अतः जनपद आपदा प्रबन्धंन प्राधिकरण की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय, 4 की धारा 30 व सपठित धारा 34 में निहित प्राविधानों के तहत प्रशनगत स्थल पर जनहित में तत्काल वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त वैकल्पिक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट, उत्तरकाशी को कार्यदायी संस्था

.....2

Scanned with OKEN Scanner

नामित किया जाता है। अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट इस सम्बन्ध में तत्काल अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण कार्य अधीक्षण अभियंता, छटवां वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला एवं अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला व अन्य सभी संबंधित विभाग वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या– 6050/तेरह–आ0प्र0प्राधि0–2017 दिनांक सितम्बर 21 , 2017

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
6– उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
7– अधीक्षण अभियन्ता, छटवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
8– अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
9– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।
10–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।
11– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट।
12– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला।
13– अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।
14– समस्त सदस्य, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ।

Scanned with OKEN Scanner

नामित किया जाता है। अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट इस सम्बन्ध में तत्काल अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण कार्य अधीक्षण अभियंता, छटवां वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा। अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट, अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, पुरोला एवं अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला व अन्य सभी संबंधित विभाग वैकल्पिक मार्ग के निर्माण में तत्काल आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

संख्या–6050/तेरह–आ0प्र0प्राधि0–2017 दिनांक सितम्बर 21, 2017

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–मुख्य सचिव, महोदय, उत्तराखण्ड शासन,देहरादून की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
6– उप जिलाधिकारी, बड़कोट।
7– अधीक्षण अभियन्ता, छटवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
8– अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
9– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।
10–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।
11– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, बड़कोट।
12– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, पुरोला।
13– अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।
14– समस्त सदस्य, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

अध्यक्ष,
जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/
जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

...त्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 स्थान औजरी(डाबरकोट) के पास अवरूद्ध ...ने के सम्बन्ध में जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आवश्यक

बैठक उपस्थिति।

जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय।

21.09.2017

प्रातः– 10:30

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1	सुखबीर सिंह	पुलिस अधीक्षक	9411112733	[signature] 21/9/17
2	पी० एस० कंवर	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तरकाशी	9412057326	[signature]
3	डॉ. कल्पना गुप्ता	मुख्य चिकित्साधिकारी,	9412078783	[signature]
4	अनुराग आर्या	डिप्टी कलेक्टर / राजस्व ... ADM.	9411423317	[signature]
5	बद्री चन्द	जिला सूचना अधिकारी	7055000019	[signature]
6	V.S. Pundir	EE PD PWD UKI	7500283030	[signature]
7	Vineet Kumar	CDO UTK	8476801995	[signature]
8	D.S. Patwal	DMO. UKI	9410356338	[signature]
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 01.08.2017 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मानसून अवधि में नागरिक सुविधा बाधित होने तथा सुविधायें बहाल किये जाने के सम्बन्ध में जीवन रेखा सम्बन्धी विभागीय अधिकारियों की बैठक का कार्यवृत्त।

<u>बैठक में उपस्थिति निम्नप्रकार है</u>:-

1. श्री ददनपाल, पुलिस अधीक्षक
2. श्री पी०एल० शाह, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री कुलवन्त सिंह चौहान, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
4. श्री मनोज कुमार, परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, उत्तरकाशी।
5. श्री पी०एस० पंवार, अधि०अभि०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
6. श्री गौरव सकलानी, अधि०अभि०, यू०पी०सी०एल०, उत्तरकाशी।
7. डॉ० प्रलंयकरनाथ, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
8. श्री मोहित चौधरी, डी०पी०ओ०, बाल विकास, उत्तरकाशी।
9. श्री विरेन्द्र सिंह पुण्डीर, अभि०, प्रा०ख०, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
10. श्री प्रमोद कुमार शुक्ल, सहा० निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी।
11. श्री राकेश कुमार तेवतिया, मुख्य उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
12. श्री बद्री चन्द, जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
13. श्री आर०सी० आर्य, मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
14. श्री डी०एस० पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

वर्ष 2017 की मानसून अवधि में दिनांक 31.07.2017 तक जनपद में वर्षा/भूस्खलन के कारण जन सुविधाओं को हुयी क्षति तथा उनके सुचारू किये जाने के सम्बन्ध में जीवन रेखा सम्बन्धी विभागीय अधिकारियों से विवरण प्राप्त किया गया तथा निम्न प्रकार निर्देश दिये गये।

1. <u>पेयजल आपूर्ति</u>- गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, ग्राम खरसाली तथा भटवाड़ी से शिकायत प्राप्त हुयी है कि इन स्थान पर कई दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है। इस सम्बन्ध में अधि०अभि०, जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त स्थानों पर पेयजल आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा पेयजल आपूर्ति बहाल की जाती है। भूस्खलन होने से पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पेयजल आपूर्ति बहाल करने में अधिक समय लगता है। इस सम्बन्ध में अधि०अभि०, जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि भूस्खलन/पत्थर गिरने वाले क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रबर के पाईप से पेयजल लाईन जोड़कर तत्काल प्रभावित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। अमुक क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित होने की सूचना अधि०अभि०, जल संस्थान द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र कों नियमित रूप से नहीं दी जाती है। यह स्थित अत्यन्त खेदजनक है। अतः अधि०अभि०, जल संस्थान जनपद में पेयजल बाधित होने तथा पेयजल आपूर्ति सुचारू किये जाने की सूचना प्रतिदिन नियमित रूप से जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को डी०डी०एम०ए० वट्सएप ग्रुप पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. <u>विद्युत आपूर्ति</u>- गंगोत्री धाम में वर्तमान में यात्रियों की आवाजाही में कमी होने के कारण इस समय धाम में विद्युत केबिल डालकर सभीं को विद्युत कनेक्शन आबंटित किये जाने का समय उपयुक्त है। अतः अधि०अभि०, विद्युत वितरण खण्ड गंगोत्री धाम में यू०पी०सी०एल० की केबिल डालने का कार्य तत्काल शुरू करते हुये

दिनांक 20.08.2017 तक धाम में विशेष शिविर लगाकर सभी उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्तमान में गंगोत्री धाम में उरेड़ा की दो परियोजनायें कार्यरत हैं, जिनमें अक्सर सील्ट आने के कारण धाम में विद्युत आपूर्ति यदाकदा बाधित रहती है। गंगोत्री धाम में उरेड़ की परियोजनायें वैकल्पिक रूप में कार्यरत रहेंगी। परियोजना अधिकारी, उरेड़ा उक्त परियोजनाओं में गत वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में वर्षवार आयी सिल्ट का डाटा एकत्र कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे। भटवाड़ी कस्बे में आये दिन विद्युत आपूर्ति न होने की शिकायत प्राप्त होती है। इस सम्बन्ध में अधि0अभि0, यू0पी0सी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया है कि यू0जे0वि0एन0एल0 द्वारा भटवाड़ी में विद्युत लाईन यू0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित नहीं की है, जिससे आये दिन समस्या आती रहती है। अधि0भि0, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे भटवाड़ी में विद्युत लाईन को दिनांक 10.08.2017 तक यू0पी0सी0एल0 को हस्तान्तरित कर देवें।

3. <u>विद्युत परियोजना</u>- भागीरथी नदी पर स्थित विद्युत परियोजना के अन्तर्गत मनेरी डैम से डिस्चार्ज की नियमित निगरानी करते हुये डिस्चार्ज की सूचना प्रत्येक घण्टे पर यू0जे0वि0एन0एल/सिंचाई विभाग द्वारा जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं डी0डी0एम0ए0 वट्सएप ग्रुप पर नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय। अधि0अभि0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी भागीरथी नदी में आ रही सिल्ट का माप कर आख्या उपलब्ध करायेंगे। मनेरी डैम से पानी छोड़ने से पूर्व सभी प्रकार के सूचना तंत्र से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

4. <u>भारी वर्षा की चेतावनी पर सावधानियाँ</u>- मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जनपद में भारी वर्षा की चेतावनी जारी करने के सम्बन्ध में जनपद में सभी शिक्षण संस्थायें तथा आंगनबाड़ी में शिक्षण कार्य बंद रखे जाने के आदेश निर्गत किये जाते है। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों की सूचना सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से एकत्र करेंगे विद्यालयों द्वारा आदेशों की अवहेलना किये जाने पर सम्बन्धित संस्था का स्पष्टीकरण लेते हुये अधोस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

5. <u>अवरूद्ध मार्गो पर वैकल्पिक व्यवस्था</u>- जनपद के ऐसे स्थानों जहाँ पर आवागमन हेतु पुल उपलब्ध नहीं है ऐसे स्थानों पर लो0नि0वि0 द्वारा पूर्व से ट्रालियाँ निर्मित हैं। अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी जनपद में सभी ट्रालियों का तकनीकी निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करेंगे, तथा खराब ट्रालियों की मरम्मत करवाते हुये सुरक्षित आवागमन हेतु उपलब्ध करायेंगे। सभी ट्रालियों की स्थिति से एक सप्ताह अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

6. <u>वरूणावत पर्वत भूस्खलन की रोकथाम</u>- वरूणावत पर्वत के संवेदनशील भाग की निरन्तर निगरानी अधि0अभि0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी नियमित रूप से करेंगे। किसी भी घटना की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से वरूणावत पर्वत पर प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा नियमित रूप से 02 वन कार्मिकों को निगरानी के लिए तैनात करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय–अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

Ph: 01374-222722, Fax: 222722, E-mail- ddmauttarkashi@gmail.com

संख्या– 5078 /तेरह–आ0प्र0प्राधि0–बैठक /2017 दिनांक– 01- अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, देहरादून।
4. उपरोक्त अधिकारीगण।
5. अधीक्षण अभियंता, छटवॉं वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

जीवन रेखा से सम्बन्धित विभागों की बैठक।

दिनांक- 01.08.2017 ।

नाम/पदनाम	विभाग	मो0 नं0	हस्ताक्षर
डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव	जिलाधिकारी		
ददनपाल	पुलिस अधीक्षक		
P.L. Sahi	ADM		
कुलवन्त सिंह चौहान ARTO	परिवहन विभाग	9997605295	[illegible]
MANOJ KUMAR Sr. P.O.	UREDA	9411079047	[illegible]
P. S. PANWAR E.E	I.D. UKi	9412057326	[illegible]
Gaurav Saklani, EE	UPCL, Uttarkashi	9412077671	[illegible]
I. S. Patwal	DMO;	9410350338	[illegible]
Dr. Pralayankar Nath	CVO	8937001274	[illegible]
मोहित चौधरी	डी.पी.ओ., WCD	9410567544	[illegible]
वीरेन्द्र सिंह पुण्डीर	PD PWD UKi	7500283030	[illegible]
प्रमोद कुमार शुक्ला	A. D. Fisheries UKi	7251000170	[illegible]
राकेश कुमार [illegible]	CHO Horti.	9411135509	[illegible]
बद्री चन्द	D.F.O. Uki	7055007019	[illegible]
R.C. Arya	CEO Education	9412977663	[illegible]

District Disaster Management Authority -Uttarkashi

Meeting with mobile network service providers in Uttarkashi District

Date - 19/06/2017

TIME : 11 AM

Attendance Sheet

With the chairmenship of District Magestrate Sir.

SL. NO	Name/Agency	Contact No.	E-mail	SIGNATURE	
01	SURENDRA PATEL	8126285[illegible]	AIRTEL	[signature]	Airtel
02	DILIP KUMAR	9719018827	DILIP.KUMAR@vodafone	[signature]	Voda
03	Ashok Bhardwaj	9837010877	ashok.bhardwaj@idea.aditya birla.com	[signature]	idea
04	Sanjeev Dhore (B.S.N.L) BARKOT	9412077377	Sanjeev.dhore@gmail.com	[signature]	
05	SANDEEP ASWAL/BSNL	9456312472	sandeep.aswal19@gmail.com	[signature]	
06	Mukesh Nautiyal/BSNL	9456366585	mukesh.31597@gmail.com	[signature]	
07	Nitin Dimri/ Reliance Jio infocomm Ltd.	8791008404	nitin.dimri@ril.com	[signature]	Reliance
08	E. S. Chauhan (DIO-NIC)	9557597775	dionic.ukl@gmail	[signature]	
09	A.S. Panwar (DIO-J)	9634604045	dioufouji@gmail.com	[signature]	
10	D.S. Patwal (DMO)	9410350338	ddmauttarkashi@gmail.com	[signature]	
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Scanned with OKEN Scanner

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत जनपद आपद प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्यों तथा विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक।

स्थान:- जिला कार्यालय सभागार कक्ष, उत्तरकाशी।

दिनांक:- 19 मई, 2017 ।

समय:- प्रात: 11:00 बजे।

क्र. सं.	नाम	पदनाम / विभाग	मोबाईल	हस्ताक्षर
1	डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव	अध्यक्ष. DDMA/DM	9412077500	
2	ददनपाल	SP UKI		
3	V.S. Rana	CDO. UKI		
4	Sauran Asnal	SDM B/D	9568024558	[signature]
5	Rohit Meena	SDM Barkot	7060731091	Rohit
6	Jay Prakash	District Coordinator	9456326641	[signature]
7	S.S. Pathak	AE DDMA/DDO	9412418534	[signature]
8	R.B. Singh	SDO Forest Uttarkashi	9458931685	[signature]
9	Dr. H. Pandey	Dy. CVO / Ani. Husb.	9412347424	[signature]
10	Dharmendra Rawat	A.M.H. Zila Panchayat	8057663984	[signature]
11	Rakesh Kr. Tootia	CHO	9411135509	[signature]
12	I. D. Nautiyal	DSO	9411136732	[signature]
13	S.K. Kuril	E.O. N.P.P. Barahat, U.Kashi	9412409827	[signature]
14	Manoj Kumar	Sr. Project Officer UREDA	9410079047	[signature]
15	Sulochana	ICDS	8126292328	[signature]
16	[illegible]	M.T. (D)	9412140413	[signature]
17	Chandan Singh Rana	Tehsildar	9411185808	[signature]
18	Buddhi Ram Gusaial	Tehsildar Dunda	9410122997	[signature]
19	P. S. PANWAR	E.E. I.D. UKI	9412057326	[signature]
20	Suresh Pal	PM unit (Ganga)	9412420207	[signature]
21	RAMESH CHANI	EE, WB, PWD Uttarkashi	9758927827	[signature]
22	M.S. TOMAR	C.A.O. Agriculture	9412380321	[signature]
23	RAMENDRA KUSHWAHA	CEO	9410549727	[signature]
24	Dr. [illegible]	Addl CMO	7351081441	[signature]
25	DR. KALPANA GUPTA	CMO	9412078733	[signature]
26	DR ASHOK TYAGI	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	9411754951	[signature]

27. P.L. Sah ADDM / EO, DDMA UKI

...हूत समीक्षा बैठक में उपस्थिति का विवरण।

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/कर्मचारी/पद नाम	विभाग का नाम	मो0 नं0/Whats App No.	कार्यालय दूरभाष नं0	फैक्स नं0	ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
1–							
2–							
3–	R.K. Pandey SDM Barkot	Revenue	9458105836			sdm barkot@gmail.com	
4–	Mukesh Chand Ramola Tehsildar	Barkot Revenue	976097[illegible]				
5–	K.S. Kohli D.S.O.	FSD	7088115020				
6–	RAKESH JAKHMOLA	SWAJAL (PM)	9634061481	222468	222468	[illegible]	
7–	[illegible] S. Chauhan	Swajal (CS)	7055[illegible]34				
8–	B. D. Ratur BDO	Block Bhatwari	9456334226				
9–	B. S. Rana ABDO	Danda	9410196867				
10–	S. S. Kumain BDO	BDO Purola	8126828[illegible]	223367	223367	bdopurola@gmail.com	
11–	A. M. Garg	AE RWD [illegible]	9411152530	222326	222326		
12–	Suresh Pal	PM Const. Mandal (Ganga)	9412[illegible]2020	222113	222113	[illegible]@yahoo.com	
13–	Dharmendra Singh Rawat	Zila Panchayat	8057663984	222158	222502		
14–	S. P. Gupta EE	Jal Nigam	7830500817	222648	222648	[illegible]	
15–	Liladhar Vyas	Education Deptt	7579[illegible]	222122			
16–	R. S. Rawat	D.D.C.	9412997453				
17–	Badri Prasad	E.O. Nagar Palika Barkot	8979223436				
18–	Sushil Kumar Kuriyal	E.O. Nagar Palika [illegible] Chinyalisaur	9412909827	01371-222015		[illegible]	
19–	R. N. Shiwalare DFO	Forest Tons [illegible]	7579[illegible]	01373 223328	223328	[illegible]	

17—pumsma—133

20–	P.S. PANWAR E.E	I-D-UKI	9412057326	222131	222131	[illegible]@gmail.com	[signature]
21–	मनमोहन सिंह, स० अभि०	प्रा० खण्ड, लो०नि०वि० उत्तरकाशी	9410752985	222108	222108	mannudotcom@gmail.com	[signature]
22–	C.P. Singh	S.D.O upper Yamuna Van Prabhag, Barkot	9458145475				[signature]
23–	BABULAL S.D.O.	Forest-UKI	9837401401			babusigul@gmail.com	[signature]
24–	Shrawan Kumar Dy.	Director G.N.P.	9634270435	222695	222695	shrawankumar58@gmail.com	[signature]
25–	Dr L.S. Rawat CMO	Health	9412078733	222106	222635	cmoukashi@gmail.com	[signature]
26–	विजय नाथ शुक्ल SDM	राजस्व	9411337479			[illegible]@gmail.com	[signature]
27–	Saurav Aswal	〃	9568022558			sauravaswal1@gmail.com	[signature]
28–	Jayvardhan Sharma SDM	(IAS) राजस्व	9410502195			jayvardhan@gmail.com	[signature]
29–	Virendra Singh	Jal Sansthan	9411103541				[signature]
30–	Prashant Pant	UPCL	9412077671			edduek@yahoo.in	[signature]
31–	Chandan Singh. Renu. Tah	Revenu.	9411185808	5405	5405		[signature]
32–	V.K. Bamran	UREDA	9758897005	222538			[signature]
33–	D.K. Bist EE	P.WD Chinyalisaur	9412959004	01371237083	-do-	eecdpwd-uki@rediffmail.com	[signature]
34–	V.P. Dobriyal AE NH P.W.D	Barkot	9412996090	01375224426	---	[illegible]@gmail.com	[signature]
35–	Bhupesh Gusain AE	PWD Bhatwari	9997274799	01374-222383	—	eepwdbhatwari@rediffmail.com	[signature]
36–	S.S. Bhandari	PMGSY ID UTTARKASHI	9634606226	—	—	eepmgsyuttarkashi@rediffmail.com	[signature]
38–	K.S. SAJWAN AE	I.D UKI	9412058534	—	—	—	[signature]
38–	V.D. Bhatt E.E	P.WD (Barkot)	9412047067	01375224758	—	eepwdbarkot@rediffmail.com	[signature]
39–	Ashok Kumar E.E.	P.D. P.W.D UKI	9760370115	01374222108	222108	pdpwduki@yahoo.com	[signature]
40	R.S. Khatri E.E	P.D PWD Bhatwari	9411384150			eepwdbhatwari@rediffmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

			App No.	दूरभाष नं0	नं0	आईडी	
41	तारामणि [illegible] नायब तहसीलदार	राजस्व	8449248148				
42	डी0 पी0 तिवारी BDO Mori	ग्राम्य विकास विभाग	7579146499			bdomori2009@gmail.com	[illegible]
43	K.K. Pant, BDO Naugaon	R.D	8171224236			kkpant.1979@gmail.com	
44	के0 पी0 [illegible] जि. पंचायत अधि.	पंचायत	9412320157			[illegible]	
45	[illegible] कृषि विभाग		9758547421	01374-226679			[illegible]
46	डा0 वी0 सी0 कर्नाटक C.V.O.	A.H.D	9719443770			karnatakvc@gmail.com	
47	नरेन्द्र कुमार यादव / D.H.O	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	9412088404	01374-222143		dhouki2@gmail.com	[illegible]
48	महेन्द्र सिंह तोमर C.A.O.	कृषि	9412380321	01374-226057		caouki.agri2011@gmail.com	
49	रविन्द्र प्रसाद	[illegible]	9997103462			[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	राजस्व [illegible]	7579057405	—	—	—	[illegible]
51	[illegible]	—	9997003613	—	—	[illegible]	[illegible]
52	P.S. Bachhwan	A.O/CRA.	9410134613	—	—		[illegible]
53	[illegible] पंवार ADIO.	सूचना	7055007019	—	—	[illegible]	
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25—02—2017 एवं 06—03—2017 को जिला सभागार कक्ष, उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थिति :—

1— श्री ददनपाल पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2— श्री पी0एल0शाह, अपर जिलाधिकारी,उत्तरकाशी।
3— सुश्री नितिका खण्डेलवाल आई0ए0एस0 / उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी।
4— श्री रोहित मीणा, आई0ए0एस0, उप ज़िलामजिस्ट्रेट, बड़कोट।
5— श्री सौरभ असवाल, उप जिला मजिस्ट्रेट, भटवाड़ी।
6— श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी उप जिला मजिस्ट्रेट, पुरोला / बड़कोट।
7— श्री सन्दीप कुमार प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
8— श्री आर0एस0खाती अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 भटवाड़ी।
9— श्री बी0एन0 द्विवेदी, सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 बड़कोट।
10— श्री पी0एस0रावत, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला।
11— कु0 अमरजीत कोर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बड़कोट।
12— श्री पी0एस0 राना, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री।
13— श्री वी0एस0 पंवार प्रबन्धक, जी0एम0बी0एन0, उत्तरकाशी।
14— श्री जी0पी0 सिंह उप प्रभागीय बनाधिकारी, उत्तरकाशी।
15— श्री आई0डी0 नौटियाल, जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
16— श्री मनोज कुमार एस0पी0ओ0 उरेड़ा।
17— श्री आर0 एल0 रतूडी, अधिशासी अभियन्ता यूपीसीएल उत्तरकाशी ।
18 — श्री ए0के0यादव, 21बी0आर0टी0एफ0 (ग्रेफ), तेखला, उत्तरकाशी।
19— श्री आर0बी0 सिंह एस0डी0ओ0 वन विभाग, उत्तरकाशी।
20— श्री आई0एस0 नेगी, डी0एल0एम0, उत्तरकाशी।
21— श्री श्रवण कुमार उप प्रभागीय बनाधिकारी, नेशनल पार्क, गंगोत्री।
22— डा0 मेजर श्री बचन सिंह रावत, मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
23— श्री सीना सिंह, तहसीलदार भटवाडी ।
24— श्री ऐ0के0 जखमोला, सम्भागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी।
25— श्री कैलाश भट्ट डीपीएम, आईएलएसपी
26— श्री पलिक्षित भण्डारी सहायक परिवहन विभाग, उत्तरकाशी।
27— श्री एस0एल0आर्य, जिला पचांयत, उत्तरकाशी।
28— श्री सन्तोष कुमार बहुगुणा जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0 उत्तरकाशी।
29— श्री पी0बी0 सेमवाल, प्रन्धक, हर्षिल गढ़वाल मण्डल हर्षिल।
30— श्री राजपालसिंह रावत (अध्यक्ष), संयुक्त व्यवस्था बस यूनियन, उत्तरकाशी।
31— श्री सुशील कुमार कुरील अधिशासी अधिकारी नगर पालि0परिषद बाडाहाट।
32— श्री मानवेन्द्र सिंह, परियोजना प्रबन्धक गंगा ईकाई, उत्तरकाशी।
33— श्री विजय प्रताप सिंह भण्डार डी0ओ0 पी0आर0डी0, उत्तरकाशी।
34— श्री प्रेमलाल एडी डेयरी विकास उत्तरकाशी।
35— श्री हरिश सिंह प्रबन्धक, दुग्ध संघ मातली, उत्तरकाशी।
36— श्री धमेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रभारी सुलभ इन्टर नेशनल, शौचालय, उत्तरकाशी।
37— श्री एम0एस0 रावत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उत्तरकाशी।
38— श्री देवेन्द्र सिंह पटवाल आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
39— श्री के0एस0नेगी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
40— श्री एम0एस0तोमर जिला कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
41 श्री सी0एस0 रावत तहसीलदार / अधिशासी अधिकारी नं0पं0 नौगांव
42— श्री जयानन्द सेमवाल, सफाई निरीक्षक।
43— श्री धमेन्द्र कुमार रावत अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
44— श्री विशाल वर्मा, एस0डी0ओ0 बीएसएनएल0
45— श्री सुरेश नोटियाल, आर0ओ0 वन विभाग।
46— श्री आर0एस0 सजवान पोलिस विभाग।
47— श्री जे0पी0सेमवाल गंगोत्री मन्दिर
48-- श्री शैलेन्द्र मटूड़ा सचिव, होटल ऐशोसिऐशन, उत्तरकाशी।
49— श्री सुरेश सेमवाल, सचिव पुरोहित गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी।

क्रमांक—02—

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवृत्त

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगणों/जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये अवगत कराया गया कि दिनांक 28 अप्रैल 2017 से चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने जा रही है। यात्रा को सुचारू रूप से करवाना सभी विभागीय अधिकारियों का पूर्ण दायित्व है। अतः बैठक में जो भी निर्णय/निर्देश लिये जायेगें सभी अधिकारीगण उनका तत्परता से ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेगें। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, होटल ऐशोसिएशन के पदाधिकरियों, विभिन्न वाहन यूनियनों, मन्दिर समिति के पदाधिकारियों से भी अपेक्षा की गई कि वे चारधाम यात्रा के निर्बाध संचालन में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

नोडल अधिकारी की नियुक्ति

श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धामों के दोनो यात्रा मार्ग- चाहे बी0आर0ओ0 के हों अथवा लो0नि0विभाग का दोनो के लिए अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तरकाशी नोडल अधिकारी होगें। नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह यात्रा मार्गो के सम्बन्ध में अध्यावधिक सूचना अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगें। नोडल अधिकारी दोनो विभागों से चारधाम यात्रा के कपाट बन्द होने तक समन्वय स्थापित रखेगें। सम्बन्धित विभाग प्रतिदिन मार्गो की प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगें।

बी0आर0ओ0 एवं लो0नि0विभाग द्वारा यात्रा मार्गो पर सडक के किनारों पर पैराफिट/क्रेश बैरियर नहीं बनाये गये है। कतिपय स्थानों पर रिफ्लेक्टर भी नहीं लगाये गये है। जिसके कारण वाहनों के दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। बी0आर0ओ0/राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग के अधिकारी अपने-अपने मार्गो पर यात्रा के दृष्टिगत् डेंजर जोनों पर है पैराफिट/केश बैरियर लगाते हुये सड़क के मुख्य स्थानों पर साईन बोर्ड भी लगवायेगें।

साईन बोर्ड पर आपतकालीन सहायता केन्द्र का नाम, निकटतम चिकित्सालय, निकटतम पेट्रोल पम्प, निकटतम बैंक, होटल/रेस्ट्रोरेंट आदि सम्बधी सूचनाओं के साथ उनकी दूरी का भी स्पष्ट उल्लेख करेगें। जनपद के प्रवेश द्वार पर भी इनका उल्लेख किया जाय। जहॉ-जहॉ सडक मार्ग पर डाईवर्जन है वहां पर भी आवश्यक सूचनात्मक बोर्ड लगाये जाये। जनपद उत्तरकाशी गंगोत्री/यमुनोत्री धाम एवं जनपद उत्तरकाशी आगमन पर आपका स्वागत है। इसके साथ ही मॉ गंगा/मॉ यमुना की गोद में सभी तीर्थ यात्रियों का स्वागत है। अब आप मॉ गंगा/यमुना की गोद में है जो आपकी यात्रा मंगलमय करेगी। जैसे मार्मिक सूचना पट्ट लगाये जाय। मानसून अवधि में यात्रा मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में सम्बधित विभाग पूर्व तैयारी के दृष्टिगत संलग्न प्रारूप पर सूचना 10 दिन के अर्न्तगत उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगें।

***कार्यवाही सम्बधित विभाग/ अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0विभाग।

मार्ग व्यवस्था/डी0जी0बी0आर0

सीमा सड़क संगठन के अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश-धरासू, धरासू-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों के आवागमन के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मल्ला, भटवाड़ी के आगे गंगनानी, हेलगू गाड आदि स्थानों पर ब्लैक टोपिग का कार्य चल रहा है, जिसे यात्रा प्रारम्भ से पूर्व दिनांक 10 अप्रैल 2017 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग रतूड़ीसेरा, हीना, धरासू, लालढांग, गंगनानी आदि डेन्जर स्थानो पर अतिरिक्त मशीनो की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

उत्तरकाशी-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला के पास वर्षात में दल-दल हो जाता है। डुण्डा, बड़ेथी चुंगी के पास सड़क पर गढे हो रखे है, जिसपर बड़ी गाड़िया लोडेड वाहन फंस जाते है। बी0आर0ओ0 को निर्देश दिये कि मार्गो पर जहॉ-जहॉ गढ़े बने हुये है या अन्य तरह से खराव है उन स्थानों को चिन्हित कर साईनेज बोर्ड लगाये जायें व गढों को तत्काल भरा जाय।

***कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता लो0नि0विभाग/कमान अधिकारी बी0आर0ओ0

मार्ग व्यवस्था लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग

नैनबाग-बड़कोट यात्रा मार्ग पर कतिपय स्थानों पर पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिन्हे 10 अप्रैल तक हर हालत में पूर्ण कर लिया जाय। यात्रा मार्गो पर जगह-जगह गढ़े बने हुये है, जिन्हे यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व भर दिया जाय। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग अपने मार्गो की प्रगति आख्या अपने

कमांक-03-

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करते हुये कार्यवाही की प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तुत करेगें।

राष्ट्रीय राजमार्ग के अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैण्ड से आगे ए0डी0वी0 का ट्रक खड़ा है उनके द्वारा ट्रक को हटवाने का अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्बधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिये गये कि वे उक्त सम्बन्ध में निरीक्षण कर ट्रक हटवाये जाने की प्रभावी कार्यवाही करें। बड़कोट नौगांव मोटर मार्ग की स्थिति भी दयनीय है, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यात्रा मार्ग 10 अप्रैल 2017 तक यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व हर–हाल में ठीक कर लिये जायें।

अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देश दिये गये कि वे एक सप्ताह के अन्दर उक्त मार्गो को दुरस्त कर मार्गो को तथा सभी कमियो को तत्काल पूर्ण कर लें। सम्बधित उप जिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग यात्रा प्रारम्भ होन से पूर्व मार्ग का निरीक्षण करलें जहॉ पर कोई कमी दिखायी दे उसे तत्काल अपने स्तर से ठीक करवाकर एक सप्ताह के अर्न्तगत उक्त मार्ग का निरीक्षण कर आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

***कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता लो0नि0विभाग/कमान अधिकारी बी0आर0ओ0।

गंगोत्री–गौमुख पैदल मार्ग

गंगोत्री–गौमुख मार्ग का रख–रखाव वन विभाग के द्वारा किया जाता है। इस मार्ग की लम्बाई 18 कि0मी है। प्रभागीय बनाधिकारी, उत्तरकाशी यात्रा प्रारम्म होने से पूर्व इस मार्ग पर आये स्लिप की सफाई, क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत, क्षतिग्रस्त दीवालों की मरम्मत एवं मार्ग की सफाई आदि करते हुए मार्ग को व्यवस्थित करवायें। संवेदनशील स्थानों पर साईनेज भी लगवाये जायें। चूंकि इस मार्ग के अन्तर्गत पड़ने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र गंगोत्री नेशनल पार्क के अन्तर्गत आता है, अतः इस दृष्टि से इस मार्ग का रख–रखाव वन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। वन विभाग इस समबन्ध में अपने स्तर से कार्यवाही करें।

***कार्य0 वन विभाग, उत्तरकाशी/लो0नि0वि0 भटवाड़ी।

उत्तरकाशी–चौरगीखाल–धौन्तरी वैकल्पिक यात्रा मार्ग

टिहरी बॉध झील के प्रभाव में आने से गत आठ–दस वर्षो से उक्त मार्ग गंगोत्री से केदारनाथ–बद्रीनाथ जाने वाले पर्यटकों/यात्रियों के आने जाने हेतु प्रमुख यात्रा मार्ग का रूप ले रहा है। इस जनपद की सीमान्र्तगत धौन्तरी तक इस मार्ग का रख–रखाव निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उत्तरकशी द्वारा किया जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0भटवाड़ी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि यह मार्ग स्टेट हाईवें घोषित हो गया है। इस मार्ग को 15 अप्रैल तक पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करवा लें। मार्ग पर संवेदनशील स्थानो पर साईनेज, पैरापिट्स अविलम्ब ही बनवायें जाय। जिस स्थान पर मार्ग मरम्मत/विस्तारीकरण योग्य हो वहॉ का कार्य प्रत्येक दशा में 15 अप्रैल तक पूरा किया जायं।

***कार्य0 लो0नि0वि0 भटवाड़ी/उत्तरकाशी।

घोड़े पड़ाव का निर्माण

श्री यमुनोत्री धाम में घोड़े पड़ाव का निर्माण लो0नि0विभाग/जिला पंचायत के द्वारा किया जाता है। लो0नि0 विभाग के द्वारा श्री यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग का निर्माण किया जाता है। अतएव दोनो विभागो अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल 10 अप्रैल तक चारधाम यात्रा के कपाट खुलने से पूर्व मार्गो एवं घोड़े पड़ाव का निर्माण पूर्ण कर लें।

***कार्यवाही प्रभागीय बनाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0विभाग।

परिवहन व्यवस्था

यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में बसें संचालित करने का दायित्व सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का है। बैठक में उपस्थित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि यात्रा रूटों पर नये वाहनो को ही संचालित करने की अनुमति दी जाय। किसी भी दशा में पुराने वाहन यात्रा में न लगाये जॉय। वाहनों की भली–भॉति जॉच करने के उपरान्त ही उन्हे फिटनेश प्रमाण पत्र जारी किये जाय। जिन गाड़ियों को यात्रा पर लगया जायेगा उन्हे पूर्व वर्षो की भॉन्ति परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराये जायेगें। ग्रीनकार्ड निर्गत कराये जाने की व्यवस्था जिला

कमांक–04–

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

... से सुनिश्चित कराये जाने हेतु परिवहन आयुक्त का प्रस्ताव मुख्यालय पर स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में ... हेतु नियत स्थानों पर ... कार्यवाही ... प्रेषित किया जाय। यात्रा सीजन में वाहनों की नियमित चेकिंग हेतु [illegible] जो रात 8.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक खुली रहेगी।

इस बैठक में ... पर वाहनों की नियमित रूप से सघन चैकिंग कराई जानी सुनिश्चित की जाय। ... द्वारा अवगत कराया गया कि गंगोत्री यात्रा मार्ग पर वाहनों के ... आदि की चैकिंग ... बड़कोट चैक पोस्ट पर तथा यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर परिवहन विभाग की ... चैक पोस्ट पर की जाती है। यात्रा मार्ग पर जगह-जगह परिवहन विभाग के ... यात्रा सीजन में ... की चैकिंग की जाती है। निर्देश दिये गये कि यात्रा प्रारम्भ होने से 15 दिन पहले से ही राजस्व/पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी संयुक्त चैकिंग अभियान चलाकर वाहनों की चैकिंग सुनिश्चित करें। पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग ... का प्रयोग कर समय-समय पर वाहन चालकों की भी चैकिंग करते रहें ताकि कोई चालक शराब पीकर वाहन न चला सके तथा ऐसे मामले प्रकाश में आने पर सम्बन्धित दोषी चालक के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही अमल में लायी जा सके। यदि वाहन चलाते समय वाहन चालक मोबाईल से बात करते हुए या ईयरफोन लगाते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन को तत्काल सीज कर दिया जाय।

पुलिस/राजस्व पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जनपद में दो पहिया वाहनों के लिए हेलमेट का उपयोग सख्ती से लागू करवाया जाय। उक्त सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से भी निर्देश प्राप्त है। धार्मिक दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं/यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराया जाना जिला प्रशासन का प्रथम दायित्व है। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं कतिपय जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि टैक्सी/मैक्सी वाहन चालकों द्वारा पर्याप्त में यात्रा मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में गंगोत्री एवं यमुनोत्री में जाने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों से मनमाने ढंग से किराया वसूला जाता है। इस सम्बन्ध में सहायक परिवहन अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व पुलिस विभाग को कड़े निर्देश दिये गये कि वे प्रत्येक सप्ताह वाहनों की संयुक्त रूप से चैकिंग करें और चैकिंग के दौरान ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक एवं किराये से अधिक वसूलने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। प्रत्येक यात्रा वाहन में वाहन में किराये की सूची बड़े-बड़े अक्षरों में चस्पा करवाये जाने के भी निर्देश दिये गये। प्रायः यमुनोत्री में पार्किंग किराये दरों में वृद्धि होने की शिकायतें प्राप्त होती है, इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी बड़कोट एवं सहायक परिवहन अधिकारी दोनों पक्षों की बैठक कराये तथा सहमति की दशा में किराये की दरों में भी कार्यवाही करें।

वाहनों के आवागमन हेतु समय सीमा का निर्धारण

शासन के निर्देशानुसार यात्रा मार्गो पर वाहनों के आवागमन हेतु पूर्व की भाँति प्रातः 5.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। अतः वाहनों का संचालन उक्त नियत समयान्तर्गत ही सुनिश्चित करवाया जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में गंगोत्री व जानकीचट्टी से भी वाहनों के चलने का समय निर्धारित किया गया। जिसमें गंगोत्री से सांय 6.00 बजे एवं जानकीचट्टी से बड़कोट की ओर सांय 6.00 बजे तक वाहनों का चलने का समय नियत किया गया।

पुलिस व्यवस्था

यात्राकाल के दौरान मार्गो पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम हेतु जानकीचट्टी एवं यमुनोत्री में चौकियाँ बनाई जाय। पुलिस अधीक्षक ने बैठक में अवगत कराया कि यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त स्थानों पर अस्थायी चौकियाँ स्थापित करवा ली जायेगी। निर्देश दिये गये कि उक्त अस्थाई चौकियों सहित दोनो धामों एवं यात्रा मार्गो पर पर्याप्त संख्या में पुलिस/होमगार्ड/पी0आर0डी0के जवानों को तैनात किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम में स्नान घाटो/कुण्डो में भी पुलिस/होमगार्ड/पी0आर0डी0 स्वयंसेवकों को तैनात किया जाय, ताकि स्नानघाटों पर चोरी आदि की घटनाऐं न होने पायें।

श्री यमुनोत्री एवं गंगोत्री मन्दिर परिसर में सक्रिय पुलिस कर्मी तैनात किये जाय तथा इन्हे दर्शन व्यवस्था चुस्त-दुरस्त बनाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाय। तैनात पुलिस कर्मी मंदिर समिति के पदाधिकारियों/सेवकों से भी सुचारू दर्शन व्यवस्था हेतु समन्वय रखेगें।

क्रमांक-05-

जिलाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

उत्तरकाशी / बड़कोट नगर क्षेत्र यमुनोत्री में भी ट्रेफिक एवं पुलिस व्यवस्था का सुदृढ बनाये जाने के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये गये।

गंगोत्री स्नानघाटों पर सिंचाई विभाग द्वारा अनांउसमेंन्ट सिस्टम लगाया जायेगा। घाटों पर भी इस आशय के साईन बोर्ड लगवाये जाय कि नदी का बहाव तेज है, सावधानी बरते। नदी में प्रवेश न करें, केवल लोटे या जग से जल भरकर ही स्नान करें। सिंचाई विभाग नदी पर तत्काल लोहे की चैन आदि भी लगवा ले। पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि यात्रा मार्गो पर गत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जायेगा। पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिये गये कि सवेंदनशील मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से एक–एक पुलिस कान्स्टेबल की तैनाती की जाय। यदि पुलिस कान्स्टेवलों की कमी हो तो होमगार्ड की तैनाती की जाय। यात्रा के दौरान यात्रा वाहनों को 8.00 बजे रात्रि के बाद चलने की अनुमति न दी जाय। यात्राकाल के समय ट्रेफिक व्यवस्था पूर्णतः दुरस्त करली जाय।-

***कार्यवाही पुलिस अधीक्षक / सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।

चिकित्सा व्यवस्था

मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में चिकित्सकों की कमी है फिर भी गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों मे चिकित्सकों की तैनाती गत वर्षो की भॉन्ति इस वर्ष भी पूरी रहेगी। गंगोत्री एवं यमुनोत्री में पुर्याप्त दवाई एवं आक्सीजन सिलेण्डरों की व्यवस्था है। इस पर उप जिलाधिकारी बडकोट के द्वारा अवगत कराया गया कि यमुनोत्री में जाने वाले वयस्क यात्रियों की हार्ट अटैक से मौते होती है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे **श्री यमुनोत्री धाम में प्रवेश करने वाले यात्रियों जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो अथवा जो किसी बिमारी से पीड़ित हो का स्वास्थ परीक्षण भी अवश्य करवा लिया जाय।**

मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे समय–समय पर यात्रा मार्गो, होटलो पर उप जिलाधिकारी के साथ सयुंक्त रूप से जॉच करे कि बाजार में कतिपय मेडिकल स्टोरो पर एक्सपायर हो चुकी दावाईयां तो नहीं विकय की जा रही है। यदि कोई दवॉईयॉ ऐक्सपायर डेट की पायी जाती है तो सम्बन्धित सेल्स मैन / विकेता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें ताकि विकेताओं पर अंकुश लगाया जा सकें।

***कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।

सफाई व्यवस्था

जनपद अर्न्तगत यात्रा मार्गो पर नगर पालिका परिषद बाड़ाहाहट–उत्तरकाशी / बड़कोट / नगर पंचायत, गंगोत्री / चिन्यालीसौड़ / नौगांव एवं जिला पंचायत स्थित है। बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री एवं जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि वे यात्रा सीजन में विशेषकर नगर क्षेत्रान्र्तगत सफाई की सुचारू व्यवस्था करते हुए जगह–जगह उचित स्थानों पर अतिरक्त जैविक / अजैविक कूड़ेदान स्थापित करें व मूत्रालयों एवं शौचालयें की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए इनमे सफाई एवं पानी की आपूर्ति आदि का विशेष ध्यान रखे। सभी निकायों को निर्देशित किया गया है कि वे चूने का ज्यादा प्रयोग करें। शहर के अर्न्तगत जगह–जगह प्रत्येक दिन चूने का छिडकाव करें। उत्तरकाशी नगर क्षेत्रान्र्तगत स्थित विभिन्न स्नानघाटों की यात्रा सीजन में विशेष सफाई व्यवस्था रखी जाय।

गंगोत्री धाम में सफाई व्यवस्था नगर पंचातय, गंगोत्री की जाती है। अधिशासी अधिकारी, नगर पंयायत, गंगोत्री उक्त धाम में सफाई व्यवस्था यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व ही ठीक कर लें तथा यहॉ पर स्थित निकाय के सुलभ शौचालयों को तत्काल व्यवस्थित करवालें। सभी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि वे यात्रा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में सफाई कमियों की तैनाती करवालें। जिला पंचायत, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये गये कि वे गंगोत्री में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री के मुख्य द्वार से गंगाघाट तक सफाई व्यवस्था दूरस्त रखे एवं गगोंत्री में टाईलेट एवं बाथरूम को साफ–सुथरा रखना सुनिश्चित करें। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री को निर्देश दिये गये कि यदि धामों पर किसी भी प्रकार की गन्दगी पाई जाती है तो सम्बधित अधिशासी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

कमांक--06--

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया कि यात्रा मार्गो पर सुलभ के माध्यम से बनाये गये टायलेट एवं बाथरूम को यात्रा शुरू होने से पूर्व दुरस्त करे तथा यात्रा मार्गो पर साफ-सफाई आदि की समुचित व्यवस्थायें करवाना सुनिश्चित करें।

यमुनोत्री धाम में सफाई व्यवस्था तथा कुली, डण्डी-कण्डी, घोड़े-खच्चरों आदि की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जाती है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत यमुनोत्री धाम में प्रीपेड काउन्टर लगायेगें। जिसमें जिला पंचायत धनराशि प्राप्त करेगें तथा सम्बधित कुली, डण्डी-कण्डी व घोड़े खच्चरों के स्वामियों उक्त प्रीपेड कार्ड जिला पंचायत को वापस करने पर ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। श्री यमुनोत्री धाम में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को घोड़े-खच्चर लाने एवं ले जाने की अनुमति नहीं दी जाय। साथ ही घोड़े-खच्चरों के मालिकों को तीर्थ यात्रियों को गतंव्य स्थान तक सुरक्षित लाने व लेजाने के निर्देश दिये जायें। अक्सर यह भी शिकायत प्राप्त हुई है घोड़े खच्चरों के मालिकों द्वारा घोड़ो का दौड़ाया जाता है जिससे तीर्थ यात्रियों के गिरने का खतरा बना रहता है। यह स्थिति उचित नहीं है इससे आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटक भयभीत हो जाते है। जिन पर नियंत्रण रखना जिला पंचायत एवं पुलिस विभाग का दायित्व है।

अक्सर यह भी शिकायते प्राप्त होती है कि डण्डी-कण्डी एवं घोड़े खच्चरों में श्री यमुनोत्री धाम लाने एवं लेजाने में निर्धारित रेट से अधिक किराया वसूला जाता है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी जिला पचांयत को निर्देश दिये जाते है कि अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निगरानी रखे तथा घोड़े-खच्चरों डण्डी-कण्डी, आदि के रेट निर्धारित कर उक्त स्थानो पर चस्पा करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पचांयत की होगी। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत डंण्डी, कण्डी, घोड़े खच्चरों के रेटों का निर्धारण आचार संहिता के पश्चात शीघ्र करें।

***कार्य0 समस्त अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधि0 जि0पं0/जिला पर्य0 विकास अधि0

खाद्यान्न कैरोसीन एवं गैस आपूर्ति

जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि आगामी चारधाम यात्रा को मध्ये नजर रखते हुये गंगोत्री एवं यमुनोत्री के खाद्यान गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न कैरोसीन ऑयल गैस सिलेण्डरों आदि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। यदि जनपद में खाद्यान की कमी हो तो तद्नुसार प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से शासन को प्रेषित करें। इसके अतिरिक्त मानसून अवधि में मार्ग अवरूद्ध होने की स्थिति में यात्रियों के लिए सशुल्क निर्धारित दामों पर भोजन व्यवस्था आदि की योजना भी बनाई जाय। आपदा की स्थिति इस कार्य हेतु स्वयं सहायता समूहों को भी चिन्हित कर लिया जाय।

***कार्य0 जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी

पेयजल व्यवस्था

जनपद में जलापूर्ति की व्यवस्था संस्थान द्वारा की जाती है। अक्सर शिकायतें प्राप्त होती है कि जल संस्थान के द्वारा पानी के टैंक खुले रखे रखे जाते है। पानी के टैंक खुले रहने के कारण पानी दूषित हो जाता है। जिसके कारण बीमारियों की फैलने की आंशका बनी रहती है। अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को कडे निर्देश दिये गये कि वे यात्रा प्रारंम्भ होने से पूर्व पानी की टंकियों/टैकों पर ढक्कन लगाते हुये टैंकों की साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार दवाईयों का प्रयोग करें।

अधिशासी अभियन्ता को यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद में विभाग द्वारा कितने हैण्ड पंम्प/स्टैंण्ड पोस्ट निर्मित किये गये है। उनमें कमांक/स्थान अंकित कर सूची तैयार कर कार्ययोजना में सम्मिलित करेगें। उक्त हैण्ड पम्पों मे कितने चालू हालत में तथा कितने खराब है, खराब हैण्ड पम्पों को तत्काल ठीक करवाकर हैण्ड पंम्पों पर नम्बरिंग आदि कारवाकर सूची तत्काल अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

***कार्यवाही अधि0अभियंता जल संस्थान, उत्तरकाशी

विद्युत व्यवस्था

अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं परियोजना प्रबन्धक उरेड़ा यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत लाईनों को ठीक करवाकर दोना धामो में विद्युत आपूर्ति सुचारू करना सुनिश्चत करें। गत वर्ष चारधाम यात्रा

कमांक-07

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

के दौरान विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई थी। गंगोत्री एवं यमुनोत्री में 02–03 माह विद्युत आपूर्ति वाधित रही है। इस सम्बध में दोनो विभागो के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चारधाम यात्रा के दौरान यदि विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं रही तो सम्बधित अभियन्ता की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सी0एफ0एल0 बल्व एवं स्ट्रीट लाईट लगाये गये है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं परियोजना प्रबन्धक उरेड़ा यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व एक बार विद्युत लाईनों का ठीक से निरीक्षण करलें। यदि कहीं पर विद्युत फाल्ट पाया जाता है तो उसे तुरन्त दुरस्त कर लिया जाय।

***कार्य0अधि0अभि0 विद्युत वित्तरण खण्ड/परि0प्रबन्धक उरेड़ा उत्तरकाशी।

पर्यटन व्यवस्था

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण स्थानो पर सूचना पट्ट लगाये जाय। ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न न हो। एन0एच0/बी0आर0ओ0 एवं परिवहन विभाग भी यह सुनिश्चित कर लें कि जहॉ पर मोटर मार्गो पर साईन बोर्ड की आवश्यकता है। उन स्थानों पर सुरक्षा हेतु साईन बोर्ड लगायें जाय। प्रबन्धक गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वे निरीक्षण भवन/गेस्ट एवं हाऊस आदि का स्वयं निरीक्षण कर लें कि गेस्ट हाऊस पर बिछे विस्तर ठीक है अथवा नहीं। उन्हे तत्काल साफ–सफाई की दृष्टि से अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाय।

***कार्य0 समस्त प्रबन्धक गढ़0 मण्डल विकास निगम/ जिला पर्यटन विकास अधि0।

आपदा प्रबन्धन व्यवस्था

विगत यात्रा के दौरान भीषण वर्षा होने/भूस्खलन होने के कारण यात्रा मार्ग जगह–जगह पर कई दिनों तक अवरूद्ध रहे। ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर बी0आर0ओ को उन्हे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये। मार्ग के अवरूद्ध होने की स्थिति में यात्री अनावश्यक रूप से कई दिनों तक यात्रा मार्गो में फसें रहते है तथा भूस्खलन वाले स्थानों पर यात्रियों की अनियंत्रित भीड़ जुट जाती है। यात्रा के लिए अभी एक माह शेष है। जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

आवासीय व्यवस्था

गंगोत्री एवं यमुनोत्री यात्रा मार्गो पर पड़ने वाले गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पर्यटक आवास गृहों, होटालों एवं विभिन्न धर्मशालाओं को यात्रा सीजन में सुव्यवस्थित करवाये जाने हेतु गढ़वाल मण्डल विकास निगम के प्रतिनिधों को निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वे तत्काल ही यात्रा मार्गो पर स्थित गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अवास गृहों/होटलों/धर्मशालाओं में प्रदत्त सुविधाओं एवं इनके अनुरक्षण आदि से सम्बन्धी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लें। तद्नुसार अपनी आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। ग0मं0वि0नि0 के सभी आवास गृहों, होटलों एवं धर्मशालाओ पर किराये की सूची आवश्यक रूप से चस्पा करवाना एवं यात्रियों हेतु सुरक्षा आदि सम्बन्धी आवश्यक उपयोग निर्देश भी सभी आवास गृहों/होटालों/धर्मशालाओं मे लगवायें ।

इसके अतिरिक्त यात्रा मार्गो सहित जनपद में स्थित सभी होटल मालिकों द्वारा सराय एक्ट 1967 के अधीन रजिस्ट्रेशन किया गया है या नहीं ? कितने ऐसे होटल हैं जिनके द्वारा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी इसकी सूची अविलम्ब ही इस कार्यालय को उपलब्ध करवा दें साथ ही सभी होटल मालिकों को कड़े निर्देश जारी करें। कि वह अपने होटल का पंजीकरण सराय एक्ट के अर्न्तगत विधिवत रूप से अपने सब डिवीजन में करवा दें। पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी द्वारा बैठक में अपेक्षा की गई कि पहले होटलों के रेट निर्धारित किये जायें। तत्पश्चात रेट लिस्ट प्रिन्ट करवाकर होटलों मे चस्पा करवायें। सभी उप जिलाधिकारी अपने कार्य क्षेत्रार्न्तगत स्थित गढवाल मण्डल विकास निगम के आवास गृहों एव होटलों/रेस्टोरेंटों का समय–समय पर निरीक्षण भी करते रहें।

***कार्य0 समस्त उप जिलाधिकारी/क्षेत्रीय जिला पर्यटन अधि0/ प्रबन्धक गं0म0वि0नि उत्तरकाशी/बड़कोट।

क्रमांक–08–

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

गौमुख जाने को सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारम्भ

निर्देश दिये गये है कि गौमुख जाने की अनुमति से लेकर गंगोत्री नेशनल पार्क, इनर लाइन नेलाग वेली में घूमने या फिर पुलिस सत्यापन करवाने के लिए पर्यटकों को अब अलग-अलग विभागों भटकना नही पडेगा। पर्यटको की सुविधाओं को देखते हुये जिला प्रशासन ने अब इन सब औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है।

एक अप्रैल 2017 से इस पकिया को ट्रायल पर चलाने की योजना है। जिलें में दो राष्ट्रीय पार्क गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और गोविंद वन्य जीव विहार है। इसके अलावा भारत-चीन सीमा पर इनर लाइन नेलाग और जादुग वेली है, जहॉ हर साल पर्यटक और यात्री जाते है। लेकिन इन स्थानों में प्रवेश करने के लिए यात्रियो और पर्यटको को औपचारिकतायें पूरी करने के लिए प्रशासन में अलग--अलग विभागों से अनुमति लेकर विशेष पास बनवाने पडते हैं।

इसमे पर्यटको को जानकारी के अभाव में कई दिन तक कार्यालयों के चक्कर काटने पडते है इसमे विशेष तौर पर गौमुख जाने के लिए लोगों को कई दिन तक अपनी बारी का इंतजार करना पडता है क्योकि उक्त स्थानो पर सिर्फ 150 लोग ही एक दिन में गौमुख जा पाते है। लेकिन अब इन सभी प्रकार की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

जिसके तहत जिला प्रशासन की वेबसाईट पर एक क्लिक से तमाम प्रकार की अनुमति के लिए कोई भी पर्यटक या यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। प्रकिया के तहत रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाईन ली जायेगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले पर्यटक को उत्तरकाशी कलक्ट्रेट में आकर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या बताना होगा। कलक्ट्रेट में सिंगल विंडो के तहत एक कार्यालय होगा जहॉ वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के एक-एक कर्मचारी बैठेगें।

जहॉ कर्मचारी संम्बधित रजिस्ट्रेशन का प्रिन्ट आउट निकाल कर पर्यटक को देगा तत्पश्चात वह पर्यटक अपने गंतब्य के लिए आगें बढ़ेगा। सिंगल बिंडों सिस्टम के तहत विदेशी नागरिकों के पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। जिसमें पुलिस वैरिफिकेशन के लिए यात्रियों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। एक अप्रैल से सिंगल विंडो सिस्टम को ट्रायल के तौर पर शुरू किया जायेगा तत्पश्चात आगे जारी रखने की योजना है।

***कार्य0 राजस्व विभाग/पुलिस विभाग/वन विभाग

निरीक्षण भवनो/मार्गो का निरीक्षण

जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे स्वयं यात्रा मार्गो का निरीक्षण करते हुये अपने क्षेत्रार्न्तगत लो0नि0वि0, फॉरेस्ट एवं जीएनबीएन के निरीक्षण भवनो का निरीक्षण करते हुये उनमे पाई गयी कमियों को सम्बधित विभाग से पूर्ण करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट 10 दिन अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगें।

***कार्यवाही उप जिलाधिकारी/भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट

बायौमट्रिक पंजीकरण

जिला पर्यटन विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद मे दो स्थानों पर श्री यमुनोत्री में बडकोट दोबाटा के पास एवं गंगोत्री में ग्राम हीना में यात्रियों का बायोमैट्रिक पंजीकरण किया जाता है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उक्त पंजीकरण से सम्बधित संस्था को इस कार्यालय में बुलाकर अधोहस्ताक्षरी से बार्ता करवायें।

***कार्य0 जिला पर्यटन विकास अधिकारी

श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री में पार्किग स्थल पर सी0सी0टी0बी0 कैमरे लगाये जायेगें

गंगोत्री यमनोत्री धामों में इस बार पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। जिसमें अराजकतत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा गंगोत्री मन्दिर परिसर में एलईडी स्कीन लगाने के भी निर्देश दिये गये। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर गंगोत्री मन्दिर समिति और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम में बिजली, पेयजल,

कमांक-09-

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

सडक, शौचालय चेजिंग रूम एवं दूरसंचार व्यवस्थाओं की जानकारी मन्दिर समिति के पदाधिकारियों से ली।

उन्होने कहा कि यात्रा सीजन से पहले सभी व्यवस्थायें दुरूस्त कर ली जाएगीं। उन्होंने वताया कि लंका व भैरवघाटी में पेयजल एवं गंगोत्री से गौमुख वाले ट्रैक मार्ग पर बीएडीपी के तहत शीघ्र ही पुल बनाये जायेंगें। गंगोत्री में गंगा मैया की दैनिक आरती का लाइव प्रसारण करवाने के लिए मन्दिर समिति के पदाधिकारियों को भी प्रसारण चैनलों के साथ समन्वय स्थापित कर वार्ता करने को कहा गया। गंगोत्री मन्दिर परिसर को वाई–फाई सेवा से जोड़ने के भी निर्देश दिये गये हैं। जिले में यात्रा पडाव शुरू होने से लेकर जगह–जगह साइन बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिये गये।

***कार्य0 मन्दिर समिति/पुलिस विभाग

जलोनी लकड़ी की व्यवस्था

श्री गंगोत्री धाम में जलोनी लकड़ी की व्यवस्था बन निगम, उत्तरकाशी एवं यमुनोत्री में प्रभागीय बनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा सुनिश्चित की जाती है। लौगिंग प्रबन्धक, वन निगम, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया कि वे श्री गंगोत्री धाम में पर्याप्त जलोनी लकड़ी की व्यवस्था कपाट खुलने से पूर्व सुनिश्चित कर लें। प्रभागीय बनाधिकारी बड़कोट यात्रा सीजन में आवश्यक रूप से लकड़ी के टाल स्थापित करवा दें। इसी प्रकार गंगोत्री में भी लकड़ी के टाल में पर्याप्त लकड़ी की व्यस्था की जाय।

गंगोत्री में घाटों का निर्माण

गंगोत्री में सिंचाई विभाग द्वारा स्नानघाटों का निर्माण किया जाता है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, खण्ड, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये कि वह तत्काल ही घाटों का निर्माण करवायें। गंगोत्री में स्नानघाटों पर लोहे की चैन 20 अप्रैल तक लगवा लें। गंगोत्री में स्नानघाटों पर सिंचाई विभाग एलाउन्समेट भी लगवा लें तथा घाटों पर इस आशय के साईन बोर्ड भी लगवाये जाय कि नदी का बहाव अत्यन्त तेज है, सावधानी बरते, नदी में प्रवेश न करें, केवल लोटे या जग से नदी से जल भरकर ही स्नान करें।

अन्त में सभी विभागों से अपेक्षा की गई कि वे 15 दिन के अर्न्तगत अपने विभाग से सम्बधित यात्रा व्यवस्था कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें। धन्यवाद सहित बैठक का समापन करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गई वह बैठक में लिये गये निर्णय का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेगें तथा जो कार्य यात्रा मार्गो पर प्रारम्भ किये जाने है, उन्हे शीघ्र ही प्रारम्भ कर यदि किसी स्तर से कोई अनुमोदन प्राप्त करना हो तो अविलम्ब ही प्राप्त करलें।

(डा0 आशीष कुमार श्रीवास्तव),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2836 /34– 04 (2016–17) दिनांक 10 मार्च 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– आयुक्त, महोदय गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– सर्व सम्बन्धितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 18 जुलाई, 2016 को मा0 संसदीय सचिव, ऊर्जा एवं नियोजन/विधान सभा सदस्य, गंगोत्री की अध्यक्षता व जिलाधिकारी की उपस्थिति में गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आपदा पूर्व तैयारी तथा प्राकृतिक आपदा से हुयी क्षति के परिपेक्ष्य में राहत-बचाव कार्यो की समीक्षा के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति-

1. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
3. तहसीलदार, भटवाड़ी।
4. डिप्टी कलक्टर/प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
5. जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
9. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम, उत्तरकाशी।
11. खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी।
12. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
13. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, उत्तरकाशी।
14. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
15. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
17. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
18. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
19. परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, उत्तरकाशी।
20. अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
21. जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
22. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
23. सहायक अभियंता, ए0डी0बी0, आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
24. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
25. सहायक अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
26. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

सर्वप्रथम मा0 संसदीय सचिव, ऊर्जा एवं नियोजन/विधान सभा सदस्य, गंगोत्री द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के क्षेत्रान्तर्गत में प्राकृतिक आपदा से निजी तथा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को हुयी क्षति तथा प्रभावितों में वितरित राहत सहायता के सम्बन्ध में विवरण प्राप्त किया गया। तत्पश्चात आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही से अवगत हुये। समीक्षा बैठक के दौरान मा0 संसदीय सचिव द्वारा आपदा राहत कार्यो के सम्बन्ध में निम्न प्रकार निर्देश दिये गये तथा सुझाव रखे गये हैं।

Scanned with OKEN Scanner

1. <u>मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह सहायता का वितरण</u>- उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी ने अवगत कराया है कि तहसील भटवाड़ी व डुण्डा में प्राकृतिक आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों व घायल व्यक्तियों को अनुमन्य अनुग्रह सहायता का वितरण किया जा चुका है। उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी ने यह भी अवगत कराया है कि आपदा मे मृत व लापता पशुओं के स्वामियों को अनुमन्य अनुग्रह सहायता तथा सभी प्रभावितों को अनुमन्य अहेतुक सहायता एवं भवन क्षतिग्रस्त स्वामियों को राहत सहायता का वितरण किया जा चुका है। तहसील भटवाड़ी के अन्तर्गत 01 व्यक्ति की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने तथा 01 व्यक्ति घायल होने पर जो मूल रूप से नेपाल के निवासी है भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अधीन मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि अनुमन्य न होने पर उन्हें राहत सहायता का वितरण नही किया गया। इस सम्बन्ध में मा0 संसदीय सचिव द्वारा निर्देश दिये गये है कि इस प्रकार का प्रकरण जनपद देहरादून की तहसील त्यूनी अन्तर्गत प्रकाश में आया है वहाँ पर मृतक नेपाली होने पर उनके आश्रितों को जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुग्रह राशि का वितरण किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, देहरादून से स्थिति स्पष्ठ की जाय, ताकि तद्नुसार जनपद उत्तरकाशी में मृतक नेपाली मूल के आश्रितों को अनुमन्य अनुग्रह राशि वितरण किये जाने की कार्यवाही की जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा वर्ष 2016-17 की मानसून अवधि में निजी सम्पत्तियों को हुयी क्षति के लिए अहेतुक सहायता एवं गृह अनुदान मद में राहत सहायता के मानकों में वृद्धि की गयी है। अतः सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार बढ़े हुये मानकों के आधार पर राहत सहायता वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2. <u>क्षतिग्रस्त गोशाला/छानी हेतु गृह अनुदान सहायता का वितरण</u>- बैठक में संज्ञान में लाया गया है कि जनपद में काश्तकारों के पशुओं हेतु आवासीय भवनों से दूर गौशाला/छानियाँ निर्मित है, जिनमें से कतिपय छानियाँ प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुयी है, किन्तु भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार भवन से जुड़ी गोशाला के क्षतिग्रस्त होने पर ही गृह अनुदान (राहत सहायता) अनुमन्य है, फलस्वरूप ऐसे प्रभावित काश्तकारों को गोशाला/छानी की क्षति होने पर गृह अनुदान वितरित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रकरणों में गोशाला/छानी की मरम्मत मनरेगा योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु नियमानुसार प्रस्ताव जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इससे पूर्व जनपद के सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ऐसे प्रभावित परिवारों की सूची जिला विकास अधिकारी, उत्तरकाशी को एक सप्ताह अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. <u>क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य</u>- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से 2020 तक के लिए प्राकृतिक आपदा से क्षति के सम्बन्ध में राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी निर्गत गाईडलाईन के अनुसार प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त प्राईमरी विद्यालय भवनो की मरम्मत किया जाना अनुमन्य है। माध्यमिक विद्यालय भवन उक्त गाईडलाईन से आच्छादित नहीं होते है। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि जनपद में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सभी प्राथमिक विद्यालयों की सूची तथा वरियता के आधार पर उनके मरम्मत पर होने वाले अनुमानित व्यय से शीघ्र जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों का मरम्मत/पुर्ननिर्माण का कार्य शीघ्र किये जाने के उद्देश्य से जनपद में ग्रामीण निर्माण विभाग के अतिरिक्त लो0नि0वि0 तथा सिंचाई विभाग के अवस्थापना खण्ड से पुर्ननिर्माण करवाया जाय। इस सम्बन्ध में मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी से

Scanned with OKEN Scanner

प्राप्त क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की सूची के आधार पर उक्त विभागों को विद्यालय भवनों का मरम्मत कार्य आबंटित किया जायेगा।

4. <u>क्षतिग्रस्त पैदल मार्गो तथा पुलिया मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य</u>– मा0 संसदीय सचिव द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है कि गंगोत्री विधान सभा के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा से अस्सीगंगा घाटी के दूरस्थ स्थिति ग्राम तथा जौड़ाव, पिंलग आदि ग्राम सर्वाधिक प्रभावित है। इन ग्रामों के आवागमन के मार्ग अवरूद्व होने के कारण जनमानस को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्देश दिये गये है कि अगोड़ा जाने वाले पैदल मार्ग का निर्माण वन विभाग, उत्तरकाशी तथा अस्सीगंगा पर पैदल पुल का निर्माण अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, भटवाड़ी शीघ्र करेंगे। इस मार्ग के बनने से जहाँ एक ओर अगोड़ा, दन्दालका, भंकोली आदि ग्रामों का आवागमन सुलभ होगा वहीं दूसरी ओर वन विभाग का ट्रैक रूट ट्रैकिंग हेतु उपयोगी साबित होगा। उपरोक्त मार्ग/पुल निर्माण के कार्य जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित/स्वीकृत किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त अस्सीगंगा घाटी के ग्रामों तथा पिंलग, जौड़ाव आदि दूरस्थ ग्रामों में प्राकृतिक आपदा से हुयी विभागीय क्षति का आंकलन तथा मरम्मत/पुर्ननिर्माण का प्रस्ताव सम्बन्धित विभाग शीघ्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। मा0 संसदीय सचिव द्वारा प्रस्ताव रखा है कि पिंलग तथा जौडाव दूरस्थ ग्रामों में हुयी क्षति के सर्वेक्षण हेतु खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी तथा तहसीलदार, भटवाड़ी ग्रामों का भ्रमण करेंगे तथा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सुझावों के साथ शीघ्रातिशीघ्र जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। पिंलग तथा जौड़ाव के आवागमन का मार्ग बनाया जाना आवश्यक है। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग शीघ्र करेंगे। मार्ग के मरम्मत/पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में गठित आंगणन की धनराशि आपदा राहत मद के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी।

5. <u>क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं का मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य</u>– बैठक में अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं में पेयजल सुचारू कर दिया गया है। तिलोथ तथा जोशियाड़ा के नागरिकों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुचारू न रहने की शिकायतें की जा रही है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, जल संस्थान को निर्देशित किया गया है कि उक्त कस्बों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य पेयजल योजनाओं से जोड़ने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय, तथा विभाग की पेयजल योजनाओं से सभी को शुद्व पेयजल की आपूर्ति किये जाने के प्रयास किये जायें।

6. <u>विद्युत आपूर्ति</u>– बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि आपदा से ब्लॉक भटवाड़ी तथा डुण्डा के कतिपय ग्रामों में विद्युत आपूर्ति बाधित हुयी है, जिसे नियमित सुचारू करने की कार्यवाही गतिमान है। ब्लॉक भटवाड़ी के ग्राम पिंलग तथा ब्लॉक डुण्डा के ग्राम कंवा में अभी भी विद्युत आपूर्ति बाधित है, इन ग्रामों में शीघ्र विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे है। अधिशासी अभियंता द्वारा जनपद के लिए 07 ट्रान्सफार्मो की नितान्त आवश्यकता बतायी है। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये गये है कि वे तत्काल जनपद की मांग को अपने उच्चाधिकारियों तथा जिलाधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। मा0 संसदीय सचिव द्वारा निर्देश दिये गये है कि ग्राम संग्राली, पाटा, पिंलग, जौडाव तथा अस्सीगंगा घाटी प्रभावित ग्रामों में उरेड़ा विभाग पात्र परिवारों में प्रकाश व्यवस्था हेतु लालटेन आदि वितरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। संज्ञान में आया है कि

Scanned with OKEN Scanner

मार्गों के पुर्नस्थापना/मरम्मत कार्य के अन्तर्गत ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0 को गंगोत्री विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 04 महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्ग आंबटित हैं, किन्तु ए0डी0बी0 द्वारा मार्गों में किये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता की शिकायत आये दिन आम जनता तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होती रहती है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। मा0 संसदीय सचिव द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में आपदा निर्माण कार्यो हेतु गठित तकनीकी समिति द्वारा ए0डी0बी0 के कार्यो का तत्काल निरीक्षण करवाया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता निम्न पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही हेतु शासन को लिखा जाय। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 तकनीकी समिति के साथ रहेंगे। तकनीकी समिति कार्यो के गुणवत्ता लाने में आवश्यक सुझाव भी प्रस्तुत करेंगी। उपरोक्त के अतिरिक्त तिलोथ पुल से बड़ेथी-गंगोरी बाईपास मार्ग पर मसीहा दिलासा स्कूल का मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर अवस्थित गड्डों को भरने तथा अन्य आवश्यक मरम्मत कार्य अधिशासी अभियंता, लो0नि0वि0, भटवाडी तत्काल प्रारम्भ करेंगे।

10. <u>आपदा की स्थिति में वैकल्पिक मार्गो का निर्माण</u> – भारी वर्षा/भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग आये दिन अवरूद्व रहता है। विशेषकर धरासू बैण्ड में नालूपानी स्थान पर, मनेरी के नजदीक, सैंज, भटवाड़ी तथा गंगनानी आदि स्थानों पर मार्ग कई दिनों तक अवरूद्व रहने की स्थिति में यात्रियों तथा आम जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी तथा अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उक्त स्थानों पर वैकल्पिक पैदल मार्ग निर्माण हेतु शीघ्र प्रस्ताव/आंगणन गठित कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाय। अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 3726 /तेरह-आ0प्र0प्राधि0/2016 दिनांक- 19 जुलाई, 2016

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 संसदीय सचिव, ऊर्जा एवं नियोजन/विधान सभा सदस्य, गंगोत्री क्षेत्र।
2. उपरोक्त सम्बन्धित समस्त अधिकारीगण।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला।
3. तहसीलदार, भटवाड़ी/डुण्डा/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला/मोरी।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

ATTENDENCE SHEET
Uttarkashi Disaster Management Authority

Programme/ Meeting: Disaster Management Authority.
Venue: Collectorate Meeting Hall, Uttarkashi.
Date: 25-06-2016.

S. N.	Name	Designation, Dept.	Contact No. Office	Contact No. Mobil	Contact No. WhatsApp	E-mail ID	Sign.
1							
2							
3	ASHOK PANDEY	ADM, Revenue	Collectorate	7500988789	7500988789	adm.uttarkashi@gmail.com	[signature]
4	Jaywardhan Sharma	DC	Collectorate	9410502195	9410502155		[signature]
5	विजय नाथ शुक्ल	SDM Dunda	SDM office Dunda	9411337474	9411337474	sdmdunda@gmail.com	[signature]
6	K.K. Singh	SDM Purola		9458133527	9458133527		[signature]
7	Dr. [illegible] Kanwar	CMO UK	[illegible] (CMO)	9412078233	9837704145	cmo.uttarkashi@gmail.com	[signature]
8	R. S. Rawat	D.O.I.C / DIC/MDM	Education	9412997453	7895312090	—	[signature]
9	C. S. Rawat	Tahsildar Dunda	Revenue	9411185808			[signature]

Scanned with OKEN Scanner

S. N.	Name	Designation, Dept.	Contact No. Office	Mobil	WhatsApp	E-mail ID	Sign.
10	Poonam Pant	Tehsildaar		9760275578	—	[illegible] @rediffmail.com	[signature]
11	P.S. PANWAR	E.E. I.D. UKI	01374-222131	9412057326		[illegible] @gmail.com	[signature]
12	Vikram Singh	R.K		9410930689			[signature]
13	Brij mohan Nautiyal	Fire officer	01374-222201	9456153086			[signature]
14	Insp Anil Kumar	NDRF	0120-2766618	9412221056			[signature]
15	Sub Insp Vijay Kumar	—	—	9412221063			[signature]
16	Asst Sub Insp Akhilesh	~~Akhilesh~~ —	—	9456740545			[signature]
17	Uday Singh	R.K	—	9410522150			[signature]
18	यशवीर सैंह	Tehsildar mori	01373-~~24~~ 234323	7579057125			[signature]
19	Ashutosh K	EE ADB(UEAP) PWD Uttarkashi		9411717077			[signature]
20	D.S. Bagri	AE RWD		9412134500			[signature]
21	[illegible]	SDRF	—	9410965785			[signature]
22	Surendra Singh	SDRF	-	9410373020			[signature]

S. N.	Name	Designation, Dept.	Contact No. Office	Mobil	WhatsApp	E-mail ID	Sign.
23	Gaurav Saklani	EE, UPCL (Hydel)		9412077671	9412077671	saklani.gaurav@gmail.com	[signature]
24	Lt Col A K Roy	BRO		7755911855	7755911855	alokroy0001@yahoo.com	[signature]
25	Dr P.S. Rawat.	Second-in Command 12th Bn ITBP. Matli	Second in Comm 12th Bn ITBP	9411103612	9650858402	dpsrawat@hotmail.com	[signature]
26	I, M.S. Kaoas	DGM (CM-B) Maneri	UJVNL	9456590456	9411129532	dgmcmbv@gmail.com	[signature]
27	BABUCOOL	S.D.O. Forest	Forest	9837401401	9837401401	babusijual@gmail.com	[signature]
28	Virendra Singh	E.E.	Jal Sansthan	9411103041			[signature]
29	R.S. Khatri	E.E.	P.D. P.W.D Bhatwari	9411384150	9411384150.	eepwdbhatwari@rediffmail.com	[signature]
30	Jagmohan Singh Rawat	J.A.	Homeguards	9456736653	-	dcuttarkashi@gmail.com	[signature]
31	Satyendra Panwar	Social worker	Jaadi Sansthan (हिमालय लोक वर्ग-वर्ग संस्थान)	9897359999			[signature]
32	Sushil Kumar Kewal	Executive Officer	Nagar Palika Parishad, U.K	9412409827		nagarpalikauki@gmail.com	[signature]
33	S.P. Gupta	EE	Jal Nigam	7830500817	7830500817	eeuttarkashi@yahoo.co.in	[signature]
34	Ajay Panwar	Coordinator SDMA	Doda/Uttarkashi	9458144935	9458144935	ajaypanwar.p@gmail.com	[signature]
35	Harish Bhapola	EE	UJVN Ltd	9456590408	9456590408	harishbhapola@gmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

S. N.	Name	Designation, Dept.	Contact No. Office	Mobil	WhatsApp	E-mail ID	Sign.
36	SANJAY JOSHI	DGM	01374-222187	9456590147	9456590147	dgmlvpem.ujvnl@gmail.com	
37	Dhirendra Singh	RKS, Tehsil Joshiyara	01374-222207	9411521794	—	dhirendrakumar@gmail.com	
38	Kishor Singh	Headclerk	DOPRD Uttarkashi	9410199266	—	Rajkumarsingh 388@yahoo.com	
39	A. K. Jaiswal	ARTO	-	9917267391	—	arto.utt.nic.in	
40	RAMESH CHAND	EE, World Bank Uki	~~World Bank~~ 01374222007	9758927827	"	execramesh@gmail.com	
41	वकील सिंह चौहान	तहसीलदार (पुरोला)	—	9412019075		"	
42	[illegible]	नायब तहसीलदार उप तहसील धौंतरी	01371242221	9412140413	—	—	
43	[illegible]	[illegible]	-	9458129284	-	—	
44	गुणानन्द शर्मा	अधिशासी अभियन्ता अनु० एवं अनु० खण्ड, उत्तरकाशी	01374222715	9412969795	—	eeiidukie@gmail.com	
45	मुकेश चन्द रमोला	तहसीलदार कार्यालय		9760974908	—		
46	C.S. Rathour	D.P.R.O.	01374222327	9410776089	—	DPRO UKI @gmail.com	
47	K.S. Negi	DTDO, Tourism	01374-223130	9412320157		dtdouki5@gmail.com	
48	Brahm Chand	DIO	7085007019	-			

49 V.S. Rawat Naib Tahsildar 9411331611

50 Ravi Lal Shah A-O(E) Nostiyal (CDO) 9456792447

51

Uttarkashi Disaster management Authority.

51	[illegible]	ACRM	[illegible]		[signature]
52	K.S. Kohli	DSO	7088115020	dso.uttarakhand@gmail.com	[signature]
53.	मनमोहन सिंह	सहायक अभियन्ता	9410752985	pdpwduki@yahoo.com	[signature]
54.	नरेन्द्र यादव	जिला उद्यान अधिकारी / जिला समाज कल्याण अ०	9412088404	dhoukiz@gmail.com	[signature]
55 -	डा० [illegible] चन्द्र कर्नाटक	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी	9719473770	karnatakdc@gmail.com	[signature]
56	[illegible]	AE/PD DRDA	9412405534	[illegible]@gmail.com	[signature]
57.	रणजीत कुमार	Ass. off. CAO	9411380884	ldm.uttarakhand@sbi.co.in	[signature]
58	[illegible] पंवार	राजस्व कानूनगो अधिकारी	9412922862	—	[signature]
59	[illegible] चौहान	राजि० कानूनगो [illegible]	9411384258	—	[signature]
60	[illegible]	R.K. [illegible]	8476013741	[illegible]	[signature]
61	मंगल मोहन	[illegible]	9639469693	-	[signature]
62	[illegible]	R.K. [illegible]	9412138615	—	[signature]
63	[illegible]	J.A. (UREDA)	9410170055	ureda-uki@yahoo.in	[signature]
64	[illegible] परियोजना [illegible]	[illegible]	9634061481	dpmu_uki@rediffmail.com	[signature]
65	Sandeep Uniyal	President Renuka Samiti	9410532030	Renuka.samiti@gmail.com	[signature]
66	Y.P.S. Kapoor	K.S.S.A./CAO	9456197769	cao.[illegible]@gmail	[signature]

दिनांक 25 जून, 2016 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डी0डी0एम0ए0 तथा विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय नोडल अधिकारियों के साथ आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति–

1. मा0 जिला पंचायत अध्यक्षा, उत्तरकाशी।
2. अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
5. अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
6. कमान अधिकारी, सीमा सड़क संगठन, उत्तरकाशी।
7. द्वितीय कमान अधिकारी, आई0टी0बी0पी0, मातली, उत्तरकाशी।
8. प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
9. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
10. उपजिलाधिकारी, बड़कोट/पुरोला।
11. उपजिलाधिकारी, डुण्डा
12. उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
13. तहसीलदार, पुरोला।
14. तहसीलदार, डुण्डा।
15. तहसीलदार, बड़कोट।
16. तहसीलदार, चिन्यालीसौड़।
17. तहसीलदार, मोरी।
18. नायब तहसीलदार, जोशियाड़ा।
19. नायब तहसीलदार, भटवाड़ी।
20. नायब तहसीलदार, धौन्तरी।
21. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी ।
22. अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
23. अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।
24. अधिशासी अभियंता, यू0पी0सी0एल0, उत्तरकाशी।
25. उप महाप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
26. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
27. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
28. अधिशासी अभियंता, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
29. अधिशासी अभियंता, जल निगम, उत्तरकाशी।
30. उप महाप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0एल0, मनेरी।
31. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
32. अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
33. अधिशासी अभियंता, अनुरक्षण एवं अनुसंधान खण्ड, उत्तरकाशी।
34. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी।
35. जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
36. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी ।

Scanned with OKEN Scanner

37 जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
38. सहायक अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
39. जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
40. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
41. सहायक अभियंता, डी0आर0डी0ए0, उत्तरकाशी।
42. सहायक लीड बैंक अधिकारी, उत्तरकाशी।
43. कनिष्ठ अभियंता, उरेड़ा।
44. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, उत्तरकाशी।
45. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
46. सहायक अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
47. प्रतिनिधि, एन0डी0आर0एफ0 हाल-कैम्प, उत्तरकाशी।
48. प्रतिनिधि, एस0डी0आर0एफ0 हाल-कैम्प, उत्तरकाशी।
49. प्रतिनिधि मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
50. मुख्य राजस्व लेखाकार, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
51. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित मा0 जिला पंचायत अध्यक्षा तथा विभागीय अधिकारियों का स्वागत करते हुये बैठक प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात जनपद की भौगोलिक स्थिति के आधार पर भूकम्प तथा अन्य आपदाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा आपदा प्रबन्धन विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत न किये जाने वाले विभागों के नाम बताये गये। उसके बाद विभागीय कार्ययोजना में क्या-क्या सम्मिलित किया जाना है के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण में मुख्य बिन्दुओं को उजागर करते हुये सभी कार्यालयाध्क्षों से बिन्दुओं को सम्मिलित करने की अपेक्षा की गयी है। जिन विभागों से विभागीय कार्ययोजना प्राप्त हो चुकी है, किन्तु कार्ययोजना में विभागीय भागीदारी से सम्बन्धित बिन्दु उजागर नहीं किये गये हैं, तो ऐसे प्रकरणों में आपदा प्रबन्धन अधिकारी विभागीय बिन्दुओं को उजागर करते हुये सम्बन्धित विभाग से अतिरिक्त सूचना एकत्र करना सुनिश्चित करेंगे।

1. <u>विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण</u>- दिनांक 15 जून से मानसून अवधि प्रारम्भ हो चुकी है, और अभी तक विभागीय कार्ययोजना न बनाया जाना गम्भीर बात है। विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विभागों से प्राप्त न होने के कारण जनपद का प्लान बनाने में विलम्ब हो रहा है। अवशेष सभी कार्यालयाध्क्ष दिनांक 30.06.2016 तक विभागीय कार्ययोजना तैयार कर जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)

2. <u>आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना</u>- आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में आहुत गत बैठक दिनांक 07.06.2016 को सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारियों को तहसील मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना करने तथा कन्ट्रोल रूम में तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित किये जाने निर्देश दिये गये थे, किन्तु किसी भी तहसीलों से मानसून अवधि के लिए कन्ट्रोल रूम की

Scanned with OKEN Scanner

स्थापना किये जाने की सूचना नहीं दी गयी है। अतः तत्काल प्रभाव से तहसील मुख्यालय पर आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना करते हुये कन्ट्रोल रूम का दूरभाष/मोबाईल नम्बर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करायी जाय। कन्ट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए एक निर्देशिका रखी जाय, जिसमें कन्ट्रोल रूम के कार्यो का विवरण तथा सूचना के आदान-प्रदान किये जाने का विवरण उल्लिखित हो।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

3. <u>सड़क मार्ग</u>- आपदा की स्थिति में मोटर मार्गो के संवेदनशील स्थलों पर वैकल्पिक मोटर मार्ग/पैदल मार्ग का अभी से चिन्हिकरण कर लिया जाय। उक्त कार्य लो0नि0वि0, सीमा सड़क संगठन, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी तथा पुलिस विभाग आपस में समन्वय करते हुये सूची तैयार कर एक प्रति अपने पास रखते हुये सूची जिलाधिकारी को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही-समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/बी0आर0ओ0/उपजिलाधिकारी)

4. <u>तहसील स्तर पर राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों में समन्वय</u>- तहसील स्तर पर आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में करवायी जाय। आपदा न्यूनीकरण के सम्बन्ध में बिन्दु चिन्हित किये जायें, जिन्हें सभी विभागीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय। बैठक में चिन्हित बिन्दुओं पर चर्चा की जाय, तथा परिणाम से जिलाधिकारी को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध करायी जाय। आपदा की स्थिति हैलीपैड के पास सुरक्षित स्थान जहाँ पर भण्डारण की व्यवस्था सम्भव हो का चिन्हिकरण किया जाय। इसके अतिरिक्त मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में सुरक्षित मार्ग का चिन्हिकरण लो0नि0वि0/उपजिलाधिकारी/पुलिस विभाग आपस में समन्वय करते हुये कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/पुलिस विभाग/उपजिलाधिकारी)

5. <u>सम्भावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण</u>- गत बैठक में निर्देश दिये गये थे कि मानसून अवधि में गाड़-गदेरे/नालों के किनारे बसी आबादी को आपदा के दृष्टिगत सचेत करने के उद्देश्य से जो भवन अत्यधिक खतरे की जद में उन पर लाल स्याही का चिन्ह लगाते हुये चिन्हिकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाय। ऐसे सभी परिवारों की सूची बना ली जाय जो सम्भावित खतरे की जद में हों, तथा उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित करने का कार्य प्रारम्भ कर लिया जाय, जिसकी सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जानी थी, किन्तु सम्बन्धितों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। यह गम्भीर स्थिति है। पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि पूर्व निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वाँछित सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

6. <u>खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति</u>- जिला पूर्ति अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की स्थानीय स्तर पर दर निर्धारण कर सूची आपदा प्रबन्धन प्राधिकारण को शीघ्र उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों/ग्रामों में तीन माह का अग्रिम खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते हुये सूचना जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। **(कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी/उप जिलाधिकारी)**

Scanned with OKEN Scanner

7. <u>आकस्मिक चिकित्सा सेवा</u>- मानसूनकाल के लिए जनपद में सभी चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक मात्रा में औषधियों की उपलब्धता रहनी नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी निरन्तर समीक्षा करते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही- मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)

8. <u>संचार सेवा</u>- बैठक में दूरसंचार विभाग के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुये। विभागीय अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय। इसके अतिरिक्त विभाग से आपदा की स्थिति में दूरसंचार व्यवस्था को सुचारू रखने के सम्बन्ध में विभागीय कार्ययोजना की प्रति तत्काल प्राप्त कर ली जाय।

(कार्यवाही- जे०टी०ओ०, बी०एस०एन०एल०, उत्तरकाशी)

09. <u>आपदा संकटग्रस्त ग्रामों का विस्थापन</u>- तहसीलदारों से संवेदनशील ग्रामों/परिवारों जिन्हें पुर्नवासित किया जाना है की सूची मांगी गयी थी। तहसीलदार पुरोला/मोरी से तहसील के अधिकतर ग्रामों को संवेदनशील श्रेणी में रखते हुये सूची प्रेषित की गयी है। किस आधार पर ग्रामों/परिवारों का चिन्हिकरण किया गया। किसी ग्राम/परिवार को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किया जाना भू-वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर ही प्रमाणिक है। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ठ की जाय। अतः वास्तविक रूप से संवेदनशील ग्रामों/पात्र परिवारों जिनका विस्थापन किया जाना अपरिहार्य हो उनकी सूची तैयार कर शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार)

उपरोक्त के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत निम्न प्रकार निर्देश दिये जाते हैं-

(i) आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत पूर्व में प्रचलित सेवन डेस्क सिस्टम के स्थान पर आई०आर०एस० सिस्टम लागू किया गया है। आई०आर०एस० सिस्टम के अन्तर्गत आपदा की स्थिति में तहसील स्तर पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी स्वतः ही कार्यवाही में आ जायेंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में पूरा आई०आर०एस० सिस्टम कार्यशील होगा, जिसके अन्तर्गत घायलों का उपचार, गम्भीर घायलों को 108 सेवा तथा एम्बुलेन्स से हायर सेन्टर को भेजना, मलवा आदि में फंसे लोगों को निकालने का कार्य सर्वप्रथम किया जाना है। आपदा की स्थिति में जनपद स्तर पर राहत बचाव कार्यो के सम्बन्ध में पड़ोसी जनपदों से भी समन्वय स्थापित करना तथा सेना, आई०टी०बी०पी०, एन०डी०आर०एफ०, एस०डी०आर०एफ० तथा पुलिस से सामग्री, कार्मिक आदि की मांग की जाय। आपदा प्रबन्धन अधिकारी आई०आर०एस० के मॉडल को सभी कार्यालयाध्यक्षों तथा तहसीलदार/उपजिलाधिकारियों को उपलब्ध करायेंगे। तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी आई०आर०एस० के प्रमुख है, जिनके निर्देशन में तहसील स्तर पर उपरोक्त कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

(ii) शासन द्वारा आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत/विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु शासन से कम धनराशि स्वीकृत है। स्वीकृत धनराशि से प्रथम चरण में आपदा की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामों/विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करवाया जाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला विकास

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी ग्रामवार/विद्यालयवार रोस्टर बनाकर आपदा प्रबन्धन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(iii) आपदा घटित होने पर प्रेस ब्रिफींग करने हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी तथा तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी नामित किये जाते हैं। अन्य विभागीय अधिकारी आपदा के परिपेक्ष्य में प्रेस ब्रिफींग के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

(iv) जनपद में सेना, सीमा सड़क संगठन, आई0टी0बी0पी0 तथा पुलिस के पास उपलब्ध कार्मिकों, टैन्टेज, मशीनरी, चिकित्सक, औषधी, ट्रक, गाड़ी तथा साजो सामान आदि की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाय।

(v) आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना जिन विभागों से प्राप्त नहीं हुयी है, सम्बन्धित विभाग बिन्दुवार कार्ययोजना तैयार कर तत्काल आपदा प्रबन्धन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। विभागीय कार्ययोजना को सभी महत्वपूर्ण विभागों में सेयर किया जाय।

(vi) जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपदा से क्षति को कम करना है। इस सम्बन्ध में गाड़-गदेरों/नदियों के नजदीक अवस्थित बस्ती में संवेदनशील स्थलों पर स्थिति भवनों में लाल रंग का चिन्ह लगाते हुये सम्बन्धित भवन स्वामी को नोटिस के माध्यम से सर्तक किया जाय।

(vii) आपदा की स्थित में दूरस्थ स्थानों पर सामग्री को सुरक्षित रखना, पहंच मार्गो का विकल्प खोजते हुये वैकल्पिक मार्गो का चिन्हिकरण का कार्य सम्बन्धित उपजिाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

(viii) जनपद की सभी नगर निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत शरणालयों का तथा ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायतराज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चिन्हिकरण करते हुये सूची उपजिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

(ix) जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के वट्सएप ग्रुप में सभी विभागीय अधिकारी, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 आवश्यक जुडेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 3676/तेरह-आ0प्र0प्राधि0/2016 दिनांक- 27 जून, 2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपरोक्त समस्त अधिकारीगण।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला।
3. तहसीलदार, भटवाड़ी/डुण्डा/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला/मोरी।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 07 जून, 2016 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के साथ आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति–

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/प्रभारी अधिकारी।
3. उपजिलाधिकारी, बड़कोट।
4. उपजिलाधिकारी, डुण्डा
5. डिप्टी कलक्टर, जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
6. उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।
9. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चिन्यालीसौड़।
10. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।
11. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला।
12. अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड, जल संस्थान, उत्तरकाशी।
13. अधिशासी अभियंता, जल निगम, उत्तरकाशी।
14. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण एवं अनुरक्षण गंगा प्रदूषण नियंत्रण, उत्तरकाशी।
15. तहसीलदार, भटवाड़ी।
16. तहसीलदार, डुण्डा।
17. तहसीलदार, बड़कोट।
18. नायब तहसीलदार, चिन्यालीसौड़।
19. खण्ड विकास अधिकारी, भटवाड़ी।
20. खण्ड विकास अधिकारी, चिन्यालीसौड़।
21. खण्ड विकास अधिकारी, नौगांव।
22. खण्ड विकास अधिकारी, पुरोला।
23. खण्ड विकास अधिकारी, मोरी।
24. खण्ड विकास अधिकारी, डुण्डा।
25. जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
26. परियोजना प्रबन्धक, स्वजल, उत्तरकाशी।
27. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।
28. मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी।
29. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
30 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बड़कोट।
31. उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला।
32. अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
33. अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी।
34. उप प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
35. उप निदेशक, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी।
36. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
37 परियोजना अधिकारी, उरेड़ा, उत्तरकाशी।
38. सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, बड़कोट।

Scanned with OKEN Scanner

39. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, उत्तरकाशी।
40. जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
41. कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी।
42. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी।
43. जिला उद्यान अधिकारी, उत्तरकाशी।
44. मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तरकाशी।
45. अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तरकाशी।
46. सहायक अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी।
47. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

सर्वप्रथम वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 में आपदा राहत मद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत/पुर्ननिर्माण हेतु कार्यदायी संस्था/विभागों को अवमुक्त धनराशि के उपभोग से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा की गयी। अधिकतर प्रकरणों में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगभग तीन व दो वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर भी कार्ययोजनावार धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर एवं वित्तीय अनियमितता का ध्योतक है। विभागवार प्रस्तुत विवरण के अनुसार अधिकतर कार्ययोजनाओं के लिए दो से पांच लाख तक की धनराशि अवमुक्त होने पर भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्था अविलम्ब सम्बन्धित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुये विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे। मुख्य राजस्व लेखाकार द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015–16 में दैवी आपदा मद में स्वीकृत धनराशि का आबंटन माह मार्च 2016 में किया गया। सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा अवगत कराया गया है कि धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में आबंटन होने के कारण क्षतिग्रस्त स्वीकृत कार्ययोजनाओं में मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्य गतिमान है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि क्षतिग्रस्त स्वीकृत सभी कार्ययोजनाओं को वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्ण कर लिये जाये, तथा कोई भी कार्ययोजना बैकलॉग की स्थिति में न आने पाय। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें कार्य पूर्ण करने हेतु यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कार्ययोजनाओं में कार्य पूर्ण होने के तत्काल बाद स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाय। योजनावार बचत धनराशि शासन को समर्पित करने हेतु तत्काल उपलब्ध करायी जाय।

सभी कार्यदायी संस्थायें आपदा राहत कोष के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से वर्तमान में गतिमान मरम्मत/पुर्ननिर्माण कार्यो का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे जिसमे कार्ययोजना का नाम, स्वीकृति का वर्ष, स्वीकृत धनराशि, व्यय की गयी धनराशि, बचत धनराशि तथा कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। उक्त की समीक्षा के सम्बन्ध में पृथक से बैठक आहुत की जायेगी।

(कार्यवाही–समस्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें)

1. इन्सीडेन्ट रिसपोन्स सिस्टम (आई0आर0एस0)– आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध में पूर्व में संचालित सेवन डेस्क सिस्टम के स्थान पर शासन द्वारा राज्य तथा जनपद स्तर पर इन्सीडेन्ट रिसपोन्स सिस्टम (आई0आर0एस0) लागू कर दिया गया है। अवगत कराया गया है कि जनपद स्तर पर उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकारियों को नामित करते

हुये उन्हें कार्य सौपे गये है, तथा अवगत कराया गया है कि आई0आर0एस0 सिस्टम का विवरण सभी कार्यालयाध्यक्षों को ई-मेल/वट्सएप से उपलब्ध कराया गया है। जनपद में आपदा की स्थिति में उक्त सिस्टम स्वतः ही कार्यशील हो जायेगा। अतः सभी विभागीय अधिकारियों को आई0आर0एस0 सिस्टम का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। जिन अधिकारियों को आई0आर0एस0 सिस्टम का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है वे आपदा प्रबन्धन अधिकारी से प्राप्त कर लेवें, तथा सभी कार्यालयाध्यक्ष आई0आर0एस0 सिस्टम के विवरण की प्रति गार्ड फाईल (रक्षण पत्रावली) में रक्षित किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण शासनादेशों को भी गार्ड फाईल में सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, जिसका जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही-समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी)

2. **<u>विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण</u>**- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुसार जनपद में प्रत्येक विभाग, संस्थान, निकाय को विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकास/निर्माण किया जाना प्राविधानित है। अतः इस सम्बन्ध में सभी कार्यालयाध्यक्ष विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करते हुये इसकी एक प्रति ई-मेल/हार्ड कॉपी में सात दिन अन्दर आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबन्धन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सभी विभागों से आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना प्राप्त करते हुये इसका संकलित विवरण तैयार कर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)

3. **<u>आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना</u>**- आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में आपदा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा कन्ट्रोल रूम की स्थापना अपने विभागों किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। उक्त कन्ट्रोल रूम से वास्तविकता के आधार पर कोई भी सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। आपदा की दृष्टि से प्रत्येक तहसील में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम तहसील मुख्यालय पर स्थापित किया जाय, जिसमें एक टेलीफोन तथा एक मोबाईल फोन रखा जाय। सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम की स्थापना शीघ्र करते हुये कन्ट्रोल रूम में तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाय। कन्ट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष/मोबाईल फोन का नम्बर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाय। कन्ट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए एक निर्देशिका रखी जाय, जिसमें कन्ट्रोल रूम के कार्यो का विवरण तथा सूचना के आदान-प्रदान किये जाने का विवरण उल्लिखित हो।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

4. **<u>सड़क मार्ग/विद्युत/पेयजल व्यवस्था</u>**- जनपद में मुख्य रूप से मानसून अवधि में यातायात मार्गो के अवरूद्व होने की घटना प्रकाश में आती है। अतः इस सम्बन्ध में जनपद में लोक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियंता तथा कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन अवरूद्व मार्गो को तत्काल यातायात हेतु खोले जाने के लिए कार्यवाही

Scanned with OKEN Scanner

हुये उन्हें कार्य सौंपे गये है, तथा अवगत कराया गया है कि आई0आर0एस0 सिस्टम का विवरण सभी कार्यालयाध्यक्षों को ई-मेल/वट्सएप से उपलब्ध कराया गया है। जनपद में आपदा की स्थिति में उक्त सिस्टम स्वतः ही कार्यशील हो जायेगा। अतः सभी विभागीय अधिकारियों को आई0आर0एस0 सिस्टम का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है। जिन अधिकारियों को आई0आर0एस0 सिस्टम का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है वे आपदा प्रबन्धन अधिकारी से प्राप्त कर लेवें, तथा सभी कार्यालयाध्यक्ष आई0आर0एस0 सिस्टम के विवरण की प्रति गार्ड फाईल (रक्षण पत्रावली) में रक्षित किया जाय। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण शासनादेशों को भी गार्ड फाईल में सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, जिसका जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा।

(कार्यवाही-समस्त कार्यालयाध्यक्ष, जनपद उत्तरकाशी)

2. <u>विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का निर्माण</u>- आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अनुसार जनपद में प्रत्येक विभाग, संस्थान, निकाय को विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना का विकास/निर्माण किया जाना प्राविधानित है। अतः इस सम्बन्ध में सभी कार्यालयाध्यक्ष विभागीय आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना विकसित करते हुये इसकी एक प्रति ई-मेल/हार्ड कॉपी में सात दिन अन्दर आपदा प्रबन्धन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। आपदा प्रबन्धन अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सभी विभागों से आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना प्राप्त करते हुये इसका संकलित विवरण तैयार कर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त कार्यालयाध्यक्ष/आपदा प्रबन्धन अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी)

3. <u>आपदा कन्ट्रोल रूम की स्थापना</u>- आपदा प्रबन्धन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में आपदा के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग के खण्डों द्वारा कन्ट्रोल रूम की स्थापना अपने विभागों किये जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। उक्त कन्ट्रोल रूम से वास्तविकता के आधार पर कोई भी सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र (कन्ट्रोल रूम) को उपलब्ध नहीं करायी जाती है। आपदा की दृष्टि से प्रत्येक तहसील में एक सेन्ट्रल कन्ट्रोल रूम तहसील मुख्यालय पर स्थापित किया जाय, जिसमें एक टेलीफोन तथा एक मोबाईल फोन रखा जाय। सभी तहसीलदार/उपजिलाधिकारी कन्ट्रोल रूम की स्थापना शीघ्र करते हुये कन्ट्रोल रूम में तहसील स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों की शिफ्टवार तैनाती सुनिश्चित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपताकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करायी जाय। कन्ट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष/मोबाईल फोन का नम्बर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराये जाय। कन्ट्रोल रूम में तैनात सभी अधिकारी/कर्मचारियों के लिए एक निर्देशिका रखी जाय, जिसमें कन्ट्रोल रूम के कार्यो का विवरण तथा सूचना के आदान-प्रदान किये जाने का विवरण उल्लिखित हो।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

4. <u>सड़क मार्ग/विद्युत/पेयजल व्यवस्था</u>- जनपद में मुख्य रूप से मानसून अवधि में यातायात मार्गो के अवरूद्व होने की घटना प्रकाश में आती है। अतः इस सम्बन्ध में जनपद में लोक निर्माण विभाग के सभी अधिशासी अभियंता तथा कमाण्डर, सीमा सड़क संगठन अवरूद्व मार्गो को तत्काल यातायात हेतु खोले जाने के लिए कार्यवाही

Scanned with OKEN Scanner

अमल में लाते हुये मार्ग अवरूद्ध होने तथा खोले जाने की सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी, सम्बधित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी तथा जिलाधिकारी को वट्सएप/ई-मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु अधिशासी अभियंता अपने अधिनस्थ सहायक अभियंता/कनिष्ट अभियंता को नामित कर लेवें। अवरूद्ध मार्गो को खोलने के लिए विभागीय एवं निजी मशीनों का विवरण सभी अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग तैयार कर ले तथा इसकी सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय। जनपद में निजी मशीनरी होल्डर्स तथा उनके ऑपरेटरों के सम्पर्क नम्बर के साथ हायर की गयी मशीनरी का विवरण भी उपरोक्तानुसार उपलब्ध करायेंगे। हायर की गयी मशीनरी द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित लॉग बुक भरा जाना नितान्त आवश्यक है। लॉग बुक के सत्यापन की कार्यवाही उपजिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों करेंगे। इस हेतु उपजिलाधिकारी अपने अधिनस्थ नायब तहसीलदार/राजस्व निरीक्षक/राजस्व उपनिरीक्षक से आख्या प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त अवरूद्ध मार्गो के खोले जाने का प्रतिदिन का मेजरमेन्ट कर लॉग बुक में सत्यापन के बाद अधिशासी अभियंता हस्ताक्षर करते हुये सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के सत्यापन के उपरान्त साप्तहिक रिपोर्ट जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र/जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनों तथा विद्युत लाईनों की मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों से सत्यापन की आख्या रखी जाय। पेयजल आपूर्ति किसी भी स्थिति में एक दिन से अधिक की अवधि के लिए बाधित न रहे इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, उत्तरकाशी ठोस कार्ययोजना विकसित करना सुनिश्चित करेंगे। जनपद में स्वजल विभाग की क्षतिग्रस्त योजनाओं का सत्यापन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी करेंगे, जिसकी आख्या उपलब्ध होने पर क्षतिग्रस्त योजनाओं के मरम्मत हेतु धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग तथा पेयजल विभाग आपदा के दौरान उन्हें आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता को मध्यजनर रखते हुये आवश्यक उपकरणों यथा जे0सी0बी0, पोकलेन, क्रेन, पेयजल टैंकर, जनसेट, टैण्ट आदि उपकरण/सामग्री की किराये की दरें स्थानीय स्तर पर निर्धारित करते हुये इसकी सूचना जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को स्वीकृत हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही-समस्त अधि0अभि0, लो0नि0वि0/जल संस्थान/विद्युत वितरणखण्ड/बी0आर0ओ0/तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

5. <u>तहसील स्तर पर राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों में समन्वय</u>- मानसून अवधि को दृष्टिगत करते हुये तहसील स्तर पर उपलिाधिकारी 15 दिन के अन्तराल में तहसील स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमे विभागीय समस्याओं का समाधान किया जायेगा। यह प्रक्रिया मानसून अवधि तक निरन्तर रहेगी।

(कार्यवाही-समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

6. <u>सम्भावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण</u>- मानसून अवधि में गाड़-गदेरे/नालों के किनारे बसी आबादी को आपदा के दृष्टिगत सचेत करने के उद्‌देश्य से जो भवन अत्यधिक खतरे की जद में उन पर लाल स्याही का चिन्ह लगाते हुये चिन्हिकरण का कार्य प्रारम्भ किया जाय। ऐसे सभी परिवारों की सूची बना ली जाय

Scanned with OKEN Scanner

जो सम्भावित खतरे की जद में हों, तथा उन्हें नोटिस के माध्यम से सूचित करने क कार्य अभी से प्रारम्भ कर लिया जाय।

(कार्यवाही–समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी)

7. <u>खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति</u>– मानसून अवधि को दृष्टिगत करते हुये जनपद में पूर्व वर्षो में आयी आपदा के अनुभव के आधार पर ऐसे क्षेत्रों/ग्रामों में अग्रिम तीन माह का खाद्यान्न का भण्डारण तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थलों जहॉ पर सड़क मार्ग/पैदल मार्ग लम्बी अवधि के लिए अवरूद्व होने की स्थिति में रसोई गैस, मिट्टी तेल, चीनी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी आवश्यकतानुसार भण्डरण करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही– जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी)

8. <u>आकस्मिक चिकित्सा सेवा</u>– मानसूनकाल के लिए जनपद में सभी चिकित्सालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक मात्रा में औषधियों की उपलब्धता रहनी नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी निरन्तर समीक्षा करते हुये व्यवस्थायें सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी)

9. <u>संचार सेवा</u>– गत वर्षो में आपदा के अनुभवों के आधार पर सर्वाधिक अवरोध संचार व्यवस्था से हुयी है। अतः संचार सेवा को सुचारू रखने हेतु आवश्यक मात्रा में जनरेटर/पैट्रोल, डीजल आदि की व्यवस्था रखी जाय। इसके अतिरिक्त संचार सेवा लम्बी अवधि तक बाधित रहने की स्थिति में टावर टू टावर कनक्टविटी किये जाने की व्यवस्था दूर संचार विभाग सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही– जे0टी0ओ0, बी0एस0एन0एल0, उत्तरकाशी)

10. <u>आपदा संकटग्रस्त ग्रामों का विस्थापन</u>– जनपद में आपदा से अत्यन्त संवेदनशील 11 ग्रामों को चिन्हित किया गया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापन हेतु भूमि का चिन्हिकरण करते हुये स्थल का शीघ्रातिशीघ्र भू–गर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाय। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्धारित पुनर्वास नीति के आधार पर निर्धारित 30 बिन्दुओं की आख्या/अभिलेख तैयार करते हुये आख्या शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही–समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारी/मुख्य राजस्व लेखाकार)

सभी कार्यालयाध्यक्ष कार्य प्रणाली में पारर्दशिता लाते हुये टीम भावना से कार्य करेंगे। बैठक में उपरोक्त दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह प्रयास किये जायें कि आम जनमानस से किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो और इसके लिए अविनव प्रयास किये जायें। राज्य आपदा मोचन निधि तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के मानकों का सभी अधिकारियों को ज्ञान होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में प्रचलित मानकों को वट्सएप पर सभी को सियर किये जाने का कार्य आपदा प्रबन्धन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आपदा के कारण क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत कार्य हेतु आंगणन/धनराशि की मांग का कार्य निर्धारित मानकों के आधार पर ही सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित मानको से

Scanned with OKEN Scanner

आच्छादित न होने वाले कार्य अनुमन्य नहीं होंगे। गत वर्षो में आपदा के कार्यो में स्वीकृत योजनाओं के वित्तीय सत्यापन के लिए तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी एक समिति बनायेंगे, जो विभागवार प्रत्येक कार्ययोजना के अभिलेखों का परीक्षण करते हुये निविदा आदि से बचत धनराशि का विवरण तैयार कर उपलब्ध करायेगी।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- 3648/तेरह-आ0प्र0प्राधि0/2016 दिनांक- 10 जून, 2016

<u>प्रतिलिपि</u>: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपरोक्त समस्त अधिकारीगण।
2. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा/बड़कोट/पुरोला।
3. तहसीलदार, भटवाड़ी/डुण्डा/चिन्यालीसौड़/बड़कोट/पुरोला/मोरी।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, देहरादून।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 26–02–2016 प्रातः11.00 बजे जिला कार्यालय के समागार कावड़ यात्रा–2016 की व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :–

1– श्री ददन पाल, पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2– श्री गिरीश कुमार रस्तोगी, प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
3– श्री श्रवण कुमार उप निदेशक, गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तराशी।
4– श्री अशोक कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5– श्री आर0के0 पाण्डेय उप जिलाधिकारी बड़कोट।
6– श्री जयवर्धन शर्मा प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय, उत्तरकाशी।
7– श्री विजयनाथ शुक्ल, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
8– श्री शौरभ असवाल उप जिलाधिकारी डुण्डा।
9– श्री गनेश लाल कोहली पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
10– जनरल (मेजर) श्री बचन सिंह रावत मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
11– श्री एस0सी0 बनर्जी– ओ0सी0–1442 वी0सी0।
12– श्री बाबूलाल उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
13– श्री ए0एस0 पंवार जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
14– श्री के0एस0नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15– श्री डी0एस0 पटवाल, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
16– श्री सुदेश बगोली, सहायक अभियन्ता लो0नि0भटवाड़ी।
17– श्री पी0एस0 राणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री।
18– श्री ए0एस0 पंवार जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
19– श्री ए0के0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
20– श्री हरिश सिंह सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 उत्तरकाशी।
21– श्री विनोद प्रसाद सहायक अभियन्ता एन0एच0 बड़कोट।
22– श्री महेश विश्नोई अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगणों का स्वागत करते हुए विगत वर्षो की भॉन्ति दिनांक 19–07–2016 को गुरू पूर्णिमा पर्व पर प्रारम्भ होकर दिनांक 01–08–2016 शिवरात्रि तक होने वाले कावड मेले के आयोजन की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी गई। इस अवसर पर सड़क मार्ग से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से कांवड गंगाजल लेनें गंगोत्री, गौमुख एवं यमुनोत्री आते है। कावड़ा यात्रा मार्ग पर कानून व्यवस्था आवागमन, चिकित्सा सुविधा, आदि के सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया। जिसके सम्बन्ध में विभागवार समीक्षा निम्न प्रकार की गई :–

मार्ग व्यवस्था

जनपद में कावड़ यात्रा के लिए कावड़ियों द्वारा ऋषिकेश–गंगोत्री, धरासू–बड़कोट यमुनोत्री एवं सहारनपुर बड़कोट–यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस सम्बन्ध में यात्रा मार्गो को सुचारू रखने के लिए बी0आर0ओ0 एवं अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट को निर्देशित किया गया। बी0आर0ओ0 के ले0 कर्नल श्री बनर्जी द्वारा अवगत कराया है कि चिन्यालीसौड़ नगुणगाड से गंगोत्री तक राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तथापि वर्षाकाल होने के कारण अतिवृष्टि एवं भूस्खलन की स्थिति में लैण्ड स्लाईड जोंन नालूपानी, बन्दरकोट, नेताला, हीना, सैंज आदि स्थानों पर जे0सी0बी0 एवं उपकरणों के साथ बी0आर0ओ0 कर्मचारियों को वर्दी के साथ तैनात रखे जाने का आश्वासन दिया गया। इस प्रकार अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट द्वारा मार्ग को चालू रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था तैयार कर लिये जाने की जानकारी दी गई। तथापि मार्ग अवरूद्व होने की स्थिति में कावड़ियों द्वारा गतव्य के लिए तात्कालीक एवं अनुचित दबाव के कारण कार्य में मार्ग खोलने के लिए कार्य में लगे कर्मचारियों के बीच वाद विवाद की स्थिति पैदा होने के कारण कार्य में व्यवधान होने की सम्भावनायें बनी रहती है। जिसके लिए उक्त एजेन्सियों द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग का तथ्य रखा गया। जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा समुचित पुलिस बल, होमगार्ड एवं पी0आर0डी0 जवानों की तैनानी किये जाने

Scanned with OKEN Scanner

का आश्वासन दिया गया। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया यात्रियो को प्रातः 8.00 बजे से 10.00 बजे रात्री तक ही चलने की अनुमति दी जाय।

कार्यवाही बी0आर0ओ0 / एन0एच0बड़कोट / पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी।

गौमुख तक जाने की अनुमति

प्रभागीय बनाधिकारी नेशनल पार्क गंगोत्री ने अवगत कराया है कि पर्यावरण की दृष्टि से गंगोत्री धाम से गौमुख तक शासनादेशानुसार एक बार में कुल 150 यात्रियों को ही जाने की अनुमति है। सामान्य एवं पर्यटन की दृष्टि से यह व्यवस्था उचित है किन्तु कावड़ियों की धार्मिक भावनाओं को देखते हुये यह संख्या बहुत कम है जिससे बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है।

चूंकि कावड़ का आयोजन एक निश्चित अवधि के लिए होता है और इस सम्बन्ध में पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु अन्य ऐतिहात जैसे पॉलिथिन, अग्नि उपकरणों एवं सामाग्री आदि का उपयोग निषिद कर इस अवधि में प्रतिदिन 500 तक की संख्या निर्धारित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किये जाने के निर्देश दिये गये।

. कार्यवाही प्रभागीय बनाधिकारी नेशनल पार्क गंगोत्री।

सुरक्षा व्यवस्था

कावड़ यात्रा के दौरान सड़क यातायात पर आवागमन प्रभावित होने के साथ–साथ अन्य यात्रियों एवं स्थानीय लोगों से कावड़ियों की वाद विवाद की घटनायें अक्सर समाचार पत्रों मे प्रकाशित होती रही है। यद्यपि विगत वर्षो के दौरान जनपद में इस प्रकार की घटनायें प्रकाश में नहीं आयी है तथापि कावड़ के सुरक्षित आयोजन हेतु ऐतिहात बरता जाना आवश्यक है।

कावड़ यात्रा मार्ग पर आवादी वाले क्षेत्रों में कावड़ों के जयकारों एवं शोरगुल आदि के कारण स्थानीय लोगों एवं कावड़ के बीच बाद विवाद की स्थतियॉ उत्पन्न होने की सम्भावनायें बनी रहती है। मार्ग पर स्थित चर्च, मस्जिदो आदि अन्य धार्मिकों स्थलों पर सुरक्षा की दृष्टिगत पुलिस कान्सटेबल एवं होमगार्ड अथवा पी0आर0डी0 की तैनाती की जाय। पुलिस अधीक्षक द्वारा कावड़ यात्रा के दौरान शान्ति व्यवस्था कायम किये जाने हेतु यात्रा मार्ग गंगोत्री को 06 सेंक्टर में विभाजित कर पर्याप्त सुरक्षाबल तैनात किये जाने की जानकारी से अवगत कराया गया, जिस हेतु उप जिलाधिकारी भटवाड़ी को नोडल अधिकारी बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थिापि पुलिस चौकियों के द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराये जाने के निर्देश प्रसारित किये जाने के तथ्य से अवगत कराया गया।

कावड़ियों के भेष में तस्करी आदि की घटनायें होने की सम्भावनायें बनी रहती है। कावड़ियों द्वारा सुलफा, अफीम, छंग एवं आदि जैसे मादक पदार्थो का सेवन एवं तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त होती है, जिस पर पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता है जिसके लिए पुलिस अधीक्षक को सादी बर्दी में पुलिस कर्मियों की एस0ओ0जी0टीम तैनात कर पर्याप्त निगरानी के निर्देश दिये गये। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबा, कर्मियों, दुकानदारों द्वारा मादक द्रव्यों की चोरी छिप्पी विकी पर पर्याप्त निगरानी रखने पर बल दिया जाय साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले होटल / ढ़ावा / दुकानदारों द्वारा कावड़ियों द्वारा नुकिले भाले लाठी, डण्डों पर त्रिशूल आदि का उपयोग बहुतायत किया जाता है, वाद विवाद की स्थिति में इस प्रकार के उपकरणों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जिसके लिए भाले एवं डण्डों के नुकिले धारदार भाग को विनष्ट किये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।

कार्यवाही पुलिस अधीक्षक / उप जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी।

चिकित्सा व्यवस्था

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कावड़ यात्रा मार्ग पर पूर्व से ही स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सकों, स्टाफ की समुचित तैनाती एव उपस्थिति दवाई ऑक्सीजन, सिलेण्डर पर्याप्त मात्रा में रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त कावड़ यात्रा के दौरान

Scanned with OKEN Scanner

मार्ग पर विभिन्न धमार्थ संस्थाओं एवं व्यक्तियों के द्वारा भण्डारें एवं प्याऊ की व्यवस्था की जाती है। मार्ग पर यात्रियों को बासी भोजन एवं दुकानदारों द्वारा सामान को मूल्य से अधिक कीमत पर बेचने आदि के नियंन्त्रण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी को अधिकृत किया जाता है। दूषित पेयजल की स्थिति से निपटने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को उत्तरदायी बनाया गया है और यात्रा मार्गो पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं चिकित्सकों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था किये जाने के निर्देश को दियें गये है। जिन व्यक्तियो के द्वारा अन्न भण्डारे लगाये गये है, उनकी आई0डी0आदि की समुचित पड़ताल कर ली जाय।

कार्यवाही पुलिस अधीक्षक / उप जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।

सफाई व्यवस्था

कावड़ यात्रा मार्ग पर स्थित शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए सम्बधित नगर पालिका परिषद नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी उत्तरदायी होगें। ग्रामीण क्षेत्रो में पड़ने वाले कस्बों में सफाई व्यवस्था के लिए अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, उत्तरकाशी उत्तरदायी होगें। जिसके लिए स्थान-स्थान पर अतिरिक्त जैविक / अजैविक कूड़ादान स्थापित करने पूर्व से स्थापित मूत्रालयों एवं शौचालयों की सफाई व्यवस्था पानी की आपूर्ति एवं आवश्यकतानुसार अस्थायी मूत्रालयों एवं शौचालयों का निर्माण किया जाय। चूने एवं फिनायल का छिड़काव की समुचित व्यवस्था की जाय।

कार्य0समस्त अधिशासी अधि0 न0पा0 / नगर पंचा0 / जिला पंचा0 / जिला पर्यटन अधिकारी।

पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था

अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि यात्रा मार्ग पर टी.टी.एस.पी. व पी.टी.एस.पी. एवं हैण्डपम्प स्थापित है। हैण्ड पम्पों के निष्प्रयोज्य होने की सूचनायें अक्सर प्राप्त होती रहती है। अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित कर लें कि कावड़ यात्रा मार्ग पर जो हैण्ड पम्प खराब पड़े है उन्हे चालू किया जाय तथा लीकेज स्टेण्ड पोस्ट को भी ठीक करवा लिया जाय। पानी की टंकियों में ब्लीचिंग आदि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय।

कावड़ यात्रा मार्ग पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने हेतु उरेड़ा एवं अधिशासी अभियन्ता विद्युत वित्तरण खण्ड को निर्देश दिये जाते है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, उत्तरकाशी एवं नगर पचांयत गंगोत्री को मार्ग पर स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु निर्देशित किया गया। गंगोत्री एवं नगर पालिका परिषद में जहॉ-जहॉ पर पूर्व से स्ट्रीट लाईट लगी है व वर्तमान में खराब पड़ी है, उन्हे तत्काल ठीक करवाया जाय।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान / विद्युत वित्तरण खण्ड उत्तरकाशी / उरेड़ा / सम्बधित अधिशासी अधिकारी।

अतः समस्त उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये कावड़ मेला सुरक्षित संचालन सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गई। बैठक में लिये गये निर्णय का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करेगें सतत प्रयास के निर्देशों का बैठक का समापन किया गया।

(दीपेंद्र कुमार चौधरी),
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 4781 /20- 26 (2011-12) दिनांक 18 जुलाई 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1- आयुक्त, महोदय गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2- उपरोक्त सम्बधितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 26-02-2016 को जिला कार्यालय के सभागार कक्ष में प्रातः 11.00 बजे चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1- श्री अशोक कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2- श्री आर0के0 पाण्डेय उप जिलाधिकारी बड़कोट।
3- श्री जयवर्द्धन शर्मा उप जिलाधिकारी भटवाड़ी।
4- श्री विजयनाथ शुक्ल, उप जिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5- श्री नवनीत पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट।
6- श्री बी0डी0 भट्ट अधिशाासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0विभाग बड़कोट।
7- श्री मुकेश चन्द रमोला तहसीलदार भटवाड़ी।
8- श्री आर0एल0 रतूड़ी उप खण्ड अधिकारी, विद्युत विभाग।
9- श्री गिरीराय उप खण्ड अधिकारी यू0पी0सी0एल0।
10- श्री देवी दत्त चमोली, पुलिस उपाधीक्षक, उत्तरकाशी।
11- श्री गोपाल सिंह गुसांई, सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 भटवाड़ी।
12- श्री शैलेन्द्र सिंह मटूड़ा, सचिव होटल ऐशोसिऐशन उत्तरकाशी।
13- श्री अजयपुरी अध्यक्ष, होटल ऐशोसिऐशन उत्तरकाशी।
14- श्री बृजमोहन नोटियाल, अग्निशमन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15- श्री अनिल कुमार शर्मा, प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन, उत्तरकाशी।
16- श्री के0एस0 कोहली जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तरकाशी।
17- श्री पी0एल0नोटियाल, सहायक अभियन्ता सिंचाई, उत्तरकाशी।
18- श्री बाबूलाल उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी।
19- श्री पी0एस0 पंवार अधिशासी अभियन्ता, उत्तरकाशी।
20- श्री आर0के0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पुरोला
21- श्री के0एस0नेगी, जिला पर्यटन अधिकारी, उत्तरकाशी।
22- श्री डी0एस0 पटवाल, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
23- श्री एस0सी0 कुड़ियाल 36 बी0आर0टी0एफ0 तेखला, उत्तरकाशी।
24- श्री एस0सी0 बनर्जी- ओ0सी0-1442 बी0सी0।
25- श्री ए0एस0 पंवार जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
26- श्री डी0के0 पाण्डेय प्रभारी सुलभ इन्टरनेशनल, उत्तरकाशी।
27- श्री टी0आर0 जगुड़ी, सहायक अभियन्ता जल निगम, उत्तरकाशी।
28- श्री सुरेश सेमवाल सचिव, श्री गंगोत्री 5 मन्दिर समिति गंगोत्री।
29- श्री दीपेन्द्र पंवार, कोषाध्यक्ष होटल ऐशोसियेशन, उत्तरकाशी।
30- श्री अजय सिंह थानाध्यक्ष, उत्तरकाशी।
31- श्री मनोज कुमार, एस0आर0पी0ओ0 उरेड़ा।
32- श्री ओम प्रकाश उपाध्यक्ष व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी।
33- श्री शंकर सिंह आर0एम0ओ0 पुलिस उत्तरकाशी।
34- श्री राजेन्द्र सिंह पंवार अध्यक्ष, व्यापार मण्डल उत्तरकाशी।
35- श्री सुभाष बडोनी, जिला अध्यक्ष व्यापार मण्डल, उत्तरकाशी।
36- श्री सुशील प्रसाद डिमरी जी0एन0वी0एन0, उत्तरकाशी।
37- श्री वाई सेमवाल, मनेजर जी0एन0वी0एन0, उत्तरकाशी।

क्रमशः-2-

Scanned with OKEN Scanner

38– श्री एस0सी0 सेमवाल, अध्यक्ष होटल ऐसोसिऐशन उत्तरकाशी।
39– श्री श्री सुशील कुरील सहायक अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
40– श्री आर0ए0राव ईकाई अधिकारी, उ0वन निगम, उत्तरकाशी।
41– श्री ऐ0के0 जसवाल सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी।
42– श्री आर0पी0 बेंजवाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, नौगांव।
43– श्री सतीश चमोली, नगर पंचायत चिन्यालीसौड़।
44– श्री पी0एस0 राणा, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत गंगोत्री।
45– श्री सुनील थपलियाल अवर अभियन्ता, बी0एस0नल0 उत्तरकाशी।
46– श्री अरविन्द कुमार एस0डी0ओ0 बी0एस0एन0एल0 बड़कोट।
47– श्रीमती कुसुम राणा एस0आई0 नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
48– श्रीमती मन्जू टी0आई0, उत्तरकाशी।
49– शालिनी भरीटियाल, अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी।
50– श्री बीरेन्द्र सिंह अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, उत्तरकाशी।
51– श्री सुमेर सिंह असवाल कार्यकारी सदस्य संयुक्त व्यवस्था यातायात, उत्तरकाशी।
52– श्री अम्बरीष सेमवाल, रावल पुज्यारी गंगोत्री मन्दिर समिति।
53– श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल, पुज्यारी गंगोत्री मन्दिर समिति।
54– श्री महेश विश्नोई अवर अभियन्ता, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

–:: कार्यवृत्त :–

सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारीगणों/जनप्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अवगत कराया है कि दिनांक 09 मई 2016 को श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम के कपाट ग्रीष्म कालीन यात्रा हेतु खोले जायेगें तथा चारधाम यात्रा प्रारम्भ हो जावेगी।

यात्रा व्यवस्था को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित कराया जाना सम्बधित विभागीय अधिकारियों का पूर्ण दायित्व है। अतः बैठक में जो भी निर्णय/निर्देश निर्गत किये जायेगें सभी अधिकारीगण उनका तत्परता से ससमय अनुपालन सुनिश्चित करेगें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, होटल एशोसिएशन तथा जनपद के व्यापार मण्ड़ल के पदाधिकरियों, विभिन्न वाहन यूनियनों मंदिर समिति के पदाधिकारियों से भी अपेक्षां की गई कि वह चारधाम यात्रा के निर्बाध संचालन में जिला प्रशासन को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगें।

बैठक में उपस्थित जनपद के ट्रैकिग यूनियनों द्वारा अनुरोध किया गया कि गंगोत्री से गौमुख तक ट्रेकिग हेतु कपाट खुलने के पूर्व से अनुमति प्रदान की जाय। जिस पर बैठक में उपस्थिति उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा बताया गया कि गंगोत्री–गौमुख में वर्तमान में समय–समय पर हो रही बर्फवारी के कारण हाल ट्रेंकिग के अनुकूल नहीं है। आगामी चारधाम यात्रा–2016 की तैयारी को लेकर यात्रा से जुड़े सभी विभागीय अधिकरियों की बैठक लेते हुए प्रसिद्ध तीर्थधाम गंगोत्री व यमुनोत्री के यात्रा रूट पर यात्रियों व पर्यटकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, यात्रा की सुगम बनाने व सुव्यवस्थित ढ़ंग से संचालित करने के लिए अभी से तैयारिया शुरू करने के निर्देश दिये है।

कमशः--3--

Scanned with OKEN Scanner

–मार्ग व्यवस्था/डी0जी0बी0आर0 :–

जिला कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होने बी.आर.ओ. और नेशनल हाईवें के अधिकारियों से यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और धरासू–यमुनोत्री राजमार्ग को दुरूस्त करने के निर्देश भी दिये। बैठक में बी.आर.ओ. ने बताया कि 30 अप्रैल 2016 तक चिन्यालीसौड़ से गंगोत्री तक सड़क मार्ग को दुरूस्त कर लिया जायेगा।

जगह–जगह हो रहे सड़क मरम्मत कार्य को भी यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा। बी.आर.ओ. के अधिकारी ने बताया गया कि स्लाइड जोन नेताला में सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया है। चिन्यालीसौड़ से गंगोत्री तक जितने भी स्लाईड जोन है, उन्हे चिन्हित कर उन स्थलों पर हर समय मशीने तैनात रखी जायेगी। बरसात के सीजन में सड़क अवरूद्ध होने पर तत्काल सड़क मार्ग को खोला जायेगा। बी0आर0ओ0 उपरोक्त कार्य हेतु कार्मिकों को नियुक्ति करेगा एवं नियुक्त कार्मिकों की सूची मय दूरभाष नं0 सहित प्रशासन को उपलब्ध करायेगें। बी. आर.ओ. ने प्रशासन से अपेक्षा की कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे होटल व ढ़ाबे मालिकों द्वारा अनावश्यक रूप से सड़क पर पानी छोड़ने से नाली को अवरूद्ध किया जा रहा है इस पर अंकुश लगाया जाये।

जिलाधिकारी महोदय ने होटल एसोसिऐशन की अध्यक्ष श्री अजयपुरी को कहा कि वे भी इस पर रोक लगाये और सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखने मे प्रशासन का अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु कहा गया। बी.आर.ओ. को 15 मार्च से पूर्व शहर क्षेत्रांतर्गत सड़क पर हुए अतिक्रमण को चिन्हीकरण कर सूची उपलब्ध कराने को कहा जिलाधिकारी महोदय ने कुछ दिनों में बस अड्डा जोशियाड़ा में शिफ्ट किये जाने के निर्देश दिये गये।

बी.आर.ओ. ने बताया कि बड़ेथी–तेखला बाईपास मोटर मार्ग के तेखला में निर्माणधीन मोटर पुल 20 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जायेगा। बी.आर.ओ. को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यात्रा मार्गो पर साईन बोर्ड लगाये जाये जिससे यह प्रदर्शित हो कि पेट्रोल पम्प, चिकित्सालय, एवं पुलिस स्टेशन कितनी दूरी पर स्थित है तथा सुरक्षा की दृष्टि से सड़क के किनारे डेलिनेटर कास बैरियर एवं पैराफिट भी लगायें जाय।

*** कार्यवाही पुलिस अधीक्षक/बी0आर0ओ0/समस्त उप जिलाधिकारी/सहा0परिवहनअधि0

–मार्ग व्यवस्था लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग –

जिलाधिकारी महोदय ने यमुनोत्री मोटर मार्ग के सभी पैचवर्क को यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व ठीक करने निर्देश दिये। बैठक में अधिशासी अभियन्ता ने बताया गया कि डामटा यमुनोत्री मोटर मार्ग के नौगांव में 6 कि.मी. तक चौड़ीकरण कार्य चल रहा है जिसमें करीब 3 कि.मी. में यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व ब्लैकटॉपिग का कार्य कर लिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 को यह भी निर्देश दिये जाते है कि उक्त जहॉ पर सवेंदनशील एवं स्लाडिग जोन क्षेत्र है उन स्थानो पर साईन बोर्ड एवं रिफलेक्टर (डेलिनेटर), केश वरियर तथा पैराफिट लगाये जाये। उन स्थानो पर जो अधिकारी/कर्मचारी तैनात है, उनके दूरभाष नं0 भी इस कार्यालय उपलब्ध करा देवें ताकि वर्षात में आपदा आने से उन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित किया जा सकें।

*** कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग लो0नि0वि0 बड़कोट उ0का0।

क्रमशः–4–

Scanned with OKEN Scanner

– चिकित्सा व्यवस्था –

बैठक में दोनो यात्रा रूटों पर चिकित्सकों को सुविधा मुहैया कराने के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा जो प्लान बनाया गया, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि यात्रा सीजन में स्वास्थ्य केन्द्र पर पर्याप्त चिकित्सकों की तैनाती रहे और दवाईयों ऑक्सीजन, सिलेण्डर पर्याप्त मात्रा में रखे। अतिरिक्त डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के लिए डीजे हेल्थ व शासन को डिमांड भेजें। यात्रा रूट पर साफ–सफाई के लिए पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनानी और जानकीचट्टी और गंगोत्री में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लगी काम्पैक्टर मशीन को यात्रा सीजन में चालू रखने के जिला पंचायत व नगर पचांयत गंगोत्री को निर्देश दिये जाते है। मन्दिर समिति के सचिव श्री सुरेश सेमवाल ने अपने सुझाव मे यह भी कहा है कि श्री गंगोत्री एवं यमुनोत्री में चिकित्सक के रहने हेतु आवास उपलब्ध न होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस सम्बन्ध में जिला पर्यटन अधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये है कि चिकित्सक हेतु जी0एन0वी0एन0 के बंगले पर चिकित्सक हेतु आवास की व्यवस्था करें तथा पर्याप्त मात्रा में मेडिसन आदि की समुचित व्यवस्थायें करनी सुनिश्चत करें।

*** कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला पर्य0अधि0/जिला पंचायत उत्तरकाशी।

– सफाई व्यवस्था –

सुलभ संस्था को दोनो यात्रा रूट पर प्री–फैब्रिकेटेड शौचालय निर्माण प्रकिया शुरू करने को कहा गया। दोनो धाम श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री में पेयजल व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए जल संस्थान को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

*** कार्यवाही प्रभारी सुलभ इन्टरनेशनल/अधि0अभि0जल संस्थान।

–पर्यटन व्यवस्था –

क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी को निर्देश जाते है कि महत्वपूर्ण स्थानो पर यात्रा के सूचना पट्ट लगाये जाय, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न न हो। प्रबन्धक गढ़वाल मण्डल एवं लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये जाते है कि वे निरीक्षण भवन/गेस्ट हाऊस का स्वयं निरीक्षण कर लें, कि गेस्ट हाऊस पर बिछे विस्तर ठीक है अथवा नहीं उन्हे तत्काल साफ–सफाई की दृष्टि से अच्छी तरह से धूप में सुखाया जाय। जिला पर्यटन अधिकारी यह सुनिश्चित करलें कि यात्रियों का पंजीकरण करने के लिए बड़कोट (दोबाटा) तथा हीना में बायोमीट्रिक सिस्टम लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करें यात्रा पट्ट खुलने से पूर्व सम्बधित संस्था से समन्वय भी स्थापित करें तथा यात्रा रूटों पर स्थापित होटलों का पंजीकरण तथा होटल पर रेट लिस्ट चस्पा किये जाने आदि कार्यो के पर्यटन विभाग को निर्देश दिये गये।

*** कार्यवाही जिला पर्यटन अधि0/प्रबन्धक गढ़वाल मण्डल उ0का0।

– वाहनों के आवागमन हेतु समय सीमा का निर्धारण –

यात्रा के दौरान पर्याप्त मात्रा में बसें संचालित करने का दायित्व सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का है। बैठक में उपस्थित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि यात्रा रूटों पर नये वाहनों को ही संचालित किया जावें किसी भी दशा में पुराने वाहन यात्रा में न लगाये जाय। वाहनों की

कमशः–5–

Scanned with OKEN Scanner

भली–भॉति जॉच करने के उपरान्त ही उन्हे फिटनेश प्रमाण पत्र जारी किये जावें। जिन गाड़ियों को यात्रा सीजन पर लगाया जायेगा उन्हे पूर्व वर्षो की भॉति परिवहन विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराये जायेगे। ग्रीन कार्ड निर्गत कराये जाने की व्यवस्था जिला मुखयालय पर स्थित पविहन विभाग के कार्यालय से भी सुनिश्चित कराये जाने हेतु परिवहन आयुक्त को प्रस्ताव प्रेषित किया जाय। यात्रा सीजन में वाहनों की नियमित चैंकिग हेतु नियत स्थानो पर चैकपोस्ट बनाये जाय, जो प्रातः 5.00 बजे से सांय 8.00 बजे तक खुला रहेगें। इन चैकपोस्टों पर वाहनों की नियमित रूप से गहन चैकिंग कराई जानी सुनिश्चित की जाय। अक्सर जनप्रतिनिधियों द्वारा समय–समय पर अवगत कराया जाता है कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम हेतु वाहन स्वामियों द्वारा किराये से ज्यादा धनराशि वसूली जाती है तथा निर्धारित सीटों से अधिक सवारी वाहनों पर बैठाते है, जिसके कारण दुर्घटनाओं की सम्भांवनाये बन जाती है। इस सम्बन्ध में समस्त उप जिलाधिकारी, पुलिस विभाग एवं परिवहन विभाग को कड़े निर्देश दिये जाते है कि वे समय–समय पर वाहनों की गहनता से नियमित चैंकिग करते रहे तथा ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों की परमिट निरस्त करने की अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*** कार्यवाही पुलिस अधीक्षक/समस्त उप जिलाधिकारी/सहा0परिवहन अधिकारी उ0का0।

–पुलिस व्यवस्था –

यात्राकाल के दौरान मार्गो पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल के पुख्ता इंतजाम हेतु 08 अस्थाई पुलिस चौकियॉ क्रमशः भोजवासा, गंगोत्री, लंका, हर्षिल, डामटा, स्यानाचट्टी जानकीचट्टी एवं यमुनोत्री में बनाई जाती है। पुलिस उपाधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि यात्रामार्ग पर गत वर्षो की भॉति इस वर्ष भी पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर व्यवस्थापित पुलिस चौकियों का विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है :–

गंगोत्री यात्रा मार्ग

1– चौकी भोजवासा

2– चौकी गंगोत्री (पूर्व से स्थापित)

3– थाना हर्षिल

4– चौकी लंका

यमुनोत्री यात्रा मार्ग

1– चौकी यमुनोत्री (पूर्व से स्थापित)

2– चौकी जानकीचट्टी (पूर्व से स्थापित)

3– चौकी हनुमानचट्टी

4– चौकी स्यानाचट्टी

सहायता/आपदा सूचना केन्द्रो का विवरण।

1– आपदा सूचना केन्द्र झाला

2– आपदा सूचना केन्द्र गंगनानी

3– आपदा सूचना केन्द्र हेलगुगाड

1– आपदा सूचना केन्द्र भैरव मन्दिर

गंगोत्री व यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर व्यवस्थापित पर्यटक पुलिस चौकियों का विवरण–

गंगोत्री यात्रा मार्ग

1– पर्यटक पुलिस केन्द्र धरासू बैण्ड

2– पर्यटक पुलिस केन्द्र बस अड्डा उ0काशी

3– पर्यटक पुलिस केन्द्र हर्षिल

4– पर्यटक पुलिस केन्द्र भैरवघाटी

5– पर्यटक पुलिस केन्द्र गंगोत्री

यमुनोत्री यात्रा मार्ग

1– पर्यटक पुलिस केन्द्र दोबाटा

2– पर्यटक पुलिस केन्द्र स्यानाचट्टी

3– पर्यटक पुलिस केन्द्र हनुमानचट्टी

4– पर्यटक पुलिस केन्द्र जानकीचट्टी

5– पर्यटक पुलिस केन्द्र यमुनोत्री।

क्रमशः--6--

Scanned with OKEN Scanner

पुलिस विभाग को यह भी निर्देश दिये स्लाईड जोन है, जिसके लिए उक्त स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से एक–एक पुलिस कान्स्टेबल की तैनाती की जाय यदि पुलिस कान्स्टेबलों की कमी हो तो उक्त स्थान पर होमगार्ड अथवा पी0आर0डी0 के जवानों की तैनाती की जाय। पुलिस विभाग यह भी सुनिश्चित कर लें कि वाहनो को 8.00 बजे रात्रि के बाद चलने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी जाय। श्री गंगोत्री धाम एवं श्री यमुनोत्री में स्नान घाटों/गर्म कुण्डों में भी पुलिस/होमगार्ड के जवान तैनात करवायें जांय, ताकि स्नानघाटों पर चोरी की घटनाएँ न होने पावें।

श्री यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर परिसर में सक्रिय पुलिस कर्मी तैनात किये जाय तथा इन्हे दर्शन व्यवस्था चुस्त–दुरस्त बनाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश/प्रारम्भिक आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाय। तैनात पुलिस कर्मी मंदिर समिति के पदाधिकारियों/रॉवलों से भी दर्शन व्यवस्था हेतु समन्वय सुचारू रखेगें। उत्तरकाशी/बड़कोट नगर क्षेत्र एवं गंगोत्री में सुचारू ट्रेफिक पुलिस व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया जाने की परम आवश्यकता है।

गंगोत्री स्नानघाटों पर सिंचाई विभाग एलाउन्समेंट भी लगवा लें तथा घाटो पर इस आशय के साईन बोर्ड भी लगवायें जाय कि नदी का बहाव अत्यन्त तेज है, साबधानी बरते, नदी में प्रवेश न करें, केवल लोटे या जग से नदी से जल भरकर ही स्नान करें। सिंचाई विभाग नदी पर लोहे की चैन आदि भी लगवा लें।

*** कार्यवाही पुलिस अधीक्षक/सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी।

–सफाई व्यवस्था–

जनपद अर्न्तगत यात्रा मार्गो पर नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/बड़कोट एवं नगर पंचायत गंगोत्री/चिन्यालीसौड़/नौगाव स्थित है। बैठक में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी/बड़कोट एवं गंगोत्री को निर्देश दिये गये है कि वह यात्रा सीजन में विशेषकर नगर क्षेत्रार्न्तगत सफाई की सुचारू व्यवस्था करते हुए जगह–जगह उचित स्थानों पर अतिरिक्त जैविक/अजैविक कूड़ादान स्थापित करें व मूत्रालयों एवं शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करते हुए इनमे सफाई एवं पानी की आपूर्ति आदि का विशेष ध्यान रखे। सभी निकायें चूना का ज्यादा प्रयोग करें। शहर के अर्न्तगत जगह–जगह प्रत्येंक दिन चूने एवं फिनायल का छिड़काव करे। उत्तरकाशी नगर क्षेत्रार्न्तगत स्थित विभिन्न स्नान घाटों की यात्रा सीजन में विशेष सफाई व्यवस्था रखी जाय।

यमुनोत्री पैदल यात्र मार्ग पर जानकीचट्टी से ढ़ाई किमी. भगेंली गाड तक के मार्ग पर सफाई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जाती थी किन्तु विगत वर्षो से जानकीचट्टी से भंगेली गाड तक की सफाई व्यवस्था जिला पंचायत से सुनिश्चित कराई जाती है। जहॉ सफाई कर्मी जिला पंचायत के तैनात रहेगें इनकी मजदूरी का भुगतान की धनराशि स्वास्थ्य विभाग जिला पचांयत को उपलब्ध करायेगें। चूंकि स्वास्थ्य विभाग को चारधाम यात्रा मार्गो पर सफाई आदि स्वास्थ्य हेतु शासन से धनराशि उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी प्रकार इस मार्ग पर भंगेली गाड से आगे ढ़ाई किमी. यमुनोत्री तक सफाई व्यवस्था जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा की जाती है।

गंगोत्री धाम में सफाई व्यवस्था नगर पंचायत, गंगोत्री द्वारा सुचारू की जाती है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गंगोत्री, धाम में सफाई व्यवस्था यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व ही ठीक कर लें तथा यहॉ पर स्थित निकाय के सुलभ शौचालयों को तत्काल ही व्यवस्थित करवा दें।

क्रमशः–7–

Scanned with OKEN Scanner

सभी स्थानीय निकायों एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला पचांयत को निर्देश दिये गये है कि वह पर्याप्त सफाई कर्मियों की तैनाती यात्रा मार्गो पर करवा लें। यात्रा मार्गो पर जिला पंचायत, वन विभाग स्वास्थ्य विभाग, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि वह पर्याप्त सफाई कर्मियो की तैनाती यात्रा मार्गो पर करवा लें। यात्रा मार्गो पर जिला पंचायत, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कूड़े के निस्तारण/विनिष्टीकरण हेतु अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विशेष व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। जिला पचांतय द्वारा यात्रा मार्गो पर स्थित विभिन्न कस्बों/पड़ाओं यथा-चिन्यालीसौड़ बड़ेथी/डुण्डा/जोशियाड़ा/नेताला/भटवाड़ी/गंगनानी/ब्रहमखाल/डामटा/नौगांव/खरादी/स्यानाचट्टी/हनुमानचट्टी आदि में सफाई व्यवस्था हेतु पर्याप्त कर्मी तैनात नहीं किये जाते है, जिससे उक्त कस्बों में गन्दगी के ढ़ेर जगह-जगह लगे रहते है तथा नालियों आदि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सड़कों पर गन्दी नालियों का पानी अविरल बहता रहता है। निर्देश दिये जाते है कि आगामी यात्रा सीजन में जिला पयांयत उक्त कस्वों मे भी पर्याप्त मात्रा में सफाई व्यवस्था कर लें। चारधामों में स्फाई व्यवस्था हेतु जिला पचांयत उपयोगी कार्य योजना बना लें तथा इसका प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित कर लें। जिला पंचायत, यमुनोत्री धाम में वह गंगनानी में स्थित गर्मकुण्डों की विशेष सफाई व्यवस्था हेतु कर्मी तैनात कर लें।

श्री गंगोत्री, उत्तरकाशी में सीवर लाईन, सीवज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट का कार्य गंगा प्रदूषण ईकाई अपने स्तर से व्यवस्थित कर लें ताकि गंगा नदी पर किसी भी प्रकार की गन्दगी मलमूत्र प्रभावित न होने पायें।

*** कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी/जिला पंचायत/नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी/बड़कोट/गंगोत्री/गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई, उत्तरकाशी।

-पेयजल व्यवस्था -

गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्गो पर जल संस्थान की टी.टी.एस.पी. व पी.टी.एस.पी. एवं हैण्डपम्प स्थापित है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये गये है कि वह यात्रा मार्गो पर एवं दोनो धामों में 30 अप्रैल 2016 तक सभी प्रकार की पेयजल व्यवंस्थाओं को सुचारू करवा लें। यह भी निर्देश दिये गये कि जहॉ-जहॉ पर स्टेण्ड पोस्ट लीकेज है, उन्हे शीघ्रातिशीघ्र ही ठीक करवायें। विशेषकर पानी की टंकियॉ की समुचित साफ-सफाई करवाते हुए जहॉ-जहॉ पर टोंटियॉ आदि खराब पड़ी है उन्हे भी तत्काल बदलवा लें।

जल संस्थान के पास पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर पर्याप्त है उपलब्धता के आधार पर पद यात्रा मार्ग पर 01-01 टैंकर भी विशेषकर प्रथम दो माह हेतु तैनात करवाये जाय। अधिशासी अभियन्ता यात्रा मार्ग पर जिन-जिन स्थानों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, वहॉ पर इस आशय के सूचना पट भी लगवायें कि अमुक स्थान पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। गंगोत्री में गत वर्ष में पर्याप्त जलापूर्ति न होने की शिकायत प्राप्त हुई है, अधिशासी अभियन्ता चारधाम यात्रा मार्गो पर जहॉ-जहॉ हैण्ड पंम्पों एवं पाईप लाईनों की स्थिति खराब है उन्हे शीघ्र ठीक करवाकर कपाट खुलने से पूर्व जलापूर्ति सुनिश्चित कर ली जाय तथा कपाट खुलाने से पूर्व स्वयं एक बार यात्रा मार्गो का निरीक्षण भी करें तथा अवगत करायें कि जनपद में कितने हैण्ड पम्प खराब है, तथा कितने सुचारू रूप से कार्य रहे है।

*** कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी।

कमशः-8-

Scanned with OKEN Scanner

–खाद्यान्न कैरोसीन एवं गैस आपूर्ति –

गंगोत्री यात्रा मार्ग पर उत्तरकाशी, भटवाड़ी चड़ेथी, हर्षिल भैरवघाटी, गंगोत्री/चीड़वास एवं यमुनोत्री मार्ग में डामटा/नौगांव/बड़कोट, खरादी/स्यानाचट्टी/रानाचट्टी/हनुमानचट्टी एवं जानकीचट्टी में नियमित/यात्राकाल हेतु उचित दर की दुकानें खोली जाती है। उक्त दुकनों मे 01 लीटर प्रतिदिन प्रति यात्री के हिसाब से मिट्टी तेल व खाद्यान वितरण व्यवस्था की जाती है। जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये जाते हे कि वह सभी दुकानों मे पर्याप्त खाद्यान सामग्री एवं मिट्टी तेल की अपूर्ति समसय सुनिश्चित कर लें। इसके अतिरिक्त गैस आपूर्ति व यात्रा मार्ग पर स्थित पैट्रोल पम्पों पर पर्याप्त मात्रा में गैस सुविधा व पैट्रोल/डीजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावें। उप जिलाधिकारी यात्रा सीजन में समय–समय विभिन्न सस्ते–गल्ले की दुकानों/पेट्रोल पम्पों आदि की निरीक्षण/सत्यापन करते रहे। बैठक में यह प्रकाश में आया है कि गंगोत्री व यमुनोत्री धामों में यात्रा सीजन में मिट्टी तेल व गैस का भण्डारण की व्यवस्था न होने से उपभोक्ताओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वर्षाकाल में मार्ग बन्द हो जाने से यह स्थिति ओर खराब हो जाती है। इन धामों में जानकीचट्टी व गंगोत्री में गैस सिलेण्डर व मिट्टी तेल के अस्थायी भण्डारण की शीध्र व्यवस्था कर ली जाय। पैट्रोल पम्प समय से खोले जाय। यात्रा सीजन में तेल के टैक्करों को रात्रि में चलने की अनुमति सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व पुलिस ऊपाधीक्षक अपने स्तर से पदान कर लें। जनपद में यदि खाद्यान आदि की कमी हो तो तद्नुसार प्रस्ताव शासन को प्रेषित करें ।

*** कार्यवाही– समस्त उप जिलाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी/बड़कोंट व जिला पूर्ति अधिकारी उत्तरकाशी।

– विद्युत व्यवस्था –

श्री यमुनोत्री धाम में 33/11 के0वी0 हनुमान चट्टी विद्युत गृह से यमुनोत्री धाम तक 11 के0वी लाईन द्वारा ग्रिड सप्लाई जानकीचट्टी तक ही सुचारू है। उरेड़ा विभाग द्वारा जानकीचट्टी में निर्मित 200 किलोवाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना का संचालन स्थानीय समिति को दिया गया है, इस लघु जल विद्युत परियोजना से यमुनोत्री धाम में विद्युत आपूर्ति की जाती हैं परियोजना अधिकारी उरेड़ा को निर्देश दिये जाते है कि व दिनांक 30 अप्रैल 2016 तक श्री यमुनोत्री धाम की विद्युत व्यवस्था सुचारू करवाना सुनिश्चित करें।

श्री गंगोत्री धामों विद्युत आपूर्ति उरेड़ा विभाग के द्वारा की जाती है। विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में गंगोत्री एवं यमुनोत्री से प्रायः शिकायतें प्राप्त होती है कि कि श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धामों में विद्युत विभाग द्वारा आपूर्ति ठीक से नही की जाती है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत एवं उरेड़ा को इस सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये जाते है कि वे कपाट खुलने से पूर्व गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों का स्वयं निरीक्षण करलें गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामें किन–किन स्थानों पर विद्युत आपूर्ति वाधित है को दुरूस्त कर स्थलीय निरीक्षण करते हुये आख्या से इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

*** कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड /पी0ओ0 उरेड़ा।

क्रमशः--9--

Scanned with OKEN Scanner

–दूर संचार व्यवस्था –

गंगोत्री यात्रा मार्ग पर गंगोत्री, मनेरी एवं भटवाड़ी एवं यमुनोत्री मार्ग पर रानाचट्टी में बी0एस0एन0एल के मोवाईल टावर स्थित है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धामों में मोवाईल सेवा सुचारू रूप से कार्य करती है। गंगोत्री धाम में लैण्ड लाईन की दूरभाष की सुविधा उपलब्ध है। जानकीचट्टी में रिलायंन्स, आईडीआई, एरटेल कम्पनी का व यमुनोत्री में आईडिया के मोवाईल टावर भी स्थपित है। उप मण्डलीय अभियन्ता दूर संचार उत्तरकाशी व बड़कोट को निर्देश दिये जाते है कि उक्त दानों धामों में कपाट खुलने से पूर्व ही दुर संचार व्यवस्था सुचारू करवा लें। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों धाम के यात्रा मार्गो पर लगे बी0एस0एन0एल सहित विभिन्न कम्पनियों के मोवाईल टावरों की सूची टावरों के इंन्चाजों के दूरभाष नम्बर सहित तैयार करवाकर अविलम्ब ही इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*** कार्यवाही उप मण्डलीय अभियन्ता उत्तरकाशी / बड़कोट।

–कुली,डांडी,कण्डी,घोड़े की दरों का निर्धारण–

यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जिला पंचायत, उत्तरकाशी द्वारा प्रत्येक यात्रा सीजन में कुली, डांडी, कण्डी, एवं घोड़े– खच्चरों की दरों का निर्धारण किया जाता है। जिला पंचायत आगामी यात्रा सीजन हेतु तत्काल ही उक्त दरों का निर्धारण कर इसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त लेवें। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये जाते है कि वह निर्धारण दरों के डिस्पले बोर्ड हनुमानचट्टी से जानकीचट्टी तक विभिन्न उचित स्थानों पर लगवायें। इसी प्रकार के बोर्ड गंगोत्री एवं गौमुख पैदल मार्ग पर भी लगवायें जाय। जिला पंचायत जानकीचट्टी स्थापित काउण्टरों के आस–पास निर्धारण दरों कें उक्त बोर्ड पर्याप्त मात्रा में लगवायें। एक आदमी एक घोड़ा / खच्चर को संचालित करेगें। इस सम्बन्ध में जिला पंचायत अपने स्तर पर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेगें। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार बड़कोट / भटवाड़ी यात्रा सीजन में उक्त के सम्बन्ध में अपने स्तर पर समुचित प्रभावी नियंत्रण सिुनिश्चित करगें। घोड़ा / खच्चरों के संचालन से यमुनोत्री पैदल मार्ग में लीद हो जाने से मार्ग काफी गन्दा हो जाता है, इस हेतु जिला पंचायत इस यात्रा सीजन से घोड़े / खच्चरों के पीछे बैग सिस्टम शुरू करवा दें। अपर मुख्य अधिकारी इस पैदल मार्ग पर पर्याप्त सफाई कर्मी तैनात करवा लें तथा कूड़े के निस्तारण / डम्पिंग हेतु स्थान नियत कर चिन्हित स्थानों पर कूड़े का निस्तरण करवायें।

*** कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तरकाशी।

– जलौनी लकड़ी की व्यवस्था –

श्री गंगोत्री धाम में जलोनी लकड़ी की व्यवस्था वन निगम, उत्तरकाशी एवं यमुनोत्री में प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट द्वारा सुनिश्चित की जाती है। लौगिंग प्रवन्धक, वन निगम, उत्तरकाशी श्री गंगोत्री धाम में पर्याप्त जलोनी लकड़ी की व्यवस्था कपाट खुलने से पूर्व सुनिश्चित कर लें। प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट उक्त स्थानों पर यात्रा सीजन में आवश्यक रूप से लकड़ी के टाल स्थापित करवा दें। इसी प्रकार गंगोत्री में भी लकडी के टाल में पर्याप्त लकड़ी की व्यवस्था की जाय। मंदिर समिति टाल हेतु वन निगम को गंगोत्री में सुरक्षित स्थान उपलब्ध करावाना सुनिश्चित करेगी।

*** कार्यवाही– प्रभागीय लौगिंग प्रवन्धक, वन निगम उत्तरकाशी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट / अध्यक्ष मंदिर समिति गंगोत्री।

कमशः–10--

Scanned with OKEN Scanner

–यमुनोत्री धाम में बाढ़/भुस्खनल से हुई क्षति का उपचार–

गत यात्रा सीजन में यमुनोत्री में मंदिर के लिए जाने वाले मुख्य मार्ग पर लोक निर्माण विभाग बड़कोट से पुलिया निर्माण करवाया गया किन्तु यहाँ पर पुल से मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता क्षतिग्रस्त होना बताया गया है, जिसे विभाग द्वारा नहीं करवाया गया तथा मंदिर के पास रेलिंग क्षतिग्रस्त बताई गई। इसके अतिरिक्त यमुनोत्री मंदिर की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य भी करवाया जाना है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड पुरोला को निर्देश दिये जाते है कि वह 02 दिन अन्दर उक्त कार्यो के आगणन गठित कर धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

*** कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड पुरोला।

<u>–गंगोत्री में घाटों का निर्माण–</u>

गंगोत्री में सिंचाई विभाग द्वारा स्नानघाटों का निर्माण किया जाता है अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये है कि वह तत्काल ही घाटों का निर्माण सम्पन्न करवाकर गंगोत्री–स्नानघाटों पर लोहे की चैन 30 अप्रैल 2016 तक लगवा लें। गंगोत्री स्नानघाटों पर सिंचाई विभाग घाटों पर साईन बोर्ड तथा घाटों पर इस आशय से साईं बोर्ड भी लगवाये जाय। कि नदी का बहाव अत्यन्त तेज है, सावधानी बरते, नदी में प्रवेश न करें, केवल लोटे या जग से नदी से जल भरकर ही स्नान करें।

*** कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा धन्यवाद सहित बैठक का समापन करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गई वह बैठक में लिये गये निर्णय का प्रभावी कियान्वयन अपने स्तर पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करेगें तथा जो कार्य यात्रा मार्गो पर प्रारम्भ किये जाने उन्हे शीघ्र ही प्रारम्भ कर यदि किसी स्तर से कोई अनुमोदन प्राप्त करना हो तो अविलम्ब ही प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है।

(अशोक कुमार पाण्डेय),
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 2674 /34– 01 (2016–17) दिनांक 15 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– आयुक्त, महोदय गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

2– उपरोक्त सम्बधितों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी की अध्यक्षता में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की आहुत बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति-

1. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. मुख्य अधिशासी अधिकारी,
   आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/अपर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
4. प्रभारी अधिकारी/उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी।
5. उप प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
10. अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
11. अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
12. अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
13. परियोजना प्रबन्धक, उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
14. आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।
15. कार्यालय सहायक, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

बैठक में निम्नानुसार विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिये गये :-

जनपद में यू0डी0आर0पी0 एवं यू0ए0ई0पी0 के अन्तर्गत किये जा रहे पुर्ननिर्माण कार्यो के अन्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो के सुदृढीकरण कार्यो के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता ए0डी0बी0 आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी, अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी तथा अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत टॉपकोटिंग के सम्बन्ध में हॉटमिक्स प्लॉण्ट संचालन तथा मोबाईल ग्रेनुलेटर संचालन की अस्थायी अनुमति एवं परियोजना प्रबन्धक, उत्तरप्रेदश राजकीय निर्माण निगम लि0 देहरादून के द्वारा चिन्यालीसौड में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का कार्य, पेरी मीटर मोटर मार्ग का सुदृढीकरण तथा चिन्यालीसौड में राष्ट्रीय राजमार्ग से हवाई पट्टी मोटर मार्ग के आपदा से क्षतिग्रस्त होने पर मार्ग के बी0एम0/डी0बी0एस0 द्वारा सुदृढीकरण एवं डामरीकरण कार्य हेतु हॉटमिक्स प्लाण्ट के अस्थायी संचालन के लिये आपदा प्रबन्धन के तहत दिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका विभागवार विवरण निम्न प्रकार है। अधिशासी अभियंता ए0डी0बी0 आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी, अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी तथा परियोजना प्रबन्धनक, उत्तरप्रेदश राजकीय निर्माण निगम लि0 के द्वारा हॉटमिक्स प्लॉट की नितान्त अस्थायी अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रकरणों तथा अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा हॉटमिक्स प्लॉण्ट एवं मोबाईल ग्रेनुलेटर की नितान्त अस्थायी अनुमति हेतु प्रस्तुत प्रकरण पर विचार-विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा निम्न प्रकार प्रकरणवार निर्णय लेते हुये संस्तुति की गयी है।

1. **<u>अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को हॉटमिक्स प्लॉण्ट संचालन की अनुमति-</u>** अधिशांसी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत पत्र संख्या 979/डी0एम0 दिनांक 05.11.2015 के अनुसार सिलक्यारा-बणगांव-चापड़ा-सरोट मोटर मार्ग तथा बड़ेथी बनचौरा-बद्रीगाढ मोटर मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना है, जिस हेतु धरासू बैण्ड पर नाप भूमि पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापित किया जाना है। उक्त चिहिन्त स्थल आरक्षित वन भूमि से दूर स्थित है, तथा स्थल के समीप कोई आबादी स्थित नहीं है। उक्त स्थल पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापना हेतु विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण

अध्यक्ष
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
उत्तरकाशी

Scanned with OKEN Scanner

एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति हेतु आवेदन किया गया है। अनापत्ति की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण तथा वर्तमान में हॉटमिक्स कार्य हेतु मौसम की अनुकूलता को मध्येनजर रखते हुये डामरीकरण का कार्य करवाया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग दैवीय आपदा के कारण यातायात हेतु सुरक्षित नहीं है, तथा स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य किये जाने हेतु बल दिया जा रहा है। मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन से भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, आपदा खण्ड के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बैठक में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त आपदा से प्रभावित रहे क्षेत्र में सड़क मार्ग के विगत वर्षो में अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से जन सामान्य को हो रही असुविधा व उक्त स्थानों पर सम्भावित दुर्घटना/आपदा को दृष्टिगत रखते हुये मार्ग सुदृढ़ीकरण हेतु विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर 30.11.2015 तक की अवधि हेतु, नितान्त अस्थायी रूप से व्यसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के साथ उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु जनहित में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हॉटमिक्स प्लाण्ट संचालन की अनुमति प्रदान करने पर सहमति हुयी है। ए0डी0बी0 आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा इस बात का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा कि हॉटमिक्स प्लॉण्ट के संचालन से पर्यावरणीय संतुलन तथा आबादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये।

2. <u>अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को हॉटमिक्स प्लॉण्ट संचालन की अनुमति-</u> अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत पत्र संख्या 1032/4/सी0सी0-15 दिनांक 03.10.2015 के अनुसार ज्ञानसू-साल्ड-उपरीकोट मोटर मार्ग, डुण्डा-फोल्ड मोटर मार्ग, धौन्तरी-ठाण्डी मोटर मार्ग तथा मनेरी-जखोल मोटर मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना है, जिस हेतु डुण्डा-फोल्ड मोटर मार्ग के किमी0 18 में फोल्ड गांव से लगभग 02 किमी0 की दूरी पर नाप भूमि पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापित किया जाना है। उक्त चिहिन्त स्थल आरक्षित वन भूमि से दूर स्थित है, तथा स्थल के समीप कोई आबादी स्थित नहीं है। उक्त स्थल पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापना हेतु विभाग द्वारा पर्यवरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति हेतु आवेदन किया गया है। अनापत्ति की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण तथा वर्तमान में हॉटमिक्स कार्य हेतु मौसम की अनुकूलता को मध्येनजर रखते हुये डामरीकरण का कार्य करवाया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग दैवीय आपदा के कारण यातायात हेतु सुरक्षित नहीं है, तथा स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मार्गो के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु बल दिया जा रहा है। मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन से भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0, निर्माण खण्ड के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बैठक में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त आपदा से प्रभावित रहे क्षेत्र में सड़क मार्ग के विगत वर्षो में अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से जन सामान्य को हो रही असुविधा व उक्त स्थानों पर सम्भावित दुर्घटना/आपदा को दृष्टिगत रखते हुये मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर 15.12.2015 तक की अवधि हेतु, नितान्त अस्थायी रूप से व्यसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के साथ उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु जनहित में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हॉटमिक्स प्लाण्ट संचालन की अनुमति प्रदान करने पर सहमति हुयी है। ए0डी0बी0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा इस बात का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा कि

Scanned with OKEN Scanner

हॉटमिक्स प्लॉण्ट के संचालन से पर्यावरणीय संतुलन तथा आबादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये।

3. (i) **अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को हॉटमिक्स प्लॉण्ट संचालन की अनुमति–** अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत पत्र संख्या 515/008/डब्लू0बी0/2015 दिनांक 31.10.2015 के अनुसार चिन्याली–जोगत मोटर मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य किया जाना है, जिस हेतु चिन्याली–जोगत मोटर मार्ग के मल्लीसेरा में नाप भूमि पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापित किया जाना है। उक्त चिहिन्त स्थल आरक्षित वन भूमि से दूर स्थित है, तथा स्थल के समीप कोई आबादी स्थित नहीं है। उक्त स्थल पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापना हेतु विभाग द्वारा पर्यवरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति हेतु आवेदन किया गया है। अनापत्ति की स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण तथा वर्तमान में हॉटमिक्स कार्य हेतु मौसम की अनुकूलता को मध्येनजर रखते हुये डामरीकरण का कार्य करवाया जाना आवश्यक हो गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग दैवीय आपदा के कारण यातायात हेतु सुरक्षित नहीं है, तथा स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित मार्गो के सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु बल दिया जा रहा है। मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन से भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

अतः अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बैठक में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त आपदा से प्रभावित रहे क्षेत्र में सड़क मार्ग के विगत वर्षो में अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने से जन सामान्य को हो रही असुविधा व उक्त स्थानों पर सम्भावित दुर्घटना/आपदा को दृष्टिगत रखते हुये मार्गो के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर 15.12.2015 तक की अवधि हेतु, नितान्त अस्थायी रूप से व्यसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के साथ उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु जनहित में आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हॉटमिक्स प्लाण्ट संचालन की अनुमति प्रदान करने पर सहमति हुयी है। वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी द्वारा इस बात का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा कि हॉटमिक्स प्लॉण्ट के संचालन से पर्यावरणीय संतुलन तथा आबादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये।

3 (ii) **अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी को स्थान डिडसारी में मोबाईल ग्रेनुलेटर संचालन की अनुमति–** अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को प्रस्तुत पत्र संख्या 526/1104/बी0आर0/डब्लू0बी0 दिनांक 05.11.2015 के अनुसार उत्तरकाशी–गंगोत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थान डिडसारी में वर्ष 2013 की आपदा में डिडसारी गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल क्षतिग्रस्त होने पर पुनः पुल का पुर्ननिर्माण कार्य किया जा रहा है। पुल का निर्माण कार्य निर्धारिंत समय अवधि के अन्तर्गगत तथा आगामी मानसून अवधि से पूर्व आवागमन के लिए सुचारू करने की दृष्टि से पुल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मटेरियल यथा–रोड़ी, पत्थर को तोड़ने हेतु मोबाईल ग्रेनुलेटर की अस्थायी स्वीकृत नितान्त आवश्यक है। अधिशासी अभियंता द्वारा स्थान डिडसारी में ग्रेनुलेटर के संचालन की अस्थायी स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित झूला पुल के शीघ्र निर्माण हेतु स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों द्वारा बल दिया जा रहा है।

अतः अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर बैठक में प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त आपदा से क्षतिग्रस्त डिडसारी झूला पुल से जन सामान्य को हो रही असुविधा व उक्त स्थान पर सम्भावित दुर्घटना/आपदा को दृष्टिगत रखते हुये पुल के शीघ्र निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर आगामी तीन माह की अवधि हेतु, नितान्त अस्थायी रूप से व्यसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के

Scanned with OKEN Scanner

साथ उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु जनहित में आपदा प्रबन्धन अधिनियम; 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ग्रेनुलेटर संचालन की अनुमति प्रदान करने पर सहमति हुयी है। वर्ल्ड बैंक, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा इस बात का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा कि ग्रेनुलेटर संचालन के संचालन से पर्यावरणीय संतुलन तथा आबादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचने पाये।

अत: उपरोक्त तथ्यों को मध्येनजर रखते हुये प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिशासी अभियंता ए०डी०बी० आपदा खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी, अधिशासी अभियंता, ए०डी०बी० निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी तथा अधिशासी अभियंता, वर्ल्ड बैंक, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी द्वारा उनके द्वारा चिन्हित स्थल पर हॉटमिक्स प्लॉट एवं ग्रेनुलेटर संचालन हेतु उपरोक्त वर्णित समय-सीमा तक, अल्प अवधि हेतु, नितान्त अस्थायी रूप से, व्यवसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के साथ पर्यावरणीय संतुलन तथा आबादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाये बिना जनहित में हॉटमिक्स प्लॉट एवं ग्रेनुलेटर संचालन की अनुमति/स्वीकृति प्रदान की जाय।

4. <u>परियोजना प्रबन्धक, उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, देहरादून को स्थान चिन्यालीसौड में टी०एच०डी०सी० की भूमि पर हॉट मिक्स प्लाण्ट के संचालन की अनुमति</u> - परियोजना प्रबन्धक, उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, देहरादून के द्वारा प्रस्तुत पत्र संख्या-212ए०/निर्माण रानिनि/देहरादून/2012 दिनांक 02.11.2015 के अनुसार दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त चिन्यालीसौड में हवाई पट्टी के विस्तारीकरण, मार्ग का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से चिन्यालीसौड हवाई पट्टी मोटर मार्ग के सुदृढीकरण एवं डामरीकरण का कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु विभाग द्वारा चिन्यालीसौड में टी०एच०डी०सी० की भूमि पर हॉटमिक्स प्लॉण्ट स्थापित किया गया है। हॉटमिक्स प्लाण्ट की स्थापना नियमानुसार विभाग द्वारा किया जाना बताया गया है, जिसके संचालन हेतु विभाग द्वारा नियमानुसार शासन से अनापत्ति के लिये आवेदन किया गया है। किन्तु शासन से अनापत्ति मिलने में समय लगने के दृष्टिगत तथा आपदा से क्षतिग्रस्त उपरोक्त लोकमहत्व कार्यो को ससमय करवाये जाने के दृष्टि से आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अन्तर्गत हॉटकिक्स प्लाण्ट के अस्थायी संचालन हेतु विभाग द्वारा अनुरोध किया गया है।

अत: परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र०रा०नि०नि०लि०, देहरादून द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सम्यक विचारोपरान्त चिन्यालीसौड में आपदा से क्षतिग्रस्त हवाई पट्टी के विस्तारीकरण/सुदृढीकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से हवाई पट्टी मोटर मार्ग के सुदृढीकरण तथा डामरीकरण कार्य की उपयोगिता तथा सामरिक महत्ता को दृष्टिगत करते हुये विभाग द्वारा चिन्हित स्थल पर स्थापित हॉटमिक्स प्लण्ट के नितान्त अस्थायी संचालन हेतु दिनांक 25.12.2015 तक की अवधि के लिये व्यवसायिक उपयोग न करने के प्रतिबन्ध के साथ उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु जनहित में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत हॉटमिक्स प्लाण्ट संचालन की अनुमति प्रदान करने पर सहमति हुयी है। परियोजना प्रबन्धक, उत्तरप्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० देहरादून द्वारा इस बात का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होग कि हॉटमिक्स प्लाण्ट के संचालन से पर्यावरणीय सन्तुलन तथा आवादी स्थल को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचने पाये।

5. <u>आपदा प्रबन्धन के तहत पूर्व तैयारी</u>- आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत विभिन्न मुख्य संस्थाओं यथा- सेना, सीमा सड़क संगठन, आई०टी०बी०पी०, एन०आई०एम०, पुलिस आदि के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक किये जाने के साथ आपदा की स्थिति में जन संचार माध्यम को सुदृढ बनाये जाने के उद्देश्य से आपदा संभावित क्षेत्र जहां दूरसंचार सुविधाओं का अभाव है वहां पुलिस संचार सुविधाओं का विकास किये जाने का निर्णय लिया गया। ITBP का एक वायरलेस सेट DEOC उत्तरकाशी में स्थापित किया जाय।

अधिकारी
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

Scanned with OKEN Scanner

आपदा पूर्व तैयारी के दृष्टिगत जनजागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न विभागों, विद्यालयों व ग्रामों के आपदा प्रबन्धन कार्ययोजनाओं का ससमय विकास कर लिया जाय एवं इसके आधार पर विभिन्न स्तरों पर मांक ड्रिल का आयोजन भी किया जाय। विभिन्न मार्गों में दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर संबन्धित विभागों द्वारा क्रेश बैरियर आदि उचित उपाय किये जाय। कतिपय स्थानों/ग्रामों में भूस्खलन/भूधसाव क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा उपयुक्त पौधों का रोपण किया जाय। अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए विभिन्न सामुदायिक एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों यथा-बजारों, सामुहिक आयोजन स्थलों पर जल संस्थान विभाग द्वारा फायर हाईड्रेन्ट्स स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाय।

अन्त में उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,
उत्तरकाशी।

अधि0अभि0, प्रा0खं0,
लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।
नामित सदस्य आपदा
प्रबन्धन प्राधिकरण

अधि0अभि0, सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी।
नामित सदस्य आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण

मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तरकाशी।
सदस्य आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
सदस्य/मुख्य अधिशासी
अधिकारी, आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण।

मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तरकाशी।
सदस्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

पुलिस अधीक्षक,
उत्तरकाशी।
सदस्य आपदा प्रबन्धन
प्राधिकरण

दिनांक- 10 नवम्बर, 2015

अनुमोदित,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी

संख्या- 3386 /तेरह-आ0प्र0प्राधि0/2015 दिनांक- 16 नवम्बर, 2015

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित समिति के सदस्य।
6. अधिशासी अभियंता ए0डी0बी0 आपदा खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
7. अधिशासी अभियंता, ए0डी0बी0 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
8. अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
9. उपजिलाधिकारी, भटवाड़ी/डुण्डा।

अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 04 जुलाई, 2015 को संयुक्त मजिस्ट्रेट (आपदा राहत), की अध्यक्षता में भागीरथी नदी के बाढ़ तल के निर्धारण तथा बाढ़-चेतावनी तंत्र एवं डी०एस०पी०टी० फोन के कार्यशील रखने के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति निम्नप्रकार रही है-

1. श्री हरीश पैला, अधि०अभि०, यू०जे०वि०एन०एल०, मनेरी।
2. श्री पी०एस०पंवार, अधि०अभि०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
3. श्री जितेन्द्र आर्य, अधि०अभि०, यू०जे०वि०एन०एल०, जोशियाड़ा।
4. श्री विशाल वर्मा, जे०टी०ओ०, बी०एस०एन०एल०, उत्तरकाशी।
5. श्री अरविंद कुमार, उप मण्डलीय अभियंता, बड़कोट।
6. श्री डी०एस० पटवाल, आपदा प्रबन्धन अधिकारी, उत्तरकाशी।

बैठक में भागीरथी नदी के बाढ़ तल के निर्धारण, बाढ़ की स्थिति में मनेरी तथा जोशियाड़ा बैराज से जल निकासी पर चेतावनी तंत्र का विकास तथा जनपद में स्थापित डी०एस०पी०टी० दूरभाष को सुचारू रखने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया तथा आवश्यक निर्देश दिये गये-

1. तिलोथ पुल पर उच्च बाढ़ तल का निर्धारण- अधि०अभि०, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया है कि वर्ष, 2013 से पूर्व तिलोथ पुल पर भागीरथी नदी का चेतावनी जल स्तर 1122.00 मीटर, खतरे का तल 1123.00 मीटर तथा उच्च बाढ़ तल 1125.70 मीटर निर्धारित था, किन्तु वर्ष, 2012 तथा 2013 में आपदा के कारण बाढ़ आने से भागीरथी नदी के कैचमेन्ट में जमा अतिरिक्त मलवा के कारण भागीरथी नदी का तल सामान्य से ऊपर उठने के फलस्वरूप उपरोक्त बाढ़ तल में एक मीटर की कमी करने का निर्णय लिया गया था। भागीरथी नदी का बाढ़ तल (गेज) नापने का कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जा रहा है। गत वर्ष भागीरथी नदी के बाढ़ तल में प्रस्तावित की गयी एक मीटर की कमी को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि सिंचाई विभाग, उत्तरकाशी तथा केन्द्रीय जल आयोग संयुक्त रूप से भागीरथी नदी के बाढ़ तल का तत्काल निर्धारण करना सुनिश्चित करेंगे, तथा निर्धारित बाढ़ तल की सूचना प्रतिदिन जारी गेज रिपोर्ट में दर्ज करते हुये सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत करायेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय जल आयोग के उत्तरकाशी में तैनात सहा० अभि० गत वर्षों में माह जून से सितम्बर तक के भागीरथी नदी में तिलोथ पुल पर मापा गया बाढ़ तल की सूचना 02 दिन अन्दर जनपद आपातकालीन परिचालन केन्द्र, उत्तरकाशी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी अवगत कराया गया है कि भागीरथी नदी के ऊपरी कैचमेन्ट एरिया यथा- हर्षिल, झाला, गंगनानी में पूर्व वर्षो में गेज रिकार्ड लिया जाता था, किन्तु गत 2-3 वर्षो से उक्त स्थानों पर गेज रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। गत वर्ष डी०डी०एम०ए० की बैठक में गंगनानी में गेज रिकार्ड लिये जाने हेतु सहा० अभि०, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी को निर्देशित किया गया था, किन्तु उनके द्वारा उक्त स्थान के गेज रिकार्ड की सूचना नहीं दी जा रही है। अतः पुनः सहा०अभि०, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

बाढ़ चेतावनी तंत्र- यू0जे0वि0एन0एल0 को निर्देश दिये गये हैं कि बाढ़ चेतावनी के सम्बन्ध में अर्ली वारनिंग हेतु बल्क एस0एम0एस0 सिस्टम तत्काल डेप्लप करते हुये इसके माध्यम से भागीरथी नदी के किनारे स्थित आम जनता, सभी सम्बन्धित अधिकारियों [illegible] जन-प्रतिनिधियों को नदी के जल स्तर का अलर्ट की सूचना, बॉध का डिस्चार्ज लेबल आदि की सूचना से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त गत वर्षो का सम्पूर्ण अवधि में माहवार हैंज्ड उच्च बाढ़ तल तथा वर्तमान वर्ष में प्रतिदिन का रिकार्ड आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध कराया जाय। उत्तरकाशी शहर के मुख्य स्थलों पर 10 से 15 डिस्पले लगाये जाये, जिस पर हर समय बाढ़ चेतावनी से सम्बन्धित सूचना डिस्पले की जाय। बैराज से पानी छोड़ने की स्थिति में चार घण्टे पूर्व लाउडस्पीकर से भी सूचना प्रसारित की जाय।

5. डी0एस0पी0टी0 फोन- डी0एस0पी0टी0 फोन स्थापना के सम्बन्ध में गंगोत्री के वन [illegible] चौकी में स्थापित फोन सुचारू न होने की सूचना मिली है। अगोड़ा में स्थापित किया जाने वाला फोन भी नही लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ओसला में स्थापित फोन कार्यशील नही हैं। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि उक्त स्थानों पर स्थापित डी0एस0पी0टी0 फोन को तत्काल कार्यशील किया जाय, तथा अगोड़ा में शीघ्र डी0एस0पी0टी0 फोन की स्थापना की जाय। बी0एस0एन0एल0 विभाग यमुनोत्री, ओसला [illegible] हर्षिल तथा अगोड़ा में स्थापित दूरभाष को इस कार्यालय के पत्र संख्या [illegible]/13 डी0एस0पी0टी0-आ0प्र0/2015 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा निर्गत निर्देशों [illegible] [illegible] सम्बन्धित विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुये तत्काल [illegible] हैण्डओवर कर नाम व पदनाम सहित इसकी सूचना तत्काल आपातकालीन परिचालन केन्द्र को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त मे उपस्थित अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गयी।

(जोगदाण्डे विजय कुमार के0)
संयुक्त मजिस्ट्रेट, आपदा राहत,
उत्तरकाशी।

कार्यालय- अध्यक्ष, जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, उत्तरकाशी।

संख्या- /तेरह-आ0प्र0/2015 दिनांक- 06-जुलाई, 2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. उपरोक्त समस्त सम्बन्धित अधिकारी।
2. महाप्रबन्धक, यू0जे0वि0एन0एल0, उत्तरकाशी।
3. सहायक अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, यमुना भवन, देहरादून।
5. मण्डलीय अभियंता, बी0एस0एन0एल0, नई टिहरी।
6. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
7. जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।

संयुक्त मजिस्ट्रेट, आपदा राहत,
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner